

अलहक
मुबाहसा देहली

ALHAQ
MUBAHASA DELHI

हजरत पिर्जा गुलाम अहमद कादियानी
मसीह मौऊद व मेहदी माहूद अलैहिस्सलाम

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

अलहक़ मुबाहसा देहली

हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

और

मौलवी मुहम्मद बशीर भोपालवी के मध्य

स्थान - देहली

दूसरा मुबाहसा

मौलवी सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब अमरोही

और

उपरोक्त मौलवी मुहम्मद बशीर के मध्य

पत्राचार के माध्यम से हुआ

II

नाम पुस्तक	: अलहक्र मुबाहसा देहली
लेखक	: हजरत मिर्जा गुलाम अहमद क्रादियानी मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम
अनुवादक	: डा० अन्सार अहमद, एम.ए., एम.फिल, पी.जी.डी.टी., आनर्स इन अरबिक
संस्करण	: प्रथम संस्करण (हिन्दी) जून 2024 ई०
संख्या	: 500
प्रकाशक	: नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क्रादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
मुद्रक	: फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क्रादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
Name of book	: AL-HAQ MUBAHASA DELHI
Author	: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Masih Mou'ud W Mahdi Mahood Alaihissalam
Translator	: Dr Ansar Ahmad, M.A., M.Phil, P.G.D.T., Hons in Arabic
Edition	: 1st Edition (Hindi) June 2024
Quantity	: 500
Publisher	: Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
Printed at	: Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian 143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

प्रकाशक की ओर से

हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब क्रादियानी मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम का शास्त्रार्थ बनाम "अलहक्र मुबाहसा देहली" का यह हिन्दी अनुवाद आदरणीय डा० अन्सार अहमद ने किया है। तत्पश्चात आदरणीय शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री (सदर रिव्यू कमेटी), आदरणीय फ़रहत अहमद आचार्य (इंचार्ज हिन्दी डेस्क), आदरणीय अलीहसन एम. ए., आदरणीय मोहम्मद नसीरुल हक्र आचार्य, आदरणीय इब्नुल मेहदी एम. ए. और आदरणीय सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद एम.ए. ने इसका रिव्यू किया है। अल्लाह तआला इन सब को उत्तम प्रतिफल प्रदान करे।

इस पुस्तक को हजरत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ (जमाअत अहमदिया के वर्तमान खलीफ़ा) की अनुमति से हिन्दी प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

विनीत

हाफ़िज़ मख़दूम शरीफ़

नाज़िर नश्र व इशाअत क्रादियान

नोट

पुस्तक के अंत में पारिभाषिक शब्दावाली दी गई है पाठकगण उसकी सहायता से पुस्तक में प्रयोग किए गए इस्लामिक शब्दों को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं।



हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी
मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम
(1835 ई० - 1908 ई०)
संस्थापक अहमदिया मुस्लिम जमाअत

लेखक परिचय

हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम

हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम का जन्म 1835 ई० में हिन्दुस्तान के एक कस्बे क़ादियान में हुआ। आप अपनी प्रारंभिक आयु से ही ख़ुदा की उपासना, दुआओं, पवित्र क़ुरआन और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में व्यस्त रहते थे। इस्लाम जो कि उस समय चारों ओर से आक्रमणों का शिकार हो रहा था, उसकी दयनीय अवस्था को देख कर आप अलैहिस्सलाम को अत्यंत दुख होता था। इस्लाम की प्रतिरक्षा और फिर उसकी शिक्षाओं को अपने रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए आपने 90 से अधिक पुस्तकें लिखीं और हज़ारों पत्र लिखे और बहुत से धार्मिक शास्त्रार्थ और मुनाज़रात किए। आपने बताया कि इस्लाम ही वह जिन्दा धर्म है जो मानवजाति का संबंध अपने वास्तविक सृष्टिकर्ता से पैदा कर सकता है और उसी के अनुसरण से मनुष्य व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है।

छोटी आयु से ही आप सच्चे स्वप्न, कश्फ़ और इल्हाम से सुशोभित हुए। 1889 ई० में आपने ख़ुदा तआला के आदेशानुसार बैअत¹ लेने का सिलसिला प्रारंभ किया और एक पवित्र जमाअत की नींव रखी। ख़ुदा से इल्हाम व कलाम का सिलसिला दिन प्रति दिन बढ़ता गया और आपने ख़ुदा के आदेशानुसार यह घोषणा की कि आप अंतिम युग के वही सुधारक हैं जिस की भविष्यवाणियाँ संसार के समस्त धर्मों में भिन्न-भिन्न नामों से उपस्थित हैं।

आपने यह भी दावा किया कि आप वही मसीह मौऊद व महदी माहूद हैं जिसके आने की भविष्यवाणी आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने की थी। जमाअत अहमदिया अब तक संसार के 200 से अधिक देशों में स्थापित हो चुकी है।

1 बैअत- किसी नबी, रसूल, अवतार या पीर के हाथ पर उसका मुरीद होना- अनुवादक

VIII

1908 ई० में जब आप का स्वर्गवास हुआ तो उसके पश्चात पवित्र कुरआन तथा आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों के अनुसार आपके आध्यात्मिक मिशन की पूर्णता हेतु खिलाफ़त का सिलसिला स्थापित हुआ। अतः इस समय हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिंहिल अज़ीज़ आप के पंचम ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) और वैश्विक अहमदिया मुस्लिम जमाअत के वर्तमान इमाम हैं।

पुस्तक परिचय

अलहक्र : मुबाहसा देहली

इन परिस्थितियों में जब हर जगह लोगों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विरुद्ध उकसाया और भड़काया जा रहा था, हुज़ूर चाहते थे कि किसी प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली आलिम (विद्वान) से आपका मसीह के जीवन और मृत्यु तथा आप के दावे पर मुबाहसा हो जाए ताकि सामान्य लोगों को सत्य और असत्य में अन्तर करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए आपने समस्त उलेमा को विज्ञापन द्वारा मुबाहसा का निमंत्रण दिया।

मौलवी रशीद अहमद साहिब गंगोही-

मौलवी रशीद अहमद साहिब गंगोही ज़िला सहारनपुर में एक बहुत बड़े विद्वान, इस्लामी धर्मशास्त्र (शरीअत) के ज्ञाता और हदीसविद (मुहद्दिस) समझे जाते थे और उन्हें मुकल्लिदों (अर्थात् अहले हदीस) के गिरोह में वही श्रेणी और स्थान प्राप्त था जो मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब देहलवी को अहले हदीस गिरोह में प्राप्त था। वह भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मुबाहसा करने से बचते थे। पीर सिराजुलहक्र साहिब नोमानी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के निष्कपट मुरीद थे और लुधियाना में हुज़ूर की सेवा में उपस्थिति थे और वह मौलवी रशीद अहमद साहिब गंगोही के साढ़ू भी थे। उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं मौलवी रशीद अहमद साहिब को लिखूँ कि वह मुबाहसा के लिए तैयार हों। अतः पीर साहिब और उनके बीच पत्राचार हुआ। मसीह के जीवित रहने तथा उनकी मृत्यु पर बहस करने के लिए वह भी तैयार न हुए और लिखा कि बहस नुज़ूल-ए-मसीह पर होगी और लिखित नहीं बल्कि केवल मौखिक होगी लिखने या कोई वाक्य नोट करने की किसी को अनुमति नहीं होगी और दर्शकों में से जिसके मन में जो आएगा सन्देह को दूर करने के लिए बोलेंगा तथा बहस का स्थान सहारनपुर होगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सहारनपुर जाना भी

स्वीकार कर लिया और लिखवाया कि शांति व्यवस्था के लिए आप सरकारी प्रबन्ध कर लें जिसमें कोई यूरोपियन अप्रसर हो और प्रबन्ध सुनिश्चित करके हमें लिख भेजें। हम निर्धारित तारीख पर आ जाएंगे। लिखित मुबाहसा के विवाद का निर्णय दर्शकों के बहुमत के आधार पर किया जाएगा। यदि आप स्वयं पधारते तो हम आप के खर्च और शांति व्यवस्था के लिए सरकारी प्रबन्ध के भी जिम्मेदार होते। मौलवी रशीद अहमद साहिब ने उत्तर में लिखा कि प्रबन्ध का उत्तरदायी मैं नहीं हो सकता। इस पर उनको दो-तीन पत्र और लिखे गए, परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

देहली में शैखुलकुल (अर्थात् मौलवी नज़ीर हुसैन देहलवी) को मुबाहसा का निमंत्रण

इसके बाद हुज़ूर लुधियाना से वापस क्रादियान गए। जब पंजाब के उलेमा ऐसे मुबाहसा के लिए तैयार न हुए जिस से लोगों को सत्य और असत्य में अन्तर करने का अवसर प्राप्त हो सके तो हुज़ूर अक्रदस ने देहली जाने का इरादा कर लिया। क्योंकि देहली उस समय धार्मिक ज्ञान की दृष्टि से एक ज्ञान-केन्द्र के समान था और वहां मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब जो अहले हदीस उलेमा के गुरु और शैखुलकुल कहलाते थे और शम्सुल उलेमा मौलवी अब्दुल हक साहिब लेखक तफ़्सीर हक्कानी इत्यादि प्रसिद्ध उलेमा रहते थे। आप ने सोचा कि शायद वहां समझाने का अन्तिम प्रयास पूर्ण करने तथा जन साधारण को सच्चाई मालूम करने का अवसर मिल जाए। इसलिए आप क्रादियान से लुधियाना गए, जहां एक सप्ताह ठहर कर अपने निष्कपट साथियों के साथ देहली के लिए निकल पड़े और कोठी नवाब लुहारू बाज़ार बल्लीमारां में ठहरे और 2 अक्टूबर 1891ई. को आप ने एक विज्ञापन-

“समस्त न्यायप्रिय मुसलमानों तथा ख्याति प्राप्त उलेमा के ध्यान देने योग्य एक विनम्र मुसाफ़िर का विज्ञापन” इस वर्णित शीर्षक के साथ दिया।

इस विज्ञापन में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने अक्रायद (आस्थाएं) लिख

कर मसीह अलैहिस्सलाम बिन मरयम के जीवन- मृत्यु की समस्या तथा अपने दावे का वर्णन किया और लिखा कि यदि हज़रत सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब या जनाब मौलवी अबू मुहम्मद अब्दुल हक़ साहिब मसीह की मृत्यु हो जाने के बारे में मुझे ग़लती पर समझते हैं या नास्तिक या तावील करने वाला समझते हैं और मेरे कथन को ख़ुदा और रसूल स. के कथनों के विरुद्ध समझते हैं तो उन का कर्त्तव्य है कि सामान्य जन को फ़ितने (अर्थात् आजमाइश) से बचाने के लिए इस विषय पर इस देहली शहर में मेरे साथ बहस कर लें। बहस में शर्ते केवल तीन होंगी- (मज्मूआ इश्तिहारात जिल्द-1 पृष्ठ 217 नवीन एडिशन)

(1) शान्ति स्थापित रखने के लिए वे स्वयं सरकारी प्रबन्ध करा दें अर्थात् बहस की मज्लिस में एक अंग्रेज़ अप्रसर मौजूद हो।

(2) दोनों पक्षों की बहस लिखित हो और बहस की मज्लिस में ही प्रश्नोत्तर लिखे जाएं।

(3) बहस मसीह की मृत्यु और उनके जीवित रहने के बारे में हो। तथा कोई व्यक्ति पवित्र-कुर्आन और हदीस की पुस्तकों से बाहर न जाए। (सारांशतः)

इसके अतिरिक्त लिखा कि "मैं क्रसम खाकर इक्रार करता हूँ कि यदि मैं इस बहस में ग़लती पर निकला तो दूसरा दावा स्वयं त्याग दूंगा तथा इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पश्चात् एक सप्ताह तक आप महोदयों के उचित उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा।" (मज्मूआ इश्तिहारात जिल्द-1 पृष्ठ - 217-218)

इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पश्चात् मौलवी अबू मुहम्मद अब्दुल हक़ साहिब तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से भेंट करके बहाना कर गए कि मैं तो एक एकान्तवासी व्यक्ति हूँ और ऐसे जल्सों से जिन में जनता के दोगलेपन और विरोध की आशंका हो स्वाभाविक तौर पर पसन्द नहीं करता। चूँकि मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी भी देहली पहुंचकर गर्व पूर्ण शैली में अपने ज्ञान और श्रेष्ठता की घोषणा कर रहा था और उसने एक विज्ञापन में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि:-

“यह मेरा शिकार है कि दुर्भाग्य से पुनः देहली में मेरे कब्जे में आ गया और मैं

सौभाग्यशाली हूं कि भागा हुआ शिकार फिर मुझे मिल गया।”

और लोगों को आपके विरुद्ध भड़काता रहा, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने 6 अक्टूबर को "विज्ञापन मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब लीडर अहले हदीस के मुकाबले में" प्रकाशित किया। आपने उसमें मौलवी अब्दुल हक्र को छोड़ते हुए मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब और उनके शिष्य मुहम्मद हुसैन बटालवी की चर्चा करके लिखा:- कि

“यदि हर दो मौलवी साहिब हज़रत मसीह बिन मरयम को जीवित कहने में सच पर हैं और क़ुरआन करीम और अहदीस सहीहा से उसका सशरीर जीवित होना सिद्ध कर सकते हैं तो मेरे साथ 2 अक्टूबर 1891ई. में लिखी शर्तों की पाबन्दी की सहमति के साथ बहस करें।”

(मज्मूआ इश्तिहारात जिल्द-1-पृष्ठ 220 नवीन एडीशन)

और समझाने के अन्तिम प्रयास को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुजूर ने कुछ आसानी के लिए यह भी लिख दिया कि मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब बहस के जल्से में किसी अंग्रेज़ अफसर को नियुक्त कराने में असफल रहे तो उस अवस्था में विज्ञापन के माध्यम से शपथ उठाकर यह इक्रार करें कि हम स्वयं शांति बनाए रखने के उत्तरदायी हैं और यदि कोई व्यक्ति सभ्यता एवं सम्मान के विरुद्ध कोई वाक्य मुख पर लाएगा तो उसे तत्काल मज्लिस से निकाल देंगे। तो इस अवस्था में यह विनीत मौलवी साहिब की मस्जिद में बहस के लिए उपस्थित हो सकता है। इस 6 अक्टूबर के विज्ञापन के प्रकाशित होने के पश्चात् मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब के शिष्यों ने स्वयं ही एक तिथि निर्धारित करके एक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया कि अमुक तिथि को बहस होगी और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इसकी सूचना न दी और बहस के निर्धारित समय पर हुजूर अक्रदस अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी भेज दिया कि बहस के लिए चलिए, मौलवी नज़ीर हुसैन साहिब मुबाहसे के लिए आप की प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ़ हुजूर अक्रदस के विरुद्ध लोगों को बहुत भड़काया गया था और जल्से का उद्देश्य भी दंगा करके हुजूर अक्रदस अलैहिस्सलाम को कष्ट

पहुंचाना था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ऐसी परिस्थितियों में शर्ते तय किए बिना जल्से में सम्मिलित नहीं हो सकते थे और न हुए। लोगों में यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि मिर्जा साहिब बहस में उपस्थित नहीं हुए और पलायन कर गए हैं तथा शैखुलकुल से डर गए हैं। तब हज़रत मसीह मौऊद ने 17 अक्टूबर 1891 ई. निम्नलिखित शीर्षक के साथ एक विज्ञापन प्रकाशित किया:-

“महा वैभवशाली ख़ुदा की शपथ देकर मौलवी सय्यिद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहिब की सेवा में मसीह इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम की मृत्यु हो जाने तथा उनके जीवित रहने की बहस के लिए निवेदन”

हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम ने इस विज्ञापन में बहस से पलायन के झूठे आरोप का उत्तर देते हुए लिखा:-

“एक तरफ़ से जल्से में सम्मिलित होना यद्यपि मुझ पर अनिवार्य नहीं था क्योंकि मेरी सहमति से वह जलसा तय नहीं हुआ था और मेरी ओर से एक विशेष तिथि में उपस्थित होने का वादा भी न था, परन्तु फिर भी मैंने उपस्थित होने के लिए तैयारी कर ली थी परन्तु लोगों के उपद्रवी आक्रमणों ने जो अचानक किए गए उस दिन मुझे उपस्थित होने से रोक दिया। इस बात के सैकड़ों लोग गवाह हैं कि इस जल्से के ठीक उसी समय में उपद्रवी लोगों का मेरे मकान पर इतना बड़ा जमावड़ा हो गया कि मैं उनकी पागलों जैसी हालत देखकर ऊपर के अन्तः पुर में चला गया। अन्ततः वे उसी ओर आए और घर के किवाड़ तोड़ने लगे और नौबत यहां तक पहुंची कि कुछ लोग स्त्रियों के रहने के स्थान में घुस आए और एक बड़ा समूह नीचे तथा गली में खड़ा था जो गालियां देता था और बड़े जोश के साथ गालियों का ज्वर निकालते थे। बड़ी मुश्किल से ख़ुदा की कृपा से उन से मुक्ति पाई।”

“अतः एक ओर लोगों को उकसा कर उन्हें जोश पूर्ण भाषण सुना कर मेरे घर के चारों ओर खड़ा कर दिया और दूसरी ओर मुझे बहस के लिए बुलाया और फिर न आने पर जो कथित बाधाओं के कारण था शोर मचा दिया कि वह मैदान छोड़ कर भाग गए और हमने विजय पाई।”

“अब मैं खुदा की कृपा से अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर चुका हूँ और बहस के लिए तैयार बैठा हूँ। सफर के कष्ट सहन करके तथा देहली वालों से प्रतिदिन गालियां और भर्त्सना और कटाक्ष को सहन करके केवल आप से बहस करने के लिए हे शैखुलकुल साहिब बैठा हूँ।”

(मज्मूआ इश्तिहारात जिल्द-1 पृष्ठ 224-226 नवीन एडीशन)

“हज़रत बहस के लिए बाहर आइए कि मैं बहस के लिए तैयार हूँ, फिर महा वैभवशाली अल्लाह की आपको क्रसम देकर इस बहस के लिए बुलाता हूँ जिस जगह आप चाहें उपस्थित हो जाऊं परन्तु बहस लिखित होगी।”(सारांशतः)

आपने भिन्न-भिन्न प्रकार से शैखुलकुल साहिब को मुबाहसा के लिए प्रेरित किया तथा आप ने यह भी लिखा कि शारीरिक तौर पर उठाए जाने के बारे में वे जितनी आयतें और हदीसें प्रस्तुत करें मैं हर आयत और हदीस पर पच्चीस रुपए उनकी भेंट करूंगा।

तत्पश्चात 20 अक्टूबर को जामिअ मस्जिद देहली में मज्लिस आयोजित होना तय हुआ और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस का भी प्रबंध हो गया। अतः उस दिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने बारह साथियों के साथ जामिअ मस्जिद देहली के बीच के गोल दरवाजे में जा बैठे। जामिअ मस्जिद में उस दिन बहुत अधिक जन समूह था, एक सौ से अधिक पुलिस के सिपाही और उन के साथ एक यूरोपियन अफ़सर भी आ गए। फिर मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब, मौलवी बटालवी इत्यादि के साथ पधारे, जिन्हें उनके शिष्यों ने एक

दालान में बैठा दिया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने शैखुलकुल को एक पर्चा भेजा कि 17 अक्टूबर के विज्ञापन के अनुसार मुझ से बहस करें। या क्रसम खा लें कि मेरे नज़दीक मसीह इब्ने मरयम का पार्थिव शरीर के साथ जीवित उठाया जाना पवित्र कुर्आन और हदीस के निश्चित, ठोस और स्पष्ट आदेशों से सिद्ध है। इस क्रसम के पश्चात् यदि एक वर्ष तक इस झूठी क्रसम के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रहें तो मैं आप के हाथ पर तौबा करूंगा। परन्तु शैखुलकुल साहिब ने दोनों बातों में से किसी को भी स्वीकार न किया और मसीह के मृत्यु प्राप्त हो जाने तथा उनके जीवित रहने के बारे में बहस करने से सर्वथा इन्कार कर दिया और अपने लोगों के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को कहला भेजा कि यह व्यक्ति इस्लाम के अकीदों (आस्थाओं) से विमुख है। जब तक यह व्यक्ति अपनी आस्थाओं का हम से फैसला न करे हम मसीह की मृत्यु और जीवित रहने के बारे में कदापि बहस न करेंगे। यह तो काफ़िर है, क्या क्राफ़िरों से बहस करें। इस जल्से में ख्वाजा मुहम्मद युसुफ़ साहिब रईस तथा वकील व आरेरी मजिस्ट्रेट अलीगढ़ भी मौजूद थे। उन्होंने हुज़ूर अक़दस से कहा—ये अक़ीदे आप की ओर झूठे तौर पर बना कर सम्बद्ध किए जाते हैं। मुझे एक पर्चे पर ये सब बातें लिख दें। अतः आपने अपने अक़ीदों के बारे में एक पर्चा लिख दिया और ख्वाजा साहिब को दे दिया, जिसे उन्होंने सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस को ऊंचे स्वर में सुनाया और समस्त आदरणीय दर्शकों ने जो निकट थे सुन लिया।

निष्कर्ष यह कि शैखुलकुल ने अपनी हठ को नहीं छोड़ा और मसीह की मृत्यु और उनके जीवित रहने की बहस का इन्कार करते रहे। अतः सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस ने इस खींचातानी से तंग आकर तथा लोगों की वहशियाना हालत और लोगों के भारी जन समूह को देखकर सोचा कि अब अधिक समय तक प्रतीक्षा करना उचित नहीं। इसलिए लोगों के समूह को अस्त-व्यस्त करने के लिए आदेश दे दिया गया कि चले जाओ, बहस नहीं होगी। इसके बाद पहले मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब अपने दोस्तों के साथ मस्जिद से निकले और बाद में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आप के सहाबा। हज़रत मसीह मौऊद

अलैहिस्सलाम अपने 23 अक्टूबर 1891ई. के विज्ञापन में इस बहस के जल्से का वर्णन करते हुए लिखते हैं:-

“हे देहली तुझ पर अप्रसोस तू ने अपना अच्छा नमूना नहीं दिखाया।”

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब से मुबाहसा

जब शैखुलकुल और दूसरे उलेमा का मसीह अलैहिस्सलाम के जीवित रहने तथा उनकी मृत्यु पर मुबाहसा करने से इन्कार और पलायन सब लोगों पर स्पष्ट हो गया तो देहली वालों ने मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब सहसवानी को जो उन दिनों भोपाल में नौकरी करते थे मुबाहसे के लिए बुलाया, जिसने शैखुलकुल, मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी तथा अन्य उलेमा की इच्छा के विरुद्ध मसीह के जीवित रहने तथा मृत्यु पर बहस करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनकी पराजय हमारी पराजय नहीं समझी जाएगी।

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब ने मसीह का जीवित रहना सिद्ध करने के लिए चार आयतें प्रस्तुत कीं, परन्तु अपने पर्चे नंबर दो में स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि

“मसीह के जीवित रहने पर मेरा असल सबूत प्रथम आयत (अर्थात् *و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته*) है। मेरे नज़दीक यह आयत इस अभीष्ट को सिद्ध करने में ठोस सबूत है, दूसरी आयतें केवल समर्थन के लिए लिखी गई हैं। मिर्ज़ा साहिब को चाहिए कि असल बहस पहली आयत की रखें।” (अलहक़म मुबाहसा देहली रूहानी खज़ायन जिल्द-4 पृष्ठ 170)

और सबूत का कारण यह वर्णन किया कि “*لَيُؤْمِنَنَّ* में नून ताकीदी है जो मुज़ारिअ (वर्तमान) को पूर्णतः भविष्य काल के लिए कर देता है।”

और लिखा कि यदि इसके विरुद्ध कोई आयत या हदीस ऐसी प्रस्तुत की जाए जिसमें नून ताकीद वर्तमान काल या भूतकाल के लिए निश्चित तौर पर आया हो या किसी नह्व की पुस्तक में इसके विरुद्ध लिखा हो तो मैं अपने इस मुकद्दमे को गलत स्वीकार करूंगा।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनके इस सबूत के इस आधार को पवित्र कुर्आन की कई आयतें प्रस्तुत करके ग़लत सिद्ध कर दिया और कहा कि यदि सबूत के इस कारण को सही भी मान लिया जाए तो फिर भी आयत के दो भविष्यकालिक अर्थ और हो सकते हैं, जो मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब द्वारा प्रस्तुत अर्थ से अधिक उचित हैं।

1. “कोई अहले किताब में से ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान नहीं लाएगा।”
2. “एक युग ऐसा आएगा कि उस युग के मौजूद समस्त अहले किताब नबी ख़ातमुल अंबिया पर अपनी मौत से पहले ईमान ले आएंगे।”

इन दोनों अर्थों का सही होना आपने तफ़्सीरों की पुस्तकों के हवाले से प्रस्तुत किया और ठोस सबूत उसे कहते हैं जिसमें कोई अन्य संभावना पैदा न हो सके। अतः यह आयत भी मसीह के जीवित रहने पर ठोस सबूत सिद्ध नहीं हुई।

इस सन्दर्भ में मैं अपने एक मुबाहसे का भी वर्णन कर देना उचित समझता हूँ। 31 अगस्त 1920ई. को स्थान-सारचूर ज़िला अमृतसर में मेरे और मौलवी अब्दुल्लाह साहिब मौलवी फ़ाज़िल (फ़तह गढ़) के मध्य मसीह के जीवन और मृत्यु पर मुबाहसा हुआ, जो बाद में प्रकाशित हो गया था उसमें ग़ैर अहमदी बहस कर्ता ने भी यही आयत बतौर सबूत प्रस्तुत की और उसके द्वारा प्रस्तुत अर्थों पर मैंने कई ऐतराज़ किए और उसके इस दावे कि لِيَوْمَانَّ में लाम और नून ताकीद का है, इसलिए इसके अर्थ भविष्यकाल के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते। उत्तर में मैंने पवित्र कुर्आन की निम्नलिखित आयत प्रस्तुत की जिसमें दो जगह नून ताकीद का है और अर्थ वर्तमानकाल के हैं।

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ (अन्सिा 73, 74)

इसके अर्थ मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन साहिब मुहद्दिस देहलवी ने यह किए हैं-

“और निस्सन्देह कुछ तुम में से यद्यपि वे लोग हैं कि देर करते हैं निकलने में। अतः यदि पहुंच जाती है तुमको मुसीबत (कष्ट) कहता है निस्सन्देह उपकार किया अल्लाह ने ऊपर मेरे जिस समय कि न हुआ मैं साथ उनके उपस्थिति। और यदि पहुंच जाता है तुम को फ़ज़ल (कृपा) खुदा की तरफ़ से। यद्यपि कहता है जैसे न थी बीच तुम्हारे और बीच उसके दोस्ती।”

अतः इस आयत में **لَيَقُولَنَّ** का अनुवाद “देर करते हैं” और **لَيَبِطَنَّ** का अनुवाद “यद्यपि कहता है” वर्तमान काल का किया है।★

इसी प्रकार मैंने इस मुबाहसा में यह हदीस भी दर्ज की है कि जब हज़रत अमीरुल-मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहो अन्हो की मृत्यु होने लगी तो आप ने अपने बेटे अब्दुल्लाह रज़ि को हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा के पास भेजा कि वह उनके लिए आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र रज़िअल्लाहो अन्हो के साथ दफ़न किए जाने की अनुमति के लिए निवेदन करें। तो हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा ने फ़रमाया- कि मैं इस स्थान को अपने लिए चाहती थी” **وَأَلُوْزِرْتُهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي** परन्तु आज मैं हज़रत उमर^{रज़ि} को स्वयं पर प्राथमिकता देती हूँ और एक रिवायत में है कि हज़रत उमर के मृत्यु पाने के बाद अनुमति प्राप्त की गई। अतः इस रिवायत में भी **وَأَلُوْزِرْتُهُ** में नून सक्रीला ताकीदी होने के बावजूद वर्तमान काल के अर्थ हैं।

निष्कर्ष यह कि जो व्यक्ति देहली के मुबाहसा को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा उस पर स्पष्ट हो जाएगा कि उलेमा के हाथ में मसीह को जीवित सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं। न कोई आयत और न कोई सही हदीस और यह मुबाहसा अल्लाह तआला के फ़ज़ल से बहुत से लोगों की हिदायत का कारण हुआ।

विनीत

जलालुद्दीन शम्स

★ मुबाहस सारचूर- पृष्ठ 33-34 द्वितीय संस्करण मुहम्मद यामीन पुस्तक विक्रेता क्रादियान के प्रबन्धन द्वारा)

د्वितीय संस्करण उर्दू का टाइटल पृष्ठ

ٹائٹل بار دوم

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا

الْحَقُّ

مباحثہ

حضرت اقدس و مولوی محمد بشیر بھوپالوی بمقام

دہلی

مباحثہ بذریعہ مراسلت مابین مولوی سید محمد اسحاق

امروہی و مولوی محمد بشیر نذکور

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں یا بہنام حافظ حکیم فضل دین صاحب

مالک مطبع کے چھپکر شائع ہوا

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

الصادق المصدوق المطاع الامين

अलहम्दोलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातो वस्सलामो अलन्नबिय्यिल् उम्मिय्यिस्सादिक्रिल मस्दूक्रिल मुताइल अमीन।

अनुवाद - समस्त प्रशंसाएं अल्लाह तआला के लिए हैं जो रहमान और रहीम है और दरूद और सलाम हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर जो उम्मी हैं, सत्यवादी हैं, जो सच्चे समझे गए और जिनकी पैरवी की जाए और जो अमानतदार हैं।

देहली वाले मुबाहसे के प्रकाशित होने में उम्मीद से अधिक देर हुई इस दौरान बेचैन एवं प्रतीक्षा करने वाले पाठकों को बहुत हैरानी से स्वाभाविक तौर पर तरह-तरह के विचारों एवं भ्रमों के पंजे में गिरफ्तार होना पड़ा, परन्तु अल्लाह तआला का धन्यवाद (शुक्र) है कि इस देरी (विलंब) में भी बड़ी-बड़ी मस्लिहतें सिद्ध हुईं और अब यह दुनिया में अपनी पूर्ण आभा (तज्जली) के साथ दोपहर के सूर्य की भांति चमका है। निस्सन्देह एक जगत को प्रतीक्षा थी कि उस वैभवशाली और रोब से भरपूर दावे के मुक्राबले पर जो ख़ुदा के भेजे हुए और उसके इमाम हज़रत गुलाम अहमद क़ादियानी ने किया है, प्रमाणित एवं मान्य विद्वानों में से कोई व्यक्ति खड़ा हो, और मुसलमानों की हार्दिक इच्छा थी कि सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी अक़्रीदा (आस्था) को न छोड़ें जब तक किसी ज़बरदस्त मुक्राबले की कसौटी पर कस कर उस का खोटा होना सिद्ध न हो जाए। लुधियाना के मुबाहसे से, जो मसीह मौऊद के असल दावे से बिलकुल अलग घटित हुआ था, मुसलमानों की प्यास को होंठ गीले करने के लिए पानी की एक बूंद भी न मिली थी, यद्यपि एक कारण से एक सच्चे पारखी को इस से भी हज़रत मिर्ज़ा साहिब का ख़ुदा की ओर से सहायता प्राप्त होना स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका था, किन्तु सामान्य लोग

जिनकी निगाहें बुनियादी बातों से आगे बढ़कर उद्देश्यों की तह दर तह बारीकियों पर नहीं पहुंच सकतीं, खुला-खुला सबूत और स्पष्ट प्रमाण का प्रकटन चाहते थे अतः कृपालु और दयालु खुदा तआला ने जो मनुष्य को हैरत और असमंजस के अंधेरों में आजमायश के समय अपनी विशेष कृपा से मार्गदर्शन का दीपक हाथ में देता है। अपने शाश्वत विधान के अनुसार अब भी चाहा कि उन नेक फितरत लोगों को जिन पर कुछ कारणों से वक्ती तौर पर पर्दे पड़ गए हैं तथा जिन्हें वास्तव में सत्य को स्वीकार करने की सच्ची और जोश भरी तड़प तो है परन्तु वे सिद्दीक्री ईमान के विपरीत ठोस तर्क तथा जाहिरी सबूत देखकर ईमान लाना पसन्द करते हैं, अपनी इच्छाओं के मार्ग दिखाने के लिए एक विशेष निशान सत्य और असत्य के मध्य अन्तर करने वाला दिखाए। उस अपार दूरदर्शी और प्रशंसनीय अल्लाह तआला ने अपनी ज़बरदस्त हिक्मत (युक्ति) को पूरा करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद के हृदय में देहली की यात्रा का इरादा डाला किया। आप 28 सितम्बर को कुशलता पूर्वक देहली पहुंचे। समस्त पंजाब और हिन्दुस्तान की आंखें बड़ी अधीरता से देहली की कार्यवाहियों को देखने लगीं। उनकी यह आस्था विरासत से चली आई थी कि देहली बड़े बड़े प्रकाण्ड विद्वानों तथा रोशन वलियों का निवास स्थान तथा शरण स्थली है। इसलिए वहां जैसा चाहेंगे सत्य सिद्ध हो जाएगा और असत्य का खण्डन हो जाएगा। परन्तु खेद कि वे नहीं जानते थे कि सुधारणा के प्रेरक तथा जिनसे उम्मीद हो जिनकी पवित्र और प्रतिष्ठित पुस्तकें उनकी मनमोहक तस्वीरों को उचित तौर पर स्थानापन्न करके पाठकों के हृदय में सौ-सौ निराशाएं छोड़ती हैं क़ब्रों में सो रहे हैं और उनके सीनों को रौंदने वाले इतरा-इतरा कर चलने वाले वे लोग हैं जो **فُخِّلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمِّ خَلْفٍ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ** (मरियम आयत न. 60) (अनुवाद - फिर उनके बाद ऐसे वंशज आये जिन्होंने नमाज़ को नज़रअंदाज़ किया और बुरी इच्छाओं का पालन किया। तो अवश्य वे गुमराही का परिणाम देख लेंगे) के पूर्ण चरितार्थ हो रहे हैं। निस्सन्देह कुछ अब भी हैं जिन्हें मुक़द्दस (पवित्र) पूर्वजों की सच्ची यादगारें कहना कुछ अतिशयोक्ति नहीं। अतः हज़रत मिर्ज़ा साहिब अपने स्वामी अपने पेशवा जनाब पूर्ण मार्गदर्शक

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तरह जबकि वह मक्का वालों से कष्ट सहन करके 'तायफ़' जैसे सभ्य और हरे-भरे शहर की ओर इस आशा के साथ गए कि कदाचित् उनमें ही कोई सत्याभिलाषी मिल जाए, हिन्दुस्तान के सभ्य शहर देहली में आए। परन्तु क्या हमें इस बात की अभिव्यक्ति पर हार्दिक पीड़ा विवश नहीं करती कि देहली निवासियों ने (बहुत थोड़े लोगों को छोड़कर) शायद तायफ़ निवासियों का इतिहास पढ़कर तथा अपने तीव्र अभिमान एवं अहंकार पर विश्वास करके नहीं चाहा कि वे एक मर्द-ए-ख़ुदा के साथ दुर्व्यवहार करने में उन पहले सत्य के विरोधियों से एक क़दम भी पीछे रह जाएं। ख़ैर जो कुछ उन से बन पड़ा उन्होंने किया और कहा और **एक शान्ति प्रिय, दयालु, सभ्य और दृढ़ निष्पक्ष गर्वनमेंट** के प्रताप और दबदबे से भरपूर समय में जितने विरोध का वे हौसला रखते थे उन्होंने किया परन्तु उनके संयुक्त प्रयासों से ख़ुदा का नूर बुझ न सका अपितु अन्ततः उन्हीं के हाथों उन्हीं के प्रयासों को अल्लाह तआला ने उस नूर की उन्नति का कारण बनाया। परन्तु उन्होंने बड़ी लापरवाही के कारण न समझा, शायद अब बहुत से समझ जाएं। यहां हमें आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि हम देहली की कार्यवाही की आंशिक या पूर्ण परिस्थितियों को विस्तारपूर्वक लिखने का कष्ट उठाएं। इस बात को हमारे आदरणीय मित्र मुंशी गुलाम क़ादिर साहिब फ़सीह पंजाब गज़ट का परिशिष्ट (ज़मीमः) दिनांक 14 नवम्बर में बड़ी स्पष्टता एवं सच्चाई के साथ प्रकाशित कर चुके हैं। हमारे विचार में इतना ही कहना एक व्यापक निबंध का स्थानापन्न (कायम मक़ाम) है कि उन लोगों ने एक मुस्लिम मनुष्य के साथ व्यवहार करने में प्रजा के अधिकारों में से किसी एक अधिकार को भी दृष्टिगत न रखा। लेकिन अल्लाह तआला चाहता था कि हर प्रकार से उन पर समझाने का अन्तिम प्रयास भी पूर्ण कर दे। यद्यपि मियां मौलवी सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब और उनके गिरोह ने अल्लाह तआला की हुज़्जत पूर्ण करने के मार्ग में जान-बूझ कर बड़ी-बड़ी बाधाएं डाल दीं और हर प्रकार से हाथ-पांव मारे कि उनका गिरोह स्पष्ट प्रमाणों और आदेशों से तबाह न होने पाए और जैसे भी हो वह प्याला उन से टल जाए। परन्तु अल्लाह तआला ने मौलवी मुहम्मद बशीर

साहिब भोपाली को एक मित्र के रूप में उनका घर नष्ट करने वाला शत्रु भेज दिया। यह कहना अनुचित नहीं कि मौलवी साहिब को देहली के मियां साहिब के कुछ अनुयायियों ने जो मियां साहिब से अत्यधिक वृद्ध होने तथा अन्य मुल्लाओं से योग्यता के अभाव के कारण निराश हो चुके थे बड़े शौक़ से बुलाया और यह भी बिलकुल सच है कि मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब को बहुत से कारणों के आधार पर स्वयं भी इच्छा थी कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब से मुबाहसा करें। बहरहाल इस सादा दिल मौलवी ने मियां सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब और उनके अनुयायियों के दयनीय विलाप और कड़ी डांट-फटकार पर भी ध्यान न देकर बड़े साहस के साथ मसीह अलैहिस्सलाम के जीवित रहने का दावा किया और इस दावे को कैसे निभाया, पाठकगण स्वयं ही इन निबंधों (लेखों) को पढ़कर समझ लेंगे। यद्यपि मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब किसी भी नीयत से मैदान में उतरे हों परन्तु हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान और पंजाब के उलेमा की ओर से स्वयं का बलिदान दिया है। वास्तव में वह अपने सहपंथियों की ओर से एक ज़बरदस्त क़फ़ारः हुए हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें इस चटियल जंगल में जहां न कोई पगडंडी मिलती थी और जहां न किसी चलने वाले का पद-चिन्ह ही दिखाई देता था उस निशान की तरह खड़ा किया जिस से यात्री दिशा का पता लगाते हैं यद्यपि उस मील (निशान) को समझ न हो कि उसका अस्तित्व इतने बड़े लाभ का कारण है। परन्तु हम आशा रखते हैं कि शायद शाकिर अलीम (सर्वज्ञ) ख़ुदा उन को नेकी की ओर मार्ग दर्शन करने के कारण वास्तविक समझ भी प्रदान कर दे, ताकि वह उस ख़ुदा के भेजे हुए को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। मेरा पक्का इरादा था कि मैं इन लेखों पर अपनी दिनचर्या के अनुसार कुछ टिप्पणी या समीक्षा करता परन्तु मेरे हार्दिक मित्र अपितु मख़दूम आदरणीय मौलवी सय्यिद मुहम्मद अहसन साहिब ने मुझे इस कर्तव्य से भारमुक्त कर दिया। उन्होंने जैसा इस सेवा को सम्पन्न किया है वास्तव में उन्हीं जैसे प्रकाण्ड विद्वान का कार्य था। अल्लाह तआला उन्हें अच्छा प्रतिफल प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि ऐसा नेक कार्य उनके मुबारक हाथ से पूर्ण हुआ है कि अल्लाह तआला के नज़दीक

उनकी श्रेणियों में वृद्धि के लिए एक यही पर्याप्त है परन्तु दृढ़ आशा है कि हमारे हज़रत सय्यिद साहिब रूहुल कुदुस से समर्थित होकर और भी अधिक लाभप्रद एवं फलदायक कार्य करेंगे।

अतएव मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब के अस्तित्व को हम अच्छा समझते हैं जिन्होंने अनावश्यक बहसों तथा एक पंजाबी मुल्ला के स्वयं बनाए हुए व्यर्थ उसूलों को छोड़ कर मूल बात को बहस का कारण बनाया और इस प्रकार जनता की प्रतिदिन की अतुरता से की जा रही प्रतीक्षा का निवारण कर दिया। यद्यपि इस पर भी इस बात के कहे बिना चारा नहीं कि हिदायत एक ख़ुदा की ओर से आने वाली बात है और वह सच्चा पथ-प्रदर्शक अज्ञात कारणों के माध्यम से अनादि भाग्यशालियों को अपनी ओर खींच लेता है। परन्तु कहने के लिए कहा जा सकता है कि मार्ग भली भाँति प्रशस्त हो गया और इस मसीह अलैहिस्सलाम का जीवन- मरण की बहस को समझाने का अन्तिम प्रयास हक़म (निर्णायक) के तौर पर पूर्ण हो गया।

हम बहुत ही सहानुभूति तथा इस्लामी भाईचारे की भावना अनुसार देहली वासियों को इतना कहना ज़रूरी समझते हैं कि वे व्यर्थ के हठ को छोड़कर उस ख़ुदा की ओर से आए हुए मामूर को स्वीकार करें अन्यथा उनका अंजाम भयानक मालूम होता है। मैं कांपते हुए हृदय से उन्हें इतना कहने से रुक नहीं सकता कि उनका जामा मस्जिद देहली में हज़रत मसीह मौऊद के विरुद्ध छः सात हज़ार लोगों की भीड़ करके नाना प्रकार की अनुचित गतिविधियों का दोषी होना देखकर मुझे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि की वह घटना याद आ गई जो 'कमालात-ए-अज़ीज़ी' देहली से प्रकाशित, में लिखी है। "जनाब मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ जो जुमा की नमाज़ के लिए जामा मस्जिद में जाते तो पगड़ी आंखों पर रखते। फसीहुद्दीन नामक एक व्यक्ति जो अक्सर उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे, उन्होंने कहा कि हज़रत इसका क्या कारण है जो आप इस तरह रहते हैं, आपने अपनी पगड़ी उतार कर उनके सिर पर रख दी तो सहसा ही बेहोश हो गए। जब देर बाद कुछ होश आया तो बताया –“सौ सवा-सौ लोगों की

शक़ल आदमियों वाली थी और बाकी कोई रीछ तथा कोई बन्दर और कोई सूअर की शक़ल का था और उस समय मस्जिद में पांच-छः हज़ार लोग थे। हज़रत ने फ़रमाया कि मैं किसकी तरफ़ देखूँ, इसी कारण तो नहीं देखता।”

देहली वालो! खुदा के लिए इस घटना से नसीहत पकड़ो। मुझे डर लगता है कि इस समय भी तुम ने अपनी गतिविधियों से सिद्ध कर दिया है कि तुम में बहुत ही थोड़े हैं जो असली इंसानी शक़ल पर हैं। अल्लाह तआला तुम पर दया करे। हे पंजाब वालो! अवसर है कि तुम इस देहली की घटना को सुनकर पूरी नसीहत प्राप्त करो। भाग्यशाली वह है जो दूसरों का हाल देखकर नसीहत प्राप्त करता है। तुम इन काफ़िर कहने वाले खुशक मुल्लाओं को उनके अपने क्रोध और ईर्ष्या की भड़कती हुई भट्टी में जलने दो। इन पत्थर दिल, द्वेष की मूरत, स्वार्थियों को कभी भी निष्कपटता पूर्वक सच से सरोकार हुआ है जो अब होगा? हे ज्ञानवर्धक धरती लाहौर के वासियो! सावधान हो जाओ। तुम्हारा यह श्रेष्ठ प्रदेश समस्त पंजाब का मरकज़ (केंद्र) है। देखना वह पत्थर जिसे स्वयं तुमने बड़े प्रयासों के साथ अपने मार्ग से हटाया है वह पुनः तुम्हारी ठोकर का कारण न बने। तुम भली भांति जानते हो वह टहनी किस जड़ से निकली है, किस ज़मीन में उसका उगना और विकास हुआ है। ध्यान रखना, ध्यान रखना! कहीं भूल से भी तुम्हारे हाथ से फिर उसकी सिंचाई न हो! ऐसा न हो कि दिल्ली का उल्लू तुम्हारी दीवारों पर भी बोलने लगे! हे बुद्धिमानो! तुम इन कागज़ की बनी हुई गुड़ियों पर क्यों मुग्ध होते हो? क्या ये कुफ़्र के फ़त्वे दोषी हाथों के लिखे हुए तथा अत्याचारी हृदयों के परिणाम नहीं? क्या इन नीच काली कार्रवाई करने वालों ने स्वयं भी बेबसी की अवस्था में इन्साफ़ नहीं चाहा कि उन पर अकारण कुफ़्र का फ़त्वा लगाया गया? अतः यह निरन्तर काफ़िर भी क्या किसी अन्य को काफ़िर बनाने का अधिकार रखते हैं? यह धोखे की टटिया है जो इन मुल्लाओं ने खड़ी कर रखी है। हे साफ़ दिल सत्याभिलाषियो! इसको फांद कर आगे बढ़ो और देखो कि वह जिसे ये ईर्ष्यालु झूठा गिरोह सिद्ध करना चाहते हैं तथा हठधर्मी करके लोगों को एक भयानक मूरत दिखाते हैं वह वास्तव में एक प्रकाश का

फ़रिश्ता है। हे ख़ुदा हे हिदायत के मालिक ख़ुदा! तू उन लोगों को सामर्थ्य प्रदान कर कि वे तेरे इस बन्दे को पहचानें! अन्त में इस मनमोहक अरबी क़सीदे के बारे में जिसे प्रकाशित करना अति आवश्यक तथा लाभप्रद समझा गया है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह हमारे एक अत्यन्त सम्माननीय मित्र का लिखा हुआ है जिस के अस्तित्व को हम अपने मध्य अल्लाह तआला की एक बड़ी नेमत समझते हैं। हम किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका हाल भी लिखेंगे। आशा है कि इस क़सीदे के उर्दू अनुवाद को जो बहुत से स्थानों पर सारांश के तौर पर किया गया है दिलचस्पी से ख़ाली नहीं पाएंगे।

अब हम इन काफ़िर कहने वालों को हज़रत इमाम इब्ने क़य्यिम के कुछ शेर सुना देते हैं। शायद इन में कोई ख़ुदा से डरने वाला बात की तह तक पहुंचकर अल्लाह तआला से डर जाए।

أَهْلَ الْحَدِيثِ وَشِيعَةَ الْقُرْآنِ	وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنْكُمْ كَفَرْتُمْ	(1)
بِالنَّصِّ يَثْبُتُ لَا يَقُولُ فَلَانِ	الْكَفْرَ حَقًّا اللَّهُ ثُمَّ رَسُولُهُ	(2)
قَدْ كَفَرَاهُ فَذَاكَ ذُو الْكُفْرَانِ	مَنْ كَانَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَعَبْدُهُ	(3)
النَّصِّينِ مِنْ وَحْيٍ وَمِنْ قُرْآنِ	فَهَلُمَّ وَيُحْكَمْ نَحَاكِمُكُمْ إِلَى	(4)

(1) बड़े आश्चर्य की बात यह है कि तुम ने अहले हदीस और अहले कुर्आन को काफ़िर कहा।

(2) काफ़िर कहना तो अल्लाह और उसके रसूल का हक़ है (तुम्हें काफ़िर बनाने का अधिकार किसने दिया) वह (कुर्आन के) स्पष्ट आदेश से सिद्ध होता है न कि अमुक-अमुक के कथन से।

(3) जिसको अल्लाह और उसका रसूल काफ़िर कहें वही काफ़िर है।

(4) अफ़सोस तुम लोगों पर! तो अब आओ हम-तुम किताब और सुन्नत पर अपने मुकद्दमे को पेश करते हैं।

وَهُنَاكَ يُعَلِّمُ أَيُّ حَزْبَيْنَا عَلَى الْكُفْرَانِ حَقًّا أَوْ عَلَى الْإِيمَانِ	(5)
فَلْيَهْنِكُمْ تَكْفِيرٌ مِّنْ حَكَمْتُمْ بِاسْلَامٍ وَ إِيْمَانٍ لَهُ النَّصَانِ	(6)
إِنْ كَانَ ذَاكَ مُكْفَرًا يَا أُمَّةَ الْعُدْوَانِ مَن هَذَا عَلَى الْإِيمَانِ	(7)
كَفَرْتُمْ وَاللَّهِ مَن شَهِدَا الرَّسُولَ بِأَنَّهُ حَقًّا عَلَى الْإِيمَانِ	(8)
كَمْ ذَا التَّلَاعِبِ مِنْكُمْ بِالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ مِثْلَ تَلَاعِبِ الصَّيْبَانِ	(9)
خُسِفَتْ قُلُوبُكُمْ كَمَا خُسِفَتْ عُقُوبُكُمْ فَلَا تَزْكُوا عَلَى الْقُرْآنِ	(10)
يَأْقُومُ فَانْتَبِهُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ خَلُّوا الْجَهْلَ وَالْدَعْوَى بِلَا بَرْهَانِ	(11)

(5) वहां चल कर स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ईमान पर कौन है और कुफ़र पर कौन।

(6) उन लोगों का काफ़िर कहना जिन के ईमान और इस्लाम पर किताब व सुन्नत गवाही दें तुम्हें मुबारक हो।

(7) उद्दंडो! यदि ऐसे चुने हुए तथा क़ुर्आन पर अमल करने वाले पवित्र लोग काफ़िर हैं तो मोमिन कौन है?

(8) अल्लाह की क़सम तुम दिलेरी करके ऐसे को काफ़िर कह रहे हो जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि वह वास्तव में मोमिन है।

(9) आओ खुदा से डरो। कब तक बच्चों की तरह धर्म को खिलौना बना रखोगे?

(10) तुम्हारे हृदय और अक़्लों को ग्रहण लग गया है अब क़ुर्आन का तो त्याग न करो।

(11) हे लोगो! अपने प्राण की रक्षा के लिए जाग जाओ तथा इस मूर्खता और प्रमाण रहित दावे को छोड़ दो।

وأخردعوانان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على السيد الامين وعلى اليه

وصحبه اجمعين - عبد الكريم

क़सीदः

يتشرف المَنْظُومُ بِلَثْمِ كَفِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ وَالْهَامُ التَّبِيلِ الْمَجْدِدِ
الممجد ميرزا غلام احمد قادياني ادام الله تعالى ظله

(पद्यात्मक प्रशंसा)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الى كم تمادى الهجر يلعب بالصَّبِّ وحتام يبيلوه الزمان بذا النكب

(1) नहीं मालूम हिज़्र (वियोग) का लम्बा होना प्रेमी को कब तक सताता रहेगा और समय उसको उन दुखों में कब तक ग्रस्त रखेगा।

فهل للمعنى زورة ينطفى بها بتاريح وجد توقد النار في الجنب

(2) कभी दुख: सहन करने वाले (आशिक) को भी एक बार मुलाक़ात उपलब्ध होगी। जिससे वह प्रेम की उस जलन को बुझा सके जिसने उसके पहलू में आग भड़का रखी है।

الا هل علمتم ما حملت بحبكم واواراه من بعد كم انقضت صلي

(3) हाय तुम्हें क्या ख़बर है? कि मैंने तुम्हारे प्रेम में क्या-क्या (दुख) उठाया। उसके बोझों ने तुम्हारी जुदाई में मेरी पीठ तोड़ दी।

أبيت على جمر الفضا متقرّعا ودمعى طويل الليل يشرم للغرب

(4) अग्नि के भड़कते अंगारों पर करवटें बदलते-बदलते रातें काटता हूँ और मेरे आसूँ रात भर आँखों की पलकों को खोलते रहते हैं।

حراماً على جفنى الكرى فاسألوا به نجوم الدجى والهدب يجفون عن الهدب

(5) नींद मेरी आँखों पर हराम है। तुम उसके बारे में रात के सितारों से पूछ लो-क्या मजाल जो पलक से पलक लगी हो।

كذآ حال مسلوب القرار متيم عديم اصطبار وامق في الهوى صلب

(6) बेकरार आशिक, तड़पता हुआ दिल, अधीर मुग्ध तथा प्रेम में अटल व्यक्ति का यही हाल हुआ करता है।

حليف الضنى مستوحشٍ ذى كآبةٍ طویل اغتراب نازح الاهل والحب

(7) वह आशिक जिसने प्रेम रोग से स्थायी मित्रता का प्रण कर रखा है लोगों की संगत से खिन्न, दुखी, मुद्दतों का मुसाफ़िर, घर-परिवार और मित्रों से अलग है।

هل العيش الا فى وصال احبّةٍ نأت دارهم لكن عن الجسم لا القلب

(8) जीवन का आनन्द तो केवल उन प्यारों की संगत में है जिनका देश शरीर से दूर, परन्तु हृदय के निकट है।

فان بعدوا عنى فان حديثهم يخفف اشجاني وينهى عن النّحّب

(9) वे जो मुझे से दूर हैं तो हर्ज ही क्या है क्योंकि उनकी प्यारी बातें मेरे दुख-दर्द को हल्का करती और मुझे रोने-धोने से रोकती हैं।

بلانى اللّیالی ویلها من صروفها بما صرت فيه حائر الفكر واللّب

(10) मुझे जुदाई की रातों ने बहुत सताया। उनकी परेशानियों तथा घटनाओं पर खेद! मेरी तो इसमें बुद्धि और विचार चक्कर खा गया है।

والهى عن الانشاء والشعر بعدما تعودت شعراً والكتابة من طلبی

(11) मुझे लेख लिखने (साहित्य) से तथा शेर कहने से बिल्कुल बेखबर कर दिया, हालांकि शेर कहना और उच्चस्तर का साहित्य लिखना तो मेरी आदत थी।

کانی ما كنت امرأ ذافطانة ولا ورثت نفسی الفصاحة من كعب

(12) अब मेरी यह दशा है कि जैसे मैं कभी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति न था और जैसे मैं 'कअब' (बानत सुआद क़सीद: का कवि) से (सरसता) फ़साहत का वारिस ही नहीं हुआ।

هموم وتنكيدٌ وأسروغربةٍ وفى سفهاء الناس دارٌ وهم كزبي

(13) दुःख और चिन्ता, गिरफ्तारी और सफ़र में ग्रस्त मूर्ख लोगों में मकान है जिनके हाथों कष्ट सहन कर रहा हूँ।

فقدت سرورى مذفقدت احبتي كرام أناس خلفوا الهَمَّ في العقبِ

(14) मेरी खुशी और ऐश्वर्य समाप्त हो गया जब से अपने प्रिय मित्रों से अलग हुआ। वे क्या ही खुदा के चुने हुए लोग थे उनके बाद तो अब मेरे भाग में ग़म ही ग़म है।

حفا لتهم ابقيتُ فيهَا إِذَا مَضَوْا فامسيّتُ احبتي بالطعام وبالقحبِ

(15) वे खुदा के चुने हुए लोग तो चले गए और मैं रद्दी सा पीछे रह गया अब कमीनों और निर्लज्ज लोगों में मुझे जीवन व्यतीत करना पड़ गया।

بُليتُ باهل الجهل ويل لأهمم مضرتهم ادهى من الذئب والكلبِ

(16) मूर्खों से मेरा पाला पड़ गया उन की जनने वाली पर अफ़सोस। ये तो कुत्तों और भेड़ियों से अधिक दुष्ट हैं।

يعادون اهل العلم والعلم كله لما همّهم في لذة الفرج والشربِ

(17) दुराचारों एवं मदिरापान के रसिया हैं, इसलिए ज्ञान तथा विद्वानों से वैर रखते हैं।

اقاسى الاذى من جهلهم ومرائهم وشدتهم بالسبع كالطعن والخلبِ

(18) मुझे उन के व्यर्थ के झगड़े, मूर्खता और गाली-गलौज से सदैव कष्ट रहता है।

على غربة فيها هموم و كربة و انواع اسقام و فقد اخی الحبِ

(19) इसके अतिरिक्त परदेस और फिर हर प्रकार के कष्ट और रोग और फिर यारों का न होना।

ومالاقنى في ذى البلاد مواسياً ولم يتيسر أسياً من فتى ندبِ

(20) अफ़सोस इन देशों में मुझे कोई हमदर्द न मिला और न कोई नौजवान और सहानुभूति करने वाला हाथ आया।

وحيد واصناف الخطوب ينوبنى تعددت البلوى على عادم الصحبِ

(21) मैं अकेला हूँ और फिर मुझ पर तरह-तरह के संकट आ पड़े हैं। जिसके मित्र न हों उस पर बहुत से संकट आ जाते हैं।

اراني مع الاوغاد يستصحبونني أعلم غير الاهل كألقرود والدب

(22) मेरा यह हाल हो रहा है कि नीच लोगों से संगत प्राप्त हो रही है तथा बन्दरों और रीछों जैसे अयोग्य लोगों का शिक्षक बना हुआ हूँ।

لقدضاق صدرى بالاقامة عندهم وسوء جوار العابس الوجه ذى قطب

(23) इन बुरे स्वभाव वाले, कटु प्रकृति रखने वाले तथा चिड़चिड़े साथियों में रहने और उनकी संगत से मेरा हृदय उकता गया है।

الى الله أشكو قارعاتٍ تصيبني من الدهر قد ضاقت بها سعة اللخب

(24) ज़माने के कष्टों से जिन्होंने मेरे विशाल सीने को भी संकीर्ण (तंग) कर दिया है। अल्लाह तआला के सामने मैं शिकायत करता हूँ।

ومن مفتريرى بانواع تهمة وتلبيس مغتابٍ ومستهزى سب

(25) और उस झूठ बनाने वाले से जो तरह-तरह के आरोप लगाता है तथा चुगली करने वाले के धोखे और उपहास करने वाले गाली देने वाले से।

وعلماء* الشؤي يدعون اسوة على فرط جهل بالحقائق والكتب

(26) और बुरे विद्वानों से जो वास्तविकताओं, अध्यात्म ज्ञानों एवं विज्ञानों को न जानने के बावजूद स्वयं को आदर्श बताते हैं।

عمائم والجببات والقمص واللحى بها فخرهم لكنها الجهل لا تخبى

(27) आ जा के उनकी पगड़ियां, अंगरखे, कमीजें तथा दाढ़ियां हैं जिन पर गर्व करते हैं परन्तु इन से मूर्खता क्योंकर छिप जाए।

بيكم سمع اليلمحى حديثهم ورؤيتهم تقذى بها عين ذى لب

(28) बुद्धिमान इनकी बातचीत को सुनना पसन्द नहीं करता और मनीषी इनको देखने से घृणा करता है।

فوالله انى ما هجرت خلاطهم لغير جفاء ليس من شيمة النخب

(29) ख़ुदा की क्रसम मैंने उनसे मिलना-जुलना छोड़ दिया उनकी बेवफ़ाई के कारण, जो सभ्य लोगों का आचरण नहीं।

★ من ومن علماء الشؤي (मिन) लिपिक की गलती से रह गया प्रतीत होता है। प्रकाशक

وجهلهم المُرّى بعلمى ولومهم و رغبتهم فيما يناسب بالوغب

(30) उनकी मूर्खता के कारण वे मेरे ज्ञान को तुच्छ जानते और उनकी कमीनगी और अधमता जैसी आदतों से प्रेम करने के कारण।

يلومونى انى اعاف لقاائم و كيف الاقى جاهلا ليس من حزى

(31) वे मेरी निन्दा करते हैं कि मैं उन्हें देखना उचित नहीं समझता। सच है मैं मूर्ख असभ्य से क्योंकर मिलूँ जो मेरी जमाअत से नहीं।

فكم بين ذى لب اديب و جاهل و شتان بين الماجد الحرّ والوشب

(32) निपुण, साहित्यकार और मूर्ख तथा सुशील-सभ्य और कमीने में बड़ा अन्तर होता है।

من الجهل ان تلقى و تكرم جاهلا للحيته اوجبة او عظم السب

(33) किसी मूर्ख से मिलना और उसकी बड़ी पगड़ी और लम्बी दाढ़ी तथा जुब्बा (अंगरखे) के कारण उसका सम्मान करना भी मूर्ख ही का काम है।

عذيرى من الايام من جوراهلها اقاموا جبال الفادحات على قلبى

(34) युग और युग के लोगों के अन्याय और बेवफ़ाई से जो मैं शिकायत करूँ तो मुझे विवश समझना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे हृदय पर संकटों के पहाड़ रख दिए हैं।

شرقت بايذاء اللثام و شرهم و فتنتهم لا باللام ولا العتب

(35) मैं दुष्ट विचार रखने वाले लोगों की बुराई और फितनः से न कि उनकी भर्त्सना एवं क्रोध से बहुत दुखी हो गया हूँ।

لعمرى هذى النآئبات اخفها اشد على الانسان من وقعة القضب

(36) खुदा की क्रसम ये ऐसे संकट हैं कि उनमें से हल्के से हल्का संकट भी मनुष्य पर तलवार की चोट से अधिक प्रचंड हैं।

رعى الله طيفا قدا تانى بفرحة تكاد بها انجو من الهم والنصب

(37) अल्लाह तआला उस विचार का रक्षक और सहायक हो जो मेरे पास ऐसी खुशखबरी लाया जिससे आशा होती है कि मैं ग़मों और कष्ट से मुक्ति

पा जाऊंगा।

فانى بليل بين هدي ورقدة اذا شيم برق الشرق في اسرع الوثب

(38) उस की घटना इस प्रकार से है कि मैं एक रात कुछ जागने और नींद की अवस्था में था कि पूर्वी बिजली इतनी जोर से कोंदती दिखाई दी।

اضاءت به الأفاق والارض كلها و حار البرايا فيه خوفامن الخطب

(39) कि सारा संसार उसके प्रकाश से प्रकाशमान हो गया और लोग हैरान होकर कहने लगे कि बड़ी दुर्घटना होने वाली है।

فها هو بما شاء واولم يتفكروا لفرط اختباط بالضجيج وبالصخب

(40) जो कुछ किसी के मुंह में आया बोलता रहा, परन्तु किसी को भी बेचैनी और कोलाहल की तीव्रता के कारण सोचने का अवसर न मिला।

وكم مدع للعلم من فرط جهله تاؤله بالهريج والطعن والضرب

(41) कुछ विद्वत्ता का दावा करने वालों ने बड़ी मूर्खता से उसकी यह व्याख्या की कि कोई बड़ा उपद्रव और युद्ध होने वाला है।

تأنقت فيه غير يوم و ليلة اراقب ما يبد الزمان من العجب

(42) मैं भी इस बात में कई रात-दिन विचार करता रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि समय क्या अद्भुत घटना प्रकट करना चाहता है।

وقد اجتلى اثار خير ورحمة من الجانب الشرقى مستوطن الخصب

(43) परन्तु मैं अपने गुमान में मुबारक देश पूरब की ओर से दया और भलाई के लक्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था।

وانشق من ريح الصبا كل سُحرة روايح تروى القلب كالغصن الرطب

(44) और पूरब की वायु से हर सुबह मुझे ऐसी सुगंध आती है जो हरी-हरी टहनी की भांति हृदय को तरो ताजा कर जाती।

وتهدى له من نفحة عنبرية فحنّ لذكر الشرق شوقا الى القرب

(45) और उसे अंबर (कस्तूरी) की सुगंध उपहार देती जिस से मेरे हृदय को पूरब की याद तथा उसके करीब होने का शौक़ लग गया।

وَأَلْقَى فِيهِ أَنْ بِالشَّرْقِ قَدْوَةٌ تَفْوَحُ أَنْفَاسُ لَهُ مَوْجِبُ الْجَذْبِ

(46) तथा मेरे हृदय में डाला गया पूरब में ख़ुदा का चुना हुआ बंदा है जिसकी शुभ बातें मुझे आकर्षित कर रही है।

فَقَدْ جَاءَ نَامِنْ قَادِيَانِ مُبَشِّرٌ بِخَيْرِ إِمَامٍ أَنْتَظَرْنَا لَهُ مُذْ حَقْبِ

(47) इतने में क़ादियां से एक ख़ुशख़बरी देने वाला आया कि जिस आने वाले इमाम की तुम वर्षों से प्रतीक्षा करते थे वह आ गया।

وَإِخْرَاجِ إِنْ أَضْحَى غَلَامٌ لِأَحْمَدٍ خَلِيفَتَهُ فِينَا وَمِنَ ابْلَاذِبِ

(48) और उसने सूचना दी कि अहमद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) का एक सेवक एवं दास हम में और हम में, से उसका उत्तराधिकारी (जानशीन) हुआ है।

إِمَامٌ هَمَامٌ نَائِبُ الشَّرْعِ مُلَهُمْ مِنْ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَافٍ عَنِ الذَّنْبِ

(49) मुबारक इमाम, नायब शरअ (अर्थात् आंहज़रत स.अ.व. का नायब) और अल्लाह रब्बुलअर्श की ओर से मुल्हम और पापों से पवित्र।

مَجْدِدِ دِينِ اللَّهِ فِي أُمَّةٍ عَوَتْ وَصَاحِبِ هَذَا الْعَصْرِ حَقًّا بِلَا كَذِبِ

(50) बहक चुकी उम्मत में नए सिरे से अल्लाह के धर्म को यथावत (बहाल) करने वाला और निस्सन्देह इस युग का साहिब (इमाम)।

جَلِيلٌ جَمِيلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ كُلِّهِمْ كَرِيمٌ مَحْيَا اسْمِ اللَّوْنِ ذَوَالرَّعْبِ

(51) रौद्रता और सौम्यता तथा सुन्दरता में लोगों में से श्रेष्ठतम, श्रीमुख, गेहुआं रंग तथा रोब वाला।

وَقُورٌ حَلِيمٌ رُبْعَةٌ رَبِّ وَفِرَةٌ لَهُ شَعْرٌ سَبِطٌ كَمَا قَالَ مِنْ نَبِيِّ

(52) मर्यादापूर्ण, शालीन, दरमियाना क्रद वाला, तथा महादानी है उसके बाल लम्बे हैं जैसी कि जन्नत मक़ामी नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ख़बर दी।

سَمَى صَفِيًّا بَيْنَ الْوَصْفِ مَا جَدَّ حَمِيدُ السَّجَايَا وَافِرُ الْعِلْمِ وَاللَّبِّ

(53) अति प्रतिष्ठित, चुना हुआ, जिसकी विशेषता प्रकट है, सुशील, जिसकी समस्त आदतें प्रशंसनीय हैं, अति विद्वान एवं विवेकशील है।

هو الحجة البيضاء لله في الوري كشمس الضحى قد ضاء شرقا الى غرب

(54) वह संसार में अल्लाह तआला की रौशन दलील है। दोपहर के सूर्य के समान पूर्व और पश्चिम में चमक रहा है।

عليم باسرار الشريعة عامل بموجبها في محكم الفرض والندب

(55) शरीअत के भेदों का जानने वाला। फ़र्ज़ तथा नफल में शरीअत के कारणों पर अमल करने वाला।

بشير بفوز بالمئى لمن اقتدى نذير لمن ولي من البوس والكر

(56) अपने अनुयायियों को मनोकामना की प्राप्ति की खुशख़बरी देने वाला और इन्कारी को दुख-दर्द से डराने वाला।

قوى مهيب اشجع القوم باسل شديد على الكفار كالصارم العضب

(57) शक्तिशाली, रोबदार, क्रौम का अत्यंत बहादुर, योद्धा, काफ़िरों पर तेज़ तलवार से अधिक तेज़।

محب لمن ود الرسول وصحبه عدو لاهل الغي والجبث والنصب

(58) जनाब रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और उनके दोस्तों के दोस्त का दोस्त, गुमराहों तथा अल्लाह के सिवा पूजने वालों का शत्रु।

عفيف تقى اودع الناس خيرهم واصدقهم فيما يقول وما يُنبى

(59) (सतीत्व धारी) पाकदामन संयम धारण करने वाला, सब लोगों से चुना हुआ संयमी तथा अपनी समस्त बातों और भविष्यवाणियों में सच्चा।

حى ستير ذوالمروة والوفا عفو صبور هين لين القلب

(60) बहुत लज्जा और शर्म वाला, बड़ी हमदर्दी और वफ़ा करने वाला, क्षमा करने वाला, सहनशील, बड़ा नम्र हृदय रखने वाला।

وضيبي طليق الوجه بر مبارك كريم رحيب الباع ذوالمنزل الرحب

(61) प्रकाशमान मुख, श्रीमुख, भलाई पहुंचाने वाला मुबारक, कृपालु, बड़ा ही अतिथि सत्कार करने वाला जिसका मकान मेहमानों के लिए सदैव खुला रहता है।

سريع الى الحسنى نفور عن الخنا بعيد من الايذاء والزجر والسب

(62) नेकी करने में जल्दबाज़ तथा दुष्कर्म से भागने वाला, किसी को डांट-डपट करने, दुख देने तथा बुरा कहने से कोसों दूर।

امين على حق مطاع مُحَدَّثُ بكل الذى يقضى ويسطر فى الكتب

(63) मान्य, खुदा से वार्तालाप से सम्मानित और जो कुछ अपनी किताबों और पत्रिकाओं में लिखता है उस सब में सच्चा और अमानतदार।

يعين بنى الأمال بالمال والعطا ويغنى ذوى الافلاس بالجود والوهب

(64) उम्मीद रखने वालों की दान से सहायता करता है और निर्धनों को उपकार तथा कृपा से खुशहाल करता है।

يضيف مسائاً وافديه وغدوةً ويدعى ابا الاضياف فى الخصب والجدب

(65) सुबह तथा शाम मेहमानों की मेहमानी में व्यस्त रहता है। इसलिए तंगी तथा खुशहाली में उसे मेहमानों का बाप करके पुकारा जाता है।

تسير اليه الوفد من كل وجهة ويقصده الركب ان ركبا على ركب

(66) हर ओर से समूह के समूह उसके पास आते हैं और गिरोह के गिरोह ट्रेनों में भर कर उसके पास आते हैं।

حليف التقى يهدى الانام الى التقى ويسعى لمرضاة المهيمن والقرب

(67) बड़ा ही संयमी तथा जनता को संयम का मार्ग दिखाने वाला हमेशा अल्लाह की प्रसन्नता और सानिध्य के लिए प्रयास करता रहता है।

طبيب بامراض القلوب مُبَصِّرٌ ينقى من الاهواء والدرن والثلب

(68) हृदय-रोगों का उपचारक, बड़ी पहचान वाला जो हर प्रकार के दोष जंग और बुरी इच्छाओं से पाक-साफ करता है।

مشيد قصر الدين من بعد ما وهت اساطينه فيناعن الثلم والشعب

(69) धर्म की इमारत को सुदृढ़ करने वाला, जबकि छेद हो हो कर उसकी दीवारें ध्वस्त होने पर आ गई थीं।

تصدى لاصلاح المفاسد فى الورى بمنفعة تدعو الى السلم لا الحرب

(70) जनता के विकारों के सुधार की बेड़ा (ज़िम्मेदारी उठाना) ऐसे लाभ पहुंचाने पर उठाया है जिसका बुलाना सुलह की तरफ़ है न कि लड़ाई की तरफ़।

واذن انى قد بعثت مؤيّدًا بارشاد من فى الحضر منهم وفى السّهپ

(71) और विज्ञापन पर विज्ञापन दिए हैं कि मैं खुदा से समर्थन प्राप्त हो कर आया हूँ ताकि उन सब को जो देहातों और शहरों में रहते हैं सच्चाई का मार्ग दिखाऊँ।

يصف فى هذا رسايل جمّة ويرسلها جهراً الى العجم والعرب

(72) इस बारे में अनेको पत्रिकाएं लिख कर खुल्लम खुल्ला विश्व के कोने-कोने में भेजता है।

واعلن فى الافاق دعوة بيعة فشدوا اليه الرحل حزبا على حزب

(73) विश्व में बैअत की दावत की घोषणा कर दी है, लोगों के गिरोह के गिरोह तैयारियां कर-कर के उसके क़दमों में उपस्थित होते हैं।

يزفون من بدو اليه وحضرة ثباتاً واشتاتاً من الشيب والشپ

(74) देहात से, शहर से, प्रत्येक दिशा से पृथक-पृथक तथा सामूहिक तौर पर दर्शन करने वाले उसके पास आते हैं।

يبايعه من كل حزب عريفه على طاعة الرحمن فالسهل والصعب

(75) प्रत्येक समूह के लोग जो उसको पहचानते हैं, उस से बैअत करते हैं कि वह हर हाल में सुख-दुख में अल्लाह तआला के आज्ञाकारी रहेंगे।

تراهم خضوعاً خاشعين لربهم قلوبهم ملاءى من الشوق والحپ

(76) इन बैअत करने वालों को तुम देखो (वे कैसे हैं) वे अपने रबब के आगे गिड़गिड़ाने वाले हैं, उन के हृदय खुदा की चाहत और प्रेम से भरपूर हैं।

نفوع يفيد الناس من نفثاته ويسى قلوب الخلق من خلقه العذب

(77) वह लाभ पहुंचाने वाला है, प्रजा को अपने कलाम से लाभ प्रदान करता है और अपने मधुर आचरण से प्रजा के हृदय मुट्ठी में कर लेता है।

رحيم بهم كالوالد البر مشفقٌ ينفس عنهم كربة الجهل والعجب

(78) उन पर मेहरबान पिता की भांति कृपालु और दयालु है तथा मूर्खता

एवं अहंकार की विपत्तियों को उन से हटाता है।

وبحر علوم يقذف الدرّ موجه الى الناس طرّاً لا يزود عن النهب

(79) वह ज्ञान का सागर है जिसकी लहरें समस्त लोगों की ओर मोती फेंकती हैं और फिर लूटने से किसी को रोकती नहीं।

يخلق اهل العلم والفضل عندة صباحاً مساءً وهو كالبدر في الشهب

(80) सुबह-शाम विद्वान लोग उसके चारों ओर घेरा किए रहते हैं और वह उनमें ऐसा है जैसे सितारों में चौदहवीं का चाँद।

قعوداً لديه تسقط الطير فوقهم كأنهم استولت عليهم يد الرهب

(81) वे विद्वान लोग उसके सामने ऐसे मुग्ध हो कर बैठे रहते हैं कि उन्हें मुर्दा समझ कर पक्षी उन पर बैठ जाते हैं। जैसे रौब उन पर छाया हुआ हो।

يدورون في اخذ المكارم حوله مثال النجوم الدائرات على القطب

(82) जिस प्रकार 'बनातुन्नअश'★ ध्रुव के चारों ओर घूमते हैं इसी प्रकार ये विद्वान अध्यात्मज्ञानों की प्राप्ति के लिए उसके गिर्द घूमते हैं।

وكم من كتاب جاء نامنه معجب له درجات عاليات على الكتب

(83) उसकी कई बड़ी-बड़ी पुस्तकें भी हमें मिलीं जिन्हें अन्य पुस्तकों पर बड़ी भारी श्रेष्ठता और प्रधानता है।

براهينه تهدي البرايا وكحله يبلى عيون الشك والجهل والعصب

(84) उसकी 'बराहीन (अहमदिया)' प्रजा की मार्ग दर्शक है और 'सुर्मा चश्म आर्य' मूर्खता, सन्देह तथा ईर्ष्या-द्वेष की आंखों को रोशनी देती है।

وتوضيحه تجلو ظلام غواية وماالفتح الامفتح الفتح والغلب

(85) तौजीह-ए-मराम गुमराही के अंधकार को दूर कर देती है और फ़तह इस्लाम तो विजय एवं प्रभुत्व की कुंजी है।

وكم معجزات النظم قد تبهر النهي تغادر من باراه احير من ضب

★ बनातुन्नअश- सात सितारे जो ध्रुव के गिर्द चक्कर लगाते हैं हिन्दी में इन्हें सप्तऋषि मंडल कहते हैं। (अनुवादक)

(86) और आप का काव्य संकलन के चमत्कार बुद्धि को आश्चर्य चकित कर देते हैं और मुकाबला करने वाले को गोह से भी अधिक बेसुध कर डालते हैं।

يروق عيوننا حسنهما ونظامها وتكسو نفوسًا كلها نشوة الشرب

(87) उनका सुन्दर अलंकार पूर्ण पिरोया होना आंखों को आनन्द प्रदान करती तथा काव्य-मर्मज्ञों (कविता के गुण-दोष समझने वाले) को आनंद से भर देती है।

قصائد فيها النور والصدق والهدى تدل على الاحسان والفوز بالقرب

(88) क़सीदे में तो नूर, सत्य, हिदायत, तौहीद (एकेश्वरवाद) तथा ख़ुदा का सानिध्य प्राप्त करने की बातें भरी हुई हैं।

تكاد النجوم الزاهرات من السما تخرب اليها ساجدات على التراب

(89) कुछ आश्चर्य नहीं कि आसमानों के नूरानी तारे उन क़सीदों के आगे सज्दा करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे।

يلذ على الاسماء حر كلامه ولطف معان فيه ألبابنا يسئ

(90) आप का उत्तम कलाम कानों को आनन्द देता और उसके अर्थों की ख़ूबी तो हमारे बुद्धिमानों को क़ैद कर लेती है।

نفيس ارانا من نفائس سرّه دقائق علم لا ينال عن الكسب

(91) आप के मुबारक अस्तित्व (वुजूद) ने ख़ुदा के अद्भुत रहस्यों से हमें ऐसे रहस्यपूर्ण अध्यात्म ज्ञान दिखाए हैं जो प्रयास से प्राप्त नहीं हो सकते।

واعجز من اعجاز انفاسه العدى وقدباء من احداة بالخسر والتب

(92) अपनी पवित्र बातों से विरोधियों को असमर्थ कर दिया है तथा मुकाबला करने वालों के हाथ घाटे और विपदा के अतिरिक्त कुछ नहीं आया।

شياطين اس منه فرّوا و جتّة كان لهم انفاسه شهب الثقب

(93) इन्सानों तथा जिन्नों के समस्त शैतान उसके प्रकट होने से नौ दो ग्यारह हो गए हैं मानों आपके पवित्र वचन उनके बारे में में दहकते हुए अंगारे हो गए।

اقر له الاعداء بالفضل والعلی وذل لديه كل ذی العزل والنصب

(94) शत्रु भी आपकी श्रेष्ठता का इक्रार कर चुके हैं और बड़े-बड़े प्रभुत्वशाली भी आपके सामने सिर नीचा कर देते हैं।

دَعَا أَمَةً مِنْ هَهْنَا ثُمَّ هَهْنَا فَقَالَ سَوِيدَاءِ الْقُلُوبِ لَهَا لَيْتِي

(95) उसने क्रौम को हर तरफ़ से आवाज़ दी जिसे सुन कर दिल ने कहा कि उसे मान ही लो।

يُؤَثِّرُ فِي اتِّبَاعِهِ مَا يَقُولُهُ وَيَكْثُرُ لَهُمْ يَوْمًا فَيَوْمًا وَلَا يَكْبِي

(96) आप का चमत्कार पूर्ण काव्य अनुयायियों के दिलों में पूरा प्रभाव डालता है जिसका परिणाम यह है कि उन्हें दिन-प्रतिदिन उन्नति प्राप्त हो रही है, अवनति नहीं।

وَيُحْمَدُهُ مِنْ شَطِّ مَنْهُ وَمِنْ دَنَا سَوَى مَنْ يَرَى فِي الدِّينِ غَيْرَ أَوْلَى الْأَرْبِ

(97) सब ही निकट तथा दूर आपकी प्रशंसा करते हैं सिवाए उस दुर्भाग्यशाली के जिसे दीन (इस्लाम) से कोई मतलब और संबंध न हो।

وَكَمْ مِنْ كَبِيرِ الْقَوْمِ اصْفَى وَأَتَمًّا حَذَرًا عَلَى الدُّنْيَا نَأَى عَنْهُ بِالْجَنَبِ

(98) क्रौम के बड़े-बड़े सरदारों को आप की बातें दिल में भा जाती हैं परन्तु फिर दुनिया से डर कर आप से अलग हो जाते हैं।

فَلَمْ يَبْقِ إِلَّا مَنْ تَعَدَّى بِجَهْلِهِ يِمَارِي مَرَائِي عَنْ غَوَايْتِهِ يُنَبِّئِي

(99) अब जाहिल और धृष्ट के अतिरिक्त और कोई नहीं रहा जो व्यर्थ के झगड़ों से अपनी गुमराही का सबूत देता है।

إِذَا قِيلَ بَرَزَ وَاخْتَرَهُ مَنَاظِرٌ يَفْرُو وَيَهْدِي بِالْوَقَاحَةِ وَالْجَهْبِ

(100) जब उसे कहो मैदान में निकल और मुनाज़र: करके हज़रत मसील (अर्थात् मसीह मौऊद) को आज़मा ले तो दुम दबाकर भागता और अनर्गल बातें करता है।

وَإِكْبَرِ مَنْ أَغْرَاهُ نَشْوَةَ جَهْلِهِ بَانَكَارِهِ مَنْ يَدْعِي الْعِلْمَ عَنْ كَذِبِ

(101) और सब से बढ़कर एक जाहिल (मूर्ख) है जो मूर्खता के नशे में चूर हो कर इन्कार पर खड़ा और ज्ञान का झूठा दावा करता है।

يَمِيلُ إِلَى الطَّاعُوتِ طَوْرًا وَتَارَةً إِلَى الرَّفْضِ ثُمَّ إِلَى النِّيْجَرِ الْكُفْرِ كَالصَّبِّ

(102) कभी तो वह पागल व्यक्ति की भांति शैतान की ओर झुक जाता है। कभी राफ़िज़ी (भागने वाला) बन जाता है और कभी नास्तिकों के गुमराह फ़िर्के का पहलू अपना लेता है।

ومتبع طورًا ووقتًا مقلد وعبد النصرارى مرة ناصر الصلبي

(103) वह गिरगिट की भांति रंग बदलता रहता है। कभी इधर, कभी उधर। कभी-कभी नसारा का दास सलीब का समर्थक भी बन जाता है।

تزبازى الكفر يشرى به الهدى ويبغى رضى الكفار فى سخط الرب

(104) कुफ़्र का लिबास पहन कर धर्म को बेचता है और अपने मौला की अप्रसन्नता में काफ़िरों को प्रसन्न करना चाहता है।

وماّ هاجه شىء سوى حسده وذلك داء لا يعالج بالطب

(105) उसके विरोध का कारण सिवाए ईर्ष्या के और कुछ नहीं और इस रोग का इलाज जो तिब्ब (चिकित्सा शास्त्र) में भी नहीं।

اذا بهت المرتاب عند حواجه تبادر للبهتان والشتيم والقشيب

(106) जब वह अल्लाह की बातों में सन्देह करने वाला मुबाहसे में हार कर शर्मिन्दा होने लगा तब गली-गलौज, झूठ बोलने लगा और इल्ज़ाम लगाने लगा।

ولم يدر ان الله ينصر عبده على الجاهل المرتاب والمبطل الخب

(107) और यह न समझा कि अल्लाह तआला जाहिल, भ्रम वाले, झूठे, धोखेबाज़ के मुक़ाबले में अपने बन्दे का सहायक है।

ومن يخذل المبعوث يخذله ربه ويجعله فى خلقه على الكعب

(108) वास्तविकता यह है कि जिसने (ख़ुदा के) भेजे हुए को छोड़ा उसको उसका रब्ब भी अवश्य छोड़ेगा और वह उसे लोगों में अपमानित करेगा।

ومن لم يعاونه سيبك تأسفا ويلق اثمًا بالمذلة والكب

(109) जिसने आज उसकी सहायता न की कल वह अफ़सोस करते हुए रोएगा और बड़े अपमान तथा बदनामी के अलावा बड़ा गुनहगार होगा।

هلموا عباد الله واستمعوا له وقوموا جميعًا قومة الجحفل اللجب

(110) आओ, हे ख़ुदा के बन्दो! उसकी बातें सुनो और बहुत बड़े लश्कर

की भांति सब के सब उठ खड़े हो।

اعينوه بالاموال و افدوه بالنفوس تنجوا من الافات في الخلف والشجب

(111) धन-दौलत से उसकी सहायता करो। प्राणों को उस पर न्योछावर करो तो तुम सब दुःख-दर्द की विपत्तियों से मुक्ति पाओगे।

عليكم عليكم باتباع امامكم فنعم امام جاء فيكم من الرب

(112) अपने उस इमाम के अनुसरण को अपना कर्तव्य समझो। क्योंकि रब की तरफ़ से यह बहुत अच्छा इमाम तुम में आया है।

يقودكم نحو الهدى فاقتدوا به و الوه بالاخلاص والصدق والرغب

(113) वह तुम्हें हिदायत के मार्ग की तरफ़ बुलाता है, उसके पीछे आओ और निष्कपटता, निष्ठा और प्रेरणा से उसे प्रेम करो।

اتاكم ببرهان وما فيه مرية فلا تبطلوه بالمماراة والشجب

(114) तुम्हारे पास स्पष्ट सबूत लाया है जिसमें सन्देह की गुंजायश नहीं, अब व्यर्थ के झगड़ों, उपद्रवों से उसका खण्डन न करो।

هو النعمة العظمى من الله فاشكروا ولا تكفرواها بالتمرد والنكب

(115) वह अल्लाह की तरफ़ से बड़ी नेमत है उसकी क़द्र करो। उपद्रव और विमुखता से नेमत की कृतघ्नता के दोषी न बनो।

هو الغيث فيكم فاقدروا حق قدره يروى الرايا كالصبيب من السحب

(116) वह तुम में आसमानी रहमत है उसकी पूरी क़द्र करो। यह आसमानी वर्षा की भांति सृष्टि को तृप्त करता है।

هو النور بين الرشد والغي في الورى به تنجلي سود الالساء والذنب

(117) वह सत्य और असत्य में अन्तर करने के लिए संसार में एक प्रकाश है। उसी से दुष्कर्मों और पापों का अंधकार दूर होगा।

ولله عينا من رآه فانه على شرف اعلى وقد فاز بالحسب

(118) मुबारक हो वह आंख जिसने उसे देखा, क्योंकि उसे बड़ा ही सम्मान और बड़ा ही प्रतिफल प्राप्त हुआ।

عجبت لمن لم يستن بعد امره وقد بلغ الابكار في الخدر والحجب

(119) मुझे उस व्यक्ति पर आश्चर्य होता है जिस पर अब तक उस इमाम का मिशन स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि पर्दे में रहने वाली कुंवारियों तक तो यह संदेश पहुँच चुका है।

وياعجبى ممن اساء ظنونه به وهو يهديهم الى خالص الحب

(120) उस पर तो बहुत ही आश्चर्य है जो अब तक उस पर कुधारणा रखता है। हालांकि वह तो पूर्णतः ख़ुदा के प्रेम का मार्ग दिखाता है।

ابى الله الا ان يزيد اعتلائه ومن يتحى ماشاء للمحو والقلب

(121) अल्लाह तआला अटल फैसला कर चुका है कि इस इमाम की श्रेष्ठता और महत्त्व बढ़ेगा और जिसे ख़ुदा क्रायम रखना चाहे उसे कौन मिटा सके या अदल-बदल सके?

ابى الله الا ان يضيئ سراجہ ومن ذا الذى يطفئ بالنفخ والحصب

(122) अल्लाह तआला अवश्य उसके दीपक को प्रकाशित रखने वाला है कौन है जो फूकों और कंकड़ों से उसे बुझा दे?

لحى الله من ولاه بالبع مدبرا يثير رعاء الناس بالويل والحرب

(123) उस पर ख़ुदा की फटकार जो उस से विमुख होता और नीच लोगों को उसका मुकाबला करने के लिए जोश दिलाता है।

لك الله قد ارسلت فينا مكرما فاهلا وسهلا مرحبا بك يا محبي

(124) अल्लाह तआला तेरे साथ हो। तू हम में आदरणीय तथा सम्माननीय भेजा गया है। आइए, आइए। हे कृपालु वदान्य हमारा ताज बनिए।

واشقى عباد الله من صار جاحداً لفضلك واستهواه ابليس في الشقب

(125) बड़ा ही दुर्भाग्यशाली बन्दा है जो तेरी श्रेष्ठता का इन्कारी हुआ और उसे शैतान ने अथाह गुमराही में फेंक दिया।

فاخزاه في الدنيا وسود وجهه وقدامه يوم الندامة والسحب

(126) ख़ुदा ने उसे दुनिया में अपमानित किया और उसका मुंह काला

कर दिया और आखिरत में उसके सामने नर्क में जाना और लज्जित होना है।

دعاني الى ذا النظم صدق مودّةٍ وفرط اشتياقٍ كان مستوطن القلبِ

(127) मैंने यह प्रशंसा पूर्ण क़सीदा केवल निष्कपटता, प्रेम और पूर्ण रुचि से जो मेरे दिल में है लिखा है।

فهاك امام المؤمنین حديقة منضرة الاشجار مخضرة القضب

(128) हे मोमिनों के इमाम! लीजिए यह एक बाग़ है जिसकी शाखें और वृक्ष सब हरे-भरे हैं।

ودونك منى روضة مستطابة سقاها الحبي سقى السحاب لا الغرب

(129) मेरी तरफ़ से यह बाग़ अद्भुत उपहार स्वीकार कीजिए। यह बाग़ सदा हरा-भरा रहने वाला है और कभी पतझड़ का मुंह न देखेगा।

يروق عيون الناظرين ابتسامها اذا سرحت فيها قلوبهم يطبي

(130) इसकी तरोताज़गी देखने वाले की आंखों को ठण्डा कर देती है और जब उनके हृदय इस में सैर और मनोरंजन करें तो उन्हें प्रसन्न और हर्षित करती है।

قوافٍ تزيد السامعين اشتياقكم اذا أنشدوها نحو اعتباركم يصبي

(131) यह ऐसे शैर हैं कि जब पढ़े जाएंगे तो श्रोताओं के हृदयों में रुचि पैदा करेंगे कि वह रुचि हुज़ूर की चौखट चूमने की तरफ़ झुकाएगी।

احن اليكم والديار بعيدة وشوق لقاء ينجد العين بالسكّ

(132) मैं आप से मिलने के लिए आतुर हूँ। देश बहुत दूर है और मिलने की तड़प में मेरी आंखें आँसू बहा रही हैं।

تهز النسيم القلب حين هبوبها كهز لسان بالثنا دايما رطب

(133) जब सुबह की ठण्डी हवा चलती है मेरे दिल की धड़कन को तेज़ कर देती है जिस प्रकार मेरी ज़बान हुज़ूर की प्रशंसा में सदैव व्यस्त रहती है।

سقام وبعثم عذرو وحدة فكيف الحدور السهل في المرتقى العصب

(134) बीमारी, दूरी, विवशता, अकेलापन और उस पर दुर्गम जंगल और

कठिन मंज़िलें मेरे मार्ग में बाधक हैं।

واشكو عدوًا لا يزال بمرصد يراقبني فيما أقول وما انبي

(135) मैं एक शत्रु की शिकायत करता हूँ जो निरन्तर घात लगाकर मेरे कथनों को ताकता रहता है।

مداج يهيج الشر من اى وجهة ويرشقى ارشاق من ريع بالسلب

(136) वह एक मुनाफ़िक़ (जिसके मुंह में कुछ हो और अन्दर कुछ और) है जो हर प्रकार से उपद्रव मचाता रहता है और मुझे यों तीर मारता है जैसे वह व्यक्ति जिसे उसका सामान लूटने की धमकी दी जाए।

يحرق انيابًا على عداوة كافي اوجعت المنافق بالغصب

(137) वह ईर्ष्या-द्वेष के कारण मुझ पर दांत पीसता रहता है जैसे मैंने उसका कुछ छीन कर उसे दुःख पहुँचाया है।

بمقدمك الميمون طابت بشارة واسفرت الدنيا لكل اخي لب

(138) हुज़ूर के शुभ आगमन से दुनिया शुभ सन्देश (बशारत) पाकर प्रसन्न हो गई है और बुद्धिमानों को रौशन दिखाई देने लगी है।

وزالت بها الاتراح عن قلب مكمدٍ وقام به داعي المسرة والرحب

(139) उस शुभ सन्देश को पाकर पीड़ित दिलों के दुःख दूर हो गए और दुःखों की जगह उनके हृदयों में प्रसन्नता एवं समृद्धि की उमंगें पैदा हो गईं।

فلازلت للاسلام عونًا وعزة يهابك من يا باى فؤ اشرق واكغرب

(140) मेरी दुआ है कि हुज़ूर इस्लाम के सहायक और सम्मान का कारण रहें। और इस्लाम के समस्त शत्रु हर तरह आप से भयभीत रहें।

हज़रत अक्रदस मिर्जा गुलाम अहमद क्रादियानी मसीह मौउद अलैहिस्सलाम
और मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब भोपालवी के मध्य देहली में
मुबाहसा

पर्चा नः 1

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

अलहम्दो लिल्लाह व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लजीनस्तफ़ा।

अनुवाद - सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और वह हमारे लिए काफी है और
सलामती हो उसके बंदों पर जिनको उसने चुन लिया है।

तत्पश्चात् विद्वानों तथा धर्माचार्यों पर स्पष्ट रहे कि जनाब मिर्जा साहिब
का असल दावा मसीह मौऊद होने का है परन्तु मिर्जा साहिब के केवल नितान्त
आग्रह करने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन एवं मृत्यु के संबंध में
शास्त्रार्थ (मुबाहसः) करना स्वीकार किया गया है और इस मामले में भी असल
कर्त्तव्य तो दावेदार जनाब मिर्जा साहिब का है परन्तु केवल उनके आग्रह पर
यह भी स्वीकार किया गया कि पहले यह विनीत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
जीवित रहने के तर्कों का उल्लेख करे और उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
शरीर के साथ आसमान पर जाने और फिर वापिस आने की बहस इत्यादि को
न मिलाया जाए। अतः मैं खुदा तआला के सामर्थ्य और उसकी शक्ति के साथ
कहता हूँ तथा मेरी सामर्थ्य केवल उसी से है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और
उसी की ओर झुकता हूँ। ज्ञात होना चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
जीवित होने के तर्क पर पांच आयतें हैं:-

प्रथम तर्क- यह है कि सूरह अन्निसा में अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (अन्सिा - 160)

तर्क का कारण यह है कि 'न' (नून) (अरबी भाषा अनुसार) में 'لِيُؤْمِنَنَّ' ताकीद का आया है और ताकीद का नून (ن) वर्तमान (मुज़ारिअ) को भविष्य (इस्तिक्बाल) के लिए कर देता है। भूतकाल और वर्तमान काल की ताकीद के लिए 'न' नून नहीं आता है। अज़हरी व्याख्या में लिखता है-

ولا يوكّد بهما الباضى لفظًا ومعنى مطلقًا لا نهما يخلصان مد خولهما
للاستقبال وذلك ينافى المعضى انتهى-

और दूसरे स्थान पर लिखता है-

ولا يجوز تاكيده بهما اذا كان منقيا او كان المضارع حالا كقراءة
ابن كثير لا قسم بيوم القيمة وقول الشاعر يمينالا بغض كل امرئ
+ يزحرف قولولا ولا يفعل فاقسم فى الآية والبغض فى البيت معناهما
الحال لدخول اللام عليهما وانما لم يؤكدا بالنون لكونها تخلص
الفعل للاستقبال وذلك ينافى الحال انتهى

फ़ावाइदे ज़ियाइय: में है

تختص اى النون بالفعل المستقبل فى الامر و النهى والاستفهام
والتمنى والعرض والقسم وانما اختصت هذه النون بهذه المذكورات
الدالة على الطلب دون الماضى والحال لانه لا يؤكدا الا ما يكون
مطلوبا انتهى

फ़ावाइदे ज़ियाइय: में है

تخلص اى نون بالفعل المستقبل فى الامر النهى والاستفهام و التمنى
والعرض والقسم و انما اختصت هذه النون بهذه المذكورات الدالته
على الطلب دون الماضى والحال لانه لا يؤكدا الا ما يكون مطلوبا انتهى
-عبدول हकीम तकमिल: में लिखते हैं-

لان النون تخلص المضارع للاستقبال فكرهوا الجمع بين حرفين لمعنى

واحد في كلمة واحدة

मुग्नी में है

ولا يوكذبهما الماضي مطلقا واما المضارع فان كان حالا لم
يوكذبهما وان كان مستقبلا اكد بهما وجوبا في نحو والله لا كيدن

اصنامكم انتهى

शेखज़ादा हाशिया बैज़ावी में लिखता है :-

واعلم ان الاصل في نون التاكيد ان تلحق بأخر فعل مستقبل فيه معنى
الطلب كالامر والنهي والاستفهام والتمنى والعرض نحو اضربن
زيدا ولا تضربن وهل تضربنه وليتك تضربن مثقلة ومخففة واختص
بما فيه معنى الطلب لان وضعه للتاكيد والتاكيد انما يليق بما
يطلب حتى يوجد ويحصل فيغتنم هو بوجدان المطلوب ولا يليق
بالخبر المحض لانه قد وجد وحصل فلا يناسبه التاكيد واختص
بالمستقبل لان الطلب انما يتعلق بمالم يحصل بعد ليحصل وهو
المستقبل بخلاف الحال والماضي لخصو لهما والمستقبل الذي هو
خبر محض لا تلحق نون التاكيد بأخره الا بعد ان يدخل على اول الفعل
ما يدل على التاكيد كلام القسم وان لم يكن فيه معنى الطلب لان
الغالب ان المتكلم يقسم على مطلوبه انتهى

और ऐसा ही बिना किसी विरोध के नह्व (अरबी भाषा की व्याकरण) की
समस्त पुस्तकों में लिखा है। पवित्र कुर्आन और पवित्र सुन्नत में भी नून (ن)
बहुत से स्थानों में विशेष तौर पर भविष्य काल के लिए आया है तथा भूतकाल
एवं वर्तमान काल के लिए एक स्थान में भी नहीं पाया जाता। इस स्थान पर कुछ
आयतें नक़ल की जाती हैं। सूरह बकरह में है-

فَأَمَّا يَا تَيْنَكُم مِّتِي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (अलबकरह- 39)

और भी इसी सूह में है-

فَلَنُؤَلِّقَنَّكُم بِرِجَالِكُمْ لِيَنظُرَ أَتَرْتَبِئُونَ

(अलबकरह-145)

और इसी सूह में है-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ

(अलबकरह-156)

सूह आले इमरान में है-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِّنْكُمْ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

(आले इमरान-82)

और भी इसी सूह में है:-

لَتَبْلُؤَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا

(आले इमरान-187)

और भी इसी में है:-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

(आले इमरान-188)

और भी इसी में है:-

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَ
قُتِلُوا أَلَّا يَكْفُرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَا لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

(आले इमरान-196)

सूह अन्निसा में है:-

وَلَا ضَلَّانَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

(अन्निसा-120)

सूरह माइदह के रकू ग्यारह में है:-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى

(अलमाइदह-83)

इसी सूरह के रकू 13 में है:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ

(अलमाइदह-95)

सूरह अन्आम के रकू-2 में है:-

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

(अलअन्आम-13)

सूरह आराफ़ के पहले रकू में है:-

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ

(अलआराफ़-7,8)

इसी सूरह के रकू 14 में है:-

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ

(अलआराफ़-125)

इसी सूरह के रकू-21 में है:-

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

(अलआराफ़-168)

सूरह इब्राहीम के रकू-2 में है:-

وَلَنَصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدَيْتُمُونَا (इब्राहीम-13)

सूरह इब्राहीम के रकू-3 में है:-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ

(इब्राहीम-14,15)

सूरह नहल के रूकू-13 में है:-

وَلْيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

(अन्नहल-93)

इसी में है:-

وَلْتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(अन्नहल-94)

इसी में है:-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

(अन्नहल-98)

बनी इस्राईल के पहले रूकू में है:-

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ
عُلُوًّا كَبِيرًا

(बनी इस्राईल-5)

सूरह हज के रूकू 6 में है:-

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(सूरह अलहज-41)

सूरह नूर रूकू 7 में है:-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

(अन्नूर-56)

सूरह नम्ल के रूकू 2 में है:-

لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا اذْبَحْنَهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّهُ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

(अन्नम्ल-22)

सूरह अन्कबूत के रकू 7 में है:-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(अलअन्कबूत-70)

सूरह मुहम्मद के रकू 4 में है:-

وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

(मुहम्मद-31)

सूरह तगाबुन के रकू-1 में है:-

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ

(अत्तगाबुन-8)

सूरह इन्कशिक्राक में है:-

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

(अलइन्शिक्राक-20)

यदि जनाब मिर्जा साहिब एक आयत या एक हदीस या कोई कलाम अरबों का अरबी में ऐसा प्रस्तुत करें कि उसमें नून ताकीद वर्तमानकाल या भूतकाल के लिए निश्चित तौर पर आया हो या व्याकरण की किसी विश्वसनीय पुस्तक की कोई इबारत जिस में कथित बात की व्याख्या की हो तो मैं अपने इस मुकद्दमे को ग़लत स्वीकार कर लूंगा। इस भूमिका के पश्चात् मैं कहता हूँ कि इस आयत का शाब्दिक अनुवाद यह हुआ, और नहीं होगा अहले किताब में से कोई परन्तु यद्यपि ईमान लाएगा साथ हज़रत ईसा के पहले मरने हज़रत ईसा से, और अभिप्राय यह हुआ कि भविष्य में एक ऐसा समय आने वाला है कि उसमें सब अहले किताब हज़रत ईसा अलौहिस्सलाम पर हज़रत ईसा अलौहिस्सलाम के मरने से पहले ईमान लाएंगे। इस आयत के यही एक मायने अरब के मुहावरे, व्याकरण के नियम तथा किताब और सुन्नत के मुहावरे के अनुसार सही हैं। और इसके अतिरिक्त जितने अर्थ हैं सब ग़लत और असत्य हैं क्योंकि किसी अर्थ के आधार पर ليو منى का शब्द शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए शेष नहीं रहता।

वे चार अर्थ हैं -

प्रथम वह जो सामान्य तफ़्सीरों में नकल किए गए हैं कि **موتّه** (मौतिही) का सर्वनाम (ज़मीर) किताबी की तरफ़ जाता है और मायने यह हैं कि नहीं कोई अहले किताब में से परन्तु यद्यपि ईमान लाता है हज़रत ईसा पर अपने मरने से पहले अर्थात् रूह के निकलने के समय, इस तक्रदीर (प्रारब्ध) पर **ليومئ** (लयूमिनन्ना) का शुद्ध रूप से भविष्य के लिए न होना स्पष्ट है। इस लिए यह अर्थ ग़लत है। दूसरे मायने वह हैं जो जनाब मिर्ज़ा साहिब ने क़शफ़ी तौर पर पुस्तक 'इज़ाला औहाम' के पृष्ठ-372 में लिखे हैं जिस का निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक अहले-किताब हमारे उस उपरोक्त वर्णन पर जो हम ने अहले-किताब के विचारों के बारे में प्रकट किया है ईमान रखता है। इससे पूर्व कि वह ईमान लाए कि मसीह अपनी मौत से मर गया। यह मायने भी इस कारण कि उस तक्रदीर पर **ليومئ** शुद्ध तौर पर भविष्य काल के लिए नहीं रहता है ग़लत हैं और इस क़शफ़ी मायने के खण्डन के लिए और भी कारण हैं। परन्तु उनका इस बहस से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम यहां उनका वर्णन नहीं करते। यदि ख़ुदा ने चाहा उन कारणों की चर्चा 'इज़ाला औहाम' के खण्डन में पूर्ण विस्तार से किया जाएगा। तीसरे वह मायने हैं जो जनाब मिर्ज़ा साहिब ने इज़ाला औहाम के पृष्ठ 385 में लिखे हैं वह ये हैं कि मसीह तो अभी मरा भी न था कि जब से ये सन्देह और आशंका के विचार यहूदियों तथा ईसाइयों के हृदयों में चले आते हैं। ये अर्थ भी इस कारण से ग़लत हैं कि **ليومئ** इस तक्रदीर (प्रारब्ध) पर शुद्ध रूप से भविष्य के लिए नहीं रहता बल्कि भूतकाल के लिए हो जाता है। चौथे मायने वह हैं जो मौलवी अबू यूसुफ़ मुहम्मद मुबारक अली साहिब सियालकोटी (निष्ठावान शिष्य मिर्ज़ा साहिब) ने 'अल क्रौलुल जमील' के पृष्ठ 28 में लिखे हैं वह ये हैं-और उन अहले किताब में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि इस बात को अपने मरने से पहले ही स्वीकार करे। इस इबारत का मतलब यदि यह है कि उन अहले किताब में से हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इस बात को अपने मरने से पहले ही स्वीकार करे अर्थात् यह

ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया नहीं है अर्थात् (जुम्ला इन्शाइय:) संज्ञात्मक वाक्य है जैसा कि अलक़ौलुल- जमील की कुछ इबारतें इस पर करीना है। अतः इस मायने के ग़लत होने का कारण यह है कि अलक़ौलुल जमील के लेखक इस स्थान पर व्यापक तौर पर ग़लत धातु का प्रयोग हुआ है क्योंकि لیومنن में लाम ل मक्सूर: लाम अलअम्र समझा है। हालांकि कुर्आन पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं कि पवित्र कुर्आन में लाम मफ़्तूहा (ज़बर लगा हुआ) (ل) लाम ताकीद है और यदि यह मायने है कि इन अहले किताब में से हर एक व्यक्ति इस बात को अपने मरने से पहले स्वीकार कर लेता है अर्थात् खबर सूचक वाक्य है तो उस समय لیومنن शुद्ध रूप से भविष्य के लिए नहीं रहता है इसलिए यह मायने ग़लत हुए और इस आयत के वह मायने जो विनीत ने पहले वर्णन किए पुराने लोगों में से एक बहुत बड़ा समूह इसी ओर गया है। उन में से अबू हरैर:, इब्ने अब्बास, अबू मालिक, और हसन बसरी, क़तादा, अबदुर्हमान बिन ज़ैद बिन असलम। तफ़सीर इब्ने कसीर में है-

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن ابی حسین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و ان من اهل الكتاب الا لیومنن به قبل موته قال قبل موت عیسی ابن مریم قال العوفی عن ابن عباس مثل ذلك قال ابو مالك فی قوله الا لیومنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عیسی بن مریم علیه السلام لا یبقی احد من اهل الكتاب الا آمن به و قال الضحاک عن ابن عباس و ان من اهل الكتاب الا لیومنن به قبل موته یعنی الیهود خاصة و قال الحس البصری یعنی النجاشی و اصحابه رواهما ابن ابی هاتم و قال ابن جریر حدثنی یعقوب حدثنا ابن علیة حدثنا ابو رجاء عن الحسن و ان من اهل الكتاب الا لیومنن به قبل موته قال قبل موت عیسی و انه لحيی الآن عند الله ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون و قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حدثنا علی ابن عثمان اللاحقی حدثنا جریر به بن بشیر قال سمعت رجلاً قال للحسن ابا سعید قول الله عز وجل و ان من اهل الكتاب

إِلَّا لِيَوْمِنَن بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ عِيسَى وَهُوَ
بَاعْتَهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَقَامًا يُؤْمِنُ بِهِ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ وَ كَذَا قَالَ قَتَادَةُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ كَمَا سَنَبِينَهُ
بَعْدَ بِالْدَّلِيلِ الْقَاطِعِ أَنْشَاءَ اللَّهُ وَبِهِ الثِّقَةُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ أَنْتَهَى-

(बयान किया हमसे इब्नि िबशार ने, बयान किया हमसे अब्दुर्रहमान ने, उन्होंने सुना सुफ़ियान से, उन्होंने सुना अबी हुसैन से, उन्होंने सुना सईद इब्नि जबीर से, उन्होंने इब्नि अब्बास से सुना कि पवित्र आयत:-

وَأَنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

(सूर: अन्निसा आयत नं. 160)

में "क्रब्ला मौतिही" से अभिप्राय ईसा इब्नि मरियम की मृत्यु से पहले है। अलऔफ़ी ने भी इब्नि अब्बास से रिवायत करते हुए इसी तरह कहा है। अबू मालिक ने पवित्र आयत "लयूमिनन्ना बिही क्रब्ला मौतिही" के बारे में कहा है कि यह ईसा इब्नि मरियम के (पुनः) अवतरण के समय होगा जब अहले किताब में से कोई भी उन (ईसा) पर ईमान लाए बिना नहीं रहेगा। जिहाक ने इब्नि अब्बास से रिवायत करते हुए कहा कि अहले किताब से तात्पर्य विशेषतः यहूदी हैं। हसन बसरी ने कहा इस (अहले किताब) से तात्पर्य नज्जाशी और उसके साथी हैं। यह दोनों कथन इब्नि अबी हातिम ने रिवायत किए हैं। इब्नि जरीर ने कहा कि मुझसे याकूब ने बयान किया और उन्होंने कहा कि हमसे इब्नि अलीयः और उन्होंने अबू रजाअ से और उन्होंने अलहसन से रिवायत की है कि وَأَنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (व इम्मिन अहलिल् किताबि लयूमिनन्ना बिही क्रब्ला मौतिही) में क्रब्ला मौतिही से तात्पर्य ईसा की मौत से पहले है।

चूँकि वह अल्लाह के पास जिन्दा मौजूद हैं। लेकिन जब वह पुनः आएँगे तो उन पर सब ईमान ले आएँगे। और इब्नि अबी हातिम ने कहा कि बयान किया हमसे मेरे पिता ने, उनको बताया अली इब्नि उस्मान अल्लाहिक्री ने और उनको बताया जरीरियः इब्नि बशीर ने, उन्होंने कहा कि मैंने एक आदमी से सुना कि

उसने हसन से कहा कि हे अबू सईद* अल्लाह के कलाम (क़ुर्आन मज़ीद) में (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) (व इम्मिन अहलिल् किताबि लयूमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही) से कौन तात्पर्य हैं? उन्होंने जवाब दिया कि "क़ब्ला मौतिही" से तात्पर्य ईसा की मौत से पहले का समय है, क्योंकि ईसा को अल्लाह ने अपनी तरफ़ उठा लिया है। और अल्लाह तआला ईसा को क़यामत के दिन से पहले ऐसा स्थान देकर भेजेगा कि उस पर हर अच्छा-बुरा ईमान ले आएगा। और यही क़ताद: और अब्दुर्हमान बिन ज़ैद बिन असलम और अन्य एक से अधिक लोगों का कथन है। और यही बात सच है जैसा कि हम निकट ही ठोस प्रमाण के साथ बयान करेंगे इन्शाअल्लाह और उसी ख़ुदा पर हमारा ईमान और भरोसा है। अनुवादक)

और अबू हरैर: ^{रज़ि.} का इस ओर जाना सहीहैन की हदीस से स्पष्ट है। गुप्त न रहे कि जनाब मिर्ज़ा साहिब ने इस मायने पर जिसको हमने सही और सच कहा है इज़ाला औहाम के पृष्ठ 368 और पृष्ठ 369 में चार एतराज़ किए हैं। उन सब का निरुत्तर करने वाला उत्तर ख़ुदा के फ़ज़ल से हमारे पास मौजूद है। प्रथम एतराज़ उपरोक्त वर्णित आयत स्पष्ट रूप से व्यापकता का फ़ायदा दे रही है। जिस से मालूम होता है कि अहले किताब के शब्द से अभिप्राय वे समस्त अहले किताब हैं जो हज़रत ईसा के समय में या ईसा के बाद बराबर होते रहेंगे और आयत में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो आयत को किसी विशेष सीमित युग से संबद्ध करता हो। इस का उत्तर दो कारणों से है। **प्रथम** यह कि आयत में नून सक्रीला मौजूद है जो आयत को विशेष युग भविष्य काल से संबद्ध करता है। **द्वितीय** यह कि इसे व्यापकता के अनुसार आपके प्रथम मायने जो इज़ाला-औहाम में लिखे गए हैं भी ग़लत हुए जाते हैं क्योंकि आपके नज़दीक अहले किताब का शब्द कथित आयत में उन समस्त अहले किताब को भी सम्मिलित करता है जो मसीह के समय में उनको सलीब पर चढ़ाने से पहले मौजूद थे हालांकि उन के कथित बयान पर ईमान रखना इससे पूर्व कि वे उस पर ईमान लाएं कि मसीह (ईसा^{अ.}) अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मर गया अकल्पनीय है और ऐसा ही आपके

दूसरे अर्थ भी ग़लत हुए जाते हैं। और हर उस व्यक्ति पर जो तनिक भी विचार करे तो यह बात गुप्त नहीं रहती।

وهذا غير خفى على من له ادنى تأمل

दूसरा ऐतराज़- सही हदीसों पुकार-पुकार कर कह रही हैं कि मसीह के दम से चाहे उसके इन्कारी चाहे अहले किताब हैं या अहले किताब नहीं हैं कुफ़्र की हालत में मरेंगे। इसके उत्तर के दो कारण हैं, प्रथम यह कि आयत में कहीं इस बात की व्याख्या नहीं है कि मसीह के आते ही सब अहले किताब मसीह पर ईमान ले आएंगे। बल्कि आयत में तो केवल इतना ही है कि मसीह की मृत्यु से पहले एक समय ऐसा आएगा कि उस युग के सब अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। अतः हो सकता है कि जिन क़ाफ़िरोँ का ख़ुदा के इल्म में (जानकारी में) मसीह के दम से कुफ़्र की हालत में मरना निश्चित हो। उनके मरने के बाद सब अहले किताब ईमान ले आएंगे। **दूसरे** हो सकता है कि ईमान से अभिप्राय यक़ीन (विश्वास) हो न कि शरई ईमान। जैसा कि आप के दोनों अर्थों के अनुसार ईमान से अभिप्राय शरई ईमान नहीं हैं बल्कि यक़ीन (विश्वास) अभिप्राय है।

तीसरा ऐतराज़- मुसलमानों की यह आस्था मान्य है कि दज्जाल भी अहले किताब में से होगा और यह भी मानते हैं कि वह मसीह पर ईमान नहीं लाएगा। इसका उत्तर भी इन्हीं दो कारणों से हैं जो द्वितीय ऐतराज़ के उत्तर में लिखे गए, दोहराने की आवश्यकता नहीं। **चौथा** ऐतराज़- मुस्लिम में मौजूद है कि मसीह के बाद उपद्रवी रह जाएंगे फिर क़यामत आएगी। यदि कोई क़ाफ़िर नहीं रहेगा तो वे कहां से आ जाएंगे। यह ऐतराज़ जनाब मिर्ज़ा साहिब की प्रतिष्ठा से अत्यन्त दूर है। क्या मिर्ज़ा साहिब यह विचार नहीं करते कि संसार में निश्चय ही प्रारंभ में एक ऐसा युग भी हो चुका है कि कोई क़ाफ़िर न था, फिर ये क़ाफ़िर जो अन्त तक मौजूद हैं कहां से आ गए। जैसे ये क़ाफ़िर हो गए इसी प्रकार ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी हो जाएंगे।

दूसरा तर्क- यह आयत सूरेह आले इमरान की है -

يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصُّلِحِينَ (आले इमरान-47)

इस आयत से उलेमा ने मसीह के जीवन को सिद्ध किया है, तफ़्सीर अबुस्सऊद में है-

وبه استدل على انه عليه السّلام سينزل من السّماء لما انه عليه السلام رفع قبل التكهل قال ابن عباس رضى الله عنه ارسله الله تعالى وهو ابن ثلاثين سنة ومكث في رسالة ثلاثين شهرا ثم رفع الله تعالى اليه

(और इस (आयत) से परिभाषित किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम शीघ्र ही आसमान से उतरेंगे। क्योंकि अधेड़ उम्र से पहले उनको उठाया गया था। इब्नि अब्बास ने कहा है कि अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उस समय रसूल बनाया था जब उनकी आयु तीस (30) वर्ष थी। और उसके बाद वे धरती पर तीस (30) महीने तक रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ़ उठा लिया। अनुवादक)

तफ़्सीर क़बीर में है:-

قال الحسين بن الفضل وفي هذه الآية نص في انه عليه الصلوة والسلام سينزل الى الارض

(तफ़्सीर क़बीर में है कि अलहुसैन बिन अलफ़ज़ल ने कहा कि इस आयत में यह लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम शीघ्र ही ज़मीन पर उतरेंगे। अनुवादक)

बैज़ावी में है:-

وبه استدل على انه سينزل فانه رفع قبل ان اكتهل

(और तफ़्सीर बैज़ावी में है कि इस (आयत) से ही परिभाषित किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम शीघ्र ही उतरेंगे। क्योंकि वह अधेड़ आयु से पहले उठा लिए गए थे। अनुवादक)

जलालैन में है:-

يفيد نزوله قبل الساعة لانه رفع قبل الكهولة

(तफ़्सीर जलालैन में है कि यह आयत यह फ़ायदा दे रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम

का नुज़ूल क्रयामत के आने से पहले होगा। क्योंकि वह बुढ़ापे से पहले उठा लिए गए थे। अनुवादक)

मआलिम में है:-

وقيل للحسين بن الفضل هل تجد نزول عيسى في القرآن قال نعم قوله و
كهلًا وهو يكتهل في الدنيا وانما معناه و كهلًا بعد نزول من
السماء انتهى-

(तप्सिर मुआलिमुत्तंज़ील में है कि अलहुसैन बिन अलफ़ज़ल से पूछा गया कि क्या आप ईसा के नुज़ूल के बारे में कुर्आन में कुछ वर्णन पाते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, हाँ अल्लाह तआला का यह कथन है कि "कहलन्" (वह लोगों से अधेड़ उम्र में बातें करेगा) चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अधेड़ उम्र तक नहीं पहुँचे थे। इससे साबित हुआ कि ईसा आसमान से नुज़ूल के बाद अधेड़ उम्र तक पहुँचेंगे। अनुवादक)

यह आयत यद्यपि स्वयं में मसीह के जीवित रहने पर ठोस तर्क नहीं है परन्तु आयत

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ (अन्सिा-160)

को मिलाकर मसीह के जीवित रहने पर ठोस तर्क हो जाती है और इस आधार पर एक विशेषता इस आयत में यह ठहरती है जैसा कलाम 'फ़िलमहद' एक आयत और चमत्कार है इसी प्रकार कलाम फ़िलकुहूलत: चमत्कार ठहरता है क्योंकि इतने लम्बे समय तक शरीर का खाने-पीने के बिना जीवित रहना और उसमें कुछ परिवर्तन न आना विलक्षण बात है अन्यथा जवानी में बात तो सब ही जवान लोग किया करते हैं हज़रत मसीह की इस में क्या विशेषता हुई जिसे अल्लाह तआला ने अत्यन्त शानदार सूची में वर्णन किया है।

तृतीय तर्क- सूरह निसा में है-

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(अन्सिा-158,159)

यह आयत भी स्वयं में यद्यपि मसीह के जीवित रहने पर ठोस तर्क नहीं है परन्तु इस से प्रत्यक्ष तौर पर रूह का रफ़ा सशरीर के साथ है क्योंकि **ما قتلوه** प्रथम और द्वितीय और **ما صلبوه** में 'हू' का इशारा तो निश्चय ही पार्थिव शरीर के साथ रूह है। अतः यह इस बात को सिद्ध करती है कि **رفعه** के 'हू' का इशारा पार्थिव शरीर के साथ रूह है विशेषतः जब आयत **وان من اهل الكتاب** उसके साथ मिला दी जाए तो यह भी ठोस तर्क हो जाती है।

चौथा तर्क- सूह जुखरुफ में है :

وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

(अज़्जुखरुफ-62)

यह आयत भी स्वयं में यद्यपि मसीह के जीवित रहने पर ठोस तर्क नहीं है परन्तु जाहिर यही है क्योंकि **انه** की ज़मीर का पवित्र कुर्आन की ओर लौटना अगले और पिछले प्रसंग के बिल्कुल विरुद्ध है। अतः **رفعه** के लौटने का स्थान अवश्य ही ईसा अलैहिस्सलाम हुए। अब यहां तीन संभावनाएं हैं या नया जन्म होना माना जाए या चमत्कारों का इरादा या उतरना। पहली ग़लत है इसलिए कि हमारे आंहरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का पैदा होना प्रलय के निकट आने का निशान है जैसा कि सही हदीस में आया है **بعثت انا والساعة كهاتين** अतः हरत ईसा अलैहिस्सलाम को विशिष्ट करने का कोई कारण नहीं और ऐसी ही दूसरी संभावना भी ग़लत है क्योंकि सब के सब चमत्कार अल्लाह तआला की क़ुदरत को सिद्ध करने में बराबर हैं ईसा^{अ.} के चमत्कारों की विशिष्टता क्या है। अतः तय हुआ कि अभिप्राय नुज़ूल (उतरना) है। विशेष तौर पर जबकि आयत **وان من اهل الكتاب** जो ठोस तर्क है और सही बुखारी तथा मुस्लिम में इसकी तफ़्सीर हो चुकी है। अतः इस हैसियत से यह आयत भी मसीह के जीवित रहने पर ठोस तर्क हो गई।

पांचवां तर्क- आयत :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (अलहश्र - 8)

है जो इस आयत के अनुसार जो सही हदीसों की ओर लौटाई गई है तो इस बाब में प्रचुरता के साथ सही हदीसों मौजूद हैं जिनकी तवातुर (निरन्तरता) मिर्जा साहिब ने इज़ाला औहाम के पृष्ठ 557 में स्वीकार की है। उनमें से सर्वसम्मत हदीस अबूहुरैर: रज़ि. की है :

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقروا ان شئتم و ان من اهل الكتب الا ليومنن به قبل موته الآية

इब्ने मरयम से वास्तविक अभिप्राय ईसा इब्ने मरयम ही हैं और यहां कोई उपयोगकर्ता मौजूद नहीं बल्कि आयत अहल अल-क़ताब इस अर्थ को निश्चित कर रही है। अतः ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना (नुज़ूल) निश्चित हो गया। इस से सिद्ध यही है कि वह जीवित हैं। इब्ने कसीर में है-

وقال ابن ابى حاتم حدثنا ابى حدثنا احمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابيه حدثنا الربيع بن انس عن الحسن انه قال افى قوله تعالى انى متوفيك يعنى وفاة المنام رفعه الله فى منامه قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود ان عيسى لم يمت و انه راجع اليكم قبل يوم القيمة

यह हदीस यद्यपि मुर्सल है किन्तु आयत अहल अल-क़ताब इसके सही होने की पूर्णतः विरोधी है। ये अन्तिम चार आयतें यद्यपि इन में से हर एक मसीह के जीवित रहने पर स्वयं में ठोस तर्क नहीं है परन्तु उन तीस आयतों की अपेक्षा जो जनाब मिर्जा साहिब ने 'इज़ाला औहाम' में हज़रत मसीह की मृत्यु को सिद्ध करने के लिए लिखी हैं, ये आयतें मसीह के जीवन पर शक्तिशाली तर्क

हैं। शेष रही यह बात कि जनाब मिर्जा साहिब ने मसीह की मृत्यु को सिद्ध करने के लिए तीस आयतें लिखी हैं। अतः उनका संक्षिप्त उत्तर यह है कि ये आयतें तीन प्रकार की हैं-प्रथम-वे जिनमें तवफ़्फ़ा विशेषतः हज़रत मसीह के बारे में आया है। द्वितीय वे आयतें जो सामान्यतः पहले सब नबियों की मृत्यु को सिद्ध करती हैं। तृतीय- वे आयतें कि न उनमें विशेषतः हज़रत मसीह की मृत्यु की चर्चा है न सामान्यतः। केवल जनाब मिर्जा साहिब ने उन से मृत्यु को केवल अपनी विवेचना द्वारा निकाला है। प्रथम का उत्तर यह है कि इसे मानने तथा स्वीकार करने के पश्चात् तवफ़्फ़ा शब्द के मायने वास्तविक मृत्यु तथा रूह कब्ज़ करने के हैं और दूसरे मायने अवास्तविक (लाक्षणिक) हैं। हम कहते हैं कि आयत

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ (अन्सिा-160)

से जो ठोस सबूत और ठोस तर्क है, से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जीवित रहना सिद्ध हो गया तो तो अब यह आयत उपरोक्त आयतों को उन के वास्तविक अर्थों से फेरने वाली हो गई इसलिए आयात तवफ़्फ़ा लाक्षणिक अर्थों पर आधारित समझी जाएंगी और वह लाक्षणिक अर्थ जो यहाँ अभिप्राय हो सकते हैं वह अख़्त ताम व कब्ज़ है जिसको उर्दू में पूरा लेना कहते हैं और तवफ़्फ़ा का इस्तेमाल पूर्ण तौर पर लेना शब्दकोश से सिद्ध है। क्रामूस में है-

و اوفى عليه اشرف و فلاناً حقه اعطاه و افياتوفاه و اوفاه فاستوفاه و توفاه
और सही हदीस में है:-

اوفاه حقه و وفاه بمعنى اى اعطاه حقه و افياء و استوفى حقه و توفاه بمعنى
मिस्बाहुल मुनीर में है:-

وتوفّيته واستوفيته بمعنى

मजमउल बिहार में है:-

واستوفيت حقي اى اخذته تاما

ايفاء گزار دن حق كے - सिराह में है-

بتمام ويقال منه اوفاه حقه و فاه استيفاء توفي تمام گرفتن حق
कुस्तलानी में है-

التوفي اخذ الشئى و افياء الموت نوع منه انتهى

और दूसरे अवास्तविक (लाक्षणिक) अर्थ सुलाने के हैं जिन को उर्दू में सुलाना कहते हैं और तवफ़्फ़ा सुलाने के मायने पवित्र कुर्आन से सिद्ध है। अल्लाह तआला ज़ुमर में फ़रमाता है-

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ (अज़ज़ुमर-43)

अनुवाद - अल्लाह जानों (रूहों) को उनकी मृत्यु के समय कब्ज़ कर लेता है। और जो मरी नहीं होतीं (उन्हें) उनकी नींद की अवस्था में (कब्ज़) करता है। अतः जिसके लिए मृत्यु का निर्णय कर देता है उसे रखता है और अन्य को एक निर्धारित समय तक के लिए (दुनिया में वापस) भेज देता है।

और फ़रमाया सूरह अन्आम में:-

هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ
لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى (अलअन्आम-61)

अनुवाद - और वही है जो रात को (नींद के रूप में) तुम्हें मृत्यु देता है, जबकि वह जानता है जो तुम दिन के समय कर चुके हो और फिर वह तुम्हें उसमें (अर्थात् दिन के समय में) उठा देता है ताकि (तुम्हारा) निर्धारित समय पूरा किया जाए।

और दूसरे प्रकार का उत्तर आम बातों को स्वीकार करने के बाद यह है कि आयत *الكتاب* *وان من اهل الكتاب* जो ठोस सबूत और ठोस तर्क है इन आयतों को विशिष्ट करने वाली है और तीसरे प्रकार का उत्तर यह है कि यदि असम्भावित रूप से मान भी लिया जाए कि शब्द स्वयं में उन अर्थों को लिए हुए हैं जो जनाब मिर्ज़ा साहिब ने वर्णन किए हैं परन्तु आयत *وان من اهل الكتاب* जो ठोस सबूत तथा ठोस तर्क है इन संभावनाओं का खण्डन

करती है इसलिए वे अर्थ गलत हुए उन आयतों के सही अर्थ वे हैं जो मान्य एवं विश्वसनीय तफ़्सीरों में लिखे हैं और वे आयत **وان من اهل الكتاب** के अनुकूल हैं और उन आयतों का विस्तृत उत्तर जिनको मिर्ज़ा साहिब ने मसीह^{अ.} की मृत्यु के सबूत के लिए प्रस्तुत किया है। इज़ाला औहाम के उत्तर में इन्शा अल्लाह पूर्ण विस्तार से लिखा जाएगा।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير
خلقه محمد وآله وصحبه و سلم

19, रबीउल अव्वल 1309 हिज्री दिन जुमा
मुहम्मद बशीर उफ़िया अन्हो

हज़रत अक्रदस मिर्ज़ा साहिब

बिस्समिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिलकरीम

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

(अलआराफ़- 90)

चूंकि मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब ने इस विनीत से बहस का सिलसिला जारी करके मसीह इब्ने मरियम को जीवित सिद्ध करने के इरादे से एक लम्बा लेख लिखा है। इसलिए मुझ पर भी अनिवार्य हुआ कि सच्चाई को जाहिर करने के उद्देश्य से उसका उत्तर लिखूं।

अतः प्रथम मैं वर्णन की स्पष्टता के लिए इतना लिखना उचित समझता हूं कि जैसा कि हज़रत आदरणीय मौलवी साहिब का विचार है यह बात कदापि सही नहीं है मसीह के जीवन या मृत्यु के विषय में सबूत प्रस्तुत करना मेरा दायित्व हो, यह तय की हुई बात है कि दावे का सबूत दावेदार का दायित्व होता है और स्पष्ट है कि जब किसी की मृत्यु या जीवन के बारे में विवाद हो तो दावेदार उसे

ठहराया जाएगा जो दोनों सदस्यों के मान्य सिद्धान्तों को छोड़कर एक नई बात का दावा करे। उदाहरणतया यह बात दोनों सदस्यों में मान्य है कि सामान्य प्रकृति का नियम खुदा तआला का यही जारी है कि उस स्वाभाविक आयु के अन्दर जो मनुष्यों के लिए निश्चित है प्रत्येक मनुष्य मृत्यु पा जाता है और खुदा तआला ने भी पवित्र कुर्आन के कई स्थानों में इस बात को स्पष्टता पूर्वक वर्णन किया है जैसा कि वह फ़रमाता है-

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ
عِلْمٍ شَيْئًا (अलहज-6)

अर्थात् तुम पर दो ही अवस्थाएं आती हैं - एक यह कि तुम में से कुछ लोग वृद्धावस्था से पूर्व मृत्यु पा जाते हैं तथा कुछ बहुत निकृष्ट आयु तक पहुंचते हैं, यहां तक कि विद्वान होने के पश्चात् पूर्णतः नादान हो जाते हैं। अतः यदि अब इस स्पष्ट कुर्आनी आदेश के विरुद्ध किसी के बारे में यह दावा किया जाए कि इसके बावजूद उस पर स्वाभाविक आयु से सैकड़ों भाग अधिक समय गुज़र गया वह न तो मरा और न ही बहुत निकृष्ट आयु तक पहुंचा और न लम्बे समय ने उस पर लेशमात्र प्रभाव डाला। अतः स्पष्ट है कि इन समस्त बातों का सबूत देना उस व्यक्ति का दायित्व होगा जो ऐसा दावा करता है या ऐसी आस्था (अक्रीदा) रखता है क्योंकि पवित्र कुर्आन ने तो किसी स्थान पर भी मनुष्यों के लिए यह नहीं कहा कि कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो सामान्य मानवीय आयु से सैकड़ों गुना अधिक जीवन व्यतीत करते हैं और ज़माना उन पर प्रभाव डालकर बहुत निकृष्ट आयु तक नहीं पहुंचाता और *ننكسه في الخلق* (हम उसे सृजन की कमज़ोर स्थिति की ओर लौटाते जाते हैं) का चरितार्थ नहीं ठहराता। अतः जबकि यह अक्रीदा हमारे स्वामी और आक्रा की सामान्य शिक्षा से बिलकुल विपरीत है तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति इस का दावेदार हो सबूत उसी के ज़िम्मे है। इसलिए कुर्आन की शिक्षानुसार स्वाभाविक आयु के अन्दर-अन्दर मर जाना और समय के प्रभाव से उम्र के विभिन्न भागों में अनेकों परिवर्तनों से गुज़रना यहां तक कि जीवन की निकृष्ट आयु तक पहुंचना, यह एक

स्वाभाविक और मूल बात है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ लगी है जिस के वर्णन से पवित्र कुर्आन भरा हुआ है। अतः जो व्यक्ति इस मूल बात के विपरीत किसी के बारे में दावा करता है तो दावे का सबूत उसी का दायित्व है। उदाहरणतया ज़ैद जो तीन सौ वर्ष से लापता है उसके बारे में दो व्यक्तियों की किसी जज की अदालत में यह बहस हो कि एक उसके बारे में यह कहे कि वह मृत्यु पा गया और दूसरा यह कहता है कि वह अब तक जीवित है। अतः स्पष्ट है कि जज उस से सबूत मांगेगा जो स्वभाव से हटकर विलक्षण जीवन को मानता है यदि ऐसा न हो तो शरीअत की अदालतों का सिलसिला अस्त-व्यस्त हो जाए। अतः हमारे इस समस्त वर्णन से स्पष्ट है कि वास्तव में इस बात का सबूत हमारे ज़िम्मे नहीं कि मृत्यु जो प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वभाव की निश्चित सीमा तक एक स्वाभाविक बात है इसका सबूत दें, बल्कि हमारे विरोधी सदस्य के ज़िम्मे यह सबूत देना है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के नियम की निर्धारित सीमा तक मृत्यु नहीं पाई बल्कि वास्तव में अब तक जीवित है और सैकड़ों वर्षों का समय गुज़रने ने उस पर लेशमात्र भी असर नहीं किया। स्पष्ट है कि पवित्र कुर्आन में कई नबियों इत्यादि का वर्णन करके उनकी मृत्यु के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया तो क्या इस से यह सिद्ध हो जाएगा कि वे अब तक जीवित हैं बल्कि किसी का जीवन तब ही सिद्ध होगा जब जीवन का सबूत दिया जाएगा अन्यथा मृत्यु एवं जीवन के वर्णन को छोड़ देने से मृत्यु ही समझी जाएगी।

अब जब कि यह बात तय हो चुकी है कि यह सबूत का भार हमारे ज़िम्मे नहीं कि मसीह इब्ने मरयम जो अन्य की भांति मनुष्य था वह क्यों अन्य मनुष्यों की तरह स्वाभाविक उम्र के दायरे के अन्दर-अन्दर मृत्यु पा गया, बल्कि यह सबूत देना हज़रत मौलवी साहिब के ज़िम्मे है कि इब्ने मरयम मनुष्य हो कर तथा समस्त मनुष्यों की विशेषताएं अपने अन्दर रखकर कुर्आन और हदीसों के स्पष्ट आदेशों के विपरीत तथा प्रकृति के नियम के विपरीत अब तक मृत्यु से बचा हुआ है और समय ने उस पर असर करके निकृष्ट उम्र तक भी नहीं पहुंचाया। अतः अब देखना चाहिए कि मौलवी साहिब ने इस बारे में क्या सबूत दिया है

तथा किन ठोस आयतों और अहादीस सहीहा मर्फूअः मुत्तसिलः के खुले-खुले कथन से इस अज़ीमुश्शान दावे को ठोस सबूत तक पहुंचाया है। अतः सपष्ट हो कि मौलवी साहिब ने सब से पहले यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सूरह निसा की यह आयत-

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
(अन्निसा-160)

(अनुवाद- और अहले किताब में कोई (पक्ष) नहीं है, परन्तु वह अपनी मृत्यु से पहले उस पर अवश्य ईमान लाएगा, और क्रयामत के दिन वह उन पर गवाह होगा।)

हज़रत मसीह इब्ने मरयम के सशरीर जीवित होने पर ठोस गवाह है और चूंकि हज़रत मौलवी साहिब के हृदय में यह धड़का था कि यह आयत तो बहुमुखी है और समस्त तफ़्सीर करने वाले लोग इसके कई-कई अर्थ कर गए हैं और किसी तफ़्सीर में इसे एक ही अर्थ में सीमित नहीं रखा गया। अतः हज़रत मौलवी साहिब ने उसे ठोस तर्क बनाने के लिए बहुत कोशिश की है और पूरी ताक़त से नाखूनों तक ज़ोर लगाया है परन्तु अफ़सोस कि वह इस इरादे में असफल रहे और ठोस तर्क नहीं बना सके बल्कि और भी सन्देह डाल दिए।

मौलवी साहिब ने इस सफलता की आशा पर कि किसी प्रकार उपरोक्त कथित आयत ठोस तर्क बन जाए यह एक नवीन नियम वर्णन किया है कि आयत के शब्द- *ليؤمنن* (लयूमिनन्ना अर्थात् अवश्य ईमान लाएंगे) में नून ताकीद है और नून ताकीद वर्तमान काल को पूर्ण रूप से भविष्यकाल के लिए कर देता है। अतः उन्होंने अपने विचार में इस दावे को सिद्ध करने के लिए पवित्र कुर्आन से उदाहरण के तौर पर कई ऐसे शब्द नक़ल किए हैं जिनके कारण उनके विचार में मुज़ारिअ भविष्य काल हो गया है परन्तु मुझे अफ़सोस है कि मौलवी साहिब ने इस पड़ताल में अकारण समय नष्ट किया क्योंकि यदि सम्भावित तौर पर यह मान लिया जाए कि कथित आयत में लयूमिनन्ना शब्द भविष्यकाल के ही अर्थ रखता है फिर भी यह आयत मसीह के जीवन पर क्योंकि ठोस तर्क हो सकती है। क्या भविष्यकाल के तौर पर ये दूसरे अर्थ भी नहीं हो सकते कि अहले किताब में से कोई ऐसा

नहीं जो अपनी मृत्यु से पहले मसीह पर ईमान नहीं लाएगा। देखो यह भी पूर्ण रूप से भविष्यकाल ही है, क्योंकि आयत अपने उतरने के बाद के युग की खबर देती है बल्कि इन अर्थों पर आयत का स्पष्ट तर्क है इसलिए कि दूसरी क़िरअत में यों आया है जो बैजावी इत्यादि में लिखी है **الْأَلْيَوْمَانِ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ** जिस का अनुवाद यह है कि अहले किताब अपनी मृत्यु से पहले मसीह इब्ने मरयम पर ईमान ले आएंगे। अब देखिए कि **قَبْلَ مَوْتِهِ** की ज़मीर (सर्वनाम) जो आप हज़रत मसीह की तरफ़ फेरते थे दूसरी क़िरअत से यह ज्ञात हुआ कि वह हज़रत मसीह की तरफ़ नहीं बल्कि अहले किताब (फ़िक़्री) की तरफ़ फिरती है। आप जानते हैं कि प्रचलन रहित क़िरअत भी अहाद¹ हदीस का हुक्म रखती है और आयतों के अर्थों के समय ऐसे अर्थ प्रायः स्वीकार के योग्य हैं जो दूसरी क़िरअत के विरोधी न हों। अब आप ही इन्साफ़ कीजिए कि यह आयत जिसकी दूसरी क़िरअत आपके विचार को पूर्णतया असत्य ठहरा रही है ठोस तर्क क्योंकर ठहर सकती है।

इसके अतिरिक्त आप ने नूने सक्रीला का जो नियम प्रस्तुत किया है वह सर्वथा सन्देहपूर्ण और असत्य है। हज़रत! हर स्थान तथा हर अवसर पर नूने सक्रीला के मिलाने से मुज़ारिअ (वर्तमान) भविष्यकाल नहीं बन सकता। पवित्र कुर्आन के लिए पवित्र कुर्आन के उदाहरण पर्याप्त हैं। यद्यपि यह सच है कि कुछ स्थानों पर पवित्र कुर्आन में वर्णित मुज़ारिअ² पर जब नूने सक्रीला आया है तो वे भविष्यकाल के अर्थों पर इस्तेमाल हुई हैं परन्तु कुछ स्थान ऐसे भी हैं कि वर्तमानकाल के अर्थ ही क़ायम रहे हैं या वर्तमान और भविष्य काल बल्कि भूतकाल भी संयुक्त तौर पर एक लम्बी मिली हुई श्रंखला की तरह अभिप्राय लिए गए हैं। अर्थात् ऐसा सिलसिला जो वर्तमान काल या भूतकाल से आरंभ हुआ और भविष्य काल के अन्त तक बिना टूटे निरन्तर चला गया।

पहली आयतों का उदाहरण यह है कि महा वैभवशाली ख़ुदा फ़रमाता है-

فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

1. अहाद वह हदीस होती है जिसे एक ही रिवायतकर्ता वर्णन करे। (अनुवादक)
2. मुज़ारिअ क्रियाएं जिन में वर्तमान और भविष्य दोनों काल पाए जाएं। (अनुवादक)

(अल् बकरह-145)

अतः स्पष्ट है कि यहां वर्तमानकाल ही अभिप्राय है, क्योंकि आयत के स्पष्ट रूप से उतरने पर बिना अविलम्ब खाना काबा की तरफ़ मुंह फेरने का हुक्म हो गया, यहां तक कि नमाज़ में ही मुंह फेर दिया गया। यदि यह वर्तमान काल नहीं तो वर्तमान किसको कहते हैं। भविष्य काल तो इस अवस्था में होता कि खबर और खबर के प्रकटन में कुछ दूरी भी होती। अतः आयत के ये अर्थ हैं कि हम तुझे उस क़िब्ले की तरफ़ फेरते हैं जिस पर तू प्रसन्न है। अतः तू मस्जिद हराम की तरफ़ मुंह कर और इसी प्रकार यह आयत

وَإِنظُرْ إِلَى الْهَيْكَلِ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ... ۞

(ताहा-20/98)

अर्थात् अपने उपास्य (मा'बूद) की तरफ़ देख जिसके सामने तू बैठा था कि अब हम उसको जलाते हैं इस स्थान पर भी भविष्य काल अभिप्राय नहीं क्योंकि भविष्य और वर्तमान काल में कुछ समय की दूरी का होना शर्त है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसी को यह कहे कि मैं तुझे दस रुपए देता हूँ। अतः मुझ से दस रुपया ले तो इस से यह सिद्ध नहीं होगा कि उसने भविष्य काल का वादा किया है बल्कि यह कहा जाएगा कि यह सब कार्यवाही वर्तमानकाल में ही हुई।

और दूसरी आयतें जो वर्तमान और भविष्यकाल के लम्बे ज़माने तक पर संयुक्त तौर पर आधारित हैं उनका उदाहरण नीचे प्रस्तुत करता हूँ।

(1) पहली यह आयत -

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(अल् अनकबूत-70) जो लोग हमारे मार्ग में कठोर परिश्रम करते हैं तथा करेंगे हम उनको अपने मार्ग दिखा रहे हैं और दिखाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि यहां केवल भविष्यकाल अभिप्राय लिया जाए तो इस से अर्थ बिगड़ जाएंगे और यह कहना पड़ेगा कि यह वादा केवल भविष्य के लिए है और वर्तमान काल में जो लोग कठोर परिश्रम में व्यस्त हैं या पहले कठोर परिश्रम कर चुके हैं, वे खुदा तआला के मार्गों से

वंचित हैं बल्कि इस आयत में स्थायी तौर पर जारी रहने वाले दायरे में तीनों कालों का वर्णन है जिसका सारांश यह है कि हमारा यही विधान है कि अपने मार्ग में कठिन परिश्रम करने वालों को अपने मार्ग दिखाया करते हैं। किसी युग की विशेषता नहीं बल्कि स्थायी तौर पर जारी रहने वाले नियम (सुन्नत) का वर्णन है जिसके प्रभाव से कोई युग बाहर नहीं।

(2) दूसरी यह आयत

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (अलमुजादल:22)

अर्थात् खुदा निश्चित कर चुका है कि मैं और मेरे रसूल ही विजयी होते रहेंगे। यह आयत भी प्रत्येक युग में जारी खुदा के अटल विधान का वर्णन कर रही है, यह नहीं कि भविष्य में रसूल पैदा होंगे और खुदा उन्हें विजयी करेगा बल्कि अभिप्राय यह है कि कोई युग हो वर्तमान या भविष्यकाल या भूतकाल, खुदा का विधान यही है कि रसूल अन्ततः विजयी ही हो जाते हैं।

(3) तीसरी आयत यह है-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(अन्नहल-98)

अर्थात् हमारी यही आदत और यही सुन्नत (नियम) है कि जो व्यक्ति शुभ कार्य करे पुरुष हो या स्त्री हो और वह मोमिन हो हम उसको एक पवित्र जीवन के साथ जीवित रखा करते हैं और उससे उत्तम प्रतिफल दिया करते हैं जो वे कर्म करते हैं। अब यदि इस आयत को केवल भविष्यकाल से सम्बद्ध कर दिया जाए तो मानो यह अर्थ होंगे कि पिछले और वर्तमान काल में तो नहीं परन्तु भविष्य में यदि कोई शुभ कर्म करे तो उसको यह प्रतिफल दिया जाएगा। इस प्रकार के अर्थों से यह मानना पड़ता है कि खुदा तआला ने आयत के उतरने के समय तक किसी को पवित्र जीवन प्रदान नहीं किया था, यह केवल भविष्य के लिए वादा था। परन्तु इन अर्थों में जितनी अधिक त्रुटियाँ हैं वह किसी बुद्धिमान से छिपी नहीं।

(4) चौथी आयत यह है-

(अलहज-41) **وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ**

अर्थात् वह जो खुदा तआला की सहायता करता है खुदा तआला उसकी सहायता करता है। अब हज़रत देखिए इस आयत के शब्द **لَيَنْصُرَنَّ** के अन्त में नून सक्रीला है, परन्तु यदि इस आयत के यह अर्थ करें कि भविष्य के किसी समय में यदि कोई हमारी सहायता करेगा तो हम उसकी सहायता करेंगे। तो ये अर्थ बिलकुल व्यर्थ और खुदा के शाश्वत् विधान के विरुद्ध ठहरेंगे, क्योंकि खुदा तआला की अनादि काल से और उसी समय से जब मनुष्य पैदा हुए यही शाश्वत् है कि वह सहायता करने वालों की सहायता करता है। यह किस तरह कहा जा सकता है कि पहले तो नहीं किन्तु भविष्य में किसी अज्ञात समय में इस नियम का पाबन्द हो जाएगा तथा अब तक तो केवल वादा ही है उस पर पालन नहीं। खुदा पवित्र है यह उस पर बहुत बड़ा लाँछन है।

(5) पांचवीं आयत यह है-

(अलअन्कबूत-10) **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ**

अर्थात् हमारी यही सदैव रहने वाली अनादि सुन्नत है कि जो लोग ईमान लाएं और शुभ कर्म करें हम उन्हें नेक लोगों में सम्मिलित कर लिया करते हैं। अब हज़रत मौलवी साहिब देखिए कि **لَنُدْخِلَنَّهُمْ** में भी नून सक्रीला है परन्तु यदि यहां आपकी शैली पर अर्थ किए जाएं तो इतना बिगाड़ पैदा होता है जो किसी पर छिपा नहीं, क्योंकि इस स्थिति में मानना पड़ता है कि यह नियम भविष्य के लिए रचा गया है तथा अब तक कोई नेक (शुभ) कर्म करके नेक लोगों में सम्मिलित नहीं किया गया। मानो भविष्य के लिए पापी लोगों की तौबा स्वीकार है और इससे पहले दरवाज़ा बन्द रहा है। अतः आप विचार करें ऐसे अर्थ करना कितनी अधिक खराबियों को अनिवार्य ठहराता है। हज़रत! पवित्र कुर्आन में इसके बहुत से नमूने हैं कि नून सक्रीला के साथ मुज़ारेअ का वर्णन करके उससे तीनों काल अभिप्राय लिए गए हैं। मुझे आशा है कि आप इस से इन्कार करके बहस

को लम्बा नहीं करेंगे। क्योंकि यह तो स्पष्ट और व्यापक बातों में से है इन्कार के लिए कोई स्थान नहीं।

अब मैं आपके उस क्राइदे (नियम) का खण्डन कर चुका कि नून सक्रीला के आने से अकारण और प्रत्येक स्थान पर शुद्ध तौर पर भविष्य काल के अर्थ ही हुआ करते हैं। आप को मालूम है कि समस्त पूराने एवं व्याख्याकार (तप्सीर लिखने वाले) जिन में अरब के रहने वाले भी सम्मिलित हैं **لِيَوْمَانِ** के शब्द में वर्तमान के अर्थ भी करते हैं 'मआलिम' इत्यादि तप्सीरें आप को मालूम हैं वर्णन की आवश्यकता नहीं। वे लोग भी तो नियमों को जानने वाले, साहित्य शास्त्र तथा अरब के मुहावरों से परिचित थे। क्या वे आपके इन नवीन नियमों से अनभिज्ञ रहे? आपने तप्सीर इब्ने कसीर के हवाले से जो लिखा है कि ईसा का नुजूल (उतरना) होगा तथा कोई अहले किताब में से नहीं होगा जो उसके नुजूल (उतरने) के पश्चात् उस पर ईमान नहीं लाएगा। यह बयान आप के लिए कुछ लाभदायक नहीं। प्रथम तो आप से ठोस तर्क प्रस्तुत करने वाली आयतों तथा सही मुत्तसिल, मफूअ हदीसों की मांग है और फिर उस कथन का **مَانِحْن فِيهِ** (जिस बारे में हम बात कर रहे हैं) से क्या संबंध क्या है। नुजूल से कहां समझा जाता है कि आसमान से नुजूल हो। खुदा तआला ने फ़रमाया है **1. أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ** हम ने लोहा उतारा, हमने लिबास² उतारा, हमने यह नबी³ उतारा, हमने चौपाए⁴, घोड़े, गधे इत्यादि उतारे। क्या कोई सिद्ध कर सकता है कि ये सब आसमान से ही उतरे थे, क्या कोई सही मफूअ*, मुत्तसिल# हदीस मिल सकती है जिस से यह सिद्ध हो कि ये सब वास्तव में आसमान से ही उतरे हैं। फिर हमने स्वीकार किया

1 (अलहदीद आयत : 26) **أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ**

2 (अलआराफ़ : 27) **فَدَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا**

3 (अत्तलाक़ : 11-12) **فَدَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا**

4 (अलजुमर : 7) **وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا**

*मफूअ-वह हदीस जिसकी सनद (प्रमाण) रसूले करीम स.अ.व. तक पहुंचे। (अनुवादक)

#मुत्तसिल-वह हदीस जिसकी सनद में प्रारंभ से अन्त तक एक भी रिवायत करने वाला न टूटे। (अनुवादक)

कि बुखारी तथा मुस्लिम इत्यादि में 'नुज़ूल' का शब्द आया है। परन्तु हज़रत! मैं नहीं समझ सकता कि आप इस शब्द से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुसाफ़िर के तौर पर जो एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है उसको भी 'नज़ील' ही कहते हैं और यह भी स्पष्ट रहे कि आप इस विनीत के आरोपों को जो 'इज़ाला औहाम' में आया था उपरोक्त कथन के उन अर्थों में आते हैं जो आप करते हैं दूर नहीं कर सके, बल्कि निकृष्ट बहानों से मेरे आरोपों को और भी सिद्ध कर दिया। आप के नून सक्रीला का हाल तो मालूम हो चुका और **ليؤمنن** शब्द का सामान्य होना यथावत रहा। अब कल्पना के तौर पर यदि आयत के ये अर्थ किए जाएं कि हज़रत ईसा के उतरने के समय जितने अहले किताब होंगे सब मुसलमान हो जाएंगे जैसा कि अबू मालिक की आप ने रिवायत पेश की है तो मुझे मेहरबानी करके समझा दें कि ये अर्थ क्योंकर उचित ठहर सकते हैं। आप स्वीकार कर चुके हैं कि मसीह के दम से उसके उतरने के बाद हज़ारों लोग कुफ़्र की हालत में मरेंगे। अब यदि आप उन काफ़िरों को जो कुफ़्र पर मर गए मोमिन ठहराते हैं या इस स्थान पर ईमान से अभिप्राय यक्रीन (विश्वास) रखते हैं। तो इस दावे पर आपके पास तर्क (दलील) क्या है। हदीस में तो उनका केवल कुफ़्र पर मरना लिखा है। यह आपने कहां से और किस स्थान से निकाल लिया है कि कुफ़्र पर तो मरेंगे परन्तु उनको हज़रत ईसा के रसूल होने पर विश्वास होगा, कुआन या हदीस के किस ठोस आदेश से आप को ज्ञात हुआ कि यहां ईमान से अभिप्राय वास्तविक ईमान नहीं बल्कि विश्वास (यक्रीन) अभिप्राय है ईमान का ज़ाहिर शब्द वास्तविक ईमान को सिद्ध करता है और केवल ज़ाहिर से हटकर अर्थ करने के लिए आप के पास कोई क़रीना होना चाहिए, जबकि शब्द-शब्द आयत में ये सन्देह हैं तो फिर आयत ठोस तर्क करने वाली क्योंकर हुई। यदि आप **ليؤمنن** से बिना किसी करीना (अनुकूलता) के अवास्तविक ईमान अभिप्राय लेंगे तो आप के विरोधी को अधिकार होगा कि वह वास्तविक अर्थ अभिप्राय ले। आपको सोचना चाहिए कि ऐसे ईमान से फ़ायदा ही क्या है तथा मसीह की विशेषता क्या हुई? ऐसा तो हर एक नबी के समय में हुआ करता है कि दुष्ट लोग मुंह से उसके

इन्कारी होते हैं और दिल से विश्वास कर जाते हैं। अल्लाह तआला हज़रत मूसा के बारे में फ़रमाता है-

(अन्नमल-15) **وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ**

अर्थात् उन्होंने मूसा के निशानों का इन्कार किया परन्तु उनके दिल विश्वास कर गए। और हमारे सय्यद व मौला नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बारे में फ़रमाता है-

(अलअन्आम-21) **يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ**

अर्थात् काफ़िर लोग जो अहले किताब हैं ऐसे निश्चित तौर पर उसको पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। अतः यदि ईमान से अभिप्राय ऐसा ही ईमान है जो **وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ** का चरितार्थ है तो फिर हमारे उलेमा ने क्यों शोर मचा रखा है कि उस समय इस्लाम ही इस्लाम हो जाएगा। निस्सन्देह पवित्र कुर्आन का यह उद्देश्य नहीं। और मालूम होता है कि आप ने इस तावील (व्याख्या) को स्वयं निकृष्ट समझ कर इसी कारण से यह दूसरा उत्तर दिया है कि आयत के ये अर्थ हैं कि मसीह की मृत्यु से पहले एक समय ऐसा आएगा कि उस समय के अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे और उस समय से पहले कुफ़्र पर मरने वाले कुफ़्र पर मरेंगे। अब हज़रत! आप इन्साफ से बताएँ कि उन अर्थों को आपके इन अर्थों से जो आप आयत **لِيُؤْمِنَ** के बारे में वर्णन करते हैं अनुकूलता है या प्रतिकूलता? अभी आप स्वीकार कर चुके हैं कि मसीह के उतरने के बाद समस्त अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे और अब आप ने उस स्वीकार की हुई बात से पलटते हुए ये नए अर्थ निकाले कि ईसा के उतरने के बाद ज़रूरी नहीं कि समस्त काफ़िर ईमान ले आएँ बल्कि बहुत से कुफ़्र पर भी मरेंगे। हज़रत! आप इस स्थान पर स्वयं विचार करें कि **إِن** (इन) का शब्द तो कुल अहले किताब को ईमानदारों में शामिल करता है या किसी को बाहर रखता है। आप जानते हैं कि **إِن** का शब्द तो ऐसा पूर्ण हिज़्र (घेरे) के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि यदि एक सदस्य भी बाहर रह

जाए तो यह शब्द बेकार और अप्रभावी ठहरता है। प्रथम तो आप ने ۞ के शब्द से ईसा के उतरने से पूर्व का युग (समय) बाहर रखा फिर आपने ईसा के उतरने के बाद के युग में भी इसका पूरा-पूरा प्रभाव होने से इन्कार किया। तो फिर इस शब्द को लाने का फ़ायदा क्या था? और ये तावीलें (व्याख्याएं) आपको किस हदीस या आयत से मिलीं या हज़रत का अपना ही मनगढ़त है।

हे हज़रत! आप इन आयतों पर ध्यान दें शायद खुदा तआला इन्हीं का प्रभाव आप के हृदय पर डाले। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْتَبِعْ فِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ
الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

(आले इमरान-56)

अब देखिए कि पवित्र कुर्आन में अल्लाह तआला का स्पष्ट वादा है कि क्रयामत के दिन तक दोनों फ़िरकें, मानने वालों के तथा न मानने वालों के शेष रहेंगे। फिर क्योंकि संभव है कि दरमियान में कोई ऐसा समय भी आए कि न मानने वाले पूर्णतः पृथ्वी पर से मिट जाएं। अल्लाह तआला पुनः फ़रमाता है-

فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (अलमाइदह-15)

अर्थात् क्रयामत के दिन तक हमने यहूदियों और ईसाइयों में शत्रुता डाल दी है। अतः स्पष्ट है कि यदि क्रयामत से पहले भी इन दोनों में से एक फ़िरका मिट जाए तो फिर शत्रुता क्योंकि क्रयामत रहेगी। हज़रत! इन व्यापक और स्पष्ट आदेशों से तो साफ़ तौर पर सिद्ध होता है कि कुफ़्र को अपनाने वाले क्रयामत के दिन तक रहेंगे, फिर ये अर्थ क्योंकि उचित ठहर सकते हैं? कुछ सोच कर उत्तर दें।

आपने दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया है कि :

(आले इमरान-47) يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

और आप ڪَهْلًا के शब्द से दरमियानी उम्र का व्यक्ति अभिप्राय लेते हैं। परन्तु यह सही नहीं है। सही बुखारी में देखिए जो खुदा की किताब (कुर्आन) के बाद समस्त पुस्तकों से अधिक सही पुस्तक है। उसमें ڪَهْل के अर्थ सुदृढ़ युवा के

लिखे हैं और यही अर्थ 'क्रामूस' और 'तप्सीर कश्शाफ़' इत्यादि में मौजूद है तथा आयतों का अगला-पिछला प्रसंग भी इन्हीं अर्थों को चाहता है क्योंकि अल्लाह तआला का इस बात से उद्देश्य यह है कि हज़रत मसीह इब्ने मरयम ने छोटी उम्र के समय में बातचीत करके अपने नबी होने को अभिव्यक्त किया फिर ऐसा ही जवान होकर और अवतरित होकर अपनी नुबुव्वत को अभिव्यक्त करेगा। अतः कलाम (बातचीत) से अभिप्राय वह विशेष कलाम है जो हज़रत मसीह ने उन यहूदियों से किया था जो उनकी मां पर यह आरोप लगाते थे और एकत्र होकर आए थे कि हे मरयम! तू ने यह क्या काम किया? अतः यही अर्थ खुदा के कलाम के आशय के अनुसार हैं। यदि अर्धे उम्र के युग का कलाम अभिप्राय होता तो इस स्थिति में यह आयत नऊजुबिल्लाह व्यर्थ ठहरती। मानो इसके ये अर्थ होते कि मसीह ने छोटी उम्र में कलाम किया और वृद्धावस्था के निकट पहुंचकर कलाम करेगा और दरमियान की उम्र में खामोश रहेगा। मतलब तो केवल इतना था कि दो बार अपनी नुबुव्वत पर गवाही देगा। न्यायकर्ता के लिए एक बुखारी का देखना ही पर्याप्त है। फिर जिस हालत में आप स्वयं मानते हैं कि यह आयत ठोस दलील नहीं तथा जिस आयत का उसको सहारा दिया गया था, वह आपके विरुद्ध सिद्ध हो गई, तो फिर यह आयत जो स्वयं आपके इक्रार से ठोस तर्क नहीं, आपको क्या लाभ पहुंचा सकती है?

तीसरा तर्क आपने यह प्रस्तुत किया है कि सूह निसा में है-

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(अन्निसा-158,159)

आप इसमें भी स्वीकार करते हैं कि यह आयत ठोस तर्क नहीं, परन्तु इसके बावजूद आप के हृदय में यह विचार है कि इस रफ़ा से पार्थिव शरीर के साथ रफ़ा (उठाया जाना) अभिप्राय है क्योंकि (अन्निसा-158) مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ की ज़मीर (सर्वनाम) का मर्जअ (लौटने का स्थान) भी शरीर के साथ रूह है परन्तु हज़रत यह आप की बहुत बड़ी ग़लती है। क्रल्ल और सलीब पर मरने के नकारने से तो केवल यह उद्देश्य तो अल्लाह तआला का है कि मसीह को

अल्लाह तआला ने सलीब पर मरने से बचा लिया और आयत **بَل رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ** (अन्निसा-159) उस वादे के पूरा करने की तरफ़ संकेत है जो दूसरी आयत में हो चुका है तथा इस आयत के ठीक अर्थ समझने के लिए इस आयत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए जिसमें रफ़ा का वादा हुआ था। और वह आयत यह है **رَافِعُكَ إِلَيَّ** में जो रफ़ा का वादा दिया गया था। यह वही वादा है जो आयत **بَل رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ** में पूरा किया गया। अब आप वादे की आयत पर दृष्टि डाल कर देखिए कि इस के पहले कौन से शब्द मौजूद हैं तो आपको तुरन्त दिखाई दे जाएगा कि इस से पहले **أَنِّي مَتَوَفِّيكَ** है। अब इन दोनों आयतों के मिलाने से जिनमें से एक वादे की आयत और एक वादे के पूरा करने की आयत है जिससे आप पर खुल जाएगा कि जिस ढंग से वादा था उसी ढंग से पूरा होना चाहिए था। अर्थात् वादा यह था कि हे ईसा मैं तुझे मारने वाला हूँ और अपनी तरफ़ उठाने वाला हूँ। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उनकी रूह उठाई गई है, क्योंकि मौत के बाद रूह ही उठाई जाती है न कि शरीर। खुदा तआला ने इस आयत में यह नहीं कहा कि मैं तुझे आसमान की तरफ़ उठाने वाला हूँ बल्कि यह कहा कि अपनी तरफ़ उठाने वाला हूँ और जो लोग मौत के द्वारा उसकी तरफ़ उठाए जाते हैं इसी प्रकार के शब्द उसके लिए बोले जाते हैं कि वे खुदा तआला की तरफ़ उठाए गए या खुदा तआला की तरफ़ लौट गए जैसा कि इस आयत में भी है-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي

(अलफ़ज़्र-28 से 31)

और जैसा कि इस आयत में संकेत है-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (अलबकर: - 2/157)

चौथा तर्क आपने यह प्रस्तुत किया है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا (अज़ज़ुरुख़रुफ़-62)

यहां भी आप मान गए हैं कि यह आयत आप के मतलब पर ठोस तर्क नहीं है, परन्तु मैं आपको मात्र ख़ुदा के लिए याद दिलाता हूँ कि इस आयत को हज़रत मसीह के दोबारा उतरने से सन्देह के तौर भी कुछ संबंध नहीं। बात यह है कि हज़रत मसीह के समय में यहूदियों में एक फ़िक़्रा सदूक़ी नाम का था जो क्रयामत का इन्कारी था। पहली पुस्तकों में भविष्यवाणी के तौर पर लिखा गया था कि उनको समझाने के लिए मसीह की पैदाइश बिना बाप के होगी और यह उनके लिए एक निशान ठहराया गया था, जैसा कि अल्लाह तआला दूसरी आयत में फ़रमाता है- *ولنجعله آية للنّاس* (मरयम-22) यहां *النّاس* से अभिप्राय ही सदूक़ी फ़िक़्रा है जो उस युग में प्रचुरता के साथ मौजूद था। चूंकि तौरात में क्रयामत की चर्चा प्रत्यक्षतः किसी स्थान पर मालूम नहीं होती इसलिए यह फ़िक़्रा मुर्दों के जी उठने से पूर्णतः इन्कारी हो गया था। अब तक बाइबल की कुछ पुस्तकों में मौजूद है कि मसीह अपनी पैदायश की दृष्टि से बतौर *علم الساعة* के उन के लिए आया था। अब देखिए इस आयत का मसीह के उतरने से संबंध क्या है और आपको मालूम है कि तफ़्सीर करने वालों ने अलग-अलग तौर पर इसके अर्थ लिखे हैं। एक समूह ने *عيسى* की ज़मीर (सर्वनाम) पवित्र कुर्आन की तरफ़ फेर दी है क्योंकि पवित्र कुर्आन से रूहानी (आध्यात्मिक) तौर पर मुर्दे जीवित होते हैं, और यदि अकारण यहां ज़बरदस्ती मसीह का नुज़ूल (उतरना) अभिप्राय लिया जाए और वही उतरना उन लोगों के लिए जो आंहरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के युग में थे क्रयामत का निशान ठहराया जाए तो यह तर्क क्रयामत के घटित के होने तक उपहास (हंसी) के योग्य होगा और जिनको यह सम्बोधन किया गया कि मसीह अन्तिम युग में उतर कर क्रयामत का निशान ठहरेगा! तुम इतने बड़े निशान के बावजूद क्रयामत के इन्कारी क्यों हुए। वे बहाना प्रस्तुत कर सकते हैं कि तर्क तो अभी मौजूद नहीं फिर यह कहना कितना व्यर्थ है कि अब क्रयामत के घटित पर ईमान ले आओ, सन्देह मत करो, हमने क्रयामत के आने का तर्क वर्णन कर दिया।

पांचवां तर्क आप ने यह वर्णन किया है कि हदीस बुखारी और मुस्लिम

में मसीह के नुज़ूल (उतरने) के बारे में लिखा है और अबू हरैर: ने उस अवसर पर कहा है :

فأقرؤوا ان شئتم وان من اهل الكتب اله

हज़रत! यह कुछ तर्क नहीं, मसीह मौऊद के नुज़ूल से किसे इन्कार है और अबू हरैर: की समझ सबूत के योग्य नहीं तथा अबू हरैर: ने فأقرؤوا ان شئتم में शक (सन्देह) का शब्द इस्तेमाल किया है। हज़रत अबू हरैर: वही सहाबी हैं जो हदीस دخول في النار को सुनकर इस धोखे में पड़े रहे कि हम में से सब से अन्त में मरने वाला नर्क (दोज़ख़) में जाएगा। भविष्यवाणी को विवेचनात्मक (इजतिहादी) तौर पर समझने में नबियों ने भी ग़लती खाई فذهب وهلى की हदीस आप को याद होगी। फिर यदि अबू हरैर: ने ग़लती से भविष्यवाणी के उलटे अर्थ समझ लिए तो क्या दलील हो सकती है।

फिर आप 'इब्ने कसीर' से यह नक़ल करते हैं कि हसन से रिवायत है कि-

ان عيسى لم يمّت وانه راجع اليكم

यह हदीस मुर्सल है फिर ठोस तर्क क्योंकर होगी, इसके अतिरिक्त यह बुखारी की सही, मफ़ूअ, मुत्तसिल हदीस से जो हज़रत ईसा की मृत्यु को सिद्ध करती है तथा पवित्र कुर्आन की शिक्षा के विपरीत है फिर प्रमाण (सनद) के योग्य क्योंकर है?

इसके बाद आप ने मसीह की मृत्यु के बारे में मेरे तर्कों पर प्रश्न (ज़िरह) किए हैं। यह प्रश्न (ज़िरह) आप के ध्यान न देने को सिद्ध करते हैं। मैं इस समय ऐसे तर्क प्रस्तुत करना नहीं चाहता। आप के मसीह के जीवन के तर्कों का फैसला करने के बाद प्रस्तुत करूंगा।

والحمد لله اولاً و اخراً و ظاهراً و باطناً - كل شيئي فان

ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام

पर्चा नम्बर (2)
मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

حامداً ومصلياً مسلماً. اللهم انصر من نصر الحق وخذل الباطل واجعلنا
 منهم واخذل من خذل الحق ونصر الباطل ولا تجعلنا منهم

तत्पश्चात् स्पष्ट हो कि जनाब मिर्जा साहिब ने अपने लेख में बहुत सी बातों का उत्तर नहीं दिया है। पाठको को अध्ययन करने से मालूम हो जाएगा। विनीत के लेख में मूल और उत्तम बहस 'नून ताकीद' की है जनाब मिर्जा साहिब ने उसके उत्तर में न तो व्याकरण (नह्व) की किसी पुस्तक की इबारत नक़ल की और न उन इबारतों में जो विनीत ने नक़ल की थीं कुछ जिरह की। और यह बात भी गुप्त न रहे कि मसीह अलैहिस्सलाम के जीवन पर मेरा असल तर्क प्रथम आयत है। मेरे नज़दीक यह आयत इस अभीष्ट को सिद्ध करने में ठोस तर्क है। दूसरी आयतें केवल समर्थन के लिए लिखी गई हैं। जनाब मिर्जा साहिब को चाहिए कि मूल बहस प्रथम आयत की रखें, दूसरी बहसों को बाद की और काम की तेज़ी समझें।

उसका कथन- यह बात कदापि सही नहीं है कि मसीह के जीवन और मरण के मामले में सबूत देना इस विनीत के ज़िम्मे हो।

मेरा कथन- इस में कुछ कारणों से आपत्ति है-

प्रथम- यह कि आपके कथानुसार मसीह के जीवन का सबूत स्वयं विनीत ने अपने ज़िम्मे ले लिया है तो अब यह बहस बे फ़ायदा है।

द्वितीय- मसीह की मृत्यु का सबूत आप के ज़िम्मे न होना विनीत की समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप ने तौज़ीहे मराम में दावा किया है कि हज़रत

मसीह दुनिया में नहीं आएंगे और इस बात पर जो तर्क प्रस्तुत किया है उसका अभिप्राय यह है कि मसीह मृत्यु पा चुके हैं और जो कोई मृत्यु पा जाता है वह जन्नत में प्रवेश कर जाता है और जो जन्नत में प्रवेश कर जाता है वह जन्नत से निकाला नहीं जाता। अतः यह तर्क तीन बातों से संबंधित है और तर्क की हर बात का सबूत देना दावेदार के ज़िम्मे होता है।

तृतीय- आपने अपने पत्र नामांकित मौलवी मुहम्मद हुसैन नंबर 12 में लिखा है। जनाब आप भली भांति जानते हैं कि इस बहस में मूल बात जनाब मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु या जीवन है और मेरे इल्हाम में भी यही मूल बताया गया है। क्योंकि इल्हाम यह है कि मसीह इब्ने मरयम खुदा का रसूल मृत्यु पा चुका है और वादे के अनुसार उसके रंग में होकर तू आया है। अतः प्रथम और मूल बात इल्हाम में भी यही कही गई है कि मसीह इब्ने मरयम मृत्यु पा चुका है। अतः मसीह की मृत्यु आप का स्थायी दावा है। इसलिए मृत्यु का सबूत देना आप के ज़िम्मे है। मृत्यु का सबूत दो प्रकार से पूर्णतया आप के ज़िम्मे है। एक इस प्रकार से कि यह मूल दावा आप का है दूसरे इस प्रकार से कि मसीह मौऊद होने के दावे के तर्क का यह एक प्रस्तुति है।

चतुर्थ- यदि सबूत देना आप के ज़िम्मे नहीं है तो आपने यह व्यर्थ काम क्यों किया कि आपने तौजीह मराम और 'इज़ाला औहाम' पुस्तकों में मसीह की मृत्यु के तर्क विस्तार पूर्वक वर्णन किए।

उसका कथन- मौलवी साहिब ने इस सफलता की उम्मीद पर कि किसी प्रकार उपरोक्त कथित आयत ठोस तर्क सिद्ध हो जाए, यह एक नया काइदः (नियम) वर्णन किया है कि आयत के शब्द **لِيُؤْمِنَنَّ** में नून ताकीद है और नून ताकीद वर्तमानकाल को शुद्ध तौर पर भविष्य की क्रिया के लिए कर देता है।

मेरा कथन- इस नियम को नया नियम कहना बहुत दूर की बात है। अगर मिर्जा साहिब मेरे लेख को ही ध्यान पूर्वक पढ़ लेते तो मालूम हो जाता कि अज़हरी और मुल्ला जामी, अब्दुल हकीम, मुग्नी के लेखक और शेखज़ादा ने इस नियम की व्याख्या की है और नह्व (व्याकरण) की समस्त पुस्तकों में इस

नियम का उल्लेख है। इसमें किसी ने विरोध नहीं किया, यहां तक कि गरदानें (शब्द रूप) रटने वाले बच्चे भी जानते हैं कि नून ताकीद वर्तमान काल की क्रिया को भविष्यकाल के अर्थों में कर देता है।

उसका कथन- अतः उन्होंने अपने विचार में इस दावे को सिद्ध करने के लिए पवित्र कुर्आन से उदाहरण के तौर पर ऐसे शब्द नक़ल किए हैं जिनके कारण उनके विचार में वर्तमानकाल की क्रिया भविष्यकाल की क्रिया हो गई है।

मेरा कथन- विनीत का मूल तर्क इस नियम पर व्याकरण के विद्वानों की सहमति से है इसका उत्तर मिर्ज़ा साहिब ने बिलकुल नहीं दिया। हां इस नियम के समर्थन में कुछ आयतें अवश्य लिखी गई हैं, मिर्ज़ा साहिब पर अनिवार्य है कि इस नियम को तोड़ने के लिए किसी व्याकरण (नह्व) की विश्वसनीय पुस्तक की इबारत प्रस्तुत करें।

उसका कथन- क्या भविष्यकाल के तौर पर ये दूसरे अर्थ भी नहीं हो सकते कि अहले-किताब में से कोई ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान नहीं लाएगा।

मेरा कथन- गुप्त न रहे कि इस अर्थ का ताना-बाना इस पर है कि बात पेश करते समय हर व्यक्ति पर वह सच खुल जाता है जिसे वह न जानता था जैसा कि तफ़्सीर इब्ने कसीर इत्यादि में लिखा है और यह बात मूल रूप से तीन कालों (ज़मानों) को लिए हुए है अर्थात् आयत के उतरने से पहले के समय (काल) तथा आयत के उतरने का समय (काल) और उतरने के बाद का समय (काल)। अब आयत को यदि शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए करोगे तो यह सन्देह होगा कि यह बात भूतकाल और वर्तमान के लिए नहीं है और यह बात वस्तु स्थिति के विरुद्ध है। अतः इस कलाम में यह दोष हुआ कि वस्तु स्थिति के विरुद्ध भ्रमित करता है तथा फ़ायदा कुछ नहीं है। यदि कहा जाए कि इस आयत में अहले-किताब के लिए एक चेतावनी है और है तथा उकसाना है उनको ईमान पर, इससे पूर्व कि उसकी ओर उत्सुक हों जैसा कि 'बैज़ावी' इत्यादि में लिखा है तथा इस चेतावनी के वादे और प्रेरणा से वही अहले किताब लाभान्वित हो

सकते हैं जो आयत के उतरने के बाद मरने वाले हैं न कि वे जो मर चुके और न वे जो आयत उतरने के समय रूह निकलने की अवस्था में थे। इस फ़ायदे के लिए भविष्यकाल को विशिष्ट किया गया। अतः उत्तर यह है कि यदि ऐसा शब्द अपनाया जाता जो तीनों कालों के लिए होता तो यही चेतावनी और प्रेरणा उन अहले-किताब को प्राप्त होती जो आयत के उतरने के बाद मरने वाले हैं और वस्तु स्थिति के विरुद्ध भी भ्रमित करने वाला न होता। अर्थात् لِيُؤْمِنَنَّ शब्द के स्थान पर يُؤْمِنُ लिया जाता अर्थात् यों कहा जाता-

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (अन्निसा-160)

यह इबारत ऐसी उत्तम है कि इस में चेतावनी और प्रेरणा जो अभीष्ट है वह भी प्राप्त है और वस्तु स्थिति के विरुद्ध भ्रमित करने वाला भी नहीं है और संक्षिप्तता भी प्राप्त है। अर्थात् 'लाम' और 'नून' नहीं है। अतः पवित्र कुर्आन की सरसता जो चमत्कार की सीमा तक पहुंच गई है, विरुद्ध है कि ऐसी उत्तम इबारत छोड़ कर इसकी बजाए لِيُؤْمِنَنَّ लिया जाए कि जिसमें वस्तु स्थिति के विरुद्ध भ्रम है और बे फ़ायदा लम्बा खींचना। और यह सब धोखा केवल भविष्यकाल के अर्थ पर चरितार्थ करने से पैदा होता है। यहां निष्कर्ष यह है कि आयत के दूसरे अर्थ प्रत्येक दशा में ग़लत हैं। यदि केवल भविष्यकाल पर चरितार्थ कीजिए तो खुदा तआला का कलाम जो सरसता में सैकड़ों चमत्कार को पहुंच चुका है सरसता से गिर जाता है और यदि केवल भविष्यकाल पर चरितार्थ न कीजिए तो व्याकरण के विद्वानों के सर्वसहमत नियम का विरुद्ध होता है।

उसका कथन- बल्कि इन अर्थों पर आयत का स्पष्ट तर्क है इसलिए कि दूसरी क्रिरअत में यों आया है जो बैजावी इत्यादि में लिखा है: **لَا لِيُؤْمِنَنَّ** به قبل موتهم-

मेरा कथन- कुछ कारणों से इस में आपत्ति है।

प्रथम- यह कि इस क्रिरअत के आधार पर भी दूसरे अर्थ सही नहीं होते हैं क्योंकि لِيُؤْمِنَنَّ को या तो केवल भविष्यकाल पर चरितार्थ किया जाएगा तो खुदा तआला का कलाम जो सरसता में चमत्कार की सीमा तक पहुंच गया है

सरसता से गिर जाता है और यदि केवल भविष्यकाल पर चरितार्थ न कीजिए तो व्याकरण के विद्वानों के सर्व सहमत नियम का विरोधी होता है।

द्वितीय- यह कि यह क्रिरअत हमारे अर्थ की विरोधी नहीं है क्योंकि इस क्रिरअत पर ये अर्थ हैं कि हर अहले किताब अपने मरने से पहले भविष्य में मसीह पर ईमान लाएगा और ये अर्थ प्रथम अर्थ के साथ जमा हो सकते हैं। इस प्रकार से कि भविष्यकाल से अभिप्राय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल का समय लिया जाए।

तृतीय- यह कि यह क्रिरअत निरन्तरता रहित है और निरन्तरता रहित क्रिरअत सामान्यतः बहस योग्य नहीं है बल्कि जब सही सनद मुत्तसिल नक़ल की गई हो और यहां इसकी मुत्तसिल सही मिर्जा साहिब ने नहीं लिखी। मिर्जा साहिब पर अनिवार्य है कि उसकी सनद वर्णन करें और उस के समस्त लोगों का सत्यापन करें अन्यथा **دونه خراط القتاد**

चतुर्थ- यह कि मिर्जा साहिब ने **قبل موته** की ज़मीर (सर्वनाम) 'तौज़ीह मराम' और 'इज़ाला औहाम' में जो इल्हामी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ फेरी है और यह क्रिरअत इस विचार को पूरे तौर पर ग़लत ठहरा रही है मिर्जा साहिब यह तो विचार करें कि वे अर्थ जिसको सही सिद्ध करने के लिए वह स्वयं तत्पर हैं और यह केवल विनीत के दावे का खण्डन करने के उद्देश्य से है वह स्वयं वास्तव में उनके नज़दीक सही नहीं हैं। क्योंकि इस दृष्टि से मसीह की मृत्यु पर उन का तर्क **ان من اهل الكتاب** आयत से बिलकुल ग़लत ठहरता है। अतः क्या सही इन्साफ़ और ईमानदारी है कि जिस बात को वह स्वयं वास्तव में ग़लत समझते हैं उसको विरोधी के मुक़ाबले में सही बना दें यह तो मुबाहसा न हुआ केवल झगड़ा ठहरा।

उसका कथन- पहली आयतों का उदाहरण यह है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है

فَلَنُؤَلِّينَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-

(अल् बकरह-145)

अब स्पष्ट है कि यहां वर्तमानकाल अभिप्राय है।

मेरा कथन- पवित्र क़ुर्आन में **فلنولينك** है न कि **ولنولينك** जैसा कि मिर्ज़ा साहिब लिखते हैं। यहां वर्तमानकाल समझना बिलकुल ग़लत है यहां केवल भविष्यकाल अभिप्राय है कुछ कारणवश-

प्रथम- यह कि 'बैज़ावी' में लिखा है-

فول وجهك اصرف وجهك شطر المسجد الحرام

इसी तरह से अब्दुलहकीम **وجهك واصرف** के अन्तर्गत लिखते हैं-

ولم يجعله من المتعدى الى المفعولين بان يكون شطر مفعوله الثاني لان تربته بالفاء و كونه انجاز اللوعد بان الله تعالى يجعل النبي مستقبلا القبلة او قريبا من سمتها بان يامر با الصلوة اليها يناسبه ان يكون النبي مامورا بصرف الوجه اليها لا بان يجعل نفسه مستقبلا اياها او قريبا من جهتها انتهى -

इस इबारत में स्पष्ट है कि ख़ुदा तआला ने अपने कथन **فلنولينك** में वादा किया और **وجهك** के साथ उसको पूरा किया।

द्वितीय यह कि यदि यहां वर्तमानकाल अभिप्राय लिया जाए तो **فلنولينक** के अर्थ ये होंगे। “यद्यपि हम फेरते हैं तुझ को” और फेरने से यह तो अभिप्राय ही नहीं कि हम तुझ को हाथ पकड़ कर क़िबले की तरफ़ फेरते हैं बल्कि अभिप्राय यह है कि हम तुझको क़िबले की तरफ़ फेरने का हुक्म देते हैं। इस दृष्टि से अल्लाह तआला का कथन **فول وجهك** अतिरिक्त और तुरन्त होगा।

तृतीय- यह कि शाह वलीउल्लाह साहिब, शाह रफ़ीउद्दीन साहिब तथा शाह अब्दुल- क़ादिर साहिब ने इस शब्द का अनुवाद भविष्यकाल के अर्थ में किया है। शाह वलीउल्लाह साहिब की इबारत यह है-

پس البتة متوجه گردانیم ترا باں قبله که خوشنودشوی

शाह रफ़ीउद्दीन का शब्द यह है – अतः निःसन्देह फेरेंगे हम तुम को उस क़िबले

की ओर कि पसन्द करोगे उसको। शब्द शाह अब्दुल क़ादिर का यह है- अतः निःसन्देह फेरेंगे तुझ को जिस क़िब्ले की तरफ़ तू राज़ी हो।

उसका कथन- और इसी प्रकार यह आयत-

وَإِنظُرْ إِلَى الْهَيْكَلِ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ۔ (ताहा-98)

मेरा कथन- इस आयत को वर्तमान काल समझना ग़लत है इस कारण से प्रथम- यह कि आयत में चेतावनी है और जिस बात में चेतावनी दी जाती है वह उसके बाद आती है। अतः यहां भविष्यकाल निश्चित हुआ।

द्वितीय- यह कि तीनों के अनुवादों से भविष्यकाल के अर्थ स्पष्ट हैं। शाह वली उल्लाह साहिब की इबारत यह है-

البيته بسوزانيم آنرا پس پراگنده سازيم آنرا

शाह रफ़ीउद्दीन साहिब का शब्द यह है- “अभी जला देंगे हम उसको फिर उड़ा देंगे हम उसको”

शाह अब्दुल क़ादिर साहिब का शब्द यह है-

“हम उसको जला देंगे फिर बिखेर देंगे।”

इन दोनों आयतों में जो मिर्ज़ा साहिब ने वर्तमान काल के अर्थ समझे तो अभिप्राय ग़लत यह मालूम होता है कि भविष्यकाल दो प्रकार का होता है। एक भविष्यकाल निकट, दूसरा भविष्यकाल दूर। मिर्ज़ा साहिब भविष्यकाल निकट को निकटता के कारण वर्तमान काल समझ गए हैं और यह परिणाम प्राप्त करने वालों की प्रतिष्ठा से दूर है।

स्पष्ट हो कि आपने जो कथित आयतों में से कुछ को वर्तमान पर और कुछ को इस्तिमरार (बार-बार होने वाली बातों) पर चरितार्थ किया है। इसमें आप अकेले हैं और केवल अपनी राय से कहते हैं या उम्मत के पहले और बाद में आने वालों में से किसी ने ये अर्थ किए हैं? वर्णन करें ताकि प्रतिफल पाएं।

उसका कथन- और दूसरी आयतें जो वर्तमान और भविष्यकाल के फैले हुए निरन्तर समय पर आधारित हैं उनका उदाहरण नीचे प्रस्तुत करता हूं। पहली

यह आयत-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(अलअन्कबूत-70)

मेरा कथन- इसमें आपत्ति है, दो कारणों से।

प्रथम- यह कि यह बात मान्य है कि अल्लाह तआला की यह आदत सदैव से जारी है कि कठोर परिश्रम (तपस्या) करने वालों को अपने मार्ग दिखाया करता है। परन्तु यहां इस आदत का वर्णन करना अभीष्ट नहीं, अभीष्ट अपने आप में केवल एक वादा है और वादा की हुई बात वादे के बाद घटित होती है जैसा कि स्वयं मिर्ज़ा साहिब ने आयत **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** के दूसरे अर्थ के समर्थन में केवल भविष्यकाल को सही ठहराया है, हालांकि अहले किताब का रूह के निकलने के समय ईमान लाना प्रचलित बात है उसमें किसी काल (ज़माने) की विशिष्टता नहीं। **द्वितीय** – यह कि तीनों अनुवाद भविष्यकाल को निश्चित करते हैं। शाह वली उल्लाह साहिब का शब्द यह है-

وَأَنَا نَكْمَ جِهَادِ كَرْدَنْدِ رَرَاهِ مَالِ بَيْتِ دِلَالَتِ كَنْئِمِ اِيْشَالِ رَا بَرَاهِ سَائِي خُو

शाह रफ़ीउद्दीन की इबारत यह है-

और जिन लोगों ने मेहनत की बीच हमारी राह
के यद्यपि दिखा देंगे हम उनको राहें अपनी।

शाह अबदुल क़ादिर साहिब की इबारत यह है

और जिन्होंने मेहनत की हमारे वास्ते
हम समझा देंगे उनको अपनी राहें।

उसका कथन- दूसरी यह आयत-

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ

(अल् मुजादला-22)

मेरा कथन- यहां बार-बार होने का अर्थ समझना बिल्कुल ग़लत है और भविष्यकाल के निश्चित होने के दो कारण - **प्रथम** - यह कि बैजावी में दलील के तौर पर लिखा है **كَتَبَ اللَّهُ فِي اللّٰوْحِ لَأَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ** तार्किक तौर पर स्पष्ट

है कि "लौहे महफूज़" में जब लिखा है उस समय और उससे पहले विजय की कल्पना नहीं हो सकती है क्योंकि विजय के लिए विजयी और पराजयी का होना आवश्यक है। उस समय न रसूल थे और न उनकी उम्मत थी। ये सब उनके बाद हुए हैं।

द्वितीय- तीनों अनुवाद भविष्यकाल पर संकेत करते हैं। शाह वलीउल्लाह साहिब की इबारत यह है- *علم کرد خدا البته غالب شوم من و غالب شوند پیغمبران من*

शाह रफ़ीउद्दीन साहिब की इबारत यह है-

ख़ुदा ने लिख रखा है कि मैं और मेरे पैग़म्बर ही विजयी होंगे

शाह अब्दुल कादिर साहिब की इबारत यह है-

अल्लाह लिख चुका कि मैं ग़ालिब हूंगा और मेरे रसूल।

उसका कथन- तीसरी आयत यह है-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(अन्नहल-98)

मेरा कथन- इस आयत में भी भविष्यकाल अभिप्राय है, कुछ कारणों से।
-प्रथम - यह कि यह वादा है। तफ़्सीर इब्ने कसीर में लिखा है-

هذا وعد من الله تعالى فمن عمل صالحا وهو العمل المتابع الكتب
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكرٍ او أنثى من بنى آدم و
قبله مؤمن بالله ورسوله وان هذا العمل المعمور به مشروع من عند
الله بان يحيى الله حياة طيبة فى الدنيا و ان يجزيه باحسن ما عمله فى
الدار الأخرى انتهى-

और जिसका वादा होता है वह बात वादे के बाद पाई जाती है। द्वितीय-
तीनों अनुवादों से भविष्यकाल मालूम होता है।

शाह वलीउल्लाह साहिब की इबारत यह है-

هر که عمل نیک کرد مرد باشد یا زن و او مسلمان است هر انیه زنده کنمش بزنگانی پاک-

शाह रफ़ीउद्दीन साहिब की इबारत यह है-

जो कोई करे अच्छा पुरुषों में से या स्त्रियों में से और वह हो ईमान वाला। अतः हम उसको पवित्र जीवन देंगे।

शाह अब्दुल क़ादिर साहिब की इबारत यह है-

जिसने किया नेक काम पुरुष हो या स्त्री हो और वह यक़ीन (विश्वास) पर है तो उस को हम देंगे एक अच्छा जीवन।

उसका कथन- चौथी आयत यह है-

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ-

(अलहज-41)

मेरा कथन- यहां भविष्यकाल अभिप्राय है कुछ कारणों से-

प्रथम - यह कि यह वादा मुहाजिरो (प्रवासियों) और अन्सार से है। बैजावी ने कहा है-

وقد انجز وعده بان سلط المهاجرين والانصار على صناديد العرب
اکاسترة العجم وقياصرتهم واورثهم ارضهم وديارهم انتهى

और जिसका वादा किया जाता है वह चीज़ वादे के ज़माने के बाद पाई जाती है।

द्वितीय - यह कि तीनों अनुवादों से भविष्यकाल स्पष्ट है। शाह वलीउल्लाह साहिब की इबारत यह है-

البته نصرت خواهد داد خدا کسے راکه قصد نصرت دین دے کند

शाह रफ़ीउद्दीन साहिब की इबारत यह है- और यद्यपि मदद देगा अल्लाह उसको जो मदद देता है उसको।

शाह अब्दुल क़ादिर साहिब की इबारत यह है-

और अल्लाह निश्चित तौर पर मदद करेगा उसकी जो मदद करेगा उसकी।

उसका कथन- पांचवीं आयत यह है-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ-

(अलअन्कबूत-10)

मेरा कथन- यहां भी वर्तमानकाल अभिप्राय है। कारण- प्रथम - यह कि यह वादा है और जिस चीज़ का वादा किया जाता है वह समय वादे का नहीं पाया जाता है बाद को पाया जाता है।

द्वितीय- तीनों अनुवाद इस पर संकेत करते हैं। शाह वलीउल्लाह साहिब की इबारत यह है-

وَأَنَّا لَكُمُ إِيمَانٌ آوَرْدُنْدُو كَارِهَائِي شَائِسْتَه كَرْدَنْد-البته در آریم ایثاں رادر زمره شائستگان

शाह रफ़ीउद्दीन साहिब की इबारत यह है-

और वे लोग ईमान लाए और काम किए अच्छे यद्यपि दाखिल करेंगे हम उनको बीच नेकों के।

शाह अब्दुल क़ादिर साहिब की इबारत यह है-

और जो लोग ईमान लाए और भले काम किए हम उनको दाखिल करेंगे नेक लोगों में।

آپ کا مخدور جب لازم آوے کہ بیان ہو عادت کا

(आप का मखदूर जब लाज़म आवे कि ब्यान हो आदत का)

बल्कि यह तो वादा है

उसका कथन- अब मैं आप के इस नियम को तोड़ चुका कि नून सक्रीला के दाखिल होने से अकारण और हर एक स्थान पर विशेष रूप से भविष्यकाल के ही अर्थ हुआ करते हैं।

मेरा कथन- उपरोक्त से मालूम हुआ कि आपने जितनी आयतें वर्णन

की हैं सब में अभिप्राय केवल भविष्यकाल हैं न वर्तमान और न استرار (इस्तिमरार) (हमेशगी)।

उसका कथन- आप को ज्ञात है कि समस्त पुराने तथा नए व्याख्याकार (कुर्आन के व्याख्याकार) जिनमें अरब के रहने वाले भी सम्मिलित हैं ليو منق के शब्द के वर्तमान के अर्थ भी करते हैं।

मेरा कथन- उन लोगों की तपसीर में कहीं वर्तमानकाल की व्याख्या नहीं है। संभव है उनका अभिप्राय भविष्यकाल हो जैसा कि आप स्वयं ऊपर लिख चुके हैं। क्या भविष्यकाल के तौर पर दूसरे अर्थ भी नहीं हो सकते कि अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान नहीं लाएगा। देखो यह भी तो पूर्णतः भविष्यकाल ही है। यदि कोई सन्देह करे कि फिर इस दूसरे अर्थ का खण्डन व्याकरणविदों (व्याकरण जानने वालो विद्वान) के निर्धारित नियमों के अनुसार कैसे होगा। तो उत्तर यह है कि निस्सन्देह इस स्थिति में निर्धारित नियम के आधार पर यद्यपि खण्डन नहीं हो सकेगा बल्कि उसका अर्थ होगा दूसरी बात पर जिस का वर्णन ऊपर हो चुका अर्थात् यह कि इस स्थिति में खुदा का कलाम उच्च श्रेणी की सरसता से गिरता जाता है। فليتاامل فانها احزى بالثامل

उसका कथन- आपने तपसीर इब्ने कसीर के हवाले से जो लिखा है कि ईसा का नुज़ूल होगा और कोई अहले किताब में से नहीं होगा जो उसको नुज़ूल (उतरने) के पश्चात् उस पर ईमान नहीं लाएगा। यह वर्णन आप के लिए कुछ लाभप्रद नहीं आप के इस कथन पर और फिर उस कथन का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, से क्या संबंध है।

मेरा कथन- यहां पर आपने मेरे कलाम को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। मेरा मतलब वह नहीं है जो आप समझे हैं। मेरा मतलब तो इब्ने कसीर की इबारत की नकल से केवल इतना है कि ये अर्थ जो मैंने किए हैं उस तरफ़ पहले लोगों का एक समूह गया है और यह बात मेरे लेख में स्पष्ट है, थोड़ा सा भी ग़ौर करने का मुहताज नहीं है।

उसका कथन- स्पष्ट रहे कि आप इस विनीत के आरोपों को जो इज़ाला औहाम में उपरोक्त कथित आयत के उन अर्थों पर आते हैं जो आप करते हैं दूर नहीं कर सके बल्कि निकृष्ट आरोपों से मेरे आरोपों को और भी ठोस सिद्ध कर दिया।

मेरा कथन- मेरे तर्कों का शक्तिशाली होना अभी सिद्ध हो चुका। अतः आप का यह कहना बजाए स्वयं नहीं है।

उसका कथन- आप के नून सक्रीला का हाल तो मालूम हो चुका।

मेरा कथन- आप ने नून सक्रीला के बारे में जो कुछ लिखा वह सब धूल बन कर उड़ गया।

उसका कथन- और لِيُؤْمِنَنَّ के शब्द का सामान्य होना यथावत् रहा (बरकरार रहा)।

मेरा कथन- जब यह बात सिद्ध हो गई कि नून (ن) वर्तमानकाल और भविष्यकाल के लिए कर देता है तो अब सामान्य होना कहां क्रायम रहा।

उसका कथन- अब कल्पना के तौर पर यदि आयत के ये अर्थ लिए जाएं कि हज़रत ईसा के उतरने (नुज़ूल) के समय जितने अहले किताब होंगे सब मुसलमान हो जाएंगे। जैसा कि आप ने अबू मालिक से रिवायत किया है तो मुझे मेहरबानी करके समझा दें कि ये अर्थ क्योंकर सही कहे जा सकते हैं?

मेरा कथन- आपने इस अर्थ के वर्णन में जो मेरे नज़दीक निर्धारित हैं थोड़ी सी ग़लती की है। आयत का मतलब यह नहीं है कि हज़रत ईसा के उतरने के समय जितने अहले किताब होंगे सब मुसलमान हो जाएंगे। मतलब यह है कि हज़रत ईसा के उतरने के बाद और उनकी मौत से पहले एक समय ऐसा अवश्य होगा कि उस समय के अहले किताब सब मुसलमान हो जाएंगे और अबू मालिक के कलाम का भी यही मतलब है थोड़े ध्यान से विचार कीजिए।

उसका कथन- आप स्वीकार कर चुके हैं इस कथन में तो फिर उस शब्द के लाने में फ़ायदा क्या है?

मेरा कथन- मेरे प्रिय! इस स्थान पर भी आपने मेरे मतलब पर बिलकुल विचार नहीं किया। इसलिए मैं पुनः उस वर्णन को दोहराता हूँ। उम्मीद है कि यदि आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा तथा स्वीकार भी कर लीजिएगा। मेरे कलाम का निष्कर्ष यह है कि आपके आरोप का उत्तर दो तरह से है- **प्रथम**-यह कि आयत से यह सिद्ध नहीं होता है कि मसीह के उतरने के पश्चात् तुरन्त समस्त अहले किताब ईमान ले आएंगे बल्कि यह कि मसीह के उतरने के पश्चात् तथा मसीह की मृत्यु से पूर्व एक समय (युग) ऐसा आएगा कि उस युग में समस्त अहले किताब ईमान ले आएंगे। अतः सही हदीसों उसके विपरीत न हुई क्योंकि जो काफ़िर मसीह के दम (सांस) से मरने वाले होंगे वे पहले मरेंगे, शेष सब ईमान ले आएंगे। **द्वितीय** यह कि ईमान से अभिप्राय यक़ीन हो न ईमान शर्ई। इस दृष्टि से भी सही हदीसों आयत के इस अर्थ की बाधक नहीं ठहरती हैं। अभीष्ट निष्कर्ष, बाधा दूर करना है जो आप ने आयत के अर्थ तथा सही हदीसों में वर्णन किया है, मालूम नहीं आप कहां से कहां चले गए। विचार करके उत्तर लिखा कीजिए। अब यह इन्साफ़ से विचार करके कहिए कि आप का यह फ़रमाना कि **إِن** (इन) का शब्द तो ऐसा पूर्णतया सीमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि यदि एक व्यक्ति भी बाहर रह जाए तो यह शब्द बेकार और अप्रभावी ठहरता है, कैसा बे मौक़ा है, क्योंकि जिस समय के लिए यह सीमित किया गया है उसके बारे में पूर्ण तौर पर सीमित है और ऐसा ही यह कहना कि प्रथम तो आपने **إِن** (इन) के शब्द से हज़रत मसीह के नुज़ूल से पूर्व के युग को बाहर किया फिर अब नुज़ूल के बाद के युग में भी उसका पूरा-पूरा असर (प्रभाव) होने से इन्कार किया। अतः फिर इस शब्द के लाने से फ़ायदा ही क्या था केवल वे मौक़ा है क्योंकि विनीत ने स्वयं नुज़ूल से पूर्व के युग को बाहर नहीं रखा और नुज़ूल के बाद के युग में पूरा-पूरा असर होने से इन्कार किया, बल्कि यह तो नून सक्रीला और शब्द **بعده موتة** का तक्राज़ा है जो खुदा के कलाम में आया है और ऐसा ही आप का यह कहना कि अब यदि उन काफ़िरों को जो कुफ़्र पर मर गए, मोमिन ठहराते हैं या इस स्थान पर ईमान से अभिप्राय यक़ीन रखते हैं तो इस दावे

पर आप के पास तर्क क्या है, केवल असंबंधित है क्योंकि विनीत इस स्थान पर न उनके ईमान का दावेदार है और न इस बात का दावेदार है कि ईमान से अभिप्राय यक्रीन है। इस स्थान पर अभीष्ट केवल विरोधाभास दूर करना है जो आप ने आयत और हदीसों के बीच समझा है। इस बात के फ़ैसले के लिए विनीत आप के दो विशेष श्रद्धालु हकीम नुरुद्दीन सीहिब और सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब अमरोही को हकम (मध्यस्थ निर्णायक) स्वीकार करता है कि आप मेरे इस कलाम का मतलब बिलकुल नहीं समझे।

उसका कथन- हे हज़रत! आप इन आयतों पर ध्यान दें अपने कथन की ओर-अब देखिए पवित्र क़ुर्आन में अल्लाह तआला का स्पष्ट वादा है कि क़यामत के दिन तक मानने वालों के तथा काफ़िरों के फ़िक्रें शेष रहेंगे।

मेरा कथन- इसमें दो कारणों से आपत्ति है।

कारण-प्रथम यह कि आयत-

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

(अन्निसा-160)

में स्पष्ट वादा है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मृत्यु से पूर्व सब अहले किताब मोमिन हो जाएंगे। अतः यह आयत विशिष्ट करने वाली है आयत-

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

(आलेइमरान-56)

द्वितीय सही हदीसों से सिद्ध है कि क़यामत से पूर्व सब दुष्ट ही रह जाएंगे जिन पर क़यामत क़ायम होगी। अतः ज्ञात हुआ कि आयत कुछ सामान्य को विशिष्ट करने वाली है।

उसका कथन-फिर अल्लाह तआला फ़रमाता है:

فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

(अलमाइदा-15)

अतः स्पष्ट है कि यदि क़यामत से पूर्व ही इन दोनों में से एक फ़िक्रें

समाप्त हो जाए तो फिर शत्रुता क्योंकर क्रायम रहेगी?

मेरा कथन- यह आयत भी कुछ लोगों से विशिष्ट है उसको विशेष करने वाली आयत **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** है।

उसका कथन- आपने दूसरी आयत प्रस्तुत की है कि

يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا

(आलेइमरान-47)

मेरा कथन- **كَهْل** के अर्थ में वस्तुतः में भाषाविदों ने मतभेद किया है। इसलिए इस आयत को स्वयं में ठोस तर्क नहीं कहा गया बल्कि ग़ैर के लिए ठोस तर्क कहा गया अर्थात् इस आयत **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** को मिलाकर जो ठोस तर्क है यह भी ठोस हो जाती है तथा आप ने जो सन्देह **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** के ठोस तर्क होने में किया है वह पूर्ण रूप से दूर हो गया।

उसका कथन- सही बुखारी में देखिए जो खुदा की किताब (क़ुर्आन) के बाद समस्त किताबों में सर्वाधिक सही है उसमें **कहल** के अर्थ जवान मज़बूत के हैं।

मेरा कथन- बुखारी की इबारत यह है-

وقال مجاهد الكهل الحليم انتهى

आप पर अनिवार्य है कि यह बात सिद्ध कीजिए कि इस से जवान मज़बूत किस प्रकार समझा जाता है?

उसका कथन- हज़रत इस **إِنَّكَ إِلى** में जो रफ़ा का वादा दिया गया है यह वही वादा था जो आयत **رفع الله اليه** में पूरा किया गया।

मेरा कथन- मान्य है कि आयत **ورافعك وإني متوفيك** में जो वादा था वह आयत **رفع الله اليه** में पूरा किया गया। परन्तु **إني متوفيك** में मौत अभिप्राय होना मान्य नहीं है जैसा कि इस का वर्णन पहले लेख में लिख चुका हूँ और आपने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया।

उसका कथन- मसीह मौरुद के नुज़ूल से किस को इन्कार है?

मेरा कथन- आप को बिलकुल उसी ईसा इब्ने मरयम के नुज़ूल से इन्कार

है, हालांकि पहले लेख में लिखा गया है कि हदीस में शब्द इब्ने मरयम जिसके अर्थ वास्तविक तौर पर वही इब्ने मरयम है मौजूद है, और यहां कोई अर्थ को फेरने वाला शब्द नहीं पाया जाता है। आप ने इसका कुछ उत्तर न दिया।

उसका कथन- और अबू हरैर: की समझ तर्क योग्य नहीं।

मेरा कथन- अबू हरैर: की समझ को मैं तर्क (हुज्जत) नहीं कहता हूं सिद्ध करना तो शब्द "इब्ने मरयम" से है जो हदीस में आया है।

उसका कथन- यह हदीस मुरसल है फिर क्योंकि ठोस तर्क होगी।

मेरा कथन- इस हदीस को ठोस तर्क नहीं कहा गया है केवल समर्थन के लिए लाई गई है।

उसका कथन- यह बुखारी की हदीस सही, मफ़ूअ मुत्तसिल है जो हज़रत मसीह की मृत्यु को सिद्ध करती है तथा पवित्र कुर्आन की शिक्षा के विरुद्ध है।

मेरा कथन- आप वह हदीस सही, मफ़ूअ, मुत्तसिल वर्णन करें ताकि उसे देख लिया जाए। कुर्आन की शिक्षा की विरोधी अमान्य है।

ومن يدعى فعليه البيان وأخردعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة
والسلام على خير خلقه محمد و آله واصحابه اجمعين

मुहम्मद बशीर उफ़िया अन्हो

25 अक्टूबर 1891 ई.

नम्बर -2 हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुह व नुसल्ली

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. آمِينَ.

तत्पश्चात्- स्पष्ट हो कि हज़रत मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब ने अपने प्रत्युत्तर में इसके बावजूद कि मसीह अलैहिस्सलाम के जीवित रहने के बारे में सबूत देना अपना दायित्व स्वीकार कर चुके थे, फिर इस विनीत को संबोधित करके कहा है कि इब्ने मरयम की मृत्यु का सबूत देना आप का दायित्व है क्योंकि आप की तरफ़ से यह स्थायी दावा है कि हज़रत मसीह मृत्यु पा चुके और आप के इल्हाम में मूल बात यही ठहराई गई है कि मसीह इब्ने मरयम मृत्यु पा चुका है और यदि सबूत देना आप के ज़िम्मे नहीं था तो यह व्यर्थ काम आपने क्यों किया कि 'तौज़ीहे मराम' तथा 'इज़ाला औहाम' में मसीह की मृत्यु के तर्कों को बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया।

मैं कहता हूँ कि इस बात को बहुत थोड़ी योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि किसी विवादित बात के सबूत देने का दायित्व उस सदस्य का हुआ करता है जो एक बात को किसी प्रकार से एक स्थान में इक्रार करके फिर किसी दूसरी स्थिति और दूसरे स्थान में उसी स्वीकार की हुई बात का इन्कार कर देता है। अतः वह अपने पहले इक्रार से ही पकड़ा जाता है और उस गिरफ्त के योग्य हो जाता है कि जिस बात को वह किसी दूसरी स्थिति या दूसरे समय और स्थान में स्वयं ही मानता और स्वीकार करता था अब उस

से क्यों इन्कार करके एक अजीब और नए दावे की तरफ़ लौट गया है। अतः निश्चित और वास्तविक तौर पर दावेदार का शब्द उस व्यक्ति पर बोला जाता है जो अपने पहले इक्रार से विमुख (मुंह फेरना) होकर एक नई बात का दावा करता है और इसी कारण से सबूत देना उसका दायित्व होता है। क्योंकि वह अपने मौखिक इक्रार से ही अपने नए दावे को मानता है। अर्थात् उसने इस बात को स्वीकार कर लिया होता है कि उसका यह दावा नया है और उसके उस पुराने इक्रार से बिलकुल विपरीत है जिस से अब भी उसे इनकार नहीं। इसका उदाहरण ऐसा है कि जैसे कोई किसी अदालत में दावा करता है कि मैंने अमुक व्यक्ति से एक हजार रूपया कर्जा लेना है और स्वयं इस बात का इक्रार कर देता है कि अमुक तारीख़ को मैंने उसे ऋजों के तौर पर रूपया दिया था और उस तारीख़ से पूर्व मेरा उस से कुछ संबंध नहीं था और मेरा यह दावा नया है जो अमुक तारीख़ से पैदा हुआ। अतः इसी कारण से वह दावेदार (मुद्दई) कहलाता है और सबूत उसके ज़िम्मे होता है कि वह उस इक्रार के बाद कि अमुक तारीख़ से पूर्व अमुक व्यक्ति मेरा ऋजदार नहीं था। फिर अपने पहले बयान के विरुद्ध यह दावा करता है कि अमुक तारीख़ से वह मेरा ऋजदार है। अतः अदालत उस से इसी कारण सबूत मांगती है कि अपने पहले बयान के विरुद्ध दूसरा बयान देता है और उसके दावे में एक नयापन है जिसे वह स्वयं ही स्वीकार करता है और स्वयं ही मान चुका है कि एक समय ऐसा भी गुज़रा है जब वह व्यक्ति जिसको अब ऋजदार ठहराया गया है ऋजदार नहीं था। अतः इस इक्रार के बाद इन्कार करके वह सबूत का भार अपनी गर्दन पर ले लेता है। निष्कर्ष यह कि वास्तविक तौर पर उसी व्यक्ति को मुद्दई कहते हैं जो इस स्थिति में एक बात का इक्रार करके फिर उसी बात का इन्कार करता है और सबूत का भार उस पर इसी कारण होता है कि वह अपने पहले इक्रार के कारण पकड़ा जाता है। सारी अदालतें इसी दृढ़ सिद्धान्त को लेकर मुद्दई (वादी) और मुद्दआ अलैह (प्रतिवादी) में अन्तर करती हैं। यदि यह सिद्धान्त दृष्टि के सामने न हो तो ऐसा जज अंधे के समान होगा और उसे मालूम नहीं होगा कि वास्तव

में मुद्दई (वादी) कौन है और मुद्दआ अलैह (प्रतिवादी) कौन। सारांश यह कि मुद्दई होने की फ़िलास्फ़ी (दार्शनिकता) यही है जो हमने यहां वर्णन कर दी है और स्पष्ट है कि सबूत देना उसी की ज़िम्मेदारी होगी जो वास्तविक तौर पर मुद्दई हो अर्थात् ऐसी हालत रखता हो कि एक स्थिति में एक बात का इक्रार करके फिर दूसरी स्थिति में उस इक्रार के विपरीत वर्णन करे।

अब इस मापदण्ड को दृष्टिगत रखकर प्रत्येक न्यायकर्ता देख ले कि क्या वास्तविक तौर पर हज़रत मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु के बारे में इस विनीत का नाम मुद्दई रखना चाहिए या हज़रत मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब और उनके सहपंथी मौलवी सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहिब इत्यादि मसीह इब्ने मरयम शारीरिक तौर पर जीवित रहने के बारे में मुद्दई ठहरते हैं। स्पष्ट है कि हम जो मुद्दई की परिभाषा वर्णन कर चुके हैं अर्थात् यह कि वास्तविक मुद्दई के लिए ऐसी हालत का पाया जाना आवश्यक है कि एक स्थिति में एक बात का पूर्ण विवेक के साथ हमेशा के लिए इक्रार करके फिर दूसरी स्थिति में उस बात का इन्कार करे। यह परिभाषा मुझ पर चरितार्थ नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा बयान तो इस शैली पर नहीं कि पहले मैं मसीह इब्ने मरयम का यह अस्वाभाविक जीवन स्वीकार करके फिर उस से इन्कार कर गया हूँ। ताकि पहले इक्रार के विरुद्ध नए दावे का सबूत देना मुझ पर हो। परन्तु मुद्दई होने की यह परिभाषा हज़रत मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब तथा उनके गिरोह पर चरितार्थ होती है। क्योंकि पहले उनको अब तक इस बात का इक्रार है कि यह मसीह का जीवित रहना जिसके बारे में दावा है कि यह एक अस्वाभाविक रूप से जीवित रहने का दावा है जो अल्लाह तआला के सामान्य प्रकृति के नियम और ख़ुदा के अनश्वर नियम के विरुद्ध है और न केवल ख़ुदा के नियम (सुन्नत) के विपरीत बल्कि कुर्आन के भी विरुद्ध है क्योंकि पवित्र कुर्आन ने जो सामान्य तौर पर मनुष्य के अस्थायी अस्तित्व के बारे में कहा है वह यही है कि मनुष्य अपनी स्वाभाविक उम्र की सीमा के अन्दर मर जाता है और यदि जवानी तथा मध्यम अवस्था में नहीं तो वयोवृद्धता की उम्र तक पहुंच कर उस का अन्त होता है और ज़माना उस पर

असर डाल कर तथा उस पर नाना प्रकार के परिवर्तन करके उसे वयोवृद्धता की आयु (उम्र) तक पहुंचाता है या वह व्यक्ति पहले ही मर जाता है। इस इक्रार के बाद मौलवी साहिब और उनके गिरोह का यह बयान है कि मसीह इब्ने मरयम जो मनुष्य था और मनुष्यों में बिना किसी कमी बेशी के सम्मिलित था अब तक नहीं मरा बल्कि सैकड़ों वर्ष से जीवित चला आता है। बूढ़ा भी नहीं हुआ और न वयोवृद्धता की आयु तक पहुंचा और न उस पर समय ने कुछ असर किया। अतः आदरणीय मौलवी साहिब ने पहले जिस बात का इक्रार किया था उसी बात का फिर इन्कार कर दिया। इसलिए उपरोक्त कथित क़ानून के अनुसार वास्तविक तौर पर वह मुद्दई ठहर गए। क्योंकि मैं वर्णन कर चुका हूँ कि वास्तविक तौर पर मुद्दई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी बात के बारे में एक स्थिति में इक्रार करके फिर दूसरी स्थिति में उसी बात का इन्कार कर दे। क्या मौलवी साहिब फ़िक्र: के कानूनों पर नज़र डाल कर या सांसारिक अदालतों के मुकद्दमों पर निगाह डालकर कोई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को वास्तविक तौर पर मुद्दई तो कहा जाए परन्तु वह उस परिभाषा से बाहर हो। यदि इस विनीत ने मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु पर तर्क लिखे हैं या उसकी मृत्यु के बारे में अपना इल्हाम वर्णन किया है तो इसका वास्तविक तौर पर मुद्दई होने से क्या संबंध है। वे समस्त तर्क तो केवल सरसरी ढंग से लिखे गए। जैसे एक मुद्दआ अलैहि (प्रतिवादी) किसी मुद्दई (वादी) का झूठ प्रकट करने के लिए किसी अदालत में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर दे जिस से उस मुद्दई के और भी दोष निकाले जाएं। तो क्या इस से यह समझा जाएगा कि वास्तव में उस पर वे समस्त सबूत प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया जो एक वास्तविक मुद्दई पर अनिवार्य होता है। अफ़सोस है कि मौलवी साहिब ने मुद्दई और मुद्दआ अलैहि को पहचानने के मामले पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया। हालांकि यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है जो न्यायाधीशों, शासकों तथा उलेमा को धोखों तथा ग़लतियों से बचाता है और मालूम होता है कि चूंकि मौलवी साहिब ने यह दावा तो कर दिया कि हम मसीह इब्ने मरयम के शारीरिक तौर पर (अभी

तक) जीवित रहने के बारे में ठोस तर्क प्रस्तुत करेंगे, किन्तु बहस के समय इस दावे से निराशा पैदा हो गई। इसलिए अब इस तरफ़ आना चाहते हैं कि वास्तव में मसीह इब्ने मरयम के शारीरिक तौर पर (इस समय तक) जीवित सिद्ध करना हमारे जिम्मे नहीं। अतः मौलवी साहिब को याद रहे कि जैसा कि मैं अभी वर्णन कर चुका हूँ। अदालत का वास्तविक और ठोस तरीका यही है कि जो व्यक्ति मसीह इब्ने मरयम के अस्वाभाविक जीवन का मुद्दई है उस पर अनिवार्य है कि वे ठोस तर्कों तथा सही मफ़ूअ हदीसों से हज़रत मसीह के शारीरिक तौर पर जीवित रहने को सिद्ध करे और यदि सिद्ध न कर सके तो यह प्रथम तर्क होगा कि मसीह मृत्यु पा चुके। निस्सन्देह अदालत के कानूनों के अनुसार वास्तविक तौर पर आप मुद्दई हैं, क्योंकि स्वाभाविक एवं मान्य बात को छोड़ कर एक ऐसी आस्था (अक्रीदा) को आप ने अपनाया है जिसका मानना और स्वीकार करना तर्क का मुहताज है। किन्तु किसी मनुष्य का अपनी स्वाभाविक उम्र तक मर जाना और सैकड़ों वर्ष तक जीवित न रहना तर्क का मुहताज नहीं बल्कि उसकी मृत्यु पर प्रकृति का नियम एवं ख़ुदा की सुन्नत स्वयं एक अटल तर्क है। विचार करें कि यदि उदाहरणतया किसी गुमशुदा (खो चुका) व्यक्ति की अठारह सौ वर्ष तक ख़बर न मिले कि वह मरा है या नहीं तो क्या इस से यह समझा जाएगा कि वह अब तक जीवित है और क्या इस्लामी शरीअत (क़ानून) किसी विवाद के समय उसके बारे में वही आदेश जारी कर दे जो एक जीवित व्यक्ति के बारे में जारी करने चाहिए? विचार करो प्रतिफल पाओगे।

तत्पश्चात् आपने कुर्आन और हदीस के नितान्त व्यापक और स्पष्ट आदेशों से निराश होकर दोबारा आयत **ليومئذ** के नून सक्रीला पर ज़ोर दिया है और अधिकांश भाष्यकारों (मुफ़स्सिरीन), सहाबियों तथा उनके बाद आने वालों से पृथक होकर मात्र अपने अपरिपक्व विचार के कारण इस बात पर बल दिया है कि यह आयत नून सक्रीला के कारण शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए हो गई है जिसके केवल यही अर्थ हो सकते हैं कि हज़रत ईसा के नुज़ूल के बाद किसी विशेष युग के लोग सब के सब उन पर ईमान ले आएंगे तथा इन अर्थों

पर बल देने के समय आपने अपनी उस शर्त का कुछ ध्यान नहीं रखा जो पहले हम दोनों के बीच तय हो चुकी थी कि अल्लाह और रसूल के कथन से बाहर नहीं जाएंगे। और न उन बुजुर्गों के सम्मान और प्रतिष्ठा का कुछ ध्यान रखा जो उस भाषा के जानने वाले सर्फ़ व नह्व (अरबी भाषा की व्याकरण) को आप से उत्तम जानने वाले थे। सर्फ़ व नह्व एक ऐसी विद्या है जिसको हमेशा उस भाषा के जानने वालों के मुहावरों तथा बोलचाल के अन्तर्गत करना चाहिए और उस भाषा के भाषाविदों की विरोधी गवाही एक क्षण में सर्फ़ और नह्व के बनावटी नियम का खण्डन कर देती है। हम पर अल्लाह और उसके रसूल ने यह अनिवार्य नहीं किया कि हम सर्फ़ व नह्व को मनुष्यों द्वारा स्वयं निर्मित नियमों को अपने लिए ऐसा मार्गदर्शन ठहरा दें इसके बावजूद कि हम पर किसी आयत के पर्याप्त और पूर्ण अर्थ खुल जाएं तथा उस पर उस भाषा के जानने वाले विद्वानों मोमिनों की गवाही मिल जाए तो फिर भी हम उस नियम और नह्व (अरबी भाषा की व्याकरण) को न छोड़ें। इस मनगढ़त बातों के इल्जाम की हमें क्या आवश्यकता है। क्या हमारे लिए पर्याप्त नहीं कि अल्लाह, रसूल और आदरणीय सहाबा एक सही अर्थ हमें बता दें। सर्फ़ और नह्व के नियम को घटना घटित हो जाने के बाद लाने वाली बात है और यह हमारा मत नहीं कि ये लोग अपने नियम बनाने में पूर्णतया ग़लती से सुरक्षित हैं और उनकी नज़रें खुदा तआला के कलाम के गहरे मुहावरों पर पहुँच गई हैं जिससे आगे खोज और अनुसरण का दरवाज़ा बन्द है। मैं जानता हूँ कि आप भी उनको निर्दोष नहीं समझते होंगे। आप जानते हैं कि पवित्र क़ुरआन में :

قَالُوا إِنَّ هَذَا مِنْ لَسِحْرَانِ (ताहा-20/64)

भी आयत मौजूद है। परन्तु क्या आप नमूने के तौर पर प्राचीन अरब का कोई कथन प्रस्तुत कर सकते हैं जिन में ان هَذَا की बजाए ان هَذَا लिखा हो। किसी नह्वी (वैयाकरण) * ने आज तक यह दावा भी नहीं किया कि हम सर्फ़ व नह्व (अरबी व्याकरण) के नियमों को ऐसी श्रेष्ठता तक पहुंचा चुके हैं कि

* नह्व जानने वाला (अनुवादक)

अब कोई नई बात का सामने आना या हमारी छान-बीन में किसी प्रकार का दोष निकलना असंभव है। निष्कर्ष यह कि सर्फ़ व नह्व के बनाए गए नियमों की पाबन्दी शर्इ हुज्जत में से नहीं। यह विद्या केवल घटना हो जाने के बाद अपने पूर्वजों की प्रशंसा करने वाली बात है।

इन लोगों की मासूमियत पर शरीअत का कोई तर्क नहीं मिल सकता। भाषा शास्त्र की विशेषताएं एक अपार दरिया है। अफ़सोस कि हमारे सर्फ़ व नह्व के नियम सम्पादित करने वालों ने बहुत जल्द हिम्मत हार दी और जैसा कि छान-बीन करने का हक़ था पूरा नहीं किया और उन्होंने कभी इरादा नहीं किया और न कर सके कि एक गहरी दृष्टि से कुर्आन के विशाल अर्थ रखने वाले शब्दों को दृष्टिगत रख कर सर्वांगपूर्ण नियम बनाएं और यों ही अपने काम को अपूर्ण छोड़ गए। हमारे ईमान की मांग यह होनी चाहिए कि हम किसी प्रकार पवित्र कुर्आन को उनके अधीन न ठहरा दें बल्कि जैसे-जैसे पवित्र कुर्आन के विशाल अर्थ रखने वाले शब्दों की विशेषताएं खुलनी चाहिए उसी के अनुसार अपनी पुरानी और अपूर्ण नह्व को भी ठीक कर लें। यह भी याद रखने योग्य है कि प्रत्येक भाषा हमेशा चक्कर में रहती है और रहेगी। जो व्यक्ति अब अरब देश में जाकर देखे तो उसे मालूम होगा कि अब अरबी भाषा में पहली भाषाओं से कितना अन्तर आ गया है, यहां तक कि अक्अद के स्थान पर अगद बोला जाता है। इसी प्रकार कई मुहावरे बदल गए हैं। अब मालूम नहीं कि जिस समय में सर्फ़ व नह्व के नियम बनाने के लिए ध्यान दिया गया वह समय आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय से कितना अन्तर कर गया था और मुहावरों में कितना और क्या-क्या परिवर्तन हो गया था। नह्व और सर्फ़विद इस बात को भी तो मानते हैं कि नियमों की क्रमबद्धता के बावजूद एक बहुत बड़ा भाग अनुमान और कल्पना के विरुद्ध शब्दों के क्रम का भी है, जिसकी सीमा अभी अज्ञात है जो अभी तक किसी नियमों के अन्तर्गत नहीं आ सका। अतः जो सर्फ़ और नह्व हमारे हाथ में है केवल बच्चों को एक मोटी नियमावली सिखाने के लिए है। इसको एक दोषरहित मार्ग दर्शक समझ लेना तथा त्रुटि और गलती

से पवित्र समझना उन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह और रसूल के अतिरिक्त किसी और को भी दोषरहित ठहराते हैं। अल्लाह ने हमें यह फ़रमाया है-

(अन्निसा-60) **فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**

अर्थात् यदि तुम किसी बात में झगड़ा करो तो उस बात का फ़ैसला अल्लाह और रसूल की तरफ़ ले जाओ और केवल अल्लाह और रसूल को हक़म बनाओ न कि किसी और को। अतः यह क्योंकर हो सकता है कि अपूर्ण ज्ञान रखने वाले सर्फियों और नहवियों को अल्लाह और रसूल को छोड़कर अपना हक़म (न्यायक) बनाया जाए। क्या इस पर कोई तर्क है। आश्चर्य कि सुन्नत के अनुसरणकर्ता कहलाकर अल्लाह और रसूल के पवित्र और उज्जल चश्मे (झरने) के अतिरिक्त किसी और की तरफ़ जाएं। आप को याद रहे कि मेरा यह मत नहीं है कि सर्फ़ व नह्व के वर्तमान नियम ग़लती से रहित हैं या सब तरह से पूर्ण हैं। यदि आप का यह मत है तो उस मत के समर्थन में तो पवित्र कुर्आन की कोई आयत प्रस्तुत की जाए या कोई सही हदीस दिखाइए, अन्यथा आप की यह बहस बे फ़ायदा और व्यर्थ विचार है शरीअत का तर्क नहीं। मैं सिद्ध करता हूँ कि यदि वास्तव में नह्व जानने वालों का यही मत है कि नून सक्रीला से वर्तमान और भविष्यकाल के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रिया शुद्ध रूप से केवल भविष्यकाल के अर्थों में आ जाती है तथा कभी किसी स्थान और किसी स्थिति में इसके विपरीत नहीं होता तो उन्होंने बड़ी ग़लती की है। पवित्र कुर्आन उनकी ग़लती प्रकट कर रहा है और बड़े सहाबा इस पर गवाही दे रहे हैं। हज़रत! इन्सानों की अन्य कोशिशों की भांति नहवियों (व्याकरणाचार्यों) की कोशिशें भी ग़लती से ख़ाली नहीं। आप हदीस और कुर्आन को छोड़कर किस झगड़े में पड़ गए और इस त्रुटिपूर्ण विचार की नुहूसत से आपको समस्त बड़े सहाबा के बारे में कुधारणा करनी पड़ी कि वे सब तफ़्सीर आयत **به ليومنن** में ग़लती करते रहे। मैं अभी इन्शा अल्लाह आप पर सिद्ध करूंगा कि आयत **به ليومنن** आप के अर्थों पर इस स्थिति में ठोस तर्क हो सकती है कि उन सब बुजुर्गों की पक्की मूर्खता पर फ़त्वा लिखा जाए और नऊजुबिल्लाह नबी मासूम को भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए अन्यथा

आप कभी और किसी स्थिति में ठोस होने का फ़ायदा प्राप्त नहीं कर सकते तथा संयमी आचरण रखने वाले उलेमा में से इस ठोस होने के दावे में आप के साथ भागीदार नहीं होगा और क्योंकि भागीदार हो, भागीदार तो तब हो जब बहुत से बुजुर्गों तथा सहाबा को मूर्ख ठहरा दो और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर भी एतराज़ करे।

سبحانه هذا بهتان عظيم

(ख़ुदा इस से पवित्र है। यह तो बहुत बड़ा आरोप है)

अब मैं आप पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महान भाष्यकारों (मुफ़स्सिरो) ने इस आयत (अन्निसा-160) को हज़रत ईसा के नुज़ूल (उतरने) के लिए ठोस तर्क ठहराया है या कुछ और ही अर्थ लिखे हैं? अतः स्पष्ट हो कि कश्शाफ़ पृष्ठ 199 में 'लिओमन्' की आयत के अन्तर्गत यह तफ़्सीर है

جملة قسبية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره وان من اهل الكتب احد الا ليومنن
 به قبل موته بعيسى وبانه عبد الله ورسوله يعنى اذا عين قبل ان تزهد روحه حين
 لا ينفعه ايمانه لا نقطاع وقت التكليف وعن شهر بن حوشب قال لى الحجاج آية ما
 قراءتها الا تخالج فى نفسى شىء منها يعنى هذه الآية انى اضرب عنق الاسير من اليهود
 والنصارى فلا اسمع منه ذلك فقلت ان اليهودى اذا حضرة الموت ضربت البلائكة
 دبره ووجهه وقالوا يا عدو الله اتاك عيسى نبيا فكذبت به فيقول امنت انه عبد نبى و
 تقولون للنصر انى اتاك عيسى نبيا فزمت انه الله او ابن الله فيؤمن انه عبد الله ورسوله
 وعن ابن عباس انه فسرّه كذلك فقال له عكرمة فان اتاه رجل فضرب عنقه قال
 لا تخرج نفسه حتى يتحرك بها شفثيه قال عكرمة وان خر من فوق بيت او احترق
 او اكله سبع قال يتكلم بها فى الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به وتدل عليه قراءة
 ابي الا ليومنن به قبل موتهم بضم النون على معنى وان منهم احد الا ليومنون به
 قبل موتهم وقيل الضمير ان لعيسى يعنى وان منهم احد الا ليومنن يعنى قبل موت
 عيسى اهم اهل الكتب الذين يكونون فى زمان نزوله ردى انه ينزل فى آخر الزمان فلا
 يبقى احد من اهل الكتاب الا يؤمن به حتى تكون ملة واحدة وهى ملة الاسلام وقيل

الضمير في به يرجع الى الله تعالى وقيل الى محمد صلى الله عليه وسلم

अनुवाद- अर्थात् به لیؤمنن کस्मिय: (कलम वाला) वाक्य है और कथित आयत महजूफ़ (लुप्त शब्द) के लिए विशेषण है और महजूफ़ को मिलाने से असल इबारत यों है कि अहले किताब में से कोई नहीं जो अपनी मौत से पहले ईसा पर ईमान न लाए तथा इस बात पर ईमान लाए कि वह अल्लाह का रसूल और उसका बन्दा है अर्थात् जिस समय प्राण (जान) निकलने का समय हो उस समय ईमान लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता और शहर बिन हूशब से रिवायत है कि मुझे हज्जाज ने कहा कि एक आयत है कि मैंने जब कभी उसको पढ़ा तो उसके बारे में मेरे दिल में एक दुविधा पैदा हुई अर्थात् यही आयत और दुविधा यह है कि मुझे ईसाई या यहूदी क़ैदी वध करने के लिए दिया जाता है और मैं यहूदी और ईसाई की गर्दन मारता हूँ और मैं उसके मरने के समय यह नहीं सुनता कि मैं ईसा पर ईमान लाया। इब्ने हूशब कहता है कि मैंने उसको कहा कि असल बात यह है कि जब यहूदियों पर प्राण निकलने का समय आता है तो फ़रिश्ते उस के मुंह पर और पीछे मारते हैं और कहते हैं कि हे ख़ुदा के दुश्मन! तेरे पास ईसा नबी आया और तूने उसे झूठा कहा। अतः वह कहता है कि अब मैं ईसा पर ईमान लाया कि वह बन्दा और पैग़म्बर है और ईसाई को फ़रिश्ते कहते हैं कि तेरे पास ईसा नबी आया और तूने उसको ख़ुदा और ख़ुदा का बेटा कहा। तब वह कहता है कि अब मैंने स्वीकार किया कि वह ख़ुदा का बन्दा और रसूल है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उसने एक अवसर पर यही तफ़्सीर की तब इकरमा ने उसको कहा कि यदि अचानक किसी व्यक्ति की गर्दन काट दी जाए तो किस समय और क्योंकर वह ईसा की नुबुव्वत का इक्रार करेगा। तब इब्ने अब्बास ने कहा कि उसकी उस समय तक जान (प्राण) नहीं निकलेगी जब तक उसके होठों पर मसीह की नुबुव्वत के इक्रार का वाक्य जारी न हो जाए। फिर इकरमा ने कहा कि यदि वह घर की छत पर से गिरे या जल जाए या कोई दरिन्दा उसे खा ले तो क्या फिर भी उसे ईसा की नुबुव्वत का इक्रार करने का

अवसर मिलेगा। तब इब्ने अब्बास ने उत्तर दिया कि वह गिरते-गिरते हवा में यह इक्रार कर देगा और जब तक यह इक्रार न कर ले तब तक उसकी जान नहीं निकलेगी। और इसी को सिद्ध करती है उबय्य बिन कअब की क़िरअत।
 اِلَّا لِيَوْمِئِذٍ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِمْ بِضَمِّ التُّونِ अर्थात् दूसरी क़िरअत में मोते की बजाए **موتهم** लिखा है। जिससे मालूम होता है कि वास्तव में मोते (मौतेही) की ज़मीर (सर्वनाम) अहले किताब की तरफ़ फिरती है न कि हज़रत ईसा की तरफ़। और एक कमज़ोर कथन यह भी है कि **به** और मोते की दोनों ज़मीरें हज़रत ईसा की तरफ़ फिरती हैं। जिसका मतलब यह वर्णन किया जाता है कि ईसा के नुज़ूल के बाद समस्त अहले-किताब उनकी नुबुव्वत पर ईमान ले आएंगे और एक कथन यह भी है कि **به** की ज़मीर अल्लाह तआला की तरफ़ फिरती है तथा एक कथन यह भी है हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तरफ़ **به** (बिही) की ज़मीर फिरती है।

फिर नोवी में यह इबारत लिखी है-

ذهب كثيرون بل اكثرهم الى ان الضمير في آية الا ليو منن به يعود الى
 اهل الكتاب ويؤيد هذا ايضا قراءة من قرأ قبل موتهم

अर्थात् बहुत से लोग बल्कि अत्यन्त बहुतायत से लोग इसी तरफ़ गए हैं कि आयत **به** (इल्ला लयुअमेनन्ना) की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ फिरती है और इसी की समर्थक क़िरअत **موتهم** है।

फिर तफ़सीर मदारिक में इसी आयत की तफ़सीर में लिखा है-

والمعنى ما من اليهود والنصارى احد الا ليو منن قبل موته بعيسى
 وبانه عبد الله ورسوله وردى ان الضمير في به يرجع الى الله او الى محمد
 صلى الله عليه وسلم والضمير الثانى الى الكتاب

अर्थात् इस आयत के ये अर्थ हैं

कि यहूदियों तथा ईसाईयों में से ऐसा कोई नहीं कि जो अपनी मृत्यु से पहले ईसा पर ईमान न लाए और उस की रिसालत और अब्दियत (बन्दा होने)

को स्वीकार न करे, और यह भी रिवायत है कि बे (बिही) की ज़मीर अल्लाह की तरफ़ फिरती है और यह भी रिवायत है कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ़ फिरती है। ऐसा ही 'बैजावी' में बे लियोमन आयत के अन्तर्गत यह तफ़्सीर की है-

والمعنى مامن اليهود والنصارى احد الا ليومنن بان عيسى عبد الله
ورسوله قبل ان يموت ويؤيد ذلك ان قرئى الا ليومنن به قبل موتهم
وقيل الضمير ان لعيسى

अर्थात् इस आयत के ये अर्थ हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में से ऐसा कोई नहीं जो अपनी मृत्यु से पहले ईसा पर ईमान न लाए और क़बल मोतहम (क़बल मौतेहिम) की क्रिरअत इन्हीं की समर्थक है और एक कमज़ोर कथन यह भी है कि दोनों ज़मीरें ईसा की तरफ़ फिरती हैं।

और तफ़्सीर मज़हरी के पृष्ठ-731, 732 में आयत बे लियोमन के अन्तर्गत लिखा है -

روى عن عكرمة ان الضمير فى به يرجع الى محمد صلى الله عليه وسلم وقيل راجعة الى الله عز وجل والبأل واحذفان الايمان بالله لا يعتد مالم يؤمن بجميع رسله والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم الايمان بعيسى عليه السلام قبل موته اى قبل موت ذلك الاحد من اهل الكتب عند معائنة ملائكة العذاب عند الموت حين لا ينفعه ايمانه هذا رواية على بن طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال فقييل لابن عباس أُرِيْتُ ان خر من فوق بيت قال يتكلم فى الهواء فقييل أُرِيْتُ ان صرب عنقه قال تلجلج لسانه والحاصل انه لا يموت كتابى حتى يؤمن بالله ورجل وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله قيل يؤمن الكتابى فى حين من الاحيان ولو عند معاينة العذاب. وقال الصبيران لعيسى والمعنى انه اذا نزل امن به اهل الملل اجمعون ولا يبقى احد الا ليومنن به وهذا التأويل مروى عن ابى هريرة لكن كونه مستفاداً من هذه الآية وتأويل الآية بارجاع الصبير الثانى الى عيسى ممنوع انما هو ذم من ابى هريرة ليس ذلك فى شىء من الاحاديث المرفوعة كيف يصح هذا التأويل مع ان كلمة ان من اهل الكتاب شامل

للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البتة سواء كان هذا الحكم خاصاً بهم أو لافان حقيقة الكلام للحال ولا وجه لان يراد به فريق من اهل الكتاب يوجدون حين نزول عيسى عليه السلام فالتأويل الصحيح هو الاول ويويده قراءة أبي بن كعب اخرج ابن المنذر عن ابي هاشم وعروة قال في مصحف ابي بن كعب وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتهم.

अनुवाद- इकरमा से रिवायत है आयत به ليؤمنن में ज़मीर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तरफ़ फिरती है तथा कुछ कहते हैं कि अल्लाह तआला की तरफ़ लौटती है और अंजाम एक वचन है क्योंकि खुदा पर ईमान लाना विश्वसनीय नहीं जब तक समस्त रसूलों पर ईमान न लाया जाए तथा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान लाना ईसा पर ईमान लाने को अनिवार्य है और قبل موته (क्रबल मौतेहिम) की यह तफ़्सीर है कि प्रत्येक अहले किताब अपनी मृत्यु से पहले अज़ाब के फ़रिश्तों को देखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान लाएगा, जबकि ईमान उनको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। यह अली बिन तल्हा^{रज़ि.} की रिवायत इब्ने अब्बास^{रज़ि.} से है। अली बिन तल्हा कहता है कि इब्ने अब्बास को कहा गया कि यदि कोई छत पर से गिर पड़े तो फिर वह क्योंकर ईमान लाएगा। इब्ने अब्बास ने उत्तर दिया कि वह हवा में उस इकरार को अदा करेगा। फिर पूछा गया कि यदि किसी की गर्दन मारी जाए तो वह क्योंकर ईमान लाएगा तो इब्ने अब्बास ने कहा कि उस समय भी उसकी जुबान पर इकरार के शब्द जारी हो जाएंगे। सारांश यह कि अहले किताब नहीं मरेगा जब तक अल्लाह और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और ईसा पर ईमान न लाए। कुछ कहते हैं कि अहले किताब व्यक्ति समयों में से किसी समय ईमान लाएगा, यद्यपि अज़ाब के देखने के समय हो और कुछ कहते हैं कि दोनों ज़मीरें ईसा की तरफ़ फिरती हैं तथा ये अर्थ लेते हैं कि जब ईसा उतरेगा तो समस्त अहले किताब उस पर ईमान ले आएंगे और कोई इन्कार करने वाला शेष नहीं रहेगा। यह तावील (व्याख्या) अबू हरैर: से रिवायत की गई है परन्तु आयत به ليؤمنن से ये अर्थ

जो अबू हुरैर: ने समझे हैं कदापि नहीं निकलते और قبل موته की ज़मीर ईसा की तरफ़ किसी भी प्रकार फिर नहीं सकती। यह केवल अबू हुरैर: का विचार है। मर्फ़अ हदीसों में इसका कोई सही असल नहीं पाया जाता तथा यह तावील सही क्योंकि कलिमा ۱) में दोनो मौजूद अहले किताब भी तो शामिल हैं अर्थात उन अहले किताब को जो आंहरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के युग में मौजूद थे चाहे यह कलिमा उन्हीं से विशेष हो या विशेष न हो किन्तु कलाम की सच्चाई का पात्र ठहराने के लिए वर्तमानकाल समस्त कालों से अधिक अधिकार रखता है और इस बात का कोई कारण नहीं पाया जाता कि क्यों वही अहले किताब विशेष किए जाएं जो हज़रत ईसा के नुज़ूल के समय मौजूद होंगे। फिर सही तावील वही है जो हम पहले वर्णन कर चुके हैं अर्थात् به की ज़मीर ईसा की तरफ़ नहीं फिरती बल्कि अहले किताब की तरफ़ फिरती है और उसी की समर्थक उबय्य बिन का'ब की क्रिरअत है जिसको इबनुल मुंज़िर ने अबी हाशिम से लिया है इसके अतिरिक्त 'उर्वा' से भी। और वह क्रिरअत यह है- وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتهم- अर्थात् अहले किताब अपनी मौत से पहले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वस्सलम और ईसा पर ईमान लाएंगे। इसी के निकट-निकट इब्ने कसीर, तफ़्सीर कबीर, फ़तहुल बयान तथा मआलिमुत्तन्ज़ील इत्यादि तफ़्सीरों में लिखा है। अब देखिए कि हज़रत इकरमा, हज़रत इब्ने अब्बास और अली बिल तल्हा रज़ियल्लाहो अन्हुम به ليؤمنن की यही तावील करते हैं कि पहली ज़मीर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और ईसा की तरफ़ फिरती है और दूसरी ज़मीर قبل موته की अहले किताब की तरफ़ फिरती है और قبل موته की क्रिरअत कितना दृढ़ता से सिद्ध होती है, फिर इसके बावजूद कि यह तावील आदरणीय सहाबा की तरफ़ से है और निस्सन्देह यह अकेली क्रिरअत सही हदीस का हुक्म रखती है किन्तु आप उसकी उपेक्षा (नज़र अंदाज़) करके तथा नह्व के नियमों को अपने विचार में इस का विरोधी समझ कर समस्त बुजुर्गों और क्रौम के विद्वानों तथा आदरणीय सहाबा का स्पष्ट अपमान कर रहे हैं। जैसे आप के नहवी नियमों की सहाबा को भी ख़बर

नहीं थी और इब्ने अब्बास जैसा सहाबी जिसके लिए नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ़ से क़ुर्आन की समझ के लिए दुआ भी है वह भी आपके इन विचित्र अर्थों से बेख़बर रहा। आप पर क़िरअत **قبل موتهم** की वास्तविकता भी स्पष्ट हो गई है। अब यदि यह स्वीकार कर भी लें कि इब्ने अब्बास, और अली बिन तल्हा तथा इकरमा इत्यादि सहाबा इन अर्थों को समझने में ग़लती पर थे और क़िरअत उब्बय बिन का'ब भी अर्थात् **قبل موتهم** पूर्ण तौर पर सिद्ध नहीं। तो क्या आप के ठोस तर्क होने के दावे पर आयत **قبل موتهم** पर इसका कुछ भी असर न पड़ा। क्या वह दावा जिसके विरुद्ध आदरणीय सहाबा बुलन्द आवाज़ से गवाही दे रहे हैं और दुनिया की समस्त प्रसिद्ध तफ़्सीरों एकमत होकर इस पर गवाही दे रही हैं अब तक ठोस तर्क है। हे मेरे भाई ख़ुदा से डर।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (बनी इस्राईल-37)

और जब इन रिवायतों के साथ वे रिवायतें भी मिला दें जिन में **انى متوفيك** के अर्थ **ميتتك** लिखे हैं। जैसे इब्ने अब्बास की रिवायत तथा वहब और मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत के इनमें से कोई सामान्य तौर पर मसीह की मृत्यु को मानने वाला है और कोई कहता है कि तीन घंटे तक मर गए थे और कोई सात घंटे तक उनकी मौत को मानता है और कोई तीन दिन तक। जैसा कि फ़त्हुलबयान, मआलिमुतंज़ील इत्यादि तफ़्सीरों से स्पष्ट है तो फिर इस स्थिति में इस भ्रम की और भी जड़ उखड़ती है कि मसीह की मृत्यु से पहले सब अहले किताब ईमान ले आएंगे। निष्कर्ष यह है कि आप का विवेक गवाही दे सकता है कि मैंने जितना लिखा है आप के ठोस तर्क दावे के तोड़ने के लिए पर्याप्त है। क़तइयतु-द्दलालत (ठोस तर्क) उसको कहते हैं जिसमें कोई अन्य संभावना पैदा न हो सके, परन्तु आप जानते हैं कि महान सहाबा और उन के पीछे आने वाले लोगों के गिरोह ने आपके अर्थ स्वीकार नहीं किए और मुफ़स्सिरों ने जगह-जगह आपकी इस तावील को क़ीला (कहा गया है) के शब्द से वर्णन किया है जो

रिवायत की कमजोरी को सिद्ध करता है। तप्सीरों की व्यापक राय यही पाई जाती है कि क़िरअत **قبل موته** के अनुसार अर्थ करने चाहिए और **به** ज़मीर को न केवल हज़रत ईसा की तरफ़ बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और महा प्रतापी अल्लाह की तरफ़ फेरते हैं। अब आप की राय की क़तइयत (ठोस या अन्तिम होना) क्योंकि शेष रह सकती है। ख़ुदा के लिए ख़ुदा के भय को हाथ से न जाने दें, आपके मुंह की तरफ़ सैकड़ों लोग देख रहे हैं। इस युग में समस्त लोग अंधे नहीं। दोनों सदस्यों के बयान प्रकाशित होने के बाद पब्लिक स्वयं फैसला कर लेगी, परन्तु जिन लोगों के दिलों पर आप की राय का असर पड़ेगा उसके ज़िम्मेदार तथा उसकी गिरफ़्त के उत्तरदायी (जवाब देने वाला) आप ठहरेंगे। मैंने जो आप के क़ाइदा के अनुसार नून सक्रीला का नाम 'नया' रखा तो उसका कारण यही है कि यदि आपका यह नियम स्वीकार कर लिया जाए तो नऊज़ुबिल्लाह आप के कथनासुर इब्ने अब्बास जैसे सहाबी को मूर्ख और नासमझ कहना पड़ता है और क़िरअत **قبل موته** को अकारण झूठ गढ़ना कहना पड़ेगा आप के नहवियों को ग़लती से निर्दोष मानना पड़ेगा। आप तो अल्लाह और रसूल के अनुयायी थे सिबूया और ख़लील के कब से अनुयायी हो गए। अब मैं आप के शेष कथनों का 'उसका कथन' और 'मेरा कथन' की शैली पर खण्डन करता हूँ।

उसका कथन-ऐसे अर्थ करना बेकार है कि यह कहा जाए कि अहले किताब में से ऐसा कोई नहीं जो अपनी मौत से पूर्व ईमान नहीं लाएगा क्योंकि ये अर्थ वास्तव में तीनों कालों (ज़मानों) पर फैले हैं।

मेरा कथन- जब कि ये अर्थ इब्ने अब्बास, इक्रमा और अली बिन तल्हा इत्यादि सहाबा तथा उन के बाद आने वाले करते हैं और कुर्आन का उबय्य बिन कअब द्वारा लिखा हुआ नुस्खा इन्हीं अर्थों के अनुसार है तो क्या आप का यह नह्व का नियम उन महान सहाबा को मूर्ख ठहरा सकता है और क्या सैकड़ों तप्सीर लिखने वाले लोग बल्कि हज़ारों अब तक ये अर्थ करते आए वह बिल्कुल मूर्ख और आप के नह्व से अज्ञान थे। जब तक आप इन महान बुजुर्गों का नाम

ठोस तौर पर मूर्ख न ठहरा दें तब तक आप के ये अर्थ जिनमें आप अकेले हैं क़तई (अन्तिम, ठोस) कैसे हो सकते हैं। कोई विस्तृत तफ़्सीर तो प्रस्तुत करो जो इन अर्थों से ख़ाली है या जिसने इन अर्थों को सब से प्रथम रखा। तेरह सौ वर्ष की तफ़्सीरें एकत्र करो और उन पर नज़र डालकर देखो। क्या कोई भी इन अर्थों को अवैध (ना जायज़) ठहराता है बल्कि सब के सब आप ही के अर्थों को हल्का ठहराते हैं।

उसका कथन- قبل موتهم की क्रिरअत पर भी दूसरे अर्थ सही नहीं होते और यह क्रिरअत हमारे अर्थ की विरोधी भी नहीं है क्योंकि इस क्रिरअत पर यह अर्थ होंगे कि प्रत्येक अहले किताब अपने मरने से पहले मसीह पर ईमान लाएगा और ये अर्थ प्रथम अर्थ के साथ जमा हो सकते हैं क्योंकि आगे आने वाले ज़माने से मसीह के नुज़ूल का युग अभिप्राय लिया जाएगा।

मेरा कथन- हज़रत इस क्रिरअत से मसीह इब्ने मरयम का जीवित रहना क्योंकर और कहां सिद्ध हुआ। आप तो قبل मोते की ज़मीर से मसीह का जीवित रहना सिद्ध करते थे और यह कहते थे कि मसीह की मौत से पहले लोग उस पर ईमान ले आएंगे। अब जबकि قبل मोते की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ फेरी गई तो मसीह का जीवित रहना जिसे सिद्ध करना आप का उद्देश्य (दावा) था कहां और किन शब्दों से सिद्ध हुआ। अकेले ईमान लाने के बारे में तो बहस नहीं है कि मसीह इब्ने मरयम जीवित है या नहीं।

उसका कथन- क्रिरअत قبل موتهم में निरन्तरता नहीं।

मेरा कथन- हम ने विश्वसनीय तफ़्सीरों से इस का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। इब्ने अब्बास^{रज़ि.} भी इसी के अनुसार कहते हैं अधिकांश उलेमा इसी को प्राथमिकता देते आए हैं अर्थात् इसी के अनुसार अर्थ करते चले आए हैं। अतः आप के दावे अन्तिम एवं ठोस तर्क का खण्डन करने के लिए इतना ही सबूत पर्याप्त है। और यदि आप सच पर हैं तो तेरह सौ वर्ष की तफ़्सीरों में से कोई ऐसी तफ़्सीर तो प्रस्तुत कीजिए जो इन अर्थों के सही होने को ग़लत ठहराती हो। तफ़्सीर मज़हरी का बयान आप सुन चुके हैं। इल्हामी अर्थ जो मैंने किए हैं

वे वास्तव में इन अर्थों के विपरीत नहीं यद्यपि वे स्वयं में एक अर्थ हैं। चूंकि आयत बहुमुखी है, इसलिए जब तक पूर्णतः विरुद्ध न हो प्रत्येक अर्थ स्वीकार करने योग्य है।

उसका कथन- आयत **فلنولينك** पढ़ने से यह अभिप्राय नहीं कि हम तुझे हाथ पकड़ कर क़िब्ले की तरफ़ फेरते हैं बल्कि अभिप्राय यह है कि हम तुझे क़िब्ले की तरफ़ फेरने का हुक्म देते हैं। शाह वलीउल्लाह तथा शाह रफ़ीउद्दीन साहिब और शाह अब्दुल क़ादिर साहिब ने इस शब्द का अनुवाद भविष्यकाल के अर्थों में किया है परन्तु 'निकट भविष्य' है।

मेरा कथन- आप इस बात को तो मान गए कि यह मुस्तक़बिल नहीं है बल्कि 'निकट' है और ऐसा 'निकट' कि एक तरफ़ हुक्म हुआ और उसके साथ ही अमल भी हो गया। तो मानो आप एक प्रकार से हमारे बयान को मान गए, क्योंकि हमारे नज़दीक वर्तमान किसी ठहरने वाले काल का नाम नहीं और न काल में यह विशेषता है कि वह ठहर सके बल्कि समय मात्र अस्थिर (दूर का ज़माना) का नाम है, फिर वर्तमान अपने वास्तविक अर्थों की दृष्टि से क्योंकर पाए जाएं क्योंकि जब समय अस्थिर है तो भूतकाल के बाद हर समय भविष्यकाल ही भविष्यकाल है परन्तु जब (वर्तमान काल) बोला जाता है तो उसके अर्थ कदापि वास्तविक नहीं लिए जाते, क्योंकि वास्तविक अर्थों का अभिप्राय लेना असंभव है उस समय तक कि हम वर्तमान का शब्द ज़बान पर जारी करें। समय (काल) के कई बारीक पल तुरन्त गुज़र जाते हैं फिर वर्तमान का अस्तित्व कहां और क्योंकर पाया जाता है बल्कि वर्तमान से अभिप्राय लाक्षणिक तौर पर वह समय लिया जाता है जो हमारी नज़र के सामने है जिसे समय की किसी दूसरे काल में कल्पना नहीं की गई। इस प्रकार से तो हमारा और आपका विवाद शाब्दिक ही निकला तथा जिस काल का नाम हम वर्तमान रखते हैं उसी का नाम आपने 'निकट भविष्य' रख लिया और इस एकमत हो जाने से हमारा उद्देश्य सिद्ध हो गया। हां यदि आपके नज़दीक कोई काल वास्तविक अर्थों की दृष्टि से भी वर्तमान है तो पहले मेहरबानी करके काल की परिभाषा कीजिए। मैं तो शुरू से

यह सुनता चला आया हूँ कि काल की परिभाषा यही है कि समय अस्थिर मात्र है **الوقت مقدار غير قار** अर्थात् काल उसी समय का नाम है जिसको लेशमात्र स्थिरता नहीं। अब जबकि समय को स्थिरता नहीं तो वास्तविक तौर पर वर्तमान क्योंकर पैदा हुआ। आप सोचकर उत्तर दें। और शाह वलीउल्लाह इत्यादि लोगों का अनुवाद जो आप ने प्रस्तुत किया है यह हमारे लिए कुछ हानिप्रद नहीं जब आप स्वयं 'निकट भविष्य' को मान गए। इसी प्रकार वे भी मानते हैं और आयत- **وانظر الى الهك** (ताहा-98) में वही हमारी तरफ़ से उत्तर है जो इस में उत्तर है।

उसका कथन-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(अलअन्कबूत-70)

निरन्तरता के अर्थों की ओर संकेत नहीं करती क्योंकि यहां आदत की निरन्तरता का वर्णन करना अभीष्ट नहीं, यह तो केवल वादा है और वादा की हुई बात वादे के बाद पाई जाती है।

मेरा कथन- यह तो हमने स्वीकार किया कि वादा है बल्कि यह कहां से सिद्ध है कि यह वादा आने वाले लोगों के लिए ही विशेष है और इस नेमत से वे लोग वंचित हैं जो पहले गुज़र चुके हैं या वर्तमान में कठोर परिश्रम में लगे हुए हैं। हज़रत यह वादा भी **استمراري** (निरन्तरता) है जो तीनों कालों पर आधारित है। इस में आप हठ न करें और खुदा तआला के बन्दों को उसके इस प्रकृति के नियम से कि (खुदा के मार्ग में) कठोर परिश्रम करने से अवश्य हिदायत मिलती है वंचित होने की कल्पना न कीजिए अन्यथा आप के अर्थों के अनुसार प्रत्येक काल जिसे वर्तमान का नाम दिया जाएगा इस नेमत से पूर्णतया वंचित ठहराना पड़ेगा। उदाहरणतया तनिक विचार करके देखिए कि इस आयत को उतरे हुए तेरह सौ वर्ष गुज़र गए हैं और निस्सन्देह इस आयत के विषय के अनुसार प्रत्येक जो इस अवधि (अर्से) में (खुदा के मार्ग में) कठोर परिश्रम करता रहा है वह वादा **لنهدينهم** (हम उन्हें अवश्य हिदायत देंगे) से बांटा हुआ भाग लेता

रहा है और अब भी लेता है और भविष्य में भी लेगा। फिर आप इस आयत के निरन्तरता के अर्थों से जो तीनों कालों पर अपना असर डालती चली आई है क्योंकि इन्कारी होते, मेरा यही बयान मेरी शेष प्रस्तुत की हुई आयतों के बारे में है अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, पब्लिक स्वयं फैसला कर लेगी। याद रखना चाहिए ये अनुवाद कोई **توقیفی**★ नहीं हैं आपके नून सक्रीला वह फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जिसकी आप को इच्छा है।

उसका कथन- हज़रत ईसा के नुज़ूल (उतरने) के बाद और उनकी मृत्यु से पहले एक युग ऐसा अवश्य होगा कि उस समय अहले किताब सब मुसलमान हो जाएंगे।

मेरा कथन- हज़रत आप क्यों छोटी-छोटी बातों में दिखावा कर रहे हैं आप के इन दिखावों को कौन स्वीकार करेगा। पवित्र कुर्आन इस बात का गवाह है कि कुफ़्र का सिलसिला निरन्तर क्रयामत के दिन तक क्रायम रहेगा और यह कभी नहीं होगा कि सब लोग एक ही धर्म पर हो जाएं और कुफ़्र तथा ईमान, बिदअत और तौहीद (एकेश्वरवाद) के बीच से मतभेद दूर हो जाए। अतः इस मतभेद के अस्तित्व का होना अल्लाह तआला पवित्र कुर्आन में मनुष्यों की प्रकृति के लिए आवश्यक ठहराता है और कुफ़्र का बीज क्रयामत तक क्रायम रहने के लिए ये आयतें स्पष्ट तर्क हैं जो पहले पर्चे में लिख चुका हूँ अर्थात्

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(आले इमरान-56)

فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(अल् माइदह-15)

अब देखिए कि इन आयतों से ही आप का क्रतइयतु दलालत (अन्तिम तर्क) होने का दावा आयत **لِيُؤْمِنُوا بِهِ** का कितना ग़लत सिद्ध होता है। हर तरफ़ से कुर्आनी आयतों तथा सही हदीसों का आप पर प्रहार है फिर भी आप इस

★ यहाँ कुछ इबारत नक़ल के समय छूट गई है प्रथम संस्करण के अनुसार जो अब्दुल करीम साहिब ने प्रकाशित किया।

विचार को नहीं छोड़ते। आपने जब देखा कि मसीह के दम (सांस) से बहुत से लोग कुफ़्र पर मरेंगे तो आप पहले दावे से खिसक गए परन्तु उपरोक्त कथित आयतों से आप किसी प्रकार से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपने इस बारे में जो उत्तर दिया है न्यायवान लोग स्वयं देख लेंगे दोहराने की आवश्यकता नहीं।

उसका कथन- आप पर अनिवार्य है कि आप सिद्ध करें कि हलीम के शब्द से मज़बूत जवान क्योंकि समझा जाता है?

मेरा कथन- हज़रत! हलीम वह है जो يبلغ الحلم का चरितार्थ हो और जो हिल्म के समय तक पहुंचे वह जवान मज़बूत ही होता है। क्योंकि छोटी आयु के कच्चे अंग कठोरता और सख्ती में बदल जाते हैं। क्रामूस भी देखें और कश्शाफ़ इत्यादि भी और वयस्क बुद्धिमान के लिए भी यही शब्द आया है।

उसका कथन- ائى متوفىك में मौत अभिप्राय होना अमान्य है।

मेरा कथन- अमान्य है तो मेरे विज्ञापन हज़ार रुपए का उत्तर दीजिए जो इज़ाला औहाम के अन्त में है क्योंकि उस विज्ञापन में ग़ैर मुसल्लम (अमान्य) सिद्ध करने वाले के लिए हज़ार रुपए इनाम का वादा है।

उसका कथन- ईसा इब्ने मरयम के नुज़ूल से आप को इन्कार है।

मेरा कथन- जब कि ईसा इब्ने मरयम का जीवित रहना सिद्ध नहीं होता और मृत्यु सिद्ध हो रही है तो ईसा के वास्तविक अर्थ क्योंकि अभिप्राय हो सकते हैं-

واطلاق اسم الشيعى على ما يشابهه فى اكثر خواصه وصفاته جائز حسن

(तप्सीर कबीर पृष्ठ 689)

जब आप मसीह का जीवित रहना सिद्ध कर दिखाएंगे तो फिर उनका नुज़ूल भी माना जाएगा अन्यथा बुखारी में वे हदीसों भी हैं जिन में इब्ने मरयम की चर्चा करके उससे अभिप्राय उसका कोई मसील (समरूप) लिया गया है।

उसका कथन- आप बुखारी की वह मफ़ूरअ मुत्तसिल हदीस वर्णन कीजिए जिस से मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु सिद्ध होती है।

मेरा कथन- मैं तो वह हदीस इज़ाला औहाम में लिख चुका और अन्तिम

पर्चे में मृत्यु के सबूत के समय वह हदीस भी लिखूंगा अभी तो देख रहा हूं कि आप मसीह के जीवित रहने के बारे में कौन सी ठोस एवं अन्तिम आयत प्रस्तुत करते हैं। खेद कि अब तक आप कुछ प्रस्तुत न कर सके।

मिर्ज़ा गुलाम अहमद

पर्चा नम्बर 3

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हामिदन मुसल्लियन मुस्लिमन

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (आलेइमरान-9)

उसका कथन- मैं कहता हूं कि इस बात को थोड़ी योग्यता वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि किसी विवादित बात का सबूत देना उस सदस्य पर हुआ करता है कि एक बात का किसी प्रकार से एक स्थान में इक्रार करके फिर किसी रंग तथा दूसरे स्थान में उसी स्वीकार की हुई बात का इन्कार कर देता है।

मेरा कथन- यहां कुछ कारणों से आपत्ति है-प्रथम- यह कि आप मसीह होने के दावे से पूर्व बराहीन अहमदिया में मसीह के जीवित रहने का इक्रार कर चुके हैं और अब आप उसका इन्कार करते हैं तो अपनी परिभाषा के अनुसार आप मुद्दई ठहरे। द्वितीय विनीत आप से प्रश्न करता है ईमान की दृष्टि से उसका उत्तर दीजिए। वह यह है कि आप का यह विचार कि मसीह अलैहिस्सलाम मृत्यु पा चुके जो आप के उस इल्हाम के बाद पैदा हुआ है कि मसीह मृत्यु पा चुके या यदि इस से पूर्व पैदा हुआ है तो जैसे यह कहना हुआ कि इल्हाम से पूर्व मेरा इस विचार से संबंध न था और मेरा यह दावा नया है जो इल्हाम के समय पैदा हुआ। अतः इस कारण आप मुद्दई हुए और सबूत देना आप का दायित्व हुआ कि आप इस इक्रार के पश्चात् कि इल्हाम से पूर्व

मेरा इस विचार से कुछ संबंध न था। फिर विरोधी अपने उस पहले बयान के यह दावा करते हैं कि इल्हाम के समय से मेरा यह विचार है कि मसीह मृत्यु पा चुके। अतः इसी कारण आप से सबूत मांगा जाता है कि आप अपने पहले बयान के विपरीत दूसरा बयान देते हैं तथा इस दावे में एक नवीनता है जिसे आप स्वयं मानते हैं और यदि पहले से यह विचार था तो इस विचार का विश्वास प्रकृति के नियम अर्थात् अल्लाह की सुन्नत तथा पवित्र कुर्आन की आयतों से आप को प्राप्त हो गया था या नहीं। प्रथम विचार के अनुसार आपने कथित इल्हाम से पूर्व बराहीन अहमदिया इत्यादि में इसे क्यों प्रकट नहीं किया और अपने पुराने असत्य विचार पर विश्वास के खंडित होने के बावजूद क्यों अड़े रहे। दूसरे- इल्हाम के पश्चात् इस विचार का विश्वास आप को प्राप्त हुआ या नहीं। यदि नहीं हुआ तो केवल एक काल्पनिक या सन्देहास्पद या भ्रमात्मक बात पर अड़े रहना ईमानदारी के विरुद्ध है और यदि इल्हाम के पश्चात् आपको उस काल्पनिक मृत्यु का विश्वास प्राप्त हुआ तो स्पष्ट है कि उस समय विश्वास का लाभप्रद आपका इल्हाम हुआ न कि अल्लाह की सुन्नत तथा पवित्र कुर्आन की आयतों। आप का मुल्हम होना अभी तक पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ। इसके अनुसार आप पर अनिवार्य है कि पहले अपना मुल्हम होना सिद्ध कीजिए। फिर हर इल्हाम का हुज्जत होना मुल्हम तथा ग़ैर मुल्हम पर सिद्ध कीजिए। इन दोनों बातों के सिद्ध होने के पश्चात् व मसीह की मृत्यु का दावा और अपने मसीह मौऊद होने का दावा प्रस्तुत कीजिए इसके बिना कि आपका मसीह की मृत्यु तथा मसीह मौऊद होने का दावा बुद्धिमानों के निकट विचार करने योग्य कदापि नहीं। **तृतीय-** इस स्थान पर कुर्आन के स्पष्ट आदेश ठोस तौर पर मसीह की मृत्यु को सिद्ध करते हैं या नहीं। दूसरी बात के अनुसार आप का उन को स्पष्ट, व्यापक तथा ठोस कहना असत्य है और पहली बात के अनुसार अनिवार्य ठहरता है कि आप के नज़दीक वे समस्त सहाबा¹ और ताबिईन² तथा तबअ ताबिईन³ और समस्त मुसलमान जो हमारे

1. सहाबा- वे मुसलमान जिन्होंने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो।

आज के दिन तक मसीह के जीवित रहने को मानते हैं 'अल्लाह तआला हमें इस से बचाए' काफ़िर हों और आप स्वयं भी जिस समय में मसीह के जीवित रहने की आस्था रखते थे काफ़िर हों। क्योंकि कुर्आन के स्पष्ट, व्यापक एवं ठोस आदेशों का इन्कार करने वाला काफ़िर होता है। **चतुर्थ-** आप ने मुद्दई की जो परिभाषा वर्णन की है यह मात्र अपनी राय से वर्णन की है या इस के लिए कोई तर्क ख़ुदा की किताब तथा रसूलुल्लाह (स.) की सुन्नत से है? यह न सही कोई कथन किसी सहाबी या ताबिई या किसी मुजतहिद⁴ या किसी मुहद्दीस⁵ या किसी फ़क़ीह⁶ का इस के सबूत में प्रस्तुत कीजिए। **पंचम-** यह परिभाषा मुद्दई के विपरीत है जिसको मुबाहसा के विद्वानों ने लिखा है। रशीदिया में है-

والمدعى من نصب نفسه لا ثبات الحكم اى تصدى لان يثبت الحكم
الجزى الذى تكلم به من حيث انه اثبات بالدليل او التنبيه

मौलाना इसामुल मिल्लत वद्दीन ने शरह अजुदिया में लिखा है:

और ये दोनों परिभाषाएं आप पर चरितार्थ होती हैं तथा आप की परिभाषा इन दोनों परिभाषाओं के विपरीत है।

उसका कथन- ज्ञात होता है कि चूंकि मौलवी साहिब ने यह दावा तो कर दिया कि हम मसीह इब्ने मरयम के शारिरिक तौर पर जीवित रहने के ठोस तर्क प्रस्तुत करेंगे। परन्तु बहस के समय इस दावे से निराश हो गए। इसलिए अब इस ओर रुख करना चाहते हैं कि वास्तव में मसीह इब्ने मरयम का शारिरिक तौर पर जीवित होना सिद्ध करने का दायित्व हमारा नहीं।

मेरा कथन- यह आप की कुधारणा है और हर मुस्लिम को आदेश है अपने भाई के साथ सुधारणा रखने के लिए। फिर कहां यह कि आप जैसा व्यक्ति जो

2. ताबिईन- वह मुसलमान जिसने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को देखा हो।

3. तबअ ताबिईन- वह मुसलमान जिसने किसी ताबिई को देखा हो। (अनुवादक)

4. मुजतहिद-किताब और सुन्नत से धार्मिक समस्याओं एवं मामलों का हल निकालने वाला।

5. मुहद्दीस-हदीस का विद्वान।

6. फ़क़ीह-फ़िक्कः का जानने वाला (इस्लामी कानूनों का विद्वान) (अनुवादक)

इल्हाम, मुजद्दि, और मसीह होने का दावेदार है आप को तो सबसे पहले सुधारणा रखनी चाहिए। मैंने केवल एक वास्तविक बात को प्रकट कर दिया अन्यथा मैं तो मसीह के जीवित रहने पर सबूत देना अपने दायित्व में ले चुका हूँ और इस का सबूत एक मान्य नह्वी (व्याकरणीय) नियम के अधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया किन्तु खेद कि आपने इस मान्य नियम के इन्कार में कुछ शर्म से काम नहीं लिया। अब मैं इस नियम को छोड़ते हुए कहता हूँ कि मसीह के जीवित रहने का मेरा दावा आप के इक्रार से बिल्कुल सिद्ध है। इसका वर्णन यह है कि आपने तौज़ीहे मराम और इज़ाला औहाम में इस बात को स्वीकार किया है कि **موتة** (मौतिहि) की ज़मीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ जाती है। अतः आपको चाहिए कि सर्वमान्य नह्वी नियम को स्वीकार करें या न करें मेरा दावा हर प्रकार से सिद्ध है। क्योंकि या तो आप **ليومنن** (लियोमिनन्ना) को भविष्यकाल के अर्थों में लीजिएगा या वर्तमान के अर्थों में या निरन्तरता या भूतकाल के अर्थों में। प्रथम भाग में तो मेरे वांछित उद्देश्य का प्राप्त होना वर्णन का मुहताज नहीं है। दूसरा भाग पहले तो खुला-खुला झूठ है, यों मेरा उद्देश्य इस से भी प्राप्त है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर मालूम होता है कि आयत के उतरने के समय में सब अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मृत्यु से पूर्व ईमान लाते थे। अतः मालूम हुआ कि आयत के उतरने के समय तक जीवित थे और रफ़ा निश्चित तौर पर इस से पहले हुआ तो मालूम हुआ कि जीवित उठाए गए और यही हमारा उद्देश्य था। तीसरा भाग पहले तो व्यापक तौर पर असत्य है इसके अलावा इस उद्देश्य के पक्ष के सबूत पर प्रथम पक्ष से भी अधिक प्रकट है क्योंकि इस कथित बात पर ये अर्थ होंगे कि सब अहले किताब भूत, वर्तमान तथा भविष्यकाल में हज़रत ईसा पर उनकी मृत्यु से पूर्व ईमान लाते हैं। अतः इस से स्पष्ट तौर पर प्रकट है कि भूतकाल और वर्तमान काल में जीवित थे और भविष्यकाल में भी एक समय तक जीवित रहेंगे। रफ़ा के समय जीवित थे, चौथा असत्य है इसलिए कि ऐसा 'मुज़ारिअ' कि उसके आरंभ में "लाम ताकीद" और अन्त में "नून ताकीद" हो भूतकाल के अर्थों में कहीं नहीं आया। आप नह्व के नियमों को मानते ही नहीं हैं।

ऐसे 'मुज़ारिअ' का भूतकाल के अर्थों में आना कुर्आन या सही हदीस से सिद्ध कीजिए, अन्यथा व्यर्थ काम है, अफ़सोस कि आप को जब मान्य नहवी नियमों के अनुसार इल्ज़ाम दिया जाता है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते और यदि आप की स्वीकार की गई बातों से आपको इल्ज़ाम दिया जाता है तो भी आप स्वीकार नहीं करते। यह बात प्रथम तर्क है इस बात पर कि आपको सच्चाई का सिद्ध करना तथा उचित को अभिव्यक्त करना अभीष्ट नहीं है।

उसका कथन- इसके बाद आपने कुर्आन तथा हदीस के स्पष्ट और व्यापक आदेशों से निराश होकर दोबारा आयत **ليومنون** (लियोमिनन्ना) के 'नून सक्रीला' पर बल दिया है।

मेरा कथन- **ان من اهل الكتاب** स्पष्ट और व्यापक है और नून सक्रीला का भविष्यकाल के अर्थों में कर देना इसके ठोस तर्क होने में बाधक नहीं है।

उसका कथन- सहाबा और ताबिईन में से अधिकतर मुफ़स्सिरो (व्याख्याकारों) से पृथक होकर केवल अपने ग़लत विचार से इस बात पर बल दिया है कि आयत 'नून सक्रीला' के कारण शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए हो गई है।

मेरा कथन- यह कथन पूर्णतः ग़लत है। सहाबा तथा ताबिईन के अधिकतर मुफ़स्सिरो ने इस आयत को वर्तमान या निरंतरता के अर्थों में कदापि नहीं लिया है। यदि सच्चे हो तो सिद्ध करो। शेष रही यह बात कि कुछ मुफ़स्सिरो ने ज़मीर (सर्वनाम) अहले किताब की तरफ़ लौटाई है। इससे वर्तमान या निरंतरता के अर्थ लेना किसी प्रकार अनिवार्य नहीं ठहरता। आप के अतिरिक्त कोई विद्वान ऐसी बात मुंह से नहीं निकाल सकता। इसके अतिरिक्त इस अनुमान पर भी भविष्यकाल हो सकता है जैसा कि आप पहले लेख में स्वीकार कर चुके हैं।

उसका कथन- इन अर्थों पर बल देने के समय आप ने इस शर्त का कुछ ध्यान नहीं रखा जो पहले हम दोनों के बीच तय हो चुकी थी कि अल्लाह और रसूल के कथनों से बाहर नहीं जाएंगे।

मेरा कथन- एक मान्य नहवी (व्याकरणीय) नियम को खुदा के कथन में

जारी करना खुदा के कथन से किसी के नज़दीक बाहर होना नहीं है यह केवल आप का विवेचन है जिसका आप कोई सबूत नहीं दे सकते बल्कि यह बाहर जाना आप के कथनानुसार आप पर अनिवार्य हो गया, क्योंकि आप ने स्वयं इज़ाला औहाम के पृष्ठ-602 में ऐसा किया है। आप की इबारत यह है। वे नहीं सोचते कि आयत **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** से पहले यह आयत है-

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ - الخ

(अलमाइदा-117)

स्पष्ट है कि **قال** (काला) की विभक्ति भूतकाल की है और इस से पहले **إِذ** (इज़) मौजूद है जो विशेष तौर पर भूतकाल के लिए आता है

أَتَا مُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(अलबकरह-45)

उसका कथन- और न उन बुजुर्गों के मान-सम्मान का कुछ ध्यान रखा जो उसके मातृ-भाषी हैं तथा सर्फ़-व-नहव (अरबी व्याकरण) को आप से अधिक उत्तम जानने वाले थे।

मेरा कथन- आप ऐसी बातें करने से लोगों को धोखे में डालना चाहते हैं। भला साहिब इस नियम के जारी करने से उन बुजुर्गों के मान सम्मान में 'खुदा की पनाह' किस प्रकार कमी आ सकती है। उनके कलाम में वर्तमान काल या निरन्तरता की व्याख्या कहां है यह तो केवल आप का विवेचन (इज्तिहाद) है आप अपने साथ उन बुजुर्गों को अकारण भागीदार बनाते हैं।

उसका कथन- हमारे ऊपर अल्लाह और रसूल ने यह फ़र्ज़ (अनिवार्य) नहीं किया कि हम मनुष्यों के सर्फ़-व-नहव के स्वयं निर्मित नियमों को अपने लिए ऐसा पथ-प्रदर्शक बनाएं कि इसके बावजूद इस पर पर्याप्त एवं पूर्णरूप से किसी आयत के अर्थ खुल जाएं तथा उस पर महान मातृभाषी मोमिनों की गवाही भी मिल जाए तब भी हम उस सर्फ़-व-नहव के नियम को न छोड़ें।

मेरा कथन- आप की यह बात भी पूर्ण धोखा देने पर आधारित है। पर्याप्त

एवं पूर्ण रूप से आयत के अर्थों का खुल जाना और उस पर महान मातृभाषी मोमिनों की गवाही का मिलना सर्वसम्मत नहीं है **ووجهه مرانفاً فتذكر** तथा यह बात बहुत कमजोर है विचार कर ले इसके अतिरिक्त आप ने जो आयत के अर्थ न खुलने तथा मातृभाषी महान मोमिनों की गवाही के न होने के बावजूद एक मान्य नह्वी नियम का मात्र अपनी बात बनाने के उद्देश्य से इन्कार किया है इस से यह बड़ी संभावना पैदा होती है कि जब आपको भाषा-कोश, सर्फ़-व-नह्व, फ़िक्र: तथा हदीस के सिद्धान्तों से जो कि किताब और सुन्नत के सेवक हैं, इल्जाम दिया जाएगा तो आप तुरन्त उस नियम का इन्कार कर देंगे, और यह बात आप के ज्ञान और ईमानदारी के विरुद्ध है क्योंकि विद्वानों को इन ज्ञानों से अलावा चारा नहीं है और हमें कुर्आन और हदीस के अर्थ भाषा और अरब के मुहावरे के अनुसार समझना आवश्यक है, अन्यथा किसी मामले पर तर्क नहीं हो सकता है और यह बात भी हमारे समय में असंभव है कि स्वयं अरब में जाकर हर शब्दकोश, मुहावरे तथा सर्फ़-व-नह्व के नियमों और अर्थों इत्यादि की पड़ताल की जाए। अतः यदि आप को किसी मुसलमान से मुबाहसा करना स्वीकार हो तो पहले इन दो कामों से एक काम कीजिए और यदि आप एक भी स्वीकार न करेंगे तो यह बात आप के पलायन पर चरितार्थ होगी (आपका बहस से भाग जाना समझा जाएगा, अनुवादक)। या तो शब्दकोश, सर्फ़-व-नह्व, अर्थों का ज्ञान, फ़िक्र: के नियमों तथा हदीस के नियमों की सर्वसम्मत बातों को स्वीकार करने का इक्रार कीजिए या समस्त मुसलमानों से क्रियात्मक तौर पर मुबाहसा स्थगित करके कथित विद्याओं पर एक अलग से पुस्तक लिखिए तथा जो कुछ पूर्व विद्याओं में संशोधन करना हो वह कर लीजिए। तत्पश्चात् मुबाहसा कीजिए ताकि आपकी स्वीकार की गई बातों से आप को दोषी ठहराया जाए अन्यथा इस तरीके के अनुसार जो आपने अपना रखा है कोई बुद्धिमान किसी बुद्धिमान को दोषी नहीं ठहरा सकता।

उसका कथन- आप जानते हैं कि आयत : **إِنْ هَذَا مِنْ لَسِحْرَانِ** (ताहा:64)

(अनुवाद- उन्होंने कहा कि निस्संदेह यह दोनों तो केवल जादूगर हैं) पवित्र क़ुर्आन में आयत मौजूद है।

मेरा कथन- इसका उत्तर सामान्य तफ़्सीरों में मौजूद है। इस स्थान पर 'बैज़ावी' की इबारत नक़ल की जाती है-

وهذا ان اسم انّ على لغة بالحارث بن كعب فاتهم جعلوا الالف للتثنيه
واعربو المثنى تقديراً وقيل اسمها ضمير الشان المحذوف وهذان
لساخران خبرها وقيل ان بمعنى نعم وما بعدها مبتداء وخبر فيهما ان
اللام لا يدخل خبر المبتداء وقيل اصله انه هذان لهما ساخران فحذف
الضمير وفيه ان الموكد باللام لا يليق به الحذف

उसका कथन- जिसमें बजाए ان هذان के ان هذين लिखा हो।

मेरा कथन- यह बहुत बड़ी ग़लती है। सही यह है कि जिसमें बजाए ان हذان के ان هذين लिखा हो।

उसका कथन- आप को याद है कि मेरा यह मत नहीं है कि सर्फ़-व-नह्व के मौजूदा नियम ग़लती से पवित्र हैं या इन कारणों से बिल्कुल पूर्ण हैं।

मेरा कथन- यह बातें विवादित नियमों के बारे में कही जाएं तो मान्य हैं परन्तु सर्वसम्मत नियमों के बारे में ऐसा कहना जैसे नास्तिकता का दरवाज़ा खोलना तथा समस्त शरीअत के समस्त आदेशों का खण्डन करना है, क्योंकि जब नियम ग़लत ठहरे। हमारे समय में स्वयं अरब में जाकर भाषा तथा सर्फ़-व-नह्व की जांच पड़ताल करना असंभव है। अतः नियमों की पाबन्दी शेष न रहेगी। हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार क़ुर्आन तथा हदीस के अर्थ करेगा। आपको चाहिए कि सर्वसम्मत नियमों को स्वीकार करने का विज्ञापन शीघ्र दे दीजिए, ताकि उन्हीं नियमों के आधार पर आप से बहस की जाए।

उसका कथन- पवित्र क़ुर्आन उनकी ग़लती प्रकट करता है और बड़े सहाबा इस पर गवाही दे रहे हैं।

मेरा कथन- (अन्नूर-17) سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

उसका कथन- इस ग़लत धारणा कू नुहूसत से आप को समस्त बड़े सहाबा के बारे में कुधारणा करनी पड़ी।

मेरा कथन- आप उन महान (बड़े) सहाबा का मतलब नहीं समझते हैं। विचार करें।

उसका कथन- अभी मैं इन्शाअल्लाह यह आप पर सिद्ध कर दूंगा कि आयत **لِيَوْمِنَّ بِهِ** आपके अर्थों पर इस प्रकार से ठोस तर्क हो सकती है जब इन सब बुजुर्गों के बिलकुल मूर्ख होने पर फ़त्वा लिखा जाए और 'नऊजुबिल्लाह' मासूम नबी को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए।

मेरा कथन- तौज़ीह मराम से मालूम होता है कि आयत

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ - الخ

(अन्निसा-160)

स्पष्ट तौर पर मसीह की मृत्यु को सिद्ध करती है पृष्ठ-8 में लिखा है और पवित्र कुर्आन में यद्यपि हज़रत मसीह के स्वर्ग में प्रवेश करने का स्पष्ट तौर पर कहीं वर्णन नहीं परन्तु उनके मृत्यु पा जाने का तीन स्थानों पर वर्णन है। हाशिए में आपने वे तीन आयतें लिखी हैं। उनमें से आयत **اهل الكتاب** भी है। इज़ाला औहाम के पृष्ठ 385 में है। अतः पवित्र कुर्आन में तीन स्थानों में मसीह का मृत्यु पा जाना वर्णन किया गया है। इज़ाला औहाम के पृष्ठ 603 में है। चौथी आयत जो मसीह की मृत्यु को सिद्ध करती है वह आयत यह है कि-

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ - الخ

जानना चाहिए कि आप का यह लिखा थोड़े से परिवर्तन के साथ आप पर स्पष्ट हो जाता है। वर्णन इसका यह है- कि आयत **لِيَوْمِنَّ** मसीह की मृत्यु पर उस समय स्पष्ट तर्क हो सकती है जब उन सब बुजुर्गों की मूर्खता पर फ़त्वा लिखा जाए नऊजुबिल्लाह मासूम नबी को भी उनमें सम्मिलित किया जाए अन्यथा आप कभी, किसी भी प्रकार से तर्क का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

उसका कथन- अब मैं आप पर स्पष्ट करता हूँ कि क्या विद्वान मुफ़स्सिरों

(भाष्यकारों) ने इस आयत को हज़रत ईसा के उतरने के लिए ठोस तर्क ठहराया है या कुछ और भी अर्थ लिखे हैं।

मेरा कथन- ये कटाक्ष थोड़े से परिवर्तन के साथ आप पर भी होते हैं बल्कि जो आप ने कटाक्ष किया है उस से बढ़ कर है। अर्थात् आप ने कहा है कि आयत **وان من اهل الكتّاب** मसीह की मृत्यु को सिद्ध करती है और आप की कुछ इबारतों से यह अर्थ निकलता है कि यह तर्क स्पष्ट है। अतः क्या महान मुफ़स्सिरों ने इस आयत को हज़रत ईसा की मृत्यु पर तर्क ठहराया है। एक ने भी नहीं।

उसका कथन- कश्शाफ़ पृष्ठ-199 में **ليؤمننّ به** की आयत के नीचे यह तफ़्सीर है। आह

मेरा कथन- इस इबारत से केवल इतना सिद्ध होता है कि मुफ़स्सिरों ने ठोस तर्क होने की व्याख्या नहीं की, उसके अर्थ लिखे हैं परन्तु मुफ़स्सिरों का ठोस तर्क होने की व्याख्या न करना ठोस होने का खण्डन नहीं करता है। आप के नज़दीक **انى متوفيك** और **لها توفيتنى** हज़रत मसीह की मृत्यु पर ठोस तर्क है। हालांकि मुफ़स्सिरों ने इस आयत को हज़रत ईसा की मृत्यु के लिए ठोस तर्क नहीं ठहराया है, कुछ और ही अर्थ लिखे हैं।

उसका कथन- फिर नोवी में यह इबारत लिखी है।

मेरा कथन- नोवी की इबारत से केवल इतना सिद्ध होता है कि अधिकांश मुफ़स्सिरों ने **موته** की ज़मीर अहले किताब की ओर लौटाई है। इस से आप के नज़दीक भी ठोस तर्क में अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि आप के नज़दीक आयत **انى متوفيك** और आयत **فلما توفيتنى** मसीह की मृत्यु पर ठोस तर्क है। हालांकि तफ़्सीर इब्ने कसीर में लिखा है **وقال الاكثرون المراد بالوفاة انتهى التوم** और इसी प्रकार आप के नज़दीक आयत **وان من اهل الكتاب** स्पष्ट तर्क है मसीह अलैहिस्सलाम की मृत्यु पर। हालांकि मसीह की मृत्यु की इसमें गंध भी नहीं है और न उस कथन के अनुसार जिसको नोवी ने अक्सरीन (बहुतों) का कथन

बताया है और न दूसरे कथन के अनुसार जो उसके मुकाबले पर है। इसके पश्चात् आपने मदारिक, बैज़ावी तथा तफ़्सीर मज़हरी की इबारत नक़ल की है और हर एक का अनुवाद करके पृष्ठों को बढ़ा दिया है। हालांकि उन से अन्य किसी नई बात का लाभ नहीं हुआ है सिवाए इसके कि **موتہ** की ज़मीर में मतभेद है तथा ऊपर सिद्ध हुआ कि केवल मतभेद स्पष्ट एवं ठोस तर्क होने के अर्थों के विपरीत नहीं है अन्यथा चाहिए कि आप से मृत्यु के तर्क आयत **انى متوفيك** और आयत **وان من اهل الكتاب** और **فلما توفيتنى** और यह आप की बातों के विरुद्ध हैं और तफ़्सीर मज़हरी वाले का यह कथन-
وكيف يصح هذا التاويل مان كلمة ان من اهل الكتّب شامل للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - البته سواء كان هذا الحكم خاصًا بهم اولا فان حقيقة الكلام للحال ولا وجه لان يراد به فريق من اهل الكتاب يوجدون حين نزول عيسى عليه السلام

संदिग्ध है तथा सामान्य तफ़्सीरों का विरोधी है क्योंकि कलाम का वर्तमान काल के लिए वास्तविक होना उस अनुमान पर है कि कोई प्रयोग करने वाला न पाया जाए और यहां "नून ताकीद" प्रयोग करने वाला मौजूद है और इस बात का यही कारण है कि अहले किताब से अभिप्राय एक विशेष सदस्य अभिप्राय लिया जाए। अतः तफ़्सीर मज़हरी के लेखक का यह कथन **لا وجه** कोई कारण नहीं रखता तथा तफ़्सीर मज़हरी में जो यह है :

اخرج ابن المنذر عن ابي هاشم وعروة قال في مصحف ابي بن كعب وان من اهل الكتاب الا ليؤمننّ به قبل موتهم
 संदिग्ध है क्योंकि तफ़्सीर मज़हरी में इस क्रिरअत की पूरी सनद का उल्लेख नहीं। इब्ने कसीर ने इस क्रिरअत को इस प्रकार से रिवायत किया है:

حدثني اسحاق بن ابراهيم ابن حبيب الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس وان من اهل الكتاب الا ليؤمننّ به قبل موتہ قال هی في قرأت ابي قبل موتهم.

इसमें दो रिवायत करने वाले मज़ूह हैं। प्रथम- खसीफ़, द्वितीय उताब इब्ने बशीर। खसीफ़ के अनुवाद में भूमिका में लिखा है-

صديق سيّء الحفظ خلط بأخره رمى بالارجاء-

और मीज़ान में है:

ضعفه احمد وقال ابو حاتم تكلم في سوء حفظه وقال احمد ايضا تكلم في
الارجاء وقال عثمان بن عبد الرحمن رأيت على خصيف ثيابا سودا كان
على بيت المال انتهى ملخصًا-

उताब के अनुवाद में मीज़ान में लिखा है-

قال احمد أتى عن خصيف بمننا كير اراها من قبل خصيف قال النسائي ليس
بذاك في الحديث وقال ابن المديني كان اصحابنا يضعفونه وقال على ضربنا
على حديثه انتهى ملخصًا

उसका कथन-और निस्सन्देह न होने के बराबर क्रिरअत सही हदीस का हुक्म रखती है।

मेरा कथन- सामान्यतया यह बात ग़लत है। हां शाज़ (न होने के बराबर) जो सही मुत्तसिल सनद के साथ हो और अन्य गुप्त और समझ से बाहर बातों तथा तर्क-वितर्क के दोषों से खाली हो तो सहीह हदीस का हुक्म रखती है। तथा अभी स्पष्ट हुआ कि इसकी सनद में दो लोग मज़ूह (सन्देहास्पद) हैं।

उसका कथन- अब यदि कल्पना के तौर पर मान लें कि यदि इब्ने अब्बास, अली बिन तल्हा और इकरमा इत्यादि सहाबा^{रजि.} इन अर्थों के समझने में ग़लती पर थे और उबय्य बिन काब की क्रिरअत भी अर्थात् *قبل موتهم* पूर्ण तौर पर सिद्ध नहीं तो क्या आप की आयत *به ليومنون* को ठोस तर्क होने के दावे का इस पर कुछ भी प्रभाव पड़ा। क्या वह दावा जिसके विरुद्ध आदरणीय सहाबा रजि. ऊंची आवाज़ में गवाही दे रहे हैं और दुनिया की समस्त बड़ी-बड़ी तफ़्सीरों सर्वसम्मति से इस पर गवाही दे रही हैं। अब तक ठोस तर्क है।

मेरा कथन- न सहाबा की सहमति विरुद्ध पर है और न समस्त तफ़्सीरों की। हां दो कथन **قبل موته** की ज़मीर के लौटने के स्थान के बारे में यद्यपि नक़ल किए गए हैं- परन्तु इससे ठोस और स्पष्ट तर्क होने में अन्तर नहीं आता है। इसके बहुत से उदाहरण किताब और सुन्नत में मौजूद हैं। जो चाहे देख ले। इसके अतिरिक्त मसीह की मृत्यु पर आप के तर्कों में से आयत **ان من اهل الكتاب آيات متوفيك** और **فلما توفيتني** आयत तर्क ठहरते हैं और न ही स्पष्ट सबूत। क्योंकि इन आयतों में कुछ कथन नक़ल किए गए हैं। इसलिए जो आप का उत्तर वही हमारा उत्तर है।

उसका कथन- परन्तु आप जानते हैं कि बुजुर्ग सहाबा और ताबिईन में से किसी गिरोह ने आपके अर्थ स्वीकार नहीं किए हैं।

मेरा कथन- यह स्पष्ट असत्य है। पहले लेख में इब्ने कसीर की इबारत नक़ल की गई है, उस से इब्ने अब्बास, अबू मालिक, हसन बसरी, क़तादा, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अस्लम का इन अर्थों को स्वीकार करना सिद्ध है और अबू हुरैर: ^{रज़ि.} का इस अर्थ को स्वीकार करना सहीहैन में वर्णित है। इब्ने कसीर ने कहा है कि ये अर्थ ठोस तर्क से सिद्ध हैं। इब्ने कसीर में और भी है

وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول وهو انه لا يبقى احد من اهل
الكتاب بعد نزول

عيسى عليه السلام الا آمن به قبل موته اي قبل موت عيسى عليه
السلام ولا شك

ان هذا الذى قاله ابن جرير هو الصحيح المقصود من سباق الآى فى تقرير
بطلان مادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من
النصارى الجهلة ذلك انتهى

उसका कथन- और मैंने जो आप के नून सक्रीला का नाम नवीन रखा तो उसका कारण यह है कि यदि आप का यह नियम आपके कथनानुसार

नऊजुबिल्लाह स्वीकार कर लिया जाए, तो इब्ने अब्बास जैसे सहाबी को मूर्ख कहना पड़ता है।

मेरा कथन- मैंने तो वही अर्थ जो समस्त सहाबा तथा ताबिईन इत्यादि से नक़ल किए गए हैं और वही नियम जो आम मुसलमानों में प्रचलित रहा है लिखे हैं यद्यपि आप के बनाए हुए मामलों के आधार पर समस्त सहाबा को मूर्ख मानना पड़ता है। अतः जो आप का उत्तर वही मेरा उत्तर है। इसके अतिरिक्त प्रथम- सहाबा के कलाम में वर्तमानकाल की कहीं व्याख्या नहीं है। उनका कलाम भविष्य काल के अर्थ पर चरितार्थ हो सकता है। जैसा कि आप पहले लेख में इसका इकरार कर चुके हैं। शेष रही यह बात कि जिन लोगों ने ज़मीर को अहले किताब की ओर फेरा है वे इस बात में ग़लती पर हैं। यह कोई दूर की बात नहीं। आप बहुत से सहाबा को अधिकांश मामलों में ग़लती पर मानते हैं।

उसका कथन- और क्रिरअत قبل موتهم अकारण इफ़्तिरा (गढ़ा हुआ झूठ) ठहराना पड़ेगा।

मेरा कथन- 'अकारण का क्या अर्थ 'कथित क्रिरअत वास्तव में कमज़ोर है। विवाद योग्य नहीं जिस प्रकार अभी आपका वर्णन गुज़र चुका है।

उसका कथन- क्या आप का यह नह्व का नियम उन महान सहाबा को मूर्ख ठहरा सकता है और क्या सैंकड़ों मुफ़स्सिरों को बल्कि हज़ारों को जो अब तक ये अर्थ करते आए वे बिलकुल मूर्ख और आप की नह्व से अनभिज्ञ थे?

मेरा कथन- सरासर कुधारणा पर आधारित है। कथित अर्थ की ख़राबी इस कारण नहीं कि वे नह्व के नियम के विरोधी हैं बल्कि यह अर्थ तो सरासर नह्व के अनुसार हैं क्योंकि इस अर्थ पर तो 'मुज़ारिअ' स्पष्ट तौर पर भविष्यकाल के अर्थ में किया गया है। कुछ सोचकर उत्तर दीजिए।

उसका कथन- कोई विस्तृत तफ़्सीर तो प्रस्तुत करो जो इन अर्थों से ख़ाली है जिसने इन अर्थों को सर्वप्रथम न रखा बल्कि सब के सब आप के ही अर्थों को कमज़ोर कहते हैं।

मेरा कथन- दो बड़ी एवं विश्वसनीय पुरानी तफ़्सीरें प्रस्तुत करता हूँ। एक तफ़्सीर इब्ने कसीर और दूसरी तफ़्सीर इब्ने जरीर। इन दोनों ने कथित अर्थों को प्राथमिकता नहीं दी और न मेरे अर्थों को कमज़ोर कहा बल्कि सही होना स्पष्ट किया है। अतः इस स्थान पर उस कथन का झूठा होना दोपहर के सूर्य के समान प्रकट हो गया।

उसका कथन- हज़रत इस क्रिरअत से हज़रत मसीह इब्ने मरयम का जीवित रहना क्योंकर और कहां सिद्ध हुआ। अब तो قبل موته की ज़मीर से मसीह का जीवित रहना सिद्ध करना था।

मेरा कथन- यह कथन भी कुधारणा पर आधारित है। मैंने यह नहीं कहा है कि कथित क्रिरअत से मसीह इब्ने मरयम का जीवित रहना सिद्ध है। मैंने तो केवल यह कहा है कि कथित क्रिरअत हमारे अर्थ की विरोधी नहीं। सामूहिक तौर पर उद्देश्य विरोध दूर करना है न कि दावे को सिद्ध करना। और इन दोनों में अन्तर है।

उसका कथन- हमने विश्वसनीय तफ़्सीरों के द्वारा इसकी सनदें प्रस्तुत कर दी हैं।

मेरा कथन- सनद में जो जिरह है वह मैंने ऊपर वर्णन कर दी। अतः विचार करो।

उसका कथन- भला यदि आप सच पर हैं तो तेरह सौ वर्ष की तफ़्सीरों में से कोई ऐसी तफ़्सीर तो प्रस्तुत कीजिए जो इन अर्थों के सही होने पर ऐतराज़ करती हो।

मेरा कथन- तफ़्सीर इब्ने जरीर और तफ़्सीर इब्ने कसीर इस अर्थ के सही होने पर ऐतराज़ करने वाली हैं।

उसका कथन- इल्हामी अर्थ जो मैंने किए हैं वे वास्तव में इन अर्थों के विपरीत नहीं।

मेरा कथन- यह ग़लत मात्र है, क्योंकि इल्हामी अर्थों की निर्भरता इस पर है कि موتہ की ज़मीर ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ लौटती है और कथित

अर्थ की निर्भरता इस पर है कि **موتہ** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ लौटती है। अतः सख़्त विवाद तथा स्पष्ट प्रतिकूलता मौजूद है। मुझे आपकी ईमानदारी पर बहुत आश्चर्य है कि आप इसके बावजूद कि **موتہ** की ज़मीर के लौटने का स्थान ईसा अलैहिस्सलाम होना अपनी पुस्तकों में स्वीकार कर चुके हैं और आयत **وان من اهل الكتاب** को ईसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु पर स्पष्ट तर्क कहते हैं फिर इस इक्रार की हुई सच्चाई से क्यों मुख मोड़ते हैं और

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ (अन्नमल-27/15)

(अनुवाद - और उन्होंने उनका इन्कार कर दिया हालाँकि उनके दिल उन पर यक़ीन कर चुके थे।) के अज़ाब के वादे से नहीं डरते।

उसका कथन- क्योंकि हमारे नज़दीक वर्तमान किसी ठहरने वाले समय का नाम नहीं है।

मेरा कथन- यह बात मान्य है। निस्सन्देह समय (काल) अस्थिर होने का नाम है तथा वर्तमान एक हिस्सा है समय का। तथा वर्तमान की वास्तविक सीमा सामान्य जनता की दृष्टि से यही है कि बात करने के कार्य के पहले का समय तो भूतकाल है और बात करने के कार्य के बाद का समय भविष्यकाल है और बात करने के कार्य का आरंभ से अन्त तक का समय वर्तमान काल है। इस आधार पर स्पष्ट है कि निकट भविष्य वर्तमान काल कदापि नहीं हो सकता। और यह भी स्पष्ट है कि **فَلَنُؤَلِّبَنَّكَ** कहने से काल से कथन कहने का काल बाद का है।

अतः इस के भविष्यकाल होने में क्या सन्देह है?

उसका कथन- जब आप स्वयं निकट भविष्य को मान गए इसी प्रकार वे भी मानते हैं।

मेरा कथन- निकट भविष्यकाल तथा वर्तमानकाल के मध्य अन्तर न करना इसके ज्ञाताओं से दूर है जैसा कि इल्म नह्व के विशेषज्ञ पर बल्कि मूर्ख पर भी छिपा नहीं है।

उसका कथन- यह तो हमने स्वीकार किया कि वादा है परन्तु यह कहां

से सिद्ध है कि वादा आने वाले लोगों के लिए विशेष है।

मेरा कथन- यह किस ने कहा कि वादा आने वाले लोगों के लिए ही विशेष है अपितु यह कहा गया है कि उस का पूरा करना भविष्यकाल में ही हो सकता है न कि वर्तमानकाल में। और इस बात में जो आप ने लम्बा किया है उसका मूल उद्देश्य से कोई संबंध नहीं और हमें इस सुन्नतुल्लाह से कदापि इन्कार नहीं कि प्रयत्न करने पर अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बहस केवल इसमें है कि खुदा की यह सुन्नत टालमटोल की आयतों से सिद्ध नहीं है बल्कि इसके लिए दूसरी आयतें तर्क हैं।

उसका कथन- अब देखिए इन आयतों से भी आपका आयत **لَيْؤُ مَنْنَ بِهِ** का ठोस तर्क होने का दावा कितना असत्य सिद्ध होता है।

मेरा कथन- ठोस तर्क वाली आयतें आयत **لَيْؤُ مَنْنَ بِهِ** की विरोधी नहीं बल्कि आयत **لَيْؤُ مَنْنَ** कथित आयतों को विशेष करने वाली हैं।

उसका कथन- हलीम वह है जो **يبلغ الحلم** का चरितार्थ हो।

मेरा कथन- यह सीमित करना अमान्य है क्योंकि हलीम पवित्र कुर्आन में गुलाम के विशेषण के तौर पर आया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया-

(अस्साफ़ात-102) **فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ**

और गुलाम के अर्थ 'छोटा बच्चा' के हैं जैसा कि 'अस्सिराह' में है। अतः संभावना है कि हलीम यहां पर हिल्म से लिया गया हो जो आहिस्तगी और बुर्दबारी (सहनशीलता) के अर्थों में है। जैसा कि 'अस्सिराह' शब्दकोश में है।

**الحلم بالكسر الاناءة والعقل جمعه احلام وحلوم ومنه ام تامرهم
احلامهم وهو حلیم جمع حلما واحلام**

उसका कथन- जबकि ईसा इब्ने मरयम का जीवित रहना ही सिद्ध नहीं होता और मृत्यु सिद्ध हो रही है, तो ईसा का भौतिक जीवन क्योंकर अभिप्राय हो सकता है।

मेरा कथन- इस कलाम में दो कारण से सन्देह है प्रथम- यह कि आयत الكتاب وان من اهل الكتاب से आप के इकरार से स्पष्ट तौर पर मृत्यु सिद्ध है क्योंकि आपने "तौज़ीह मराम" तथा "इज़ाला औहाम" में इकरार किया है कि موته की ज़मीर ईसा की तरफ़ लौटती है तथा इस बात के इकरार के बाद उनके जीवित रहने का इकरार अनिवार्य ठहरता है।

كما مرتقريه بحثيث لا يحوم حوله شك

द्वितीय सन्देह- मृत्यु के अनुसार भी स्वयं हज़रत ईसा का नुज़ूल (उतरना) न बौद्धिक तौर पर संभव है न सामान्य तौर पर संभव है। और जो बात बौद्धिक एवं सामान्य तौर पर संभव न हो और सच्चा ख़बर देने वाला (रसूल) उसकी ख़बर दे तो उस से विमुख होना वैध नहीं और ईसा के नुज़ूल की ख़बर सही हदीसों में निरन्तरता से मौजूद है।

उसका कथन- जब आप मसीह का जीवित रहना सिद्ध कर दिखाएंगे तो फिर उनका नुज़ूल भी माना जाएगा।

मेरा कथन- इस में कुछ अनिवार्यता नहीं, इसी प्रकार मृत्यु भी नुज़ूल के न मानने का कोई उचित कारण नहीं है।

उसका कथन- अन्यथा बुखारी में वे हदीसों भी हैं जिन में इब्ने मरयम की चर्चा करके उन से अभिप्राय कोई समरूप (मसील) लिया गया है।

मेरा कथन- प्रत्यक्षतः इस से यह मालूम होता है कि नुज़ूल की हदीसों के अतिरिक्त बुखारी में अन्य हदीसों भी ऐसी हैं जिन में इब्ने मरयम की चर्चा करके उस से अभिप्राय उसका कोई समरूप लिया गया है। अतः आप को चाहिए कि कृपया उन हदीसों को नक़ल कीजिए ताकि उनको देखा जाए कि वहां समरूप अभिप्राय लिया गया है अथवा नहीं।

उसका कथन- अफ़सोस अब तक आप कुछ प्रस्तुत न कर सके।

मेरा कथन- अफ़सोस कि इसके बावजूद कि आप के इकरार मसीह का जीवित रहना आयत الكتاب وان من اهل الكتاب से स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो गया फिर भी आप ऐसा कहते हैं इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन व इलल्लाहिल

मुशतका। अब सुनिए, यह तो आप के लेख का जैसे को तैसा उत्तर हुआ। अब एक अत्यन्त न्याय संगत तथा निर्णायक उत्तर दिया जाता है। आप यदि इन्साफ़ के दावेदार हैं तथा सत्य के अभिलाषी हैं तो उसी उत्तर का उत्तर दें और जैसे को तैसा उत्तर देने से मुंह न फेरें। ऐसा करेंगे तो निस्सन्देह समझा जाएगा कि आप फैसला करना नहीं चाहते और सच्चाई को सिद्ध करने से आपको मतलब नहीं है। वह उत्तर यह है-मिर्जा साहिब! मैंने नेक नीयत से सच्चाई को सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने उन समस्त तर्कों को जिनको मैं इस समय प्रस्तुत करना चाहता था एक ही बार में लिख कर आप की सेवा में प्रस्तुत कर दिया और इसके साथ यह भी कह दिया था कि मेरी असल प्रस्तुति तथा स्थायी तर्क पहली आयत है और उसके ठोस तर्क होने के सबूत में सर्वसम्मत नहवी नियमों को प्रस्तुत किया। आप भी नेक नीयत और सत्याभिलाषी होते तो उसके उत्तर में दो बातों में से एक बात अपनाते। या तो ऐसे समस्त तर्कों तथा उत्तरों से बचते और उनमें से एक बात का उत्तर भी शेष न छोड़ते या केवल मेरे मूल तर्क को न मानते। इसके अतिरिक्त किसी बात के उत्तर से एतराज न करते। आपने न पहली बात अपनाई न दूसरी बल्कि मेरे मूल तर्क के अतिरिक्त और बातों का भी (विरोध) किया परन्तु उनको भी अधूरा छोड़ा और बहुत सी बातों का हवाला बाद के लिए छोड़ा और उनके मुकाबले में आपने बुखारी की हदीसों के तर्कों इत्यादि के वर्णन को भी आइन्दा के पर्चे पर स्थगित किया और जो कुछ वर्णन किया ऐसी शैली में वर्णन किया कि मूल तर्क से बहुत दूर चले गए तथा अपने वर्णन को ऐसी शैली में अभिव्यक्त किया कि जिस से लोग धोखा खाएं और बड़े-बड़े विद्वान लोग अप्रसन्न हों। इसका एक उदाहरण आप की यह बहस है कि आप मुद्दई नहीं हैं। साहिब मन, इस हालत में स्वयं मुद्दई होकर तर्कों को प्रस्तुत कर चुका था तो आपको इस बहस की क्या आवश्यकता थी। दूसरा उदाहरण यह है कि हमारे शैख, समस्त विद्वानों के सरदार (शैखुलकुल) की राय की चर्चा बे मौक़ा करके लोगों को फिर जताना चाहा कि हज़रत शैखुलकुल भी इस बहस में आप के सम्बोधित हैं। हालांकि शैखुलकुल की बहस से पलायन करके आपने

मुझे बहस का सम्बोधित बनाया था। इसलिए मेरे संबोधन में शैख़ुलकुल की चर्चा अनुचित थी।

तीसरा उदाहरण यह है कि आपने कुछ तफ़्सीरों की इबारतों एवं कुछ सहाबा के कथनों को नक़ल करके लोगों को यह जताना चाहा है कि समस्त मुफ़स्सिर तथा सभी सहाबा और ताबिईन मसीह के जीवन-मृत्यु के विषय में आपके अनुकूल और हमारे विरोधी हैं और यह केवल धोखा है। कोई सहाबा, कोई ताबिई, कोई मुफ़स्सिर इस बात को नहीं मानता है कि हज़रत मसीह इब्ने मरयम^अ इस समय जीवित नहीं हैं।

चौथा उदाहरण आम लोगों को आपका यह जताना है कि يومئذ के नून को भविष्यकाल के लिए ठहराना समस्त सहाबा तथा मुफ़स्सिरों को मूर्ख ठहराना है जो सरासर आपका धोखा और बोधभ्रम पैदा करना है। आपकी इस प्रकार की बातों का मैं तीन बार तो जैसे को तैसा उत्तर दे चुका, भविष्य में भी यही तरीका जारी रहा तो इससे आपको यह लाभ होगा कि असल बात टल जाएगी तथा आपके अनुसरण में आपका उत्तर लिखना सिद्ध हो जाएगा। परन्तु इसमें मुसलमानों की यह हानि होगी कि उन पर बहस का नतीजा प्रकट न होगा और आपका वास्तविक हाल न खुलेगा कि आप निरुत्तर हो चुके हैं और मसीह की मृत्यु की आस्था में ग़लती पर हैं और बात को इधर-उधर ले जाकर टाल रहे हैं। इसलिए भविष्य में आपको विवश किया जाता है कि यदि आपको बहस स्वीकार और पलायन के आरोप से बचना दृष्टिगत है तो अतिरिक्त बातों को छोड़कर मेरे मूल तर्क पर कलाम और बहस को सीमित करें तथा जो मैंने सर्वमान्य नह्वी नियमों की गवाही से आयत का प्रसंग भविष्यकाल से विशेष होना और सही होने की स्थिति में इस प्रसंग का मसीह के नुज़ूल के समय से विशिष्ट होना सिद्ध किया है, उसका उत्तर सर्वमान्य नह्वी नियमों को स्वीकार न करने की स्थिति में दो शब्दों में यह दें कि नह्व के समस्त नियम बेकार और अविश्वसनीय हैं। या विशेष तौर पर यह नियम ग़लत है और इसको अमुक व्यक्ति ने ग़लत ठहराया है तथा इसकी ग़लती पर कुर्आन या सही हदीस या अरबों में से किसी अरब के

कथनों से यह सबूत है और इसकी बजाए अमुक नियम सही है या यह कुर्आन के अर्थ समझने के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। जिस प्रकार कोई चाहे कुर्आन के अर्थ गढ़ सकता है तथा नियम को स्वीकार करने तथा आयत के प्रसंग को मसीह के नुज़ूल के समय के भविष्यकाल से विशेष होने को स्वीकार करने की स्थिति में अमुक सबूत की गवाही से ग़लत है या इस विशिष्टता से जो लाभ वर्णन किया गया है वह अन्य प्रकारों तथा अर्थों से भी जो वर्णन किए गए हैं प्राप्त हो सकता है और यदि आयत की तफ़्सीरों में मुफ़स्सिरों का एकमात्र मतभेद उसी विशिष्टता का खण्डन करने वाला हो सकता है और मुफ़स्सिरों के एकमात्र कथन आपके नज़दीक तर्क और प्रमाण योग्य हैं तो आप सहाबा तथा ताबिईन मुफ़स्सिरों के उन कथनों को जो मसीह के जीवित रहने के संबंध में हैं स्वीकार करें या उनके ऐसे अर्थ बता दें जिन से मसीह की मृत्यु सिद्ध हो। हम दावे से कहते हैं संसार के मुफ़स्सिर, समस्त सहाबा तथा ताबिईन हमारे साथ हैं। उनमें से कोई इस बात को नहीं मानता कि मसीह इब्ने मरयम अब जीवित नहीं हैं। आप एक सहाबी या एक ताबिई या एक इमाम मुफ़स्सिर से यही प्रमाण के साथ यदि यह सिद्ध कर दें कि हज़रत मसीह अब जीवित नहीं हैं तो हम मसीह के जीवित रहने के दावे से अलग हो जाएंगे। लीजिए एक ही बात में बात तय होती है और विजय हाथ आती है। अब यदि आप यह सिद्ध न कर सके तो हम से समस्त मुफ़स्सिर, सहाबा तथा ताबिईन के कथन सुनें जिन्हें हम अगले पन्ने में नक़ल करेंगे। आप स्वीकार करें या न करें, पाठकगण तो इस से लाभ उठाएंगे और इससे बहस का नतीजा निकालेंगे। आप से हमें आशा नहीं रही कि आप मूल उद्देश्य की तरफ़ आएँ तथा अतिरिक्त बातों को छोड़कर केवल वह दो शब्दों में उत्तर दें जो इस न्याय संगत उत्तर में आप से मांगा गया है।

وأخردعوننا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد

وأله وصحبه اجمعين

हस्ताक्षर-मुहम्मद बशीर उफ़्रिया अन्हो

नम्बर-3

हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमुदुहू न नुसल्ली अला रसूलिहिलकरीम

سبحانك ما اعظم شانك تهدي من تشاء وتضل من تشاء وتعلم من تشاء
من لذك علماً

(अनुवाद - पाक है तू (हे अल्लाह) क्या ही बुलन्द है तेरी शान, तू जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह ठहराता है और जिसको चाहता है अपनी ओर से ज्ञान प्रदान करता है।)

इसके पश्चात् हे पाठको, आप लोगों पर स्पष्ट है कि हज़रत मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब ने मुझ से लिखित मुबाहिसा आरंभ करके इस बात का सिद्ध करना अपने दायित्व में लिया था कि हज़रत ईसा इब्ने मरयम जीवित अपने पार्थिव (खाकी) शरीर के साथ आकाश पर उठाए गए हैं और आकाश पर उसी पार्थिव शरीर के साथ जीवित मौजूद हैं। अब हे पाठको! यह विनीत आप सज्जनों की सेवा में स्पष्ट, सरल और संक्षिप्त तौर पर इस बात को वर्णन करना चाहता है कि आदरणीय मौलवी साहिब ने अपने इस दावे का अपने तीन पर्चों में क्या सबूत दिया और मेरी ओर से उस सबूत के खण्डन, तुच्छ एवं व्यर्थ मात्र होने पर अपने (मेरे) इस तीसरे पर्चे तक क्या-क्या सबूत प्रस्तुत हुआ है ताकि आप लोग स्वयं न्यायकर्ता होकर देख लें कि क्या वास्तव में मौलवी साहब ने किसी ठोस तर्क वाली आयत से जैसे कि उनका दावा था हज़रत मसीह इब्ने मरयम का

पार्थिव शरीर के साथ जीवित रहना सिद्ध कर दिखाया है या वह ऐसे ठोस सबूत प्रस्तुत करने से असमर्थ रहे और कोई ऐसी आयत प्रस्तुत नहीं कर सके कि जो निश्चित एवं विश्वसनीय तौर पर हज़रत मसीह को भौतिक रूप से जीवित रहने को सिद्ध करती हो और जांच-पड़ताल की दृष्टि से उन अर्थों के विपरीत कोई दूसरे अर्थ उस से न निकल सकते हों।

अतः मैं आप सज्जनों को सुनाता हूँ कि प्रथम हज़रत मौलवी साहिब ने अपने इस दावे के समर्थन में कि हज़रत मसीह पार्थिव शरीर के साथ जीवित हैं, अपनी ओर से पांच आयतें प्रस्तुत की थीं। फिर चार आयतों को तो स्वयं इस इक्रार के साथ छोड़ दिया कि उन से हज़रत मसीह का पार्थिव शरीर के साथ जीवित रहना ठोस तौर पर सिद्ध नहीं होता। अर्थात् ये कई सन्देह रखती हैं और ठोस सबूत नहीं हैं और अपने दावे की पूर्ण निर्भरता इस आयत पर रखी कि जो सूरह निसा में मौजूद है और वह यह है-

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (सूरह अन्निसा-160)

मौलवी साहिब इस आयत को हज़रत ईसा के शारीरिक तौर पर जीवित रहने को ठोस सबूत ठहराते हैं तथा कहते हैं कि इस आयत के ठोस एवं निश्चित तौर पर यही अर्थ है कि कोई अहले किताब में से ऐसा नहीं कि जो ईसा पर उसकी मृत्यु से पहले ईमान नहीं लाएगा और चूंकि अब तक समस्त अहले किताब क्या ईसाई और क्या यहूदी हज़रत ईसा पर सच्चा और वास्तविक ईमान नहीं लाए बल्कि कोई उनको ख़ुदा ठहराता है और कोई उनकी नुबुव्वत का इन्कारी है। इसलिए आवश्यक है कि इस आयत के अनुसार हज़रत ईसा को उस समय तक जीवित स्वीकार कर लिया जाए जब तक कि समस्त अहले किताब उस पर ईमान न ले आएँ। मौलवी साहिब इस बात पर सीमा से अधिक हठ कर रहे हैं कि यह कथित उपरोक्त आयत अवश्य हज़रत मसीह के शारीरिक तौर पर जीवित रहने को ठोस तौर पर सिद्ध करती है और उसके यही सही अर्थ हैं, इसमें किसी दूसरे अर्थ की कदापि संभावना नहीं तथा इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानो कुछ सहाबा और ताबिईन तथा मुफ़स्सिरों ने इस आयत के और भी कितने ही अर्थ

किए हैं परन्तु वे अर्थ सही नहीं हैं। क्यों सही नहीं हैं? इसका कारण यह बताते हैं कि यहां **ليومنين** का **صيغه** (विभक्ति) नून सक्रीला के लगने के कारण पूर्णतः भविष्यकाल के अर्थों में हो गया है और केवल भविष्यकाल के अर्थ इसी वर्णन शैली से सुरक्षित रह सकते हैं कि हज़रत ईसा का किसी भावी युग में नाज़िल होना (उतरना) स्वीकार करके फिर उस युग के अहले किताब के बारे में यह आस्था रखी जाए कि वे सब के सब हज़रत ईसा पर ईमान ले आएंगे तथा कहते हैं कि जो हज़रत इब्ने अब्बास इत्यादि सहाबा ने इसके विपरीत अर्थ किए हैं और **قبل موته** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ फेर दी है। ये अर्थ उनके नह्व के सर्वमान्य नियम के विपरीत हैं। क्यों विपरीत हैं? इस कारण से कि ऐसे अर्थ करने से शब्द **ليومنين** का केवल भविष्यकाल के लिए विशिष्ट नहीं रहता। अतः मौलवी साहिब के इस वर्णन का निष्कर्ष यह मालूम होता है कि चूंकि इब्ने अब्बास और इकरमा और उबय्य इब्ने कअब इत्यादि सहाबा नह्व पढ़े हुए नहीं थे और नह्व के वे सर्वमान्य नियम जो मौलवी साहिब को मालूम हैं उन्हें मालूम नहीं थे। इसलिए वे ऐसी स्पष्ट ग़लती में पड़ गए कि उन्हें वह नियम याद न रहा जिस पर समस्त नह्वियों का इज्माअ और सहमति हो चुकी थी बल्कि उन्होंने अपनी भाषा का पुराना मुहावरा भी छोड़ दिया जिसकी पाबन्दी स्वाभाविक तौर पर उनके स्वभाव के लिए अनिवार्य थी। पाठक गण ख़ुदा के लिए विचार करें कि क्या मौलवी साहिब इस बात के अधिकारी (मुख्तार) हो सकते हैं कि इब्ने अब्बास जैसे वैभवशाली सहाबी को नह्व की ग़लती का इल्ज़ाम दें और यदि मौलवी साहिब इब्ने अब्बास पर नह्व की ग़लती का आरोप नहीं लगाते तो फिर क्या कोई अन्य कारण भी है जिसके अनुसार मौलवी साहिब के विचार में इब्ने अब्बास के इस विवादित आयत के वे अर्थ अस्वीकार करने योग्य हैं जिन के समर्थन में एक अकेली क़िरअत भी मौजूद है अर्थात् **قبل موتهم** मान लो कि वह क़िरअत हज़रत मौलवी साहिब के कथनानुसार एक कमज़ोर हदीस है परन्तु हदीस तो है यह तो सिद्ध नहीं हुआ कि वह किसी झूठ गढ़ने वाले का गढ़ा हुआ झूठ है। अतः वह क्या इब्ने अब्बास के अर्थों को प्राथमिकता (तर्ज़ीह) देने के

लिए कुछ भी प्रभाव नहीं डालती। यह किस प्रकार की ज़बरदस्ती है कि ऐसा विचार किया जाए कि इब्ने अब्बास के ये अर्थ नह्व के नियम के विरोधी हैं और क्रिरअत **قبل موته** किसी रिवायत करने वाले का बनाया हुआ झूठ है। इब्ने अब्बास और इकरमा पर यह आरोप लगाना कि वे नह्व के नियम से अपरिचित थे मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मौलवी साहिब या किसी अन्य का अधिकार है कि उन बुजुर्गों पर ऐसा आरोप लगा सके जिनके घर से ही नह्व निकली है। स्पष्ट है नह्व को उनके मुहावरों और उनकी समझ के अधीन ठहराना चाहिए न कि उनकी बोलचाल और उनकी सूझबूझ की कसौटी, अपनी स्वयं निर्मित नह्व को ठहराया जाए।

अब यदि मौलवी साहिब अपनी हठ को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते और इब्ने अब्बास और इकरमा को नह्व के सर्वमान्य नियम से अपरिचित ठहराते हैं और उबय्य बिन कअब की क्रिरअत को भी जो **قبل موته** है पूर्णरूप से रद्द करने योग्य और बनाया हुआ झूठ समझते हैं तो स्पष्ट है कि केवल उनके दावे से ही यह उन का इल्ज़ाम स्वीकार करने योग्य नहीं ठहर सकता बल्कि यदि वे अपने अर्थों को ठोस तर्क बनाना चाहते हैं तो उन पर अनिवार्य है कि इन दोनों बातों का निश्चित तौर पर पहले फैसला कर लें। क्योंकि जब तक इब्ने अब्बास और इकरमा के विरोधी अर्थों में सही होने की संभावना शेष रहे तथा इसी प्रकार यद्यपि मौलवी साहिब के कथनानुसार यद्यपि एक अकेली क्रिरअत कमज़ोर है परन्तु सही होने की संभावना रखती है तब तक मौलवी साहिब के अर्थ इन समस्त संभावनाओं के होने के बावजूद ठोस क्योंकर हो सकते हैं। पाठक गण आप स्वयं विचार कर लें कि ठोस अर्थ तो उन्हीं अर्थों को कहा जाता है जिनके दूसरे कारण सिरे से ही पैदा न हों या पैदा तो हों परन्तु ठोस होने का दावा करने वाला पर्याप्त तर्कों द्वारा उन समस्त विरोधी अर्थों का खण्डन कर दे किन्तु मौलवी साहिब ने अब तक इब्ने अब्बास और इकरमा के अर्थों और **قبل موته** की क्रिरअत का खण्डन करके नहीं दिखाया। उन का खण्डन करना तो केवल इन दो बातों में सीमित था। **प्रथम-** यह कि मौलवी साहिब स्पष्ट वर्णन द्वारा इस बात को सिद्ध

कर देते कि इब्ने अब्बास तथा इकरमा उनके सर्वमान्य नह्वी नियम से पूर्णतया अपरिचित एवं अनभिज्ञ थे तथा उन्होंने बहुत बड़ी ग़लती की कि अपने वर्णन के समय नह्व के नियमों को नज़र अन्दाज़ कर दिया। दूसरे- मौलवी साहिब पर यह भी अनिवार्य था कि अकेली क़िरात *قبل موتهم* के रिवायत कर्ता का बनाया हुआ स्पष्ट झूठ सिद्ध करते तथा यह सिद्ध करके दिखाते कि यह हदीस बनावटी हदीसों में से है। अकेली कमज़ोर हदीस का वर्णन करना उसको पूर्णतया प्रभाव से रोक नहीं सकता। प्रतिष्ठित इमाम हज़रत अबू हनीफ़ा फ़ख़रुल अइम्मा (इमामों के गर्व) से रिवायत है कि मैं एक कमज़ोर हदीस के साथ भी अनुमान को त्याग देता हूँ। अतः क्या सिहाह सित्त: में जितनी हदीसों कुछ रिवायत करने वालों के प्रतिप्रश्न (ज़िरह) करने योग्य या मुरसल और जो प्रमाणरहित हैं वे सर्वथा विश्वसनीयता से ख़ाली और अविश्वसनीय मात्र हैं? और क्या हदीस के विद्वानों के निकट बनावटी हदीसों के समान समझी गई हैं?

पाठक गण! ध्यानपूर्वक सुनो अब मैं इस बात का भी फैसला करता हूँ कि यदि कल्पना के तौर पर इब्ने अब्बास, इकरमा, मुजाहिद तथा ज़हाक़ इत्यादि के अर्थ जो मौलवी साहिब के अर्थों के विरोधी हैं ग़लत ठहराए जाएं और स्वीकार किया जाए कि ये समस्त महान और बुजुर्ग मौलवी साहिब के नह्व के सर्वमान्य नियम से जान बूझ कर या भूल से बाहर चले गए तो फिर भी मौलवी साहिब के अर्थ ठोस तर्क नहीं ठहर सकते, क्यों नहीं ठहर सकते? इसके कारण निम्नलिखित हैं-

(1) यह कि मौलवी साहिब के उन अर्थों में कई बातें अभी बहस योग्य हैं जिनका वह निश्चित तौर पर फैसला नहीं कर सकते और न उनका एक ही अर्थों पर ठोस तर्क होना पूर्णरूप से सिद्ध कर चुके हैं। उनमें से एक यह कि अहलुल किताब का शब्द पवित्र कुर्आन में वर्तमान अहले किताब के लिए जो आंज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के युग में मौजूद थे, वर्णन किया गया है और प्रत्येक ऐसी आयत का जिस में अहले किताब की चर्चा है वही चरितार्थ और शाने नुज़ूल ठहरा दिए गए हैं। फिर मौलवी साहिब के पास इब्ने अब्बास

और इकरमा के दूसरे अर्थ के बावजूद इस बात पर कौन सा ठोस तर्क है कि इस अहले किताब की चर्चा से वे लोग बिलकुल बाहर रखे गए हैं तथा इस बात पर कौन सा शर्ह, निश्चित ठोस सबूत है कि अहले किताब से अभिप्राय उस अज्ञात युग के अहले किताब हैं जिसमें समस्त वे लोग हज़रत ईसा पर ईमान ले आएंगे।

उन सब में से एक यह कि मौलवी साहिब ने **ليؤمنن** के लौटने के स्थान के बारे में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया। क्योंकि तफ़्सीर मआलिमुत्तन्ज़ील इत्यादि प्रमाणित तफ़्सीरों में हज़रत इकरमा इत्यादि सहाबा रज़ि. से यह भी रिवायत है कि **ه** की ज़मीर जनाब ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ़ फ़िरती है और यह मज़बूत रिवायत है। क्योंकि केवल मसीह इब्ने मरयम पर ईमान लाना मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। हां ख़ातमुल अंबिया पर ईमान लाना निस्सन्देह मुक्ति का कारण है। क्योंकि वह ईमान समस्त नबियों पर ईमान लाने को अनिवार्य हैं। अतः यदि ईसा को **ه** की ज़मीर का मर्जअ (लौटने का स्थान) ठहराया जाए तो इसकी ख़राबी प्रकट है। आप जानते हैं कि यदि कोई अहले किताब शिर्क (अनेकेश्वरवाद) से तौबा करके केवल हज़रत ईसा की रिसालत और अबदियत (मनुष्य होने) को स्वीकार करता है परन्तु इसके साथ हमारे सख़्यद तथा स्वामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रिसालत से बिलकुल इन्कारी हो तो क्या वह उसी ईमान से मुक्ति पा सकता है? कदापि नहीं। फिर यह **ه** की ज़मीर हज़रत ईसा की तरफ़ आपके अर्थों के अनुसार क्योंकर फिर सकती है। यदि यह तस्निय: (द्विवचन) की ज़मीर (सर्वनाम) होती तो हम यह सोच लेते कि इस में हज़रत ईसा भी सम्मिलित हैं। परन्तु ज़मीर तो वाहिद (एक वचन) की है, केवल एक की तरफ़ फ़िरेगी। और यदि वह 'एक' हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के अतिरिक्त कोई दूसरा ठहराया जाए तो अर्थ बिगड़ते हैं। इसलिए आवश्यक तौर पर स्वीकार करना पड़ा कि इस ज़मीर का मर्जअ हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं। इस स्थिति में **موتة** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ फ़ेरी जाएगी।

यदि आप यहां यह ऐतराज़ करें कि ऐसे अर्थों से **ليؤمنن** का शब्द शुद्ध

तौर पर भविष्यकाल के अर्थों में क्योंकर रहेगा। अतः मैं इसका यह उत्तर देता हूँ कि जैसे आप के अर्थों में रहा हुआ है। इस समय आप तनिक ध्यानपूर्वक बैठ जाएं और उस सामर्थ्यवान से सहायता चाहें जो सीनों को खोलता तथा हृदयों में सच्चाई का नूर (प्रकाश) उतारता है, हज़रत सुनिए आप इस आयत के ये अर्थ करते हैं कि ईसा की मृत्यु से पूर्व एक युग (समय) ऐसा आएगा कि उस युग के मौजूद समस्त अहले किताब हज़रत ईसा पर ईमान ले आएंगे तथा इकरमा की रिवायत के अनुसार आप के नह्वी नियम की दृष्टि से ये अर्थ होंगे कि एक युग ऐसा आएगा कि उस युग के मौजूद समस्त अहले किताब ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर अपनी मृत्यु से पूर्व ईमान ले आएंगे, जिस ईमान के कारण मसीह इब्ने मरयम पर भी ईमान लाना उन्हें प्राप्त हो जाएगा। अतः हज़रत ! महाप्रतापी ख़ुदा से डर कर कहिए कि क्या आप के ठोस तर्क होने का दावा पूर्णतया समाप्त हो गया या अभी कुछ कमी शेष है। आप ख़ूब सोचकर और दिल को थाम कर वर्णन करें कि आप की व्याख्या शैली में विशेषतया केवल भविष्यकाल होने का कौन सा लक्षण पाया जाता है जो इस व्याख्या में वह नहीं पाया जाता। पाठक गण ख़ुदा के लिए आप भी तनिक विचार करें। बहुत स्पष्ट बात है थोड़ा ध्यान दें। पाठक गण! आप जानते हैं कि कई दिन से मौलवी साहिब की यही बहस हो रही थी और केवल इसी बात पर उनकी हठ थी कि शब्द **ليومئذ** लाम और नून सक्रीला के कारण केवल भविष्यकाल के अर्थों में हो गया है और मौलवी साहिब अपने विचार में यह समझ रहे थे कि शुद्ध रूप से भविष्यकाल केवल इस प्रकार के अर्थ करने से सही होता है कि **قبل موته** की ज़मीर मसीह इब्ने मरयम की तरफ़ फेरें। और उसके जीवित रहने को स्वीकार कर लें। और अब हे भाइयो ! मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि शुद्ध तौर पर भविष्यकाल के लिए यह आवश्यक नहीं कि **قبل موته** की ज़मीर हज़रत ईसा की तरफ़ फेरी जाए बल्कि यहां हज़रत ईसा^{अ.} की तरफ़ **به** की ज़मीर तथा **قبل موته** की ज़मीर फेरने से अर्थ ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि केवल ईसा^{अ.} पर ईमान लाना मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं बल्कि सच्चे और ठोस अर्थ इस शैली पर

यही हैं कि ५ की ज़मीर हमारे सय्यिद-व-मौला ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ़ फेरी जाए और قبل मोते की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ तथा आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सन्दर्भ में स्वयं हज़रत ईसा^अ इत्यादि समस्त अंबिया ही आ जाएंगे -

نام احمد نام جملہ انبیاست + چونکہ صد ۹۰۰ آمد نو دہم ۹۰ نزدماست

नाम अहमद^म नामे जुम्ला अंबिया अस्त, चूंकि सद आमद नौ दहम निज़्द मास्त।

(अनुवाद - अहमद का नाम समस्त नबियों के नाम को अपने अंडर समोए हुए है जब सौ की संख्या आ गई तो नब्बे भी हमारे सामने ही है। अनुवादक)

भाइयो ! ख़ुदा के लिए स्वयं सोच लो कि इन अर्थों में और हज़रत मौलवी साहिब के अर्थों में शुद्ध रूप से भविष्यकाल होने में बराबरी का दर्जा है या कुछ कमी शेष है। भाइयो ! मैं केवल अल्लाह के लिए आप लोगों को समझाने के लिए पुनः कहता हूं कि मौलवी साहिब आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ** के अर्थ इस प्रकार करते हैं कि एक युग ऐसा आएगा कि उस युग के मौजूद समस्त अहले किताब हज़रत ईसा^अ की मृत्यु से पूर्व उन पर ईमान ले जाएंगे। मैं हज़रत इकरमा रज़ि की रिवायत के अनुसार जैसा कि 'मआलिम' इत्यादि में लिखा है मौलवी साहिब की ही शैली पर यह अर्थ करता हूं कि एक युग ऐसा आएगा कि उस युग के समस्त मौजूद अहले किताब अपनी मृत्यु से पूर्व हमारे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान ले जाएंगे। भाइयो ! ख़ुदा के लिए थोड़ी दृष्टि डालकर देखो कि क्या केवल भविष्यकाल मेरी व्याख्या तथा मौलवी साहिब की व्याख्या में समान (बराबर) दर्जे का है या अभी अन्तर शेष है। अब भाइयो ! इन्साफ़ से देखो कि इन अर्थों में मौलवी साहिब के अर्थों की अपेक्षा कितनी विशेषताएं (खूबियां) एकत्र हैं। वह ऐतराज़ जो मौलवी साहिब की शैली पर ५ की ज़मीर के मर्जअ के निर्धारण में होता था, वह इस स्थान में नहीं हो सकता। क्रिरअत शाज़: (एक अकेली) इस व्याख्या की समर्थक है। इन सब के बावजूद केवल भविष्यकाल मौजूद है। अब हे उपस्थितगणो ! मौलवी साहिब के ठोस

और अटल दावे का भांडा फूट गया, परन्तु पक्षपात और तरफ़दारी से खाली होकर विचार करना। मौलवी साहिब ने इस मसीह के जीवित रहने की बहस की निर्भरता पांच तर्कों पर रखी थी। चार तर्कों को तो उन्होंने स्वयं छोड़ दिया और पांचवें तर्क को खुदा तआला ने सच का समर्थन करके ध्वस्त कर दिया-

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ (सूरह बनी इस्राईल-82)

अब हे उपस्थितगणो! हे खुदा के नेक दिल लोगो! विचार करके देखो और तनिक अपने ध्यान से देखो कि हज़रत मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब का क्या दावा था। यही तो था कि आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ** के वे सच्चे और सही अर्थ ठहर सकते हैं जिनमें शब्द **لِيُؤْمِنَنَّ** को केवल भविष्यकाल ठहराया जाए तथा मौलवी साहिब ने अपने लेख के पृष्ठ के पृष्ठ इसी बात को सिद्ध करने के लिए लिख मारे कि मुज़ारअ के अन्त में नून सक्रीला मिलकर शुद्ध रूप से भविष्यकाल के अर्थों में ले आता है। इसी धुन में मौलवी साहिब ने हज़रत इब्ने अब्बास के अर्थों को स्वीकार नहीं किया और यह बहाना किया कि वे अर्थ भी नह्व की सर्वमान्य आस्था के विपरीत हैं। इसलिए हमने मौलवी साहिब के लिए इब्ने अब्बास के अर्थों को प्रस्तुत करने से स्थगित रखा और इकरमा की रिवायत के आधार पर वे अर्थ प्रस्तुत किए जो केवल भविष्यकाल होने में मौलवी साहिब के अर्थों से पूर्णतया समरूप तथा उन दोषों से मुक्त हैं जो मौलवी साहिब के अर्थों में पाए जाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि मसीह पर ईमान लाने के समय हमारे सरदार ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान लाना आवश्यक है और इस प्रसंग में प्रत्येक नबी पर ईमान लाना सम्मिलित है। फिर क्या आवश्यकता है कि इस ईमान के लिए हज़रत मसीह को आसमानों के आनन्दमयी स्वर्ग से इस दुःखों से भरे हुए इस संसार में दोबारा लाया जाए। उदाहरणतया देखिए कि जो लोग आपके कथनानुसार अन्तिम युग में आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान लाएंगे या अब ईमान लाते हैं, क्या उनके ईमान के लिए यह भी आवश्यक है कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम स्वयं आ जाएं। अतः ऐसा ही विश्वास कीजिए कि हज़रत मसीह पर ईमान लाने के लिए भी उन

का दोबारा संसार में आना आवश्यक नहीं तथा ईमान लाने और दोबारा आने में कुछ अनिवार्यता नहीं और यदि आप अपनी हठ धर्मी न छोड़ें और **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ** की ज़मीर को अकारण हज़रत ईसा की ओर ही फेरना चाहें इस अर्थ के ख़राब हो जाने के बावजूद जिसकी त्रुटि आप पर पड़ती है हमारी वर्णन शैली की कुछ भी हानि नहीं। क्योंकि हमारे तौर पर शुद्ध रूप से भविष्यकाल की दृष्टि से फिर उसके ये अर्थ होंगे कि एक युग ऐसा आएगा कि उस युग के समस्त अहले किताब अपनी मृत्यु से पहले हज़रत ईसा^अ पर ईमान ले आएंगे। अतः ये अर्थ भी केवल भविष्यकाल होने में आपके अर्थों के ही समान हैं, क्योंकि इसमें कुछ सन्देह नहीं कि अभी तक वह युग नहीं आया कि समस्त मौजूद अहले किताब हज़रत ईसा^अ पर या हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान ले आए हों। इसलिए केवल भविष्यकाल के रंग में अब तक यह भविष्यवाणी उन अर्थों के अनुसार चली आई है। अब यदि हमारी इस तावील (व्याख्या) में आप कोई प्रतिप्रश्न (ज़िरह) करेंगे तो वही ज़िरह आपकी तावील में होगी यहां तक कि आप पीछा नहीं छोड़ा सकेंगे। जिन बातों को आप अपने पर्वों में स्वीकार कर चुके हैं उन्हीं के आधार पर मैंने यह परस्पर अनुकूलता की है, और जिस पद्धति से आपने अन्तिम युग में अहले किताब का ईमान लाना ठहराया है उसी पद्धति के अनुसार मैंने आप को दोषी ठहराया है और उसे केवल भविष्यकाल के अनुसार शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए प्रस्तुत कर दिया है। आप जानते हैं कि सहाबा के समय से इस आयत को बहुमुखी कहते चले आए हैं। इब्ने कसीर ने इस आयत के अनुवाद के अन्तर्गत यह लिखा है –

قال ابن جرير اختلف اهل التاويل في معنى ذلك فقال بعضهم معنى ذلك وان من اهل الكتاب الا ليؤمننّ به قبل موته ٢/١ يعني قبل موت عيسى وقال اخرون يعني بذلك وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي ذكر من كان يوجه ذلك الى انه اذا عاين علم الحق من الباطل قال على بن ابي طلحة عن ابن عباس في الآية قال لا يموت يهودى

حتى يومن بعيسى و كذا روى ابوداؤد الطيالسى عن شعبة عن ابى
هارون الغنوى عن عكرمة عن ابن عباس فهذه كلها اسانيد صحيحة
الى ابن عباس وقال اخرون معنى ذلك وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن
بمحمد قبل موت الكتابى

अर्थात् इस आयत के अर्थों में तावील करने वालों का मतभेद चला
आया है। कोई कोई की ज़मीर ईसा^अ की तरफ़ फेरता है और कोई अहले
किताब की तरफ़ और कोई बे की ज़मीर हज़रत ईसा की ओर फ़ेरता है और
कोई आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़। अतः यद्यपि इब्ने जरीर या
इब्ने कसीर का अपना मत कुछ हो यह गवाही तो उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन
कर दी है कि इस आयत के अर्थ तावील (व्याख्या) करने वालों में विवादित हैं
और हम ऊपर सिद्ध कर आए हैं कि मसीह इब्ने मरयम के नुज़ूल (उतरने) और
जीवित रहने पर यह आयत ठोस सबूत कदापि नहीं और यही सिद्ध करना था।

इसके पश्चात् कुछ नमूने के तौर पर मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु के बारे में
सबूत लिखे जाते हैं। स्पष्ट हो कि पवित्र कुर्आन में निम्नलिखित आयत मौजूद है:-

يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ارْتَفِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَىٰ
رَبِّكَ

(आले इमरान-56)

पवित्र कुर्आन के प्रसिद्ध मुहावरे पर दृष्टि डालने से अटल एवं निश्चित
तौर पर सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण कुर्आन में تَوَقَّى (तवप्फा) का शब्द रूह क़ब्ज़
करने के अर्थों में प्रयोग हुआ है अर्थात् उस रूह क़ब्ज़ में जो मृत्यु के समय
होता है पवित्र कुर्आन में दो स्थानों पर वह क़ब्ज़ रूह भी अभिप्राय लिया है जो
नींद की हालत में होता है परन्तु यहां करीना (प्रसंग) क़ायम कर दिया है जिस
से समझा गया है कि تَوَقَّى के वास्तविक अर्थ 'मृत्यु' के लिए हैं और जो नींद
की हालत में रूह क़ब्ज़ करना होता है वह भी हमारे उद्देश्य का विरोधी नहीं।
क्योंकि उसके तो यही अर्थ हैं कि किसी समय तक मनुष्य सोता है और अल्लाह
तआला उसकी रूह को अपने क़ब्जे में ले लेता है और फिर मनुष्य जाग उठता
है। अतः यह घटना ही अलग है, इससे हमारे विरोधी कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर

सकते। बहरहाल जब कि कुर्आन में تَوَفَّى शब्द रूह क़ब्ज़ करने के अर्थों में ही आया है तथा हदीसों में उन सभी स्थानों में जो खुदा तआला को कर्ता ठहराकर इस शब्द को व्यक्ति के बारे में इस्तेमाल किया है अनेकों स्थान पर मृत्यु के ही अर्थ लिए हैं। अतः निस्सन्देह यह शब्द क़ब्ज़ रूह और मृत्यु के लिए ठोस सबूत हो गया और बुखारी जो सब पुस्तकों से अधिक सहीह हदीस की पुस्तक है उस में भी आयत فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي की तफ़्सीर 'तक्कीब' में مُتَوَفِّيكَ का अर्थ लिखा है। यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु और रफ़ा में एक स्वाभाविक क्रम है। प्रत्येक मोमिन की रूह (आत्मा) की पहले मृत्यु होती है फिर उसका रफ़ा होता है। इसी स्वाभाविक क्रम पर आयत का बनाया हुआ क्रम सिद्ध कर रहा है कि पहले إني متوفيك कहा इसके बाद رافعك कहा और यदि कोई कहे कि पहले رافعك और متوفيك बाद में है अर्थात् رافعك आयत के िसर पर और متوفيك वाक्य

جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا

(सूरह आले इमरान-56)

के बाद और बीच में यह वाक्य लुप्त (महज़ूफ़) है कि फिर पृथ्वी पर उतरेगा ثم منزلك الى الارض अतः यह उन यहूदियों का अक्षरांतरण (तहरीफ़) है जिन पर अक्षरांतरण के कारण ला'नत हो चुकी है, क्योंकि इस स्थिति में इस आयत को इस प्रकार उलट-पुलट करना पड़ेगा

يَاعِيسَى إني رافعك إلى السماء ومطهرك من الذين كفروا وجاعل
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم منزلك إلى الأرض
ومتوفيك

अब बताइए कि इस अक्षरांतरण पर कोई सहीह मफ़ूअ, मुत्तसिल हदीस मिल सकती है। यहूदी भी तो ऐसे ही काम करते थे कि अपनी राय से अपनी तफ़्सीरों में कुछ आयतों के अर्थ करते समय कुछ शब्दों को पहले और कुछ को अन्त में कर देते थे। जिनके बारे में पवित्र कुर्आन में यह आयत मौजूद है कि

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

(अलमाइदा-14)

उनका अक्षरांतरण हमेशा शाब्दिक (लफ़्ज़ी) नहीं था बल्कि अर्थों में भी था। अतः ऐसे अक्षरांतरणों से प्रत्येक मुसलमान को डरना चाहिए। यदि किसी सही हदीस में ऐसे अक्षरांतरण की अनुमति है तो बिस्मिल्लाह, वह दिखाइए। निष्कर्ष यह कि आयत *يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خُذْ كِتَابَكَ بِرُوحِ رَبِّكَ* में यदि पवित्र कुर्आन का प्रसिद्ध मुहावरा दृष्टिगत रखा जाए और आयत को अक्षरांतरण से बचाया जाए तो फिर मृत्यु के पश्चात् और दूसरे अर्थ क्या निकल सकते हैं। यह बात भी याद रखने योग्य है कि आयत में *رَافِعَكَ إِلَى السَّمَاءِ* आया है *رَافِعَكَ إِلَى السَّمَاءِ* नहीं आया। इस में नीति (हिक्मत) यह है कि रूह कोई साकार वस्तु नहीं है बल्कि उसके उसके संबंध का ज्ञान बुद्धि और विवेक से बाहर है मृत्यु के पश्चात् रूह का एक संबंध क्रब्र के साथ भी होता है और कश्फ़-ए-कुबूर★ के समय कश्फ़ वालों पर वह संबंध प्रकट होता है कि क्रब्रों वाले अपनी-अपनी क्रब्रों में बैठे हुए दिखाई देते हैं बल्कि उनसे कश्फ़ वालों के वार्तालाप भी स्पष्ट हो जाते हैं यह बात सही हदीसों से भी भली भांति सिद्ध है। 'सलात् फ़िलक्रब्र' की हदीस मशहूर है तथा हदीसों से सिद्ध है कि मुर्दे जूते की आवाज़ भी सुन लेते हैं और अस्सलामो अलैकुम का उत्तर देते हैं। इसके बावजूद उनका एक संबंध आसमान से भी होता है और अपनी आत्मा के निश्चित स्थान पर उनका साक्षात् अवलोकन (मुशाहदा) में आता है और उनका रफ़ा विभिन्न श्रेणियों में होता है। कुछ (सानिध्य के) प्रथम आसमान तक रह जाते हैं। कुछ दूसरे तक और कुछ तीसरे आसमान तक। परन्तु मृत्यु के पश्चात् रूह का रफ़ा भी अवश्य होता है जैसा कि सही हदीस तथा आयत

لَا تُفْتَعِلُهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ (अलआराफ़-7/41)

स्पष्ट संकेत कर रही है। उनका आसमान पर होना या क्रब्रों में होना एक ऐसी बात है जो बुद्धि से परे है। पार्थिव शरीर तो उनके साथ नहीं होता कि पार्थिव

★ कश्फ़-ए-कुबूर- सूफ़ियों की वह श्रेणी जिसमें उन्हें क्रब्र में पड़े हुए मुर्दे की हालतें मालूम हो जाती हैं। (अनुवादक)

शरीरों की भांति एक विशेष आकृति और स्थान में उनका पाया जाना आवश्यक हो। इसी कारण से खुदा तआला ने رافعك إِلَى السَّمَاءِ फ़रमाया नहीं कहा। क्योंकि जो लोग मृत्यु पा जाते हैं वे विशेष तौर पर किसी भौतिक स्थान की तरफ़ संबद्ध नहीं हो सकते। बल्कि

(सूरह अलक़मर-56) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

होते हैं। अर्थात् यदि उनका कोई विशेष स्थान (मकान) है तो यही स्थान है कि खुदा तआला के सानिध्य (कुर्ब) का स्थान जो योग्यतानुसार उन्हें मिलता है। अब जबकि पवित्र कुर्आन में رافعك إِلَى है जिसके अर्थ ये हैं कि मैं तुझे अपनी तरफ़ उठाने वाला हूँ। यदि शारीरिक तौर पर रफ़ा अभिप्राय लिया जाए तो बहुत सी कठिनाइयां आती हैं क्योंकि बुखारी की सहीह हदीसों से सिद्ध होता है कि हज़रत मसीह अपने खालाज़ाद भाई (मौसरे भाई) के साथ दूसरे आसमान पर हैं। तो क्या खुदा तआला दूसरे आसमान पर बैठा हुआ है ताकि दूसरे आसमान में होना رافعك إِلَى का चरितार्थ हो जाए बल्कि यहां रफ़ा रूहानी अभिप्राय है जिसका दर्जो (श्रेणियों) के अनुसार एक (सानिध्य के) विशेष आसमान से संबंध है। बुखारी में मेराज की हदीस पढ़ो और ध्यान पूर्वक देखो। अब सारांश यह है कि इन समस्त कारणों की दृष्टि से अटल और निश्चित तौर पर सिद्ध है कि हज़रत ईसा^{अ.} मृत्यु पा चुके हैं। निस्सन्देह आयत اِنِّي مُتَوَفِّيكَ हज़रत ईसा की मृत्यु पर ठोस तर्क है। पवित्र कुर्आन का प्रसिद्ध मुहावरा इसी को सिद्ध करता है। बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से اِنِّي مُتَوَفِّيكَ के अर्थ مُيْتُّكَ लिखे हैं तथा बुखारी ने किसी सहाबी की रिवायत से متوفيك के कोई दूसरे अर्थ अपनी सही बुखारी में कदापि नहीं लिखे और न 'मुस्लिम' ने लिखे हैं। बल्कि यह बात सिद्ध हो चुकी है कि खुदा तआला के कर्ता होने और मनुष्य के मफ़ऊल (कर्म) होने की हालत में रूह क़ब्ज़ करने के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकते। इसी आधार पर मैंने हज़ार रुपए का विज्ञापन भी दिया है। अब यदि यह आयत मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु पर एक ठोस सबूत नहीं तो उपरोक्त वर्णित तर्कों तथा 'इज़ाला औहाम' के विस्तार में दिए गए तर्कों का उत्तर देना चाहिए ताकि

आपको हज़ार रुपए भी मिल जाएं और अपने भाइयों में आप को ज्ञान संबंधी प्रसिद्धि भी प्राप्त हो जाए।

दूसरा सबूत मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु पर स्वयं हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीस जिसको इमाम बुखारी अपनी किताबुत्तफ़सीर में इसी उद्देश्य से लाए हैं ताकि यह स्पष्ट करें कि **لَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** (लम्मा तवफ़यतनी) का अर्थ **لَمَّا امْتَنَيْتَنِي** (लम्मा अम्मतनी) है। इसके अतिरिक्त इसी उद्देश्य से इस अवसर पर इब्ने अब्बास की रिवायत से **مُؤَيِّنَتِكَ وَتَوَفِّيكَ** (मुमीतका, मुतवफ़ीका) की भी रिवायत लाए हैं ताकि स्पष्ट करें कि **لَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** (लम्मा तवफ़यतनी) के वही अर्थ हैं जो **اِنِّي امْتَوَفِّيكَ** (इन्नी मुतवफ़ीका) के अर्थ इब्ने अब्बास ने किए हैं। इस स्थान पर बुखारी को ध्यान से देख कर निम्न स्तर का मनुष्य भी समझ सकता है कि **تَوَفَّيْتَنِي** (तवफ़यतनी) के अर्थ **امْتَنَيْتَنِي** (अम्मतनी) हैं अर्थात् तूने मुझे मार दिया। इसमें तो कुछ सन्देह नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मृत्यु पा चुके हैं तथा मदीना मुनव्वरा में आप का मज़ार मौजूद है। फिर जब कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने वही शब्द **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** (फ़लम्मा तवफ़यतनी) का हदीस बुखारी में अपने लिए प्रयोग किया है और अपने हक़ (पक्ष) में वैसा ही इस्तेमाल किया है जैसा कि वह हज़रत ईसा के हक़ (पक्ष) में इस्तेमाल हुआ था। तो क्या इस बात को समझने में कुछ कमी रह गई कि जैसा कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मृत्यु पा गए वैसा ही हज़रत मसीह इब्ने मरयम भी मृत्यु पा गए। यह तो स्पष्ट है कि पवित्र कुर्आन की आयतों तथा आयतों के अर्थ में किसी प्रकार की तहरीफ़ (अक्षरांतरण) वैध नहीं तथा जो कुछ प्रत्येक शब्द का मूल उद्देश्य, मूल अर्थ, मूल अभिप्राय है उस से उसे जानबूझ कर अन्य अर्थों की तरफ़ फेर देना एक प्रकार की नास्तिकता (बेदीनी) है, जिसे करने का कोई नबी या ग़ैर नबी अधिकार नहीं रखता है। अतः यह क्योंकर हो सकता है कि निष्पाप नबी पूर्णरूप से अनुकूल स्थिति के अतिरिक्त जो वास्तव में मसीह की मृत्यु से उसकी मृत्यु को थी शब्द **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता

और नऊजुबिल्लाह तहरीफ़ (अक्षरांतरण) करता, बल्कि समस्त अवतारों के गौरव हमारे सय्यद व मौला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने (जिसके पगचिन्हों पर मेरे प्राण न्योछावर हों) शब्द **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** का अत्यन्त सत्य निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ उन्हीं निर्धारित एवं निश्चित अर्थों के साथ अपने हक्र में इस्तेमाल किया है जैसा कि वह बिल्कुल वैसा ही (हू बहू) हज़रत ईसा के हक्र में आया है। अब भाइयों! यदि हमारे सय्यिद-व-मौला (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) पार्थिव शरीर के साथ आसमान की तरफ़ उठाए गए हैं तथा मृत्यु नहीं पाए और मदीना में उनका पवित्र मज़ार नहीं तो गवाह रहो कि मैं ईमान लाता हूँ कि इसी प्रकार हज़रत ईसा^अ भी पार्थिव शरीर के साथ आसमान की तरफ़ उठाए गए होंगे और यदि हमारे सय्यद व मौला, सय्यिदुलकुल, खातमुन्नबिय्यीन, पहलों तथा बाद में आने वालों में सर्वश्रेष्ठ, तथा प्रियतमों एवं सानिध्य प्राप्त लोगों में प्रथम, वास्तव में मृत्यु पा चुके हैं। तो आओ और खुदा तआला से डरो और **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** के प्यारे शब्दों पर गौर करो जो हमारे सय्यिद-व-मौला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने स्वयं में तथा उस नेक बन्दे में मुश्तरिक (संयुक्त) तौर पर वर्णन किए जिसका नाम मसीह इब्ने मरयम है। बुखारी इस स्थान में सूरह आले इमरान की यह आयत **انِي مَتَوَفَّيكَ** क्यों लाए और क्यों इब्ने अब्बास से रिवायत की कि **مُتَوَفَّيكَ**, मुमीतुका। इसका कारण बुखारी के पृष्ठ 665 में बुखारी के भाष्यकार (शारिह) ने यह लिखा है-

هذه الآية متوفيك من سورة آل عمران ذكر ههنا لمناسبة فلما

توفيتني

अर्थात् यह आयत **انِي مَتَوَفَّيكَ** सूरह आले इमरान में है तथा बुखारी ने जो यहां इस आयत के इब्ने अब्बास से यह अर्थ किए कि **مَتَوَفَّيكَ** (मुतवफ़ीका) **مُتَوَفَّيكَ** (मुमीतुका) तो इसका कारण यह है कि बुखारी ने **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** के अर्थ खोलने के लिए अनुकूलता के कारण यह वाक्य लिख दिया अन्यथा आले इमरान की आयत का यहां वर्णन करने का कोई औचित्य न था। अब देखिए

कि शारिह (भाष्यकार) ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इमाम बुखारी *انى متوفيك ميمتك* के शब्द को आयत *فلما توفيتنى* की तप्सीर के अवसर पर गवाह के तौर पर लाए हैं तथा किताबुत्तप्सीर में जो बुखारी ने इन दोनों अलग-अलग आयतों को एकत्र करके लिखा है तो इसके अतिरिक्त उनका और दूसरा क्या उद्देश्य था कि वह हज़रत ईसा की मृत्यु विशेष तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के कथन से सिद्ध कर चुके हैं। अब जबकि हदीस की सबसे ठोस किताब बुखारी की मफ़ूअ, मुत्तसिल हदीस से जिसकी आप मांग कर रहे थे हज़रत ईसा की मृत्यु सिद्ध हुई और कुर्आन की ठोस गवाही उसके साथ सहमत हो गई तथा इब्ने अब्बास जैसे सहाबी ने भी मसीह की मृत्यु का इज़हार कर दिया। तो इस दोहरे सबूत के बाद अन्य किस सबूत की आवश्यकता रही। मैं यहां और तर्क (सबूत) लिखना नहीं चाहता। मेरी पुस्तक "इज़ाला औहाम" मौजूद है आप उसका खण्डन करके दिखाएं। सच्चाई स्वयं खुल जाएगी। हज़रत ईसा^{अ.} मृत्यु पा चुके। अब आप किसी भी प्रकार से उनको जीवित नहीं कर सकते।

अब मैंने हज़रत! मूल उद्देश्य का निर्णय कर दिया। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। जब मेरे और आप के लेख प्रकाशित होंगे न्याय प्रिय लोग स्वयं देख लेंगे। आप ने एक बहुमुखी आयत को जिसके निश्चित तौर पर एक अर्थ कदापि क्रायम नहीं हो सकते, ठोस तर्क ठहराना चाहा था, मैंने इस प्रकार जैसे दिन चढ़ जाता है आपको दिखा दिया कि वह आयत हज़रत ईसा^{अ.} के जीवित रहने पर ठोस तर्क और सबूत कदापि नहीं। आप नहीं देखते कि उसकी ज़मीरों (सर्वनामों) में ही कितनी गड़बड़ पड़ी हुई है। कोई किसी तरफ़ फेरता है तथा कोई किसी तरफ़। न वर्तमान काल के कोई अर्थ कहे जा सकते हैं और न केवल भविष्यकाल के एक अर्थ। फिर वह ठोस तर्क (सबूत) कैसे हो गई? क्या ठोस सबूत इसी को कहते हैं कि कोई उसकी ज़मीर खुदा तआला की तरफ़ फेरे तथा कोई हमारे सय्यिद-व-मौलाना नबी-ए-अरबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ़ फेरे और कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ और

कोई **قبل موته** की ज़मीर हज़रत ईसा^अ की तरफ़ फेरे और कोई अहले किताब की तरफ़। जबकि ज़मीर के (सर्वनाम) लौटने के स्थान (मर्जअ) के बारे में ही प्रारंभ से ही मतभेद चला आया है और फिर अहले किताब के शब्द में मतभेद है कि वे किस युग के अहले-किताब में से हैं और फिर आपके कथनानुसार ईमान लाने वालों का युग भी एक निशानदही के साथ निर्धारित और निश्चित नहीं। अतः न्याय की दृष्टि से कहिए कि इन समस्त दुविधाओं के बावजूद यह आयत ठोस सबूत क्योंकर होगी। पवित्र कुर्आन के कई स्थानों से सिद्ध हो रहा है कि इस संसार के पतन तक काफ़िर अहले किताब शेष रहेंगे। फिर यह तावील (व्याख्या) कि किसी समय क्रयामत से पहले-पहले समस्त अहले-किताब मुसलमान हो जाएंगे किस प्रकार से उचित ठहर सकती है। क्या कोई अन्य आयत भी स्पष्ट और खुले-खुले कथन से इस बात की पुष्टि करने वाली है कि अवश्य है कि अन्तिम समय में क्रयामत से पहले समस्त अहले किताब मुसलमान हो जाएंगे। पवित्र कुर्आन के स्पष्ट और अटल आदेशों को मात्र एक बहुमुखी और मिलती-जुलती आयत पर नज़र रख कर अस्वीकार कर देना ईमानदारी का काम नहीं है। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि **मुतशाबिहात**★ का अनुसरण वे लोग करते हैं जिनके हृदय में टेढ़ापन है और सद्मार्ग पर नहीं चलते। फिर वहब, मुहम्मद बिन इस्हाक़ तथा इब्ने अब्बास मृत्यु की घटना को स्वीकार करते हैं तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मसीह की मृत्यु पर स्पष्ट गवाही देते हैं और इमाम बुख़ारी स्वयं अपना मत यही प्रकट करते हैं, तो इन विरोधी सबूतों के बावजूद **قبل موته** की ज़मीर ठोस तौर पर ईसा की तरफ़ क्योंकर फिर सकती है और मैंने आप के पूर्णतः भविष्यकाल अभिप्राय लेने का भी पूरा-पूरा निर्णय कर दिया है। सत्याभिलाषी के लिए पर्याप्त है।

फिर आप अपने पर्चे के अन्त में फ़रमाते हैं कि हम दावे से कहते हैं कि विश्व के मुफ़स्सिर (भाष्यकार) तथा समस्त सहाबा व ताबिईन मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु के इन्कारी तथा उनके शारीरिक तौर पर (अब तक) जीवित रहने को

★ पवित्र कुर्आन की वे आयतें जिन के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। (अनुवादक)

मानते हैं। इसके उत्तर में कहा जाता है कि यदि आप के साथ कोई साधारण और अनभिज्ञ मुफ़स्सिर होगा हमारे साथ अल्लाह तआला और उसका प्यारा और प्रतिष्ठित रसूल है। क्या उस हदीस के अनुसार जो किताबुतप्सीर में इमाम बुखारी ने लिखी है तथा उसके समर्थन में इब्ने अब्बास के कथन का उल्लेख किया है आप के पास इस स्तर की कोई हदीस है जिसके विवादित शब्दों के बारे में इब्ने अब्बास जैसे सहाबी की शरह (व्याख्या) ही हो तो वह हदीस आपको प्रकाशित करनी चाहिए। और जैसा कि सबसे अधिक सही किताब बुखारी में इब्ने अब्बास से *انى مُتَوَفِّيكِ* की व्याख्या *انى مُمَيِّتِكَ* नक़ल की गई है। भला ऐसी सर्वाधिक सही किताब में से किसी और सहाबी के संदर्भ से *متوَفِّيكِ* के कोई और अर्थ भी तो सिद्ध करके दिखाएं। आप जानते हैं कि बुखारी जांच-परख (समीक्षा) में प्रथम श्रेणी पर हैं और वह हज़रत ईसा की मृत्यु वर्णन कर चुके हैं और उसके पृष्ठ 665 में एक महाप्रतापी सहाबी रसूलुल्लाह के चाचा का बेटा *متوَفِّيكِ* के अर्थ *مُيِّتِكَ* बता रहा है। जो आंखें रखता है वह भली भांति जानता है कि इमाम बुखारी उस आले इमरान की आयत को *فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي* की तप्सीर के अवसर पर क्यों लाए तथा इब्ने अब्बास का कथन क्यों प्रस्तुत किया और आयत *فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي* को किताबुतप्सीर में क्यों लिखा। मैंने तो सहाबी क्या, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का कथन भी आपके सामने रख दिया तथा सहाबी भी प्रस्तुत कर दिया। यदि आप सच्चे हों तो उसी बुखारी की किताब से इस श्रेणी की कोई हदीस प्रस्तुत करें जिस से हज़रत मसीह का जीवित रहना सिद्ध होता हो, परन्तु ऐसा न करें कि आयत *لِيَوْمِنُنَّ* की तरह कोई बहुमुखी तथा अस्पष्ट हदीस प्रस्तुत कर दें। आप जानते हैं कि आयत *لِيَوْمِنُنَّ* के संबंध में हम दोनों के कुछ दिन का समय बर्बाद हुआ और आप का ठोस तर्क और सबूत का दावा स्पष्ट तौर पर असत्य निकला और आपने जिन दलीलों को आधार बनाया था वे उड़ने वाली धूल की तरह उड़ गए। हज़रत आप नाराज़ न हों, यदि आप पहले से सोच लेते तो मेरा प्रिय समय आप के साथ अकारण नष्ट न होता। अब जबकि आपके उन प्रथम श्रेणी के सबूतों को

जिनको आपने सम्पूर्ण संचयन (ज़खीर:) से चुन कर प्रस्तुत किया था। अन्त में जब यह हाल निकला तो मैं क्योंकि विश्वास करूँ कि आप के दूसरे सबूतों में कुछ जान होगी, और आज जैसा कि आप की तरफ़ से तीन पर्चे लिखे जा चुके हैं मेरी तरफ़ से भी तीन पर्चे हो गए। अब ये छः पर्चे हम दोनों की तरफ़ से हू-बहू छप जाने चाहिए। जनता खुद फैसला कर लेगी कि मैंने आप के प्रस्तुत किए हुए सबूतों और तर्कों का खण्डन कर दिया है या नहीं तथा आपकी ओर प्रस्तुत की हुई आयत क्या वास्तव में ठोस सबूत है या बहुमुखी। बल्कि आप के मतानुसार अर्थ करने से आरोप योग्य ठहरती है या नहीं। चूंकि हम दोनों के बराबर पर्चे लिखे जा चुके हैं। तीन आप की तरफ़ से और तीन मेरी तरफ़ से। इसलिए यही पर्चे बिना किसी कमी-बेशी के छप जाएंगे और हम दोनों में से किसी को अधिकार न होगा कि गुप्त तौर पर कुछ और अधिक या कम करे। यह भी याद रहे कि तीन पर्चों पर स्वाभाविक तौर पर दोनों सदस्यों के वर्णन समाप्त हो गए हैं और इस लेख के प्रकाशित होने के पश्चात जब जनता की ओर से न्याय से भरपूर रायें प्रकाशित होंगी तथा मध्यस्थों के द्वारा सही राय जो सच्चाई की समर्थक हो पैदा हो जाएगी तो उस निर्णय के लिए आप लिखित तौर पर अन्य बातों में भी बहस कर सकते हैं परन्तु इस लिखित बहस के लिए मेरा और आपका देहली में ठहरे रहना आवश्यक नहीं, जबकि लिखित बहस है तो दूर रहकर भी हो सकती है। मैं मुसाफ़िर हूँ अब मुझे अधिक ठहरने की गुंजायश नहीं।

ध्यान देने योग्य-

इस मुबाहसे से संबंधित मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब और मौलवी सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब के मध्य जो पत्राचार हुआ और “अलहक्र” में प्रकाशित हो चुका है नीचे इस उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है ताकि इस युग के मौलवियों की मुबाहस: की शैली तथा उनकी प्रचलित विद्याओं से संलग्नता तथा पवित्र क़ुरआन के ज्ञान से अनभिज्ञता पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाए। (शम्स)

पत्राचार नम्बर - 1

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब

तथा

मौलवी सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब

के बीच

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब

حامدًا مصلياً مبسلاً

मुकर्रम मुअज़्ज़म बन्दा जनाब मौलवी मुहम्मद अहसन साहिब दामा मज्दुकुम

अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू

कृपा पत्र दिनांक 2 रबीउस्सानी को पहुंचा। सम्मानित किया। लिखित बातों से अवगत हुआ। चूंकि बहस मसीह अलैहिस्सलाम के जीवित रहने तथा उनकी मृत्यु पर आधारित शरीअत के सबूतों पर है। इसमें इल्हाम का कुछ हस्तक्षेप नहीं है और यद्यपि जनाब मिर्जा साहिब इल्हाम में कितना ही कौशल रखते हों परन्तु विनीत के विचार में पारंपरिक विद्याओं में आप को उन पर प्राथमिकता (तर्जीह) है। इसलिए मैं आपको मुबाहसा का सबसे अधिक पात्र समझता हूँ। इसके अतिरिक्त विनीत के तथा आपके मध्य जो प्रेम-संबंध आपके जनाब मिर्जा साहिब के मसीह मौऊद के अनुयायी होने से पूर्व सुदृढ़ था वह पूर्णतः स्पष्ट है। जैसे हम दोनों इस शैर के चरितार्थ थे-

و كُنَّا كُنْدَ مَانِي جَذِيمَةِ حَقْبَةِ

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قَبِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

और यह प्रेम केवल धार्मिक था न कि सांसारिक तथा जब से आप जनाब मिर्जा साहिब के मसीह मौऊद होने के अनुयायी हुए हैं तब से हम दोनों इस शैर के चरितार्थ हैं-

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكَا

لَطُولِ اجْتِمَاعِ لَمْ نَبْتَ لَيْلَةَ مَعَا

और यह वियोग भी केवल धर्म के लिए है न कि किसी सांसारिक उद्देश्य से तथा इस वियोग के रोग का उपचार मेरे नज़दीक कुछ नहीं है सिवाए इसके

कि मेरे और आप के बीच मसीह अलैहिस्सलाम के जीवित रहने तथा उनकी मृत्यु के बारे में सच को प्रकट करने के लिए लिखित मुबाहसा हो जाए क्योंकि मैं सच्चे दिल से आप से कहता हूँ कि यदि मृत्यु मेरे नज़दीक सिद्ध हो जाएगी तो मैं बिना सोच-विचार के अपने कथन से तौबा कर लूंगा। **والله على ما اقول وکیل** और आप के साथ भी मुझे सुधारणा यही है। अतः दृढ़ आशा है कि मुबाहसा के बाद इन्शाअल्लाह रोग का कारण दूर हो जाएगा। रही बात मानवीय कमज़ोरियों और सांसारिक फ़ित्ना-फ़सादों की तो यदि मैं और आप बौद्धिक एवं शास्त्रीय शिष्टाचार को अपने ऊपर अनिवार्य कर लें तो इन की ख़राबियों और बुराइयों से बचना आसान बात है और मुबाहसा की उत्तम पद्धति यह मालूम होती है कि हम में से एक मुद्दई (वादी) बने और दूसरा उत्तर देने वाला तथा मुद्दई के तीन लेख हों न कम न अधिक, और उत्तर देने वाले के दो पर्चे हों न कम न अधिक, तत्पश्चात् इसके विपरीत हो अर्थात् जो उत्तर देने वाला था वह मुद्दई बने और मुद्दई उत्तर देने वाला बने, तथा यहां भी मुद्दई के तीन लेख हों, न कम न अधिक, और उत्तर देने वाले के दो लेख हों न कम न अधिक। इस पद्धति में लाभ यह है कि इस बात की बहस समाप्त हो जाएगी कि वास्तव में कौन मुद्दई है और कौन उत्तर देने वाला, तथा प्रत्येक को अपने दावे का सबूत वर्णन करने और विरोधी के सबूत का खण्डन करने का समान रूप से अच्छा अवसर प्राप्त होगा और पर्चे भी दोनों के समान संख्या में हो जाएंगे। विनीत की ओर से आप को अधिकार है चाहे पहले मुद्दई बनें चाहे उत्तर देने वाले। आशा है कि इस पत्र के उत्तर से शीघ्र सम्मानित करेंगे।

वस्सलाम खैरुलखिताम,

दिनांक 7 रबीउस्सानी 1309 हिज़्री

मुहम्मद बशीर उफ़िया अन्हो

मौलवी सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

مبسملاً محمداً مصلياً مسلماً

मख़दूम व मुकर्रम जनाब मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब

अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातुहू

नामा नामी अज़ सानी ने मज़ाक और चाशनी क्रन्द मुकर्रर प्रदान कर के सरफ़राज़ और मुम्ताज़ फ़रमाया और पुनः मुबाहसा करने के अनुरोध को देखकर हैरान हुआ कि मौलाना साहिब तो उलेमा के बहस-मुबाहसा के रणक्षेत्र में देहली से स्वयं के कथनानुसार महान विजय प्राप्त करके आए हैं तथा एक ऐसे ख्याति प्राप्त महान व्यक्ति को जो सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, पराजित किया है। फिर इस नादान और मूर्ख से मुबाहसे का निवेदन क्यों है?

من المثل السائر في الوری و کلّ الصيد في جوف الفری

यह बात प्रमाणित है कि ऊंचे और प्रतिष्ठित लोगों पर विजय प्राप्त करके तुच्छ लोगों की ओर ध्यान नहीं रहता। हे मेरे ख़ुदा ! यह स्वप्न की अवस्था है या जागने की, क्योंकि आपकी ओर से केवल मुबाहसे का इस अयोग्य व्यक्ति से निवेदन करना, विशेष तौर पर कल जुमा के दिन उपदेश एवं नसीहतों के जल्से में अत्यन्त सम्मान और गर्व का कारण है। यद्यपि यह तुच्छ व्यक्ति आपके सामने केवल मौन और ख़ामोश ही हो जाए तो भी गर्व की बात है। अखाड़े में प्रसिद्ध पहलवान से भागे हुए को बड़ा सम्मान प्राप्त हो जाता है। काश यह मुबाहसे का निवेदन, इस महान विजय से पूर्व किया होता तो भी शायद यथोचित होता। हे मेरे

ख़ुदा! यह विपरीत उन्नति कैसी है-

اینکه می بینم به بیدار یست یارب یا خواب

(अनुवाद - यह जो मैं देख रहा हूँ या रब्ब यह स्वप्न है या हकीक़त।)

बहरहाल इस स्वप्न (ख़्वाब) की त़ाबीर जो विकृत विचार में आई है हमारे लिए अच्छी तथा हमारे शत्रुओं के लिए बुरी है। पुनः कहूंगा। आप के पत्र का उत्तर देता हूँ।

पहला निवेदन

आप महोदय ने देहली से आने के समय जब यह आज्ञाकारी आपकी सेवा में उपस्थित हुआ तो इस सम्बन्ध में कहा था, शब्द कुछ भी हों परन्तु मतलब यही था, कि मेरा यह मुबाहसा मौलाना सय्यिद नज़ीर हुसैन साहिब तथा मुहम्मद हुसैन के मुक्राबले में हुआ है, बल्कि इन उलेमा ने उनके मुबाहसे में सम्मिलित न करने के कारण यहां तक कि बहस के जल्से में भी जब सम्मिलित न किया, तो उन उलेमा ने हज़रत मिर्ज़ा साहिब की सेवा में यह लिखकर भेजा कि इस मुबाहसे की विजय तथा पराजय का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह ख़बर पूरी देहली में प्रसिद्ध हो गई थी। इसके अतिरिक्त यह कि यह निवेदन दूसरे पक्ष का था, परन्तु आपकी राय भी यही थी। इस सन्दर्भ में और भी कुछ बातें कही गईं जिनको बाद में प्रस्तुत करूंगा। फिर इसी जल्से में यह भी कहा कि बशर्ते कि तुम हमारे लेख में कोई दोष न निकालो तथा जिरह न करो तो हम उसे सुना भी देंगे। इस पर आमन्ना-व-सल्लमना कहा गया (अर्थात् हमें स्वीकार है) और यह वादा तय हुआ कि आप प्रातः हमारे मकान पर आएंगे और एकान्त में सब सुना दिया जाएगा। प्रातःकाल के समय यह विनीत (मैं) प्रतीक्षा में रहा कि मौलवी साहिब वादानुसार अभी पधारेंगे। **الکریم اذا وعد وفا** (अर्थात् करीम व्यक्ति जब कोई वादा करता है तो उसे पूरा करता है-अनुवादक) परन्तु आशा निराशा में परिवर्तित हो गई-

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

(अनुवाद - बहुत सी उम्मीदें हैं जो खाक में मिल गईं।)

केवल पत्र पहुंचा जिसमें कुछ बातों का उल्लेख था। उन सब में उन के वादा पूरा न करने का बहाना यह था कि यह मुबाहसा तुम्हें तुम्हारे मकान पर सुनाना और बताना हित में नहीं है क्योंकि खुदा-खुदा करके तो मुझ पर से आरोप तथा लांछन दूर हुआ है। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहिब ऐसे मुबाहसे का इस तुच्छ व्यक्ति से छिपाना जिसके बारे में सुनता हूं कि हमारे मौलवी साहिब को विजय प्राप्त हुई और हज़रत मिर्ज़ा साहिब को पराजय तथा खुल्लम खुल्ला एक बड़े शहर देहली में घटित हुआ। प्रत्येक लेख पर दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर हुए जिसमें अक्षरांतरण तथा परिवर्तन करने की गुंजायश नहीं और शीघ्र ही आप उसे छापने वाले भी हैं। चाहे उधर से छापा जाए या न छापा जाए, फिर इसको छुपाने में कौन सा हित था-

نہان کے ماند آن رازے کزو سازند مظلما

(अनुवाद - वह भेद कब छुपा रह सकता है कि जो सभाओं में बातचीत का मुद्दा बन जाए। अनुवादक)

यदि उसकी कोई भूमिका उद्देश्यों के तौर पर लिखी जा रही है जैसा कि सुनने में आया है तो वह *بعد از جنگ یا آید* (अर्थात् युद्ध समाप्त होने के बाद याद आया) का चरितार्थ है। मुबाहसे के उद्देश्यों के नियमों में उसका दखल ही क्या है? समस्त उद्देश्यों की भूमिकाएं जो तर्क और सबूत की नींव तथा आधार हैं सब उसमें मौजूद और लिखे जा चुके होंगे। फिर उसको छुपाने में कभी तो यह बहाना करना कि वे लेख अभी अस्त व्यस्त हैं। इसलिए अभी भेज नहीं सकता हूं और कभी उसके छुपाने में किसी हित की रियायत करना मेरी समझ में नहीं आता। विशेष तौर पर ऐसी स्थिति में यह विनीत (मैं) आपको सच तथा उचित की अभिव्यक्ति (इज़हार) में एक नंगी तलवार समझता है। निष्कर्ष यह कि जब इस विनीत के बारे में मौखिक तौर पर यह ताकीद थी कि यह मुबाहसा तुझको जब सुनाया जाएगा तो तू उसमें बिलकुल खामोश रहे और फिर इस शर्त

को स्वीकार कर लेने के बावजूद वह सुनाया भी न गया, हित के विरुद्ध था, तो अब विनीत को मुबाहसे के लिए आदेश देना उस आदेश के विपरीत है जिसका आदेश पहले हो चुका है। विवादित विषयों के साथ मुझ जैसे असमर्थ, कमजोर या तुच्छ व्यक्ति को (मुबाहसे का) निमंत्रण देना सामर्थ्य से अधिक कष्ट देना है

(अल बकरह-2/287) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

अब यदि मुबाहसा ही अभीष्ट है तो प्रथम वही देहली का मुबाहसा अध्ययन करने के लिए भिजवाया जाए। उसी पर यह विनीत दृष्टि डाल सकता है।

दूसरा निवेदन

संभवतः सात आठ माह का समय गुज़रा होगा कि जब हज़रत मिर्ज़ा साहिब के बारे में मेरे और आपके बीच चर्चा हुआ करती थी तो आपने इस विनीत को सारांशतः यह राय दी कि इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बातचीत करना उचित नहीं लोग भड़क जाते हैं। उचित यह है कि एकान्त में ही बातचीत हुआ करे। विनीत ने भी इस बात को मस्लहत समझकर स्वीकार कर लिया और यह तय पाया कि तुम्हारे ही मकान में यह जलसा हुआ करेगा। अतः एकान्त में तीन जलसे हुए तथा विनीत ने अल्लाह तआला को गवाह ठहराकर इस विषय के सार के रूप में इक्रार कर लिया कि चूंकि यह जलसा पूर्णतः खुदा के लिए है इसलिए मैं वादा करता हूँ कि जो बात विनीत की तुच्छ समझ में सही हो और वस्तुतः ग़लत तो खुदा के लिए आप उसे अवश्य रद्द करेंगे और मैं उसे स्वीकार करूँगा। इसी प्रकार आप ने भी विनीत के इस इक्रार के बाद स्वयं खुदा तआला को गवाह ठहरा कर यह शब्द दोहराए कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। इस में थोड़ा सा भी सीमा उल्लंघन नहीं होगा। मतलब यही था शब्द यद्यपि और हों।

इस अहद और वचन के पश्चात् विनीत ने 'एलेामुन्नास' भाग प्रथम का मसौदा आपको सुनाना प्रारंभ किया। उसमें आपने जिस स्थान पर समर्थन की कोई बात कही मैंने उसे लिख लिया, और मुझे भली भांति याद है कि आप ने किसी बात पर जिरह नहीं की बल्कि समर्थन करते हुए कुछ आदेश दिया। शायद

एक स्थान पर जिरह (प्रतिप्रश्न करना) की थी मैंने उसको काट दिया था और इस पर एक बड़ा तर्क यह है कि 'एलेलाम' के प्रथम भाग को छपे हुए संभवतः सात: आठ माह का समय हुआ होगा और आप के पास भी उसकी छपी हुई प्रति पहुंच गई है। जो लेख उसमें आपकी ओर से समर्थन के तौर पर लिखा गया है उस का झूठा होना आपने अब तक नहीं छापा। यदि आप विलम्ब न करते तो अब तक अवश्य उसके झूठा होने का विज्ञापन दे देते। सारांश यह कि अब तक अलग-अलग तीन जलसे हो चुके थे। यहाँ तक कि लोगों ने आप पर आरोप और इल्ज़ाम लगाने आरंभ कर दिए। इसके बाद एकान्त में जलसा न हुआ-

آن قدر بشت و آل ساقی نماز

(अनुवाद - वह शराब का बड़ा प्याला टूट गया और वह साक्री न रहा। अनुवादक)

अतः जबकि भाग प्रथम में संभवतः दो-एक पृष्ठ सुनाने शेष रह गए हैं और या न होने जैसा कोई एक-आधा लेख भी रह गया हो जो पुनः विचार करते समय लिखा गया हो। कहने का तात्पर्य यह कि भाग प्रथम आप का सुना हुआ है: **وللا کثر حکم الکل**

फिर मौलाना ! मेरा क्या कुसूर (दोष) है। कहावत प्रसिद्ध है- अपने किए का कोई इलाज नहीं (خود کرده راعلاج نیست)

इन समस्त घटनाओं से मुझे पूरा साहस हो गया तब विनीत ने भाग प्रथम को सच समझकर प्रकाशित कर दिया। फिर यदि गुजरी हुई बात का सुधार करना है तो दूसरा भाग भी प्रकाशित हो चुका है जिसका अभी आपने अध्ययन नहीं किया होगा और बहुत समय हुआ कि प्रथम भाग तो इच्छानुसार आपकी सेवा में उपस्थित किया गया है। आप को दोनों भागों में जिस-जिस स्थान पर ऐतराज हो उत्तर और खण्डन लिखिए। खुदा ने चाहा यदि सच होगा तो स्वीकार कर लूंगा। भाग द्वितीय के प्रकाशित होने का बड़ा कारण यह भी हुआ कि एक दिन मार्ग में चलते हुए आपने चुपके से यह कहा कि मसीह का (अब तक) जीवित रहना वास्तव में सिद्ध नहीं। यद्यपि लोगों के मत के विरुद्ध है, परन्तु तुम किसी से मत कहो। मतलब यही था यद्यपि शब्द और रहे हों। जब चारों ओर से आप

पर लोगों की तरफ़ से इल्जाम लगने लगे, तब आपने हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब को (मुक्राबले से) टालने या सांकेतिक तौर पर दज्जाल-कज़ज़ाब कहा। जब भोपाल में इस उपदेश (प्रवचन) की ख़बर प्रसिद्ध हुई तो एक दिन मेरे एक आदरणीय प्रेमी विनीत से राह चलते मुल्ला नज़रगंज में कहने लगे कि मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब तो हज़रत मिर्ज़ा साहिब को दज्जाल-कज़ज़ाब कहते हैं। मैंने कहा कि आजकल की रिवायतों का क्या विश्वास है। मौलवी साहिब से आमने-सामने पूछ लिया जाए। विनीत और कथित प्रेमी आपके पास उपस्थित हुए तथा कथित प्रेमी ने इस बारे में स्वयं चाहे किन्हीं शब्दों में रहा आप से पूछा। आप ने विनीत के सामने उत्तर में यह शब्द कहे कि “मैंने दज्जाल-कज़ज़ाब नहीं कहा। मिर्ज़ा साहिब को इस बात में ग़लती पर समझता हूँ।” ग़लती चाहे इल्हामी हो या इज्तिहादी (विवेचात्मक) या जानबूझ कर की गई हो। शब्द कुछ भी हों मतलब यही था। इन बातों को विनीत ने आज तक प्रकट नहीं किया था, परन्तु जब लोग विनीत को बल देकर किसी हित के कारण मुबाहसे पर मजबूर करते हैं तो मजबूर होकर ये सूक्ष्म रहस्य सही बात को प्रकट करने के लिए अभिव्यक्त किए जाते हैं। फिर इन सब के साथ विनीत को मुबाहसे से सच्चाई को सिद्ध करने और सही बात को प्रकट करने की आशा हो तो क्योंकर हो। इसका क्या उपाय है। वह आदेश हो, इसके पश्चात् आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ।

तीसरा निवेदन

आपने पत्र में इल्हाम को शरई सबूतों से ख़ारिज कर दिया है और यह मामला भी प्रकाण्ड विद्वानों के बीच बहुत लम्बी बहस चाहता है और विनीत ‘एलेामुन्नास’ भाग-2 प्रचलित विद्याओं के तर्क के तौर पर अपने विचार में उसकी बहस से मुक्त हो चुका है। अतः यह भी आवश्यक है कि आप उसे स्वीकार करने के रूप में या खण्डन के रूप में दृष्टि डालें। सारांश यह है कि विनीत एलेामुन्नास में ये समस्त बहसें लिख कर मुक्त हो चुका है बल्कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब सल्लमहू ‘इज़ाला औहाम’ में विवादित विषयों

के बारे में समस्त बहसों को लिख चुके हैं तथा पत्र में लिखित समस्त बातों (कि कभी मुद्दई को उत्तरदाता का पद दे देना चाहिए और कभी उत्तरदाता को मुद्दई का पद दे देना) को तय कर चुके हैं। अतः जो-जो बातें आप की राय के विरुद्ध हैं चाहे 'इज़ाला औहाम' में हों या ए़ेलामुन्नास में, प्रथमतः सही को प्रकट करने तथा सच को स्थापित करने के लिए सच्चे मुबाहसे के तौर पर दृष्टि डाल लीजिए। विशेष तौर पर ऐसी स्थिति में आप ने देहली के मुबाहस: के दौरान दो-तीन बार यह वादा भी किया है कि इज़ाला-औहाम का खण्डन मैं बड़े विस्तार से करूंगा। अतः पहले उन सब पुस्तकों का उत्तर हो जाना भी आवश्यक है, इसके बाद यदि विनीत ने आपके उत्तरों को स्वीकार कर लिया। तो यही उद्देश्य है अन्यथा विनीत की दृष्टि शर्तों के साथ सही बात के प्रकट करने के लिए लाभप्रद हो सकती है क्योंकि इस ओर से तो अपने विचार में सही हो या विरुद्ध, पूर्णतः अकाट्य एवं निर्णायक प्रस्तुत कर दिया गया है।

चौथा निवेदन

यह जो कहा गया कि मिर्ज़ा साहिब को इल्हाम में कितनी भी अधिक कुशलता प्राप्त हो परन्तु आप के विचार में पारंपरिक विद्याओं में इस विनीत को उन पर प्राथमिकता (तर्जीह) है, यह विनीत बहस करने का अधिक अधिकार रखता है। जिन उलेमा तथा औलिया (वली का बहुवचन) की पुनीतात्मा ऐसी होती हैं कि उन्हें इल्हाम में बहुत बड़ी कुशलता प्राप्त हो उन्हें पारंपरिक विद्याओं की आवश्यकता ही नहीं होती है यह मामला भी मर्मज्ञों का मान्य है और यथास्थान पर सिद्ध है यहां तक कि तर्कशास्त्र की पुस्तकों तथा उनके हाशियों में علماء متقشفه ने मान्यता देकर लिख दिया है कि पुनीतात्माओं को तर्कशास्त्र इत्यादि पारंपरिक विद्याओं की आवश्यकता कदापि नहीं होती तथा इन विद्याओं के सम्पूर्ण सही नियम तथा सच्चे सिद्धान्त उनके मस्तिष्कों में ऐसे सुदृढ़ ढंग से समाए हुए होते हैं कि कोई ज्ञान संबंधी बात जो इन पारंपरिक विद्याओं से संबंधित हो तो उन के विरुद्ध जारी नहीं

होती। अतः यदि स्वीकार भी कर लिया जाए कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब को पारंपरिक विद्याओं में अभ्यास (महारत) कम है तो उनको इल्हाम में विशेष कौशल प्राप्त होने के बावजूद उसकी आवश्यकता ही क्या है और इसी कारण से ऐसे पवित्रात्माओं मुल्हमों का पारंपरिक विद्याओं का कोई विद्वान मुकाबला या बराबरी करने वाला नहीं हो सकता।

ومن المثل السائر في الوري-

ومن الرديف وقدر كبت غضنفرًا

हकीमुल उम्मत मौलवी शाह वलीउल्लाह साहिब रह. हदीस के ज्ञानों, अस्माउर्रिजाल, उसूले फ़िक: तथा उसूले हदीस के बारे में 'हुज्जतुल्लाह' में फ़रमाते हैं-

وهذا بمنزلة اللب والد رعه عامة العلماء و تصدى له المحققون من الفقهاء هذا وان ادق العلوم الحديثية باسرها عندى و اعلمها محتد او ارفعها منارا و اولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما ارى و اعلاها منزلة و اعظمها مقداراهو علم اسرار الدين الباحث عن حكم الاحكام و لميئاتها و اسرار خواص الاعمال و نكاتها فهو والله احق اعلم بان يصرف فيه اطاقه نفائس الاوقات و يتخذه عدة لمعاده بعد ما فرض عليه من الطاعات الى ان قال ولا تبين اسراره الا لمن تمكن في العلوم الشرعية باسرها او ستبدي الفنون الالهية عن آخرها ولا يصفوا امشر به الا لمن شرح الله صدره لعلم لدنى و ملاء قلبه بسروهي و كان ما ذلك و قاد الطبيعة سيال القريحة حاذقافى التقرير و التحرير بارعافى التوجيه و التحبير الى آخره

तथा इस विनीत को आपने सुधारणा रखते हुए ऐसा बढ़ा दिया कि मिर्ज़ा साहिब से मुबाहसे का अधिक हक़दार ठहरा दिया, यह सुधारणा वास्तविकता के विरुद्ध है और बहस के विपरीत- پاک با عالم (एक पवित्र विद्वान

की मिट्टी से क्या तुलना।) ऐसी सुधारणा तो **وضع الشئى فى غير محله** (किसी चीज़ को अपनी असल जगह पोए न रखना) आपके नज़दीक यह सुधारणा यथास्थान है तो वही मुबाहसा अध्ययन के लिए देहली भिजवाया जाए उसे ध्यानपूर्वक तथा गहरी दृष्टि से देख लूंगा।

पांचवां निवेदन

एक आवश्यक मशवरा आपकी मुबारक सेवा में देता हूँ कि आयत

(अन्सिा-160) **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ**

को आपने मसीह के जीवित रहने को ठोस तर्क द्वारा बड़ी धूमधाम से सिद्ध किया है। देहली के उलेमा हज़रत मियां साहिब इत्यादि-इत्यादि तथा मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी इस आयत को मसीह के जीवित रहने के बारे में ठोस तर्क नहीं समझते। अतः आप ने भी मुलाक्रात के समय इस विनीत से यह बात कही थी इसके अतिरिक्त देहली से आए पत्रों के द्वारा विनीत को यह बात मालूम हुई थी, तथा मौलवी मुहम्मद हुसैन ने 'इशाअतुस्सुन्न:' में केवल इतना लिखा है कि यह आयत अभीष्ट का संकेत करती है। इस स्थिति में ये सब उलेमा इस तर्क में आप से विरोधी हैं। यदि पहले मुबाहस: इन उलेमा से हो जाए तथा आपस में इसका फैसला कर लिया जाए तो अच्छा है कि इस का बहुत बड़ा प्रतिफल प्राप्त होगा। इस विशेष मामले में विनीत उन उलेमा से सहमत है जब तक कि वे सच पर रहें। परस्पर फैसले के पश्चात् जो बात सच होगी विनीत तक भी पहुंच जाएगी और यदि यह मशवरा दिल पसन्द न करे तो वही मुबाहस: देहली भेज दिया जाए। ख़ुदा ने चाहा तो सच को क़ायम करने के लिए ध्यानपूर्वक तथा गहराई से देख लूंगा।

छठा निवेदन

प्रेम तथा वियोग के रिश्ते के संबंध में आप ने जो फ़रमाया उसके बारे में यह निवेदन है कि वस्तुतः विनीत का तो आप से अब तक वैसा ही प्रेम है जैसा कि पहले था। इस कारण आप ने जो अरबी शेर लिखे हैं उन्हें बार-बार पढ़ता हूँ

तथा आज्ञाकारी हृदय पर एक आर्द्रता (रिक्कत) की अवस्था छा जाती है। आपके उन शेरों के साथ नीचे लिखे शेरों को भी संलग्न करता हूँ –

ولقد ندمت على تفرق شملنا	ندما افاض الدمع من اجفانى
ونذرت ان عاد الزمان يلمنى	ماعدت اذكر فرقه بلسانى
واقول للحساد موتوا حسرة	والله انى قد بلغت امانى
طفح السرور على حتى انه	من فرط ماقد سرنى ابكائى
يا عين ما بال البالك عادة	تبكين فى فرح وفى احزانى

अनुवाद - मुझे अफ़सोस है कि हम मुतफ़र्रिक़ हो गए (आपस में बँट गए) ऐसा अफ़सोस कि मेरी आँखों से बेशुमार आँसू बह पड़े

और मैंने ये मन्नत मांगी कि अगर ज़माना हमें फिर से एक साथ कर दे तो फिर में अपनी ज़बान पर तफ़र्रिक़ा का ज़िक्र भी नहीं लाउंगा।

और मैं हसद करने वाले को कहता हूँ कि हसरत के साथ मर जाए खुदा की क्रसम मैंने अपनी तमन्ना (लोगों तक) पहुंचा दी।

मुझ पर खुशी हद से ज़्यादा हावी हो गई यहां तक कि खुशी की अधिकता के कारण मैं रोने लगा।

ए मेरी आँख तुझे क्या हो गया है कि रोना तेरी आदत बन गई है तू खुशी में भी रोती है और मेरे ग़म में भी। (अनुवादक)

और आपकी इबारत में यह बात समझ में आती है कि जब से इस समस्या को तुम ने स्वीकार किया है तब से दूरी (जुदाई) अपनाई गई है। यह बात वास्तविकता के विरुद्ध मालूम होती है। शायद लोगों की आवभगत के लिए अपने हित को देखते हुए यह दिखाना चाहा है कि हम आरंभ से इस विषय में विरोधी हैं न कि अज्ञान। क्योंकि जिस दिन तक आप महोदय देहली से वापस आए हैं उस दिन तक तो दूरी का नामो निशान तक मौजूद न था, यहां तक कि आवभगत के आधार पर विनीत के कुछ उलेमा ने देहली की असभ्यता की शिकायत तथा मिर्ज़ा साहिब की सभ्यता की प्रशंसा विनीत से वर्णन की तथा विनीत के घर पर आकर मुबाहस: के सुनाने का वादा भी किया गया और देहली से विनीत के नाम मेरे पत्र के उत्तर में पत्र भेजा गया जिस में मुबाहसे की कुछ संक्षिप्त चर्चा थी। और उस

से पहले देहली से आने पर आप कुछ सभ्य और प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस विनीत के पास आए तथा मुबाहस: करने के लिए देहली जाने का इरादा प्रकट किया गया। मानो विनीत से विदा होकर देहली चले गए और इस से पहले जब मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब तथा आप से किसी मामले के बारे में कुछ बहस हुई थी। विनीत आप की सेवा में उपस्थित हुआ तो आप ने जुबान मुबारक से उस सम्पूर्ण बहस का मौखिक वृत्तान्त सुनाया और यह भी कहा कि **بعد اللّتي والّتي** मैंने तो मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को दज्जाल-कज्जाब कह दिया। यह सारा हाल सुनकर विनीत को इस बात से अत्यन्त दुःख हुआ और कुछ मित्रों से इस दुःख को प्रकट भी किया कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब के साथ जो प्रसिद्ध उलेमा में से हैं ऐसा व्यवहार और वार्तालाप उचित नहीं था। ये समस्त घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि आपको मिर्जा साहिब के मामले में इस कारण से कि उनके दावे संभाव्य थे तथा निषेध के स्थान में नहीं समझे गए थे। अतः विश्वसनीय रिवायत से यह बात भी मालूम होती थी कि आप ने 'एलेामुन्नास' भाग प्रथम के बारे में कहा था कि उसमें जो सबूत और तर्क लिखे हैं वे संभावना के अच्छे तर्क लिखे हैं। समस्त कथित बातों का सारांश यह है कि इस से पहले मिर्जा साहिब के दावे आप के नजदीक शरई संभावना के विषय सम्मिलित थे न कि शरई निषेधों में। इसलिए आप को हिचकिचाहट थी। ये घटनाएं सब की देखी तथा सुनी हुई हैं। अब इस के विपरीत बोलने में आप का कोई हित है तो विनीत को इस में कुछ आपत्ति नहीं। केवल सही बात को प्रकट करने के लिए एक सच बात को प्रकट किया गया और यह सच को मूलतः अलहक्र कहा गया। अब देखिए उसका परिणाम कड़वा निकलता है या मीठा।

सातवां निवेदन

(अल-रोम-42) **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ**

उपरोक्त आयत के प्रभाव से सुरक्षित रहने के बारे में जो आदेश हुआ वह यद्यपि

आप के प्रेमयुक्त अस्तित्व से आशा रखता है परन्तु आप के अनुयायियों तथा प्रतिष्ठावानों से क्योंकि आशा की जाए। आप को यदि अपने हृदय पर पूरा नियंत्रण है तो दूसरों पर क्या कुदरत और अधिकार है

قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن

(मोमिन का हृदय खुदा की उंगलियों में से दो उंगलियों के बीच होता है अनुवादक)

मैंने विश्वसनीय सूत्रों से सुना कि एक जल्से में जो अभी निकट समय में आयोजित हुआ था उसमें मेरे एक सच्चे दोस्त नेकी और भलाइयों से भरपूर, जैसा नाम वैसे गुण रखने वाले मित्र मौलवी खैरुल्लाह साहिब इत्यादि ने आप को यह मशवरा दिया कि मौलवी मुहम्मद अहसन या तो इस बात से तौबा करें या मुबाहस: कर लें अन्यथा उनसे सलाम, बातचीत, तथा समस्त इस्लामी सभ्याचार उनसे बन्द किए जाएं और अहले हदीस की जमाअत से बाहर। आप की ओर से इसको रोकने का क्या उपाय किया गया। उनके मश्वरे के अनुसार मुबाहसे की मांग का एक पत्र लिखा गया, जिस से शरारत और उपद्रव के कारण विनीत कोसों दूर रहता है और कल जुमा के दिन भी जल्सा-ए-नसीहत में भी यही ऐलान किया गया। फिर विनीत को सही बात को प्रकट करने तथा सच को स्थापित करने की आशा ऐसे भलाइयों से भरपूर लोगों के हस्तक्षेप करने के बावजूद क्योंकि हो। इस का क्या उपाय है।

आठवां निवेदन

मुबाहस: का ढंग जो परिवर्तित किया गया है तथा यह प्रस्तावित किया गया है कि एक अवधि के पश्चात् मुद्दई, उत्तर देने वाला बन जाए और उत्तर देने वाला मुद्दई। यह भी मेरी तुच्छ राय में अच्छा मालूम नहीं होता, यद्यपि आप ने उसे बहुत सोच समझ कर बनाया हो, क्योंकि ऐसी क्रान्ति और बहस में परिवर्तन मेरी तुच्छ राय में मुबाहसे के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है, पद का ज़बरदस्ती छीन लेना जो देखने वाले उलेमा के नज़दीक निन्दनीय है ऐसी स्थिति में इसको करना पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त निवेदन यह है कि मुबाहसा तो मसीह के जीवित रहने तथा उनकी मृत्यु के बारे में ही है और आप उनके जीवित रहने के

दावेदार (मुद्दई) हैं। अतः जबकि आप उनके जीवित रहने के मुद्दई न रहेंगे और इस दावे से अलग हो जाएंगे तो बहस समाप्त हो चुकी। आप स्वयं ही मृत्यु को मान गए, क्योंकि जीवित रहने तथा मृत्यु हो जाने में कोई संबंध तो है ही नहीं जो बहस शेष रहे। दो विपरीत बातों का परस्पर मिलना तो असंभव बातों में से है। जीवित रहना भी न हो और मृत्यु भी न हो इसके क्या अर्थ? हां नर्क में रहने वालों के लिए ऐसा कुछ आदेश हुआ है कि

(अल-आला -14) لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

जीवन और मृत्यु में ऐसा विरोधाभास है जैसा कि आस्ति और नास्ति में। फिर यह बात मेरी तुच्छ समझ में नहीं आती कि आप एक अवधि के पश्चात् मसीह के जीवित रहने के दावे को भी त्याग दें और फिर भी मृत्यु हो जाने को न मानें और बहस जारी रहे। इस में आप को क्या सच और सही बात को प्रकट करने की इच्छा। इस स्थिति में दोनों सदस्यों के पक्ष समान नहीं रहेंगे।

(अन्नजम-23) تَلْكَ إِذَا قَسَمَهُ ضَيْرِي

अर्थात्- यह तो फिर बहुत तुच्छ विभाजन है - अनुवादक
आपने यह ज्ञान संबंधी मामला पत्र में ऐसा दर्ज किया है कि विनीत की समझ में नहीं आता और कदाचित् अन्य बुद्धिमानों की समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मेरी तुच्छ राय में नई पद्धति (ढंग) ठीक नहीं है। वही पद्धति और वही लिखित मुबाहस: जिस से देहली में विजय हुई है, पर्याप्त है क्योंकि अनुभव भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में वही मुबाहस: देहली विनीत के पास भेज दीजिए। सच होगा तो स्वीकार कर लूंगा अन्यथा देख कर कुछ कहूंगा इन्शा अल्लाह।

नौवां निवेदन

जब आप देहली से वापस आए तो मुलाक्रात के समय विनीत से कहा था कि जब हज़रत मियां साहिब मद्द ज़िल्लहु ने बहुत आग्रह किया कि यदि मुबाहस: करते हो तो उस में मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब इत्यादि से अवश्य मशवरा कर लो क्योंकि विचार-विमर्श करने से ज्ञान में उन्नति हो जाती है। तब आपने मियां

साहिब से कहा कि मुझे अपने तर्कों पर इतना विश्वास है कि सहयोग और मशवरे की आवश्यकता कदापि नहीं है। मतलब यही था यद्यपि शब्द और रहे हों। यह वृत्तान्त जब से विनीत ने आप की जुबान से सुना है यद्यपि कि आए हुए पत्रों से भी ज्ञात हुआ था, तब से विनीत अत्यन्त व्याकुल और बेचैन है कि वे ठोस तर्क सहसा परोक्ष से कैसे प्रत्यक्ष में आ गए कि न हज़रत शैख़लकुल मद्दा ज़िल्लहू के विचार में आए और न मौलवी मुहम्मद हुसैन इत्यादि की कल्पना-शक्ति में गुज़रे तथा आश्चर्य पर आश्चर्य यह है कि न्यायवान और विश्वस्त लोगों की रिवायत से सुना गया कि कुछ दिन पूर्व देहली से आने पर आप ने भी खुले तौर पर कहा था कि मसीह के जीवित रहने पर कोई ठोस तर्क मालूम नहीं होता। पूरब से पश्चिम तक भी यदि कोई खोज करे तो भी ऐसा तर्क नहीं मिलेगा। अतः जबकि वे ठोस तर्क सहसा परोक्ष से प्रत्यक्ष में आ गए हैं और देहली के मुबाहसे में प्रस्तुत हो कर विजय और प्रभुत्व का रूप भी पैदा हो गया है तो वे लिखित तथा प्रस्तुत किए हुए ठोस तर्क ज्यों के त्यों विनीत के पास भिजवा दें। भला जब वे तर्क ठोस एवं अन्तिम होंगे तो विनीत उनको क्यों स्वीकार नहीं करेगा और जो उसकी भूमिका लिखी जा रही है, यदि आप चाहें तो उसे न दिखाएं, क्योंकि वह भूमिका अन्ततः यह है कि बतौर प्रारंभिक बातों के होगी न कि बतौर उद्देश्यों और अर्थों के सिद्धान्तों के। क्योंकि ऐसे सिद्धान्त तथा उद्देश्यों की भूमिकाएं सब पहले ही से तैयार हो चुकी होंगी। उद्देश्यों के सिद्धान्तों में उसका हस्तक्षेप ही क्या है।

दसवां निवेदन

आप को मालूम है कि यह विनीत प्रातः दस बजे से शाम तक कचहरी में सरकारी कार्य करता है। सुबह से दस बजे तक कुछ पाठ घर पर पढ़ाता है, कुछ पवित्र क़ुर्आन की तिलावत नज़र के तौर पर अपने ऊपर अनिवार्य कर ली है शेष समय खाने-पीने तथा अधिकारों को अदा करने में खर्च हो जाता है इस प्रकार दस बज जाते हैं। अन्य समय आप के समय बिलकुल खाली हैं। विनीत

का यह हाल कि कभी छुट्टी हो गई तो मुझे एक घंटे की फुर्सत मिल गई जिसमें कुछ लिखने-लिखाने का कार्य कर लिया या किसी पुस्तक इत्यादि का अध्ययन कर लिया। अतः यह निवेदन जुमा के दिन लिखने बैठा था उस बीच कुछ दोस्त आ गए तो लिखना स्थगित कर दिया गया, परन्तु संयोग से आज 11, रबीउस्सानी दिन शनिवार भी अवकाश था इसलिए उसको पूरा कर लिया अन्यथा यदि अवकाश न होता तो आज भी पूरा न होता। विनीत के समयों का यह हाल आपको मालूम है। परन्तु अतिरिक्त सावधानी पूर्वक इसलिए निवेदन किया गया कि यदि मुबाहसः देहली विनीत के पास अध्ययन के लिए भेजा जाए तो उसे फुर्सत के समयों में देखूंगा। आपकी तरफ़ से शीघ्रता न की जाए क्योंकि शीघ्रता की ऐसी कुछ आवश्यकता भी मालूम नहीं होती समस्त कार्य सोच-विचार और गम्भीरता के साथ अच्छा होता है। हां यद्यपि आप ने मुबाहसः देहली की जो पद्धति प्रस्तावित की है। विनीत को बहुत अच्छी मालूम होती है जीवित रहने के दावे से जिस समय छोड़ दिया जाएगा उस समय मृत्यु सिद्ध हो जाएगी। इसमें समय बहुत कम नष्ट होगा, क्योंकि फिर बहस की कुछ आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रस्ताव के उचित होने में विनीत आप से बिलकुल सहमत है, यद्यपि इस पर इतनी बात अवश्य कहता हूँ कि वही मुबाहसः देहली का ज्यों का त्यों भेज दें, उसी को देख लूंगा। मुबाहसः की पद्धति में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं तथा अस्वीकार है। 12 रबीउस्सानी दिन जुमा समय शाम। तदानुकूल 13-11-1891 ई.

मुबाहसा देहली की तर्क शैली पर एक दृष्टि

अल्लाह तआला की प्रशंसा और नबी करीम सअव पर दुरूद और सलाम

मौलवी साहिब ने इस पत्र का जो उत्तर भेजा तो उसमें लिखे दस निवेदनों की पुष्टि की परन्तु इसके साथ यह भी लिखा कि *كلمة حق اريد بها الباطل* तथा कुछ ऐसे नीरस बहाने लिखे कि विनीत उनको क्रियात्मक तौर पर प्रकाशित नहीं करता क्योंकि लोगों को उन से गिरगिट की तरह रंग बदलने का दूसरा सबूत

मिल जाएगा तथा देहली के मुबाहसे की तर्क शैली में कुछ परिवर्तन करके केवल आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** से सिद्ध किया और अन्त में यह भी लिखा कि मसीह के जीवित रहने के मेरे पास और भी बहुत से सबूत हैं वे फिर लिखे जाएंगे और पेचदार पत्र में ऐसे शब्द लिखे जो मौलवी साहिब की शान से दूर थे और सिद्ध करने की शैली के बारे में कहा कि यह वही शैली है जो देहली के मुबाहसे की थी। विनीत ने इस पत्र को लेख के सारांश पर निम्नलिखित तीन नोट (टिप्पणी) देकर उसे वापस कर दिया।

प्रथम नोट का सारांश

मेरे और आपके पत्रों में सभ्यता के विरुद्ध शब्दों का आना उचित नहीं अन्यथा मुबाहस: न होगा।

द्वितीय नोट का सारांश

इस पत्र का मुकाबला असल मुबाहसे से करा दिया जाए।

तृतीय नोट का सारांश

मसीह के जीवित रहने के समस्त सबूत इस पत्र में एकत्र कर दिए जाएं। बार-बार एक दावे पर भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न सबूतों का प्रस्तुत करना कुछ आवश्यक नहीं है। हां दोनों सदस्यों को अधिकार है कि जब तक चाहें सबूतों में तोड़-मरोड़ और जिरह अथवा उनके समर्थन में कभी-कभी लिखें। उसका उत्तर आज की तिथि तक मौलवी साहिब की तरफ़ से नहीं आया। इसलिए बहुत प्रतीक्षा के पश्चात् विनीत उस वादे को पूरा करता है जो पत्र के आरंभ में ताबीर के बारे में (**اِنَّكَ مِي سَيَحْمُ بِهِ بِيَدَارِيست يَا رب يا غُواب**) किया गया था।

ताबीर

इसकी ताबीर यह है कि मौलवी साहिब को देहली मुबाहस: में विजय एवं सफलता प्राप्त नहीं हुई जैसा कि प्रसिद्ध कर रखा है बल्कि असफलता हुई है जिसे विनीत इन्शाअल्लाह खुदा की सहायता से पाठकों के लिए सिद्ध कर दिखाएगा।

पाठकों को मुबाहसे को देखकर स्पष्ट हुआ होगा कि जिन पारंपरिक विद्याओं की सहायता से मूर्ख उलेमा ऐसे विषयों के बारे में बहस करते हैं उन विद्याओं में से सिवाए नह्व (व्याकरण) के और वह भी अधूरे तौर पर मौलवी साहिब ने किसी एक विद्या से भी सहायता नहीं ली। उदाहरणतया मूर्ख उलेमा का दारोमदार एक उसूले फ़िक्कः की विद्या पर है। मौलवी साहिब ने उसकी तरफ़ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अन्यथा तीन-चार पंक्तियों में मुबाहसः समाप्त हो जाता। विनीत उदाहरण स्वरूप कुछ पारंपरिक विद्याओं की सहायता से संक्षिप्त रूप से कुछ-कुछ वर्णन करता है यदि मौलवी साहिब भी इन पारंपरिक विद्याओं की सहायता से मुबाहसः करेंगे तो फिर इन्शाअल्लाह विनीत भी विस्तारपूर्वक वर्णन करेगा।

उसूल-ए-फ़िक्कः का ज्ञान

मौलवी साहिब ने इस विद्या की तरफ़ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यद्यपि विनीत का पद मुद्दई का नहीं परन्तु इस उद्देश्य से कि मौलवी साहिब इस विद्या की तरफ़ ध्यान दें, कुछ वर्णन करता है कि ईसा इब्ने मरयम की मृत्यु आयत *إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ* से सहीह बुखारी की रिवायत *عن ابن عباس أعنى مميته* के स्पष्ट आदेश कुर्आन की स्पष्ट आयत से सिद्ध है और मौलवी साहिब यदि अपना समस्त अभ्यास जो उन्हें उसूल-विद्या में है खर्च करेंगे तो उसका परिणाम शायद इतना प्राप्त हो कि हज़रत ईसा इब्ने मरयम का जीवित रहना इस आयत-

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (अन्सि-160)

से बतौर इशारतुन्नस्स (जिसका संकेत पवित्र कुरआन में हो) सिद्ध किया जाए, परन्तु यह मामला समस्त पुस्तकों में लिखा हुआ है कि

ترجم العبارة على الاشارة وقت التعارض

अनुवाद - पेज न. 234

अतः मृत्यु सिद्ध रही और जीवित रहना विश्वास से गिरा हुआ ठहरा और मुबाहसः समाप्त हुआ।

उसूल-ए-फ़िक्र: के ज्ञान की दृष्टि से द्वितीय शैली

दूसरे तौर पर आयत **انى متوفيك** सहीह बुखारी की रिवायत ईसा इब्ने मरयम की मृत्यु के बारे में फैसला ★ है क्योंकि **الحكم** की परिभाषा मुहकम उसूले फ़िक्र: अतिरिक्त हज़रत नवाब साहिब बहादुर (स्वर्गीय) ने 'हुसूलुलमामूल' इत्यादि में यह लिखी है **المحكم ماله دلالة واضحة** और यदि मान भी लें तो शब्द **قبل موته** मसीह के जीवित रहने को यदि संकेत भी करे तो यह सही नहीं है क्योंकि इसमें ज़मीरें इत्यादि बहुमुखी हैं तथा रिवायत एवं दिरायत ★ की दृष्टि से मुफ़स्सिरों का इनमें बहुत कुछ मतभेद है और इसी को मुतशाबिह कहते हैं, अतः यह शब्द मुतशाबिह * हुआ। इसी 'हुसूलुलमामूल' में लिखा है- **الْبُتْشَابِيهِ مَالَهُ دَلَالَةٌ** अब स्पष्ट है कि मुहकम के होते हुए मुतशाबिह की तरफ़ क्योंकर लौटा जा सकता है अल्लाह तआला के इस कथन के अनुसार -

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ (आले इमरान - 3/8)

अनुवाद - अतः वे लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है वे फ़साद करने की इच्छा से उसका भावार्थ करते हुए उसमें से उनका अनुसरण करते हैं जो मुतशाबिह है।

इसी प्रकार से यदि उसूल विद्या के अन्य नियमों को दृष्टिगत रखा जाए तो मुबाहस: चार-पांच पंक्तियों में समाप्त हो सकता है, परन्तु आप विनीत को इस

★ 1. मुहकम-मज़बूत, पक्का, स्थायी

☆ दिरायत- वे सिद्धान्त जिनका उद्देश्य किसी रिवायत को बौद्धिक (अक़ली) तौर पर परखना है। (अनुवादक)

* पवित्र कुर्आन की वह आयत जिसके अर्थ एक से अधिक हों (अनुवादक)

वर्णन से मुद्दई न बना लें यह वर्णन तो खंडन एवं मुक्राबला के तौर पर किया गया है और यही प्रश्नकर्ता (विनीत) का उद्देश्य है।

उसूले हदीस की दृष्टि से तर्क शैली

मौलवी साहिब ने इस विद्या की तरफ़ भी ध्यान नहीं दिया अन्यथा चार-पांच पंक्तियों में निर्णय हो जाता। इस वार्तालाप का बतौर नमूना संक्षिप्त वर्णन यह है कि बुखारी तथा मुस्लिम की हदीसों से जिनका 'इज़ाला औहाम' में उल्लेख है ईसा इब्ने मरयम की मृत्यु सिद्ध होती है, और यदि मुर्सल और ज़ईफ़ इत्यादि रिवायतों से मसीह इब्ने मरयम का जीवित रहना सिद्ध किया जाए तो उसको उसूले हदीस की विद्या कब स्वीकार करेगी। वह तो ऊंचे स्वर में पुकार-पुकार कर कह रही है कि इस बात पर बुखारी और मुस्लिम की हदीसों को समस्त हदीसों पर प्राथमिकता प्राप्त है। अतः विवाद के समय इस बात पर बुखारी और मुस्लिम की हदीसों की समस्त हदीसों पर प्राथमिक रहेंगी। और यही अभीष्ट था।

तर्क शास्त्र की दृष्टि से सबूत

मौलवी साहिब ने इस मुबाहसे में तर्क विद्या से भी काम नहीं लिया अन्यथा व्यापक एवं स्पष्ट परिणाम देने वाले प्रथम क़ज़िया: (वाद) से एक-दो पंक्तियों में फैसला हो जाता। परन्तु स्मरण रहे कि मैं इसमें मुद्दई नहीं हूँ बल्कि खण्डन करने वाला तथा प्रतिद्वन्दी हूँ। इस का वार्तालाप बतौर नमूना यह है **عيسى بن مريم كان نبياً من الناس ومات الناس حتى الانبياء يعنى كلهم ماتوا فاعيسى بن مريم ايضا مات** मुकद्दमा (भूमिका) सुगरा तो मान्य ही है और मुकद्दमा (भूमिका) कुबरा ऐसा प्रसिद्ध है कि मदरसे के बच्चे **حَتَّى** (हत्ता) के उदाहरण में पढ़ा करते हैं। अतः वह भी मान्य है और यदि मान्य न हो तो पवित्र कुर्आन मौजूद है-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ (وغیره ذلك من الآيت)

(आले इमरान-3/145)

अनुवाद - और मुहम्मद केवल एक रसूल हैं। निस्सन्देह इससे पूर्व रसूल गुज़र चुके हैं। अतः क्या यदि यह भी मृत्यु पा जाए अथवा वध कर दिया जाए तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे?

सोचो - जामा मस्जिदों में मस्जिदों के इमाम ख़ुत्बे के दौरान उर्दू नज़्म में पढ़ा करते हैं-

आदम^{अ.} कहां हव्वा^{अ.} कहां मरयम^{अ.} कहां ईसा^{अ.} कहां
हारून^{अ.} और मूसा^{अ.} कहां इस बात का है सबको ग़म

यह भी

हज़रत आदम^{अ.} नबी नीचे ज़मीं के चल बसे
नूह^{अ.} कश्ती बान-ए-आलम भी यहां से चल बसे
यूसुफ^{अ.} व याक़ूब^{अ.} व इस्माईल^{अ.} व इस्हाक़^{अ.} व खलील^{अ.} व
और सुलेमान^{अ.} आसमानी मुहर वाले चल बसे
हूद और इदरीस^{अ.} व यूनुस^{अ.} शीस^{अ.} व अय्यूब^{अ.} व शुएब^{अ.}
दावते इस्लाम करके ठहरे चन्दे चल बसे
हज़रते ईसा नबी दाऊद व मूसा^{अ.} ख़ाक में
लेके तौरैत व ज़बूर इन्ज़ील हक़ से चल बसे
वास्ते जिन के ज़मीन व आसमां पैदा हुआ
जन्नतुल फ़िर्दौस में वे हक़ के प्यारे चल बसे।

.....अन्त तक।

बलागत★ विद्या की दृष्टि से सबूत

इस विद्या की तरफ़ भी मौलवी साहिब ने ध्यान तक नहीं दिया। अन्यथा बड़ी सरलता से फैसला हो सकता था। 'मुतव्वल' और उसके हाशियों में लिखा है -

وتقديم المسند اليه للدلالة على أنّ المطلوب انما هو اتصاف المسند

★ बलागत- गद्य या पद्य की वह शैली जो सरस और सुबोध हो। (अनुवादक)

اليه بالمسند على الاستمرار لا مجرد الاخبار بصدوره عنه كقولك الزاهد يشرب و يعزب دلالة على انه يصدر الفعل عنه حالة فحالة على سبيل الاستمرار قال السيد السند على قول العلامة انما يدل عليه الفعل المضارع قديقصد بالمضارع الاستمرار على سبيل التجدد و التقضى بحسب المقامات ووجه المناسبة ان الزمان المستقبل مستمر يتجدد شيئاً فشيئاً فناسب ان يراد بالفعل الدال عليه معنى يتجدد على نحوه بخلاف الماضي لانقطاعه والحال لسرعة زواله الى آخر العبارة

इसका निष्कर्ष यह है कि मुसन्द इलैह का पहले आना इस बात को सिद्ध करता है कि मुसन्द इलैह मुसन्द के साथ बतौर निरन्तरता वर्णन किया गया है और वहां पर केवल यही वांछित (मत्लूब) नहीं होता कि मुसन्द के जारी होने की मुसन्द इलैह से खबर दी जाए। जैसे कि- ज़ाहिद शराब पीता है और हर्ष और आनन्द करता है। अस्सय्यिदुस्सनद कहते हैं कि मुज़ारिअ से निरन्तरता के अर्थ लेना थोड़े-थोड़े अन्तराल के बाद निरन्तरता का होना स्थानों के अनुकूल वर्णन किया जाता है और मुज़ारिअ का सीगः जो ऊपर निरन्तरता को सिद्ध करने के लिए विशेष किया गया और भूत तथा वर्तमान को निरन्तरता के लिए निर्धारित नहीं किया उसका कारण यह है कि भविष्यकाल एक ऐसी गुज़रने वाली वस्तु है जो कि कुछ-कुछ नवीन होती रहती है। अतः जो कर्म उस नवीन काल को सिद्ध करे उसी को स्थायी नवीनता के लिए निर्धारित रखा गया। दूसरे स्थान पर कि वह समाप्त हो गया भूतकाल के विपरीत और वर्तमान काल के विपरीत भी कि यह शीघ्र पतनशील है। यही उचित था। अस्सय्यिदुस्सनद मुत्तव्विल के हाशिए में लिखते हैं-

وقد يقصد في المضارع الدوام التجدي وقد سبق تحقيقه

मुत्तव्विल में दूसरे स्थान पर लिखा है-

खुदा के इस कथन के बाद-

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ (16-अलबकरह)

ख़ुदा के इस कथन के बाद-

(अलबकरह-15) **إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ**

حيث لم يقل الله مُسْتَهْزِئُونَ بهم بلفظ اسم الفاعل قصد الى حدوث الاستهزاء وتجده وقتابعد وقت الى قوله وهكذا كانت نكايات الله في المنافقين وبلايا النازلة بهم يتجدد وقتا فوقتا وتحدث حالا فحالا انتهى و ايضا قال كما ان المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز ان يفيد المنفى استمرار النفي وغير ذلك من العبارات الصريحة
फिर इस भविष्यकाल के स्थायी नवीनता के लिए प्रयुक्त होने में किसी के विरुद्ध भी मालूम नहीं होता, एक मामला संयोगवश है। अतः यदि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने पवित्र कुर्आन के अनुसार भविष्यकाल से निरन्तरता के अर्थ अभिप्राय लिए तो कौन सा मतभेद अनिवार्य ठहरा। विचार करो, प्रतिफल पाओ। मुबाहस: एक पृष्ठ में समाप्त हो गया।

अस्माउर् रिजाल विद्या

(लोगों की प्रमाणिकता को परखने का वर्णन)

मौलवी साहिब ने इस ज्ञान की तरफ़ केवल इतना ध्यान दिया है कि قبل क्रिरअत के लोगों की सनदों की पुष्टि तथा दुरुस्ती के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहिब से पूछने लगे, परन्तु जो रिवायत कर्ता मौलवी साहिब के मुबाहस: में दर्ज रिवायतों में जांच-पड़ताल करने योग्य आए हैं उन का कुछ हाल नहीं लिखा। फिर हज़रत मिर्ज़ा साहिब से उस क्रिरअत के रिवायत कर्ताओं की सनदों की पुष्टि जो विश्वसनीय तप्सीरों में उबैय बिन कअब के ग्रन्थ (कुर्आन) के हवाले से लिखी है यह उबय्य बिन कअब के ग्रन्थ की क्रिरअत स्वीकार कर लेने के पश्चात् रिवायत करने वाले लोगों की पुष्टि के संबंध में क्यों पूछा गया।

(अन्नज्म-23) **تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ ضَيْرَى**

अस्मा उर्रिजाल के ज्ञान में कौशल तो यह होता कि जो रिवायत कर्ता के मुंह से

निकलता उसकी **دفيات** जन्म तिथियों, आयु, जीवनियों तथा कई अन्य उपाधियों और समीक्षा का समस्त गुप्त एवं प्रकट सामान मौखिक तौर पर वर्णन कर देते, अन्यथा अब तो हदीस की अधिकांश पुस्तकों के हाशियों पर अस्मा उर्रिजाल दर्ज किया हुआ है एक निम्न स्तर का विद्यार्थी नक़ल कर सकता है। मौलवी साहिब की इसमें विशेषता क्या है। अतः मौलवी साहिब ने अस्मा उर्रिजाल के ज्ञान में यहां पर कोई कमाल नहीं दिखाया। शायद किसी अन्य समय के लिए रख छोड़ा हो।

क्रिरअत★ विद्या

मौलवी साहिब ने इस ज्ञान की तरफ़ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अन्यथा कुछ पंक्तियों में निर्णय हो जाता। उसका वर्णन बतौर नमूना संक्षिप्त तौर पर यह है कि यदि मान लिया जाए कि उबय्य बिन कअब की क्रिरअत जो उनके कुर्आन में है बिल्कुल अकेली है तो प्रसिद्ध क्रिरअत के लिए उसके स्पष्ट एवं मुफ़स्सिर होने में क्या आपत्ति है। यह विषय भी क़ारियों इत्यादि के नज़दीक मान्य है। 'इत्क़ान' इत्यादि में लिखा है-

وقال ابو عبيدة في فضائل القرآن المقصد من القراءة الشاذة تفسير
القراءة المشهورة وتبيين معانيها الى قوله فهذه الحروف وماشا كلها
قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير
فيستحسن فكيف اذاروى عن كبار الصحابة ثم هارفي نفس القراءة فهو
اكثر من التفسير واقوى فادنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة
التاويل انتهى

चूंकि मौलवी साहिब ने क्रिर'अत विद्या के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए अधिक लम्बा नहीं किया गया। जब मौलवी साहिब कुछ कहेंगे तो इन्शाअल्लाह इस क्रिर'अत के बारे में विशेष तौर पर विस्तार से और भी लिखा जाएगा। स्पष्ट हो कि उबय्य बिन कअब वह महान सहाबी हैं जिनके बारे में हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :

★ क्रिरआत- कुर्आन को शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना। (अनुवादक)

واقراكم ابي وايضا قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لا يبي بن كعب ان الله امرني ان اقرأ عليك
القران قال الله سمانى لك قال نعم قال وذكرت عند رب العلمين قال نعم فذرفت عيناه متفق عليه۔

और इन हज़रत उबय्य का एक बयान भी है जिसका क्रम 'सूर-ए-इत्कान' इत्यादि में लिखा है।

तफ़्सीर के नियमों का ज्ञान

मौलवी साहिब ने इस ज्ञान की तरफ़ केवल इतना ध्यान दिया है कि कुछ ताबिईन के कथन अपने किए हुए अर्थों की तर्जीह (प्राथमिकता) के सन्दर्भ में तफ़्सीर इब्ने कसीर से नक़ल लिए हैं और हज़रत अबू हुऱैर: की समझ तथा कुछ हज़रत इब्ने अब्बास से एक-आधा कथन नक़ल किया है तथा दूसरे पर्व में मौलवी साहिब ने यह भी इक्रार किया है कि मेरे इस अर्थ की तरफ़ सल्फ़ (पूर्वजों) में से एक जमाअत गई है अर्थात् इस आयत की तफ़्सीर मतभेदों वाली तथा बहुमुखी है सर्वमान्य तौर पर एक अर्थ नहीं हैं तथा यह भी इक्रार है कि सहाबी की समझ को मैं प्रमाण नहीं समझता। इसके बावजूद मौलवी साहिब ने तफ़्सीर के ज्ञान की तरफ़ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तफ़्सीर के ज्ञान की दृष्टि से किसी ऐसी आयत के अर्थों में जिसका संबंध किसी भविष्यवाणी से हो उस भविष्यवाणी के घटित होने तक ठोस तौर पर कुछ फैसला नहीं हो सकता। केवल एक इज्तिहादी (विवेचनात्मक) बात है क्योंकि भविष्यवाणी की वास्तविकता لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (हमें कुछ मालूम नहीं) में दाखिल है। तफ़्सीर के दूसरे आवश्यक अर्थों के विपरीत कि वह عَلَيْنَا में दाखिल हो सकते हैं और ठोस निर्णय (फ़ैसला) भी हो सकता है। इसके बावजूद कि मौलवी साहिब इस आयत को भविष्यवाणी से संबंधित मानते हैं फिर भी

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (बनी इस्राईल-37)

अनुवाद - और उस विचारधारा को मत अपना जिसका तुझे ज्ञान नहीं।

का कुछ भय न किया और आयत की तफ़्सीर में तुक्केबाज़ लोगों के कथनों से उस बात पर ठोस तौर पर विश्वास कर लिया कि एक समय ऐसा आएगा कि

ईसा बिन मरयम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के पश्चात् तथा उनकी मृत्यु से पूर्व कि जिसमें समस्त अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे जबकि आयत बहुमुखी और मुतशाबिह है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। और मौलवी साहिब के नज़दीक इसका संबंध भी भविष्यवाणी से है तो इसके साथ ठोस और निश्चित तौर पर मौलवी साहिब कौन से ज्ञान से निर्णय कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैर: ने भी सन्देह के तौर पर अपनी समझ को प्राथमिकता दी थी और बस। क्या मौलवी साहिब को परोक्ष (ग़ैब) का ज्ञान है? या इस आयत की तफ़्सीर में किसी सही मरफूअ, मुत्तसिल हदीस से सिद्ध है कि आयत के अर्थ यही हैं जो मौलवी साहिब ने किए हैं। भविष्यवाणी की तो चर्चा ही क्या है। मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब तो तफ़्सीर के अन्य अर्थों के बारे में यही लिखते हैं-

پیش این فقیر محقق شدہ است کہ صحابہ و تابعین بسیار بود کہ نزلت الایة فی کذا و کذا مے گفتند و غرض ایساں تصویر ماصدق آں آیت بود و زکر بعض حوادث کہ آیت آں را بعموم خود شامل شدہ است خواه این قصہ منقذم باشد یا متاخر اسرائیلی باشد یا جاہلی یا اسلامی تمام قیود آیت را گرفتہ باشد یا بعض آں را واللہ اعلم ازین تحقیق دانستہ شد کہ اجتہاد را درین قسم دخلے ہست و قصص متعدده را انجام گنجائش ہست پس ہر کہ این نکتہ مستحضر وارد حل مختلفات سبب نزول بادی عنایت مے توان نمود۔ انتہی۔

अनुवाद- इस फ़क्रर के निकट ये प्रमाणित बात है कि सहाबा और ताबईन में बहुत से ऐसे थे जो ये कहते थे यह आयत इस बारे में उतरी और उस बारे में उतरी और उनके कहने का मतलब इस आयत की तफ़्सीर (व्याख्या) होती और कुछ वाकियात जो इस आयत में आम तौर पर शामिल हैं चाहे वह अगली कहानी हो या पिछली, इस्त्राईली हो या जाहिली या इस्लामी, आयत की तमाम क़ैदों को इकट्ठा किया गया है या कुछ को, अल्लाह बेहतर जानता है। इस तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि इज्तिहाद (अपने अंदाज़े) का इस में कोई अमल-दखल नहीं और बहुत से क्रिस्सों की इस जगह गुंजाइश है और जो इस बिन्दु को अपने दिमाग में हाज़िर रखता है वह सबब-ए-नुज़ूल (आयत के उतरने के कारण) के मतभेद को थोड़ी सी तवज्जा से हल कर सकता है।

हां मौलवी साहिब को केवल इतना अधिकार था कि अपने उन अपनाए हुए अर्थों को प्राथमिकता देते न यह कि उनको ठोस प्रमाण ठहराते न यह कि ऐसी बात कहते कि जो कि यह आयत चरितार्थ हो

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ (अलक़हफ-6)

अनुवाद - बहुत बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है।

इन अर्थों के अतिरिक्त जितने भी अर्थ दुनिया भर की तफ़्सीरों में लिखे हैं सब ग़लत और असत्य हैं। हे मौलवी साहिब खुदा से डरो-

نام نیک رفتگان ضائع مکن تا بماند نام نیکت یادگار

अनुवादक- दिवंगत लोगों के अच्छे नाम को बर्बाद मत करो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें भी अच्छे नाम से याद रखें। अनुवादक

यह क़ज़िया (वाद) भी तो मुफ़स्सिरों द्वारा मान्य है कि فمّتی اختلف التابعون फिर मौलवी साहिब का सम्पूर्ण संसार के तफ़्सीर लिखने वालों को ग़लत और ग़लती पर बताना और अपने अर्थों को ठोस प्रमाण समझना, क्या यही तक्वा (संयम), ईमानदारी तथा सच्चाई और सही बात को प्रकट करना है। विचार करो, प्रतिफल मिलेगा।

फ़ारसी भाषा की विद्या

मौलवी साहिब ने शाह वलीउल्लाह साहिब के अनुवाद की तरफ़ ध्यान दिया तो नून सक्रीला के विचार के प्रभुत्व के कारण कि जो-जो सींगे फ़ारसी में मुज़ारिअ के लिए आते हैं उनको शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए फ़ारसी के नियमों के विरुद्ध अपनी तरफ़ से बना लिया। शाह वलीउल्लाह साहिब के अनुवाद के शब्द ये हैं-

پس البته متوجه گردانیم ترا آهاں قبلہ کہ خوشنود شوی۔ والبتہ بسوزانیم آل را۔ پس پراگندہ
سازیم آزا۔ والبتہ دلالت کینم ایشاں را برا ہیمائے خود۔ والبتہ غالب شوم من و غالب شوند
پیغمبران ان۔ والبتہ زندہ کنیمش بہ زندگائی پاک۔ و در آریم ایشاں را در زمرہ شاکستگان۔

हे दर्शकगण! मदरसे के बच्चे भी इस नियम को भली भांति जानते हैं कि शुद्ध तौर पर भविष्यकाल का लक्षण *خواهد-خواهد-خواهد* है और लक्षण शुद्ध रूप से वर्तमान काल का लक्षण (अलामत) शब्द का मुज़रिअ पर दाखिल होना है। और ये शब्द लिखे गए अनुवाद के सब सींगे मुज़रिअ के हैं न कि शुद्ध रूप से भविष्यकाल के। इस पर अतिरिक्त यह हुआ कि उर्दू में शब्द 'अभी' का जो शुद्ध रूप से वर्तमानकाल के लिए आता है मौलवी साहिब ने उसको शाह रफ़ीउद्दीन साहिब के अनुवाद में अर्थात् 'अभी जलावेंगे हम उसको' शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए निर्धारित किया है। अब दर्शक-गण इन्साफ़ करें कि मौलवी साहिब का इस स्थान पर हज़रत मिर्ज़ा साहिब के बारे में यह कहना कि *هذا بعيد من شان المحصلين* कैसा अपने अवसर और यथास्थान आया है। सुब्हानअल्लाह

मुनाज़रः की विद्या मुनाज़रः का ज्ञान (शास्त्रार्थ का ज्ञान)

मौलवी साहिब ने मुनाज़रः की विद्या की तरफ़ केवल इतना ध्यान दिया कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने मुद्दई की जो परिभाषा लिखी तथा उसकी फ़िलास्फ़ी वर्णन की उस पर तुरन्त एतराज़ कर दिया कि शब्द मुद्दई की यह परिभाषा उस परिभाषा की विरोधी है जिसको मुनाज़रः के विद्वानों ने लिखा है और रशीदिया से यह इबारत नक़ल कर दी कि:-

المدعى من نصب نفسه لا ثبات الحكم اى تصدى لان يثبت الحكم
الخيرى الذى تكلم به من حيث انه اثبات بالدليل او التنبية

परन्तु यह न सोचा कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने जो भेद और गुर मुद्दई होने का विस्तार से बताया है और उस पर एक ठोस बौद्धिक तर्क भी स्थापित कर दिया है। वह भेद *من حيث انه اثبات بالدليل* की हैसियत से भली भांति

समझा जाता है। अतः रशीदिया में इस परिभाषा के आगे इस हैसियत के प्रतिबन्ध का लाभ यह लिखा है-

فلا ير ما قيل انه يصدق هذا التعريف على الناقص بالنقص الاجمالي
والمعارض وهما ليس بمد عيين في عرفهم لا نهما لم يتصدى يا لا ثبات
الحكم من حيث انه اثبات بل من حيث انه نفى لا ثبات حكم تصدى با
ثباته الخصم من حيث انه معارضة لدليّة

परन्तु मौलवी साहिब ने तो सिवाए एक नून सक्रीला के जिसका हाल इन्शाअल्लाह नह्व विद्या के वर्णन में आएगा किसी तरफ़ ध्यान ही नहीं दिया न तो इस हैसियत के प्रतिबन्ध पर ही दृष्टि डाली जो स्वयं नहीं लिखी थी और न उस रशीदिया की इबारत की तरफ़ ध्यान दिया जो लिखी गई और हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने तो जहां-जहां अपनी पुस्तकों में बतौर मुकाबला के ईसा इब्ने मरयम की मृत्यु सिद्ध की है या संक्षिप्त या विस्तृत खंडन किया है अथवा जीवित रहने के सबूत में कोई खराबी वर्णन की है और या मुद्दई के मसीह के जीवित रहने के सबूत (तर्क) को खण्डन करने के वर्णन से हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब वास्तव में मुद्दई क्योंकर हो सकते हैं -

لانا لا نسلم ان الناقض و المعارض متصدىيان لا ثبات الحكم من حيث
انه اثبات بل من حيث انه نفى لا ثبات حكم تصدى باثباته الخصم من
حيث انه معارضة او نقض لدليل

मुनाज़र: की विद्या (शास्त्रार्थ विद्या) की दृष्टि से अधूरा आयोजन

मुनाज़र: की विद्या की दृष्टि से मौलवी साहिब का तर्क अधूरा है। चार पंक्तियों में उसका वर्णन यह है कि मौलवी साहिब का कुल मिलाकर यह दावा रहा है कि ईसा बिन मरयम के नुज़ूल के पश्चात् तथा उनकी मृत्यु से पूर्व ऐसा

युग आएगा कि सब अहले किताब मोमिन हो जाएंगे अर्थात् इस्लाम में आ जाएंगे। और मौलवी साहिब का तर्क इस दावे के योग्य नहीं है। क्योंकि दूसरे पर्चे में मौलवी साहिब का इक्रार लिखा है कि ईमान से अभिप्राय यक्रीन (विश्वास) हो सकता है न कि शरई ईमान। अतः तर्क से सब अहले किताब का शरई ईमान के साथ मोमिन होना तथा इस्लाम में दाखिल होना सिद्ध न हुआ और आयोजन केवल अपूर्ण रहा है। हे दर्शकगण! थोड़ा इन्साफ करो कि मुनाज्जर: के इस कठिन विषय को हज़रत मिर्जा साहिब ने कितनी आसानी, और सुविधापूर्वक तथा उत्तम ढंग से वर्णन किया है कि प्रत्येक न्यायवान तथा विद्वान उसे समझ सकता है परन्तु अफ़सोस कि हज़रत मौलवी साहिब ने उस पर लेशमात्र ध्यान न दिया इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन।

हदीस का ज्ञान

इस मुबाहस: में मौलवी साहिब की हदीस की समझ यह है कि ما اتاكم الرسول का चरितार्थ हज़रत अबू हुरैर: का कथन तथा संदिग्ध समझ इसको ठहराया गया है कि अगर तुम चाहो तो यह पढ़ो :

(अन्निसा-160) **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ**

और इस पर आश्चर्य यह है कि यह भी इक्रार है कि सहाबी की समझ को मैं हुज्जत नहीं समझता। मौलाना साहिब जब सहाबी का कथन और समझ हुज्जत नहीं है, तो ताबिईन के कथन इत्यादि जो आपने अपने अर्थ के समर्थन में नक़ल किए हैं वे ठोस सबूत क्योंकर हो गए? **تِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ ضِيْزِي** यदि मौलवी साहिब हदीस की समझ की तरफ़ ध्यान देते तो इस मुबाहसे का फैसला बहुत आसान था। उसका वर्णन बतौर नमूना संक्षिप्त तौर पर यह है कि सही मुस्लिम के संकलन कर्ता ने रिवायत और दिरायत¹ के अनुसार इस बात का फैसला कर दिया है। **وامامكم منكم** जो सहीहैन (बुखारी तथा मुस्लिम) की हदीस में एक वाक्य आया है इससे कोई दूसरा इमाम सिवाए

1. हदीस के वे उसूल जिन का उद्देश्य किसी रिवायत को बौद्धिक तौर पर परखना है। (अनुवादक)

इब्ने मरयम के अभिप्राय नहीं है बल्कि यह वाक्य या तो बतौर विशेषता के उसी इब्ने मरयम की विशेषता है। या حال ے فاعل نزل یا یزل سے جس کا عامل है और इस मतलब को इमाम मुस्लिम ने कुछ रिवायतों से सिद्ध किया है। पहली रिवायत इब्ने ऐनिय: से। अतः लिखते हैं **وفي رواية** **ابن عيينه اماماً مقسطاً حكماً عادلاً** फिर हज़रत अबू हुरैर: की रिवायत से ये शब्द नक़ल किए हैं

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم
فامكم

पाठकगण विचार करें कि इस रिवायत में किस नस्स (क़ुर्आन के स्पष्ट आदेश) तथा व्याख्या से मौजूद है कि वही इब्ने मरयम तुम्हारी इमामत करेगा, न यह कि कोई दूसरा उसके समय में इमाम हो, फिर अबू-हुरैर: की रिवायत दूसरी अस्नाद[☆] से लिखते हैं- **كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم** इस रिवायत से समस्त सन्देह दूर कर दिए गए हैं फिर आगे कहते हैं-

فقلت لابن ابي ذئب ان الاوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن ابي هريرة وامامكم
منكم قال ابن ابي ذئب ائدرى ما امكم منكم فقلت تخبرني قال فامكم بكتاب ربكم
تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم

अब तो कोई सन्देह शेष नहीं रहा जिसको इमाम मुस्लिम ने दूर न किया हो कि **امامكم منكم** में हालत या विशेषताएं उसी मसीह इब्ने मरयम की आई है न किसी दूसरी व्यक्ति की। चाहे इमाम महदी हों या अन्य कोई, अब कहां हैं वे अहले हदीस जो दावा किया करते हैं कि सहीहैन की हदीसों से प्रमुख हैं तथा इसके साथ यह भी कहे जाते हैं कि **امامكم منكم** तो सिवाए इब्ने मरयम के कोई दूसरा इमाम महदी इत्यादि होगा। हे पाठकगण ! यह है **ما اتاكم الرسل** का चरितार्थ या वह जो मौलाना साहिब ने शब्द के साथ हज़रत अबू हुरैर: रज़ि की समझ को संदिग्ध लिखा?

☆ अस्नाद- सनद (प्रमाण) प्रस्तुत करना। (अनुवादक)

नह्व की विद्या

मौलवी साहिब ने इस मुबाहस: में नह्व के ज्ञान से बड़ी सहायता ली है तथा अपने कुल सबूत का दारोमदार तथा अपने तर्क को इसी विषय नूने सकीला को बार-बार बयान किया है परन्तु मेरी तुच्छ सोच में यह नहवी मसअला नून सकीला का एक बहुत तुच्छ विषय है जिससे लज्जा के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसका विवरण यह है- प्रथम तो मौलवी साहिब ने इस मसअले को ऐसी पुस्तकों से नक़ल किया है कि उन से प्रत्येक छात्र नक़ल कर सकता है। मौलवी साहिब को इसमें कोई ऐसी विशेषता जो दो बातों में अन्तर बताए उनकी महान प्रतिष्ठा के अनुसार प्राप्त नहीं हुई। काश यदि नह्व के महान इमामों में जैसे जुजाज, जौहर, सीराफ़ी, अबू अली फ़ारसी, खलील बिन अहमद, अखाफ़िश सलास:, इस्मई, कसाई, सीबवैहे, मिबरद, ज़मख़शरी इत्यादि से इस बारे में कुछ कथन नक़ल करते तो यह मौलवी साहिब का मुबाहसा नहवी कुछ हद तक दो बातों में अन्तर करने वाला हो जाता। यद्यपि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब जैसे खुदा से समर्थित के मुकाबले पर इन महान इमामों के कथनों की नक़ल भी कुछ महत्त्व नहीं रखती, देखिए क़ारियों की पुस्तकें यदि वे उपलब्ध न हों तो मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब की पुस्तकों का अध्ययन करो। यदि वे भी प्राप्त न हों तो फ़ौज़ुल कबीर देखो। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब उसमें लिखते हैं ...

و در نحو قرآن خللے عجیب راه یافته است و آل آنست که جماعتی مذہب سیبویہ را اختیار کرده اند و ہرچہ موافق آل نیست
آل را تاویل مے کنند۔ تاویل بعید باشد یا قریب و این نزد من صحیح نیست اتباع اقوے و اوافق بسباق و سباق باید کرد
- مذہب سیبویہ باشد یا مذہب فرآء در مثل وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ حضرت عثمان گفته اند
ستقیبہا العرب بالسننہا و تحقیق این حکم نزدیک فقیر آنست کہ مخالف روزمرہ مشہورہ نیز روزمرہ است و عرب
اول را در اثناء خطب محاورات بسیار واقع مے شود کہ خلاف قاعدہ مشہور بزبان گزشتہ۔ اگر احياناً بجائے داد یا آمدہ
باشد یا بجائے تشنیہ مفرد یا بجائے مذکر مؤنث چہ عجب۔ پس آنچه محقق است آنست کہ ترجمہ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ

وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بِمَعْنَى مَرْفُوعٍ بَايَدِ كَلِمَتِ وَاللَّهُ اعْلَمُ-

अनुवाद- कुरआन के नहव (वाक्य-विन्यास) में एक अजीब विसंगति पाई गई है और वह यह है कि एक समूह ने सीबविय्या के मत को अपना लिया है और जो कुछ भी उसके अनुरूप है उसकी व्याख्या करता है उसकी तावील दूर है या करीब है। और मेरे अनुसार यह सही नहीं है कि संदर्भ के अनुकूल होने का पालन किया जाना चाहिए, और सीबविय्या का मत وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالتَّقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ और वास्तव में इस फ़कीर के निकट यह आदेश इस प्रकार है कि लोकप्रिय रोज़मर्रा के विपरीत है और यह रोज़मर्रा है और इस पहली बात को अरब अपने भाषणों के दौरान मुहावरे के तौर पर ऐसे लाते हैं जो कि पिछले युग के प्रसिद्ध नियम के विरुद्ध है कि यदि कभी-कभी "वा" के स्थान पर "या" आ जाए या तसनियाह (दो वचन) की जगह एकवचन आ जाए या पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग आ जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो प्रमाणित बात यह है कि وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ के अनुवाद को मरफू के अर्थ में माना जाना चाहिए। बाक़ी अल्लाह बेहतर जानता है।

यदि मौलवी साहिब शरह मुल्ला और उसके हाशियों में लिखे नहव के नियमों के ऐसे पाबन्द हैं कि उनका बिलकुल उल्लंघन नहीं हो सकता तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। उन्हीं पुस्तकों में लिखा है कि-

نون التاكيد لا يوكد الا مطلوباً والمطلوب لا يكون ماضياً ولا حالاً
ولا خيراً مستقبلاً.

इससे सिद्ध हुआ कि जुम्ल: खबरिया नहीं है बल्कि जुम्ल: क्रस्मिय: इन्शाइय: है। अतः तफ़सीर बैजावी इत्यादि में भी وَاللَّهُ को لِيُؤْمِنُوا से पहले मुकद्दर माना है और जुम्ल: क्रस्मिय: इन्शाइय: ही ठहराया है और जब जुम्ल: क्रस्मिय: इन्शाइय: ही करार दिया गया है और जब कि जुम्ल: क्रस्मिय: इन्शाइय: हो तो भविष्यवाणी अर्थात् भविष्यकाल की खबर क्योंकि हो सकती है कहां जुम्ल: खबरिया और कहां जुम्ल इन्शाइय:- تَفَاوُتِ رَاهِ اَزْ كَيْفِ اسْتِ تَاكِيْدَا अर्थात् देखो रास्ता में कहाँ और कहाँ अंतर है? अनुवादक)

और फिर इसमें एक खराबी और भी पैदा हो गई वह यह है कि समस्त अहले किताब का हज़रत ईसा^अ पर ईमान लाना ख़ुदा का उद्देश्य है वह उनकी

मृत्यु से पूर्व है क्योंकि *قبل موته* (क़ब्ला मौतिही) की शर्त का प्रतिबंध केवल बेकार तो है ही नहीं। मुतव्विल इत्यादि को देखो जुम्ल: मुकरय्यदात में अलंकारों के ज्ञान के नियमों के अनुसार प्रतिबंध का ध्यान रखना आवश्यक होता है अन्यथा प्रतिबन्ध केवल व्यर्थ एवं निरर्थक हो जाएगा। नियम जो अलंकारों के ज्ञान की दृष्टि से दूर है। यदि काश *قبل موته* (क़ब्ला मौतिही) की बजाए *من قبل موته* (क़ब्ला मौतिही) भी होता तो एक हद तक दावे के विपरीत न होता। यहां तो तलब ईमान का *قبل موته* (क़ब्ला मौतिही) ज़र्फ़ ज़मान आया है न कि *من قبل موته* (क़ब्ला मौतिही) *وقال في المطول و مختصره ما حاصله واما تقيد الفعل وما يشبهه من اسم الفاعل والمعقول وغيرهما بمفعول مطلق او به او فيه اوله- معه- و نحوه- من الحال والتميز والاستثنا فليترتب الفائده لان الحكم كلما زاد خصوصاً زاد غرابة و كلما زاد غرابة زاد افادة- كما يظهر بالنظر الى قولنا شئ ما موجود و فلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلدة كذا-*

इस जीवित रहने से तो हज़रत ईसा की मृत्यु अन्य नबियों के समान ही अच्छी होती। यदि उनके जीवित रहने तथा मृत्यु की हालत में समस्त अहले किताब का उन पर ईमान लाना ख़ुदा का उद्देश्य होता और अब तो उनकी मृत्यु के पश्चात् उन पर ईमान लाना यहां ख़ुदा का उद्देश्य नहीं रहा *ان هذا الشئ عجب بل هو عين الفساد*

नह्वी तरकीब की बहस

إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ

नह्वी तरकीब में क्या आया है। यदि *أحد* मुक़द्दर की सिफ़त (विशेषता) है और *أحد* मुब्तदा मुक़द्दमुलख़बर है अर्थात् *من الكتاب* उसकी ख़बर के तौर पर आई है तो यह अर्थ भी व्यापक तौर पर ग़लत हैं क्योंकि अर्थ ये निकले कि जो व्यक्ति ऐसा हो जो ईसा^अ पर उनकी मृत्यु से पहले ईमान लाए तो वह व्यक्ति अहले किताब में से नहीं है, हालांकि यह बात सिद्ध हो चुकी है कि

आप के मत के अनुसार उस मोमिन व्यक्ति का अहले किताब में से होना कुछ आवश्यक नहीं। अहले किताब के अतिरिक्त अन्य काफ़िर भी मसीह इब्ने मरयम के समय में इस्लाम में दाखिल होंगे और यदि **إِلَّا لِيُؤْمِنُوا** ख़बर के स्थान पर है और **من اهل الكتاب** सिफ़त है **أحَدٌ** मुक़द्दर की है और **أحَدٌ** अपनी सिफ़ात (विशेषताओं) के साथ मुब्तदा है तो भी अर्थ ग़लत हैं क्योंकि इस स्थिति में भी अहले किताब को विशिष्ट एवं प्रतिबंधित करना भ्रमित करने वाला है कि अहले किताब के अन्य मिल्लत वाले हज़रत ईसा पर ईमान न लाएं और इस्लाम में दाखिल न हों। और यह बात आपके दावे के विरुद्ध है **وهذا خلاف دعواكم**

क़बला मौतिही (قَبْلَ مَوْتِهِ) की ज़मीर का मर्जअ

قَبْلَ مَوْتِهِ की ज़मीर के मर्जअ में नह्व की दृष्टि से यह बहस है कि मौलवी साहिब के दावे में कथित आयत हज़रत अबू हु़रैर: रज़ि० की समझ के अनुसार बतौर सन्देह के भी तब सिद्ध करेगी कि **قَبْلَ مَوْتِهِ** की ज़मीर का मर्जअ नह्व के नियमों की दृष्टि से केवल हज़रत ईसा का होना अनिवार्य हो तथा अहले किताब का **مَا أَحَدٌ** का ठोस तौर पर मर्जअ होना नह्व की दृष्टि से ग़लत और निषेध सिद्ध किया जाए। हालांकि वह उत्तर और यह निषेध नह्व के नियमानुसार कदापि सिद्ध नहीं हो सकता बल्कि अधिकतर नह्व के मुफ़स्सिरों ने प्रमुख तथा प्राथमिक कथन नह्व के नियमानुसार यही अपनाया है कि **قَبْلَ مَوْتِهِ** की ज़मीर अहले-किताब की तरफ़ लौटती है जो अहले किताब शब्द से समझा गया या **أحَدٌ** मुक़द्दर है जिसका मुक़द्दर मानना अपवाद के कारण आवश्यक है। और यदि आप यह अनिवार्य तथा निषेध होना सिद्ध करेंगे तो समस्त तफ़्सीर करने वालों का इज्माअ (सर्व सम्मति) नह्व की एक निषेध बात अनिवार्य हो जाती है-

واللازم باطل فالملزوم مثله فهذا الدعوى تقول على الله وفساد
بالقطع ولا يقول به الا من رضى بتاسيس بنائه على شفاجر في هار
فانها ربه

नह्व की दृष्टि से आयत के अगले पिछले प्रसंग की बहस

नह्व के अगले पिछले कलाम पर भी बहुत दृष्टि रखी जाती है। इसलिए यदि कथित आयत से यह भविष्यवाणी जो मौलवी साहिब का दावा है ख़ुदा अभिप्राय हो तो यह अगले प्रसंग के सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि इस आयत के ऊपर ही बहुत निकट यह भविष्यवाणी मौजूद है:

(अन्निसा-47) **فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا**

तथा मौलवी साहिब द्वारा प्रस्तुत आयत के विरुद्ध इसके जुम्ल: ख़बरिया होने में कोई आपत्ति और नह्वी बहस भी नहीं है कि हवामिश शरह जामी इत्यादि के अनुसार उसके जुम्ल: ख़बरिया होने में मौलवी साहिब के मतानुसार कलाम गुज़र चुका। अतः अगले-पिछले प्रसंग का ऐसा मतभेद जिसे कोई नह्वविद पसन्द नहीं करेगा ख़ुदा के कलाम में क्योंकर हो सकता है-

صدق الله تعالى- وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

(अनुवाद- अल्लाह ने सच कहा है। अगर यह (कुरआन) अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की तरफ से होता तो वे इस में बहुत सा मतभेद पाते। अनुवादक

पिछला प्रसंग

पिछला प्रसंग यह है कि आयत

(अन्निसा-160) **وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا**

भी इस अर्थ के विरुद्ध पड़ती है। संक्षेप में इसका वर्णन यह है कि यह विषय ख़ुदा की किताब (कुरआन) तथा सही सुन्नत से सिद्ध हो चुका है कि पिछली समस्त गुज़र चुकी उम्मतों पर यह उम्मत-ए-मर्हूम: (दयनीय) गवाह होगी और इस उम्मत-ए-मर्हूम: पर रसूले मक्बूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम (मेरी रूह आप पर फिदा हो) गवाह होंगे। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

قال الله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. (सूरह अलबकरह आयत न. 144)

अनुवाद- और इसी प्रकार हम ने तुम्हें मध्यममार्गी सम्प्रदाय (उम्मत-ए-वुस्ता) बना दिया ताकि तुम लोगों पर निगरान बन जाओ और रसूल तुम पर निगरान बन जाए।

واخرج احمد و البخارى والترمذى والنسائى وغيرهم عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى
قومه لهم هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير وما اتانا احد فيقال لنوح من يشهدك
فيقول محمد و امته ذلك قوله يعنى هذا الآية فيشهدون له بالبلاغ و اشهد عليكم

(अहमद और अलबुखारी, अत्तिर्मिज़ी और अन्निसाई के अलावा कुछ दूसरों ने अबूसईद अलखुदरी से रिवायत नक़ल की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्रयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने सन्देश पहुँचा दिया था। नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, जी पहुँचा दिया था। फिर नूह अलैहिस्सलाम की क्रौम को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमको नूह ने (अल्लाह का) पैग़ाम पहुँचा दिया था। नूह की क्रौम कहेगी, नहीं हमारे पास तो कोई नज़ीर (सचेत करने वाला अर्थात् नबी) नहीं आया था और न उसके अलावा कोई और आया था। नूह को कहा जाएगा कि तेरी कौन गवाही देगा? तो नूह कहेंगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत मेरी गवाही देगी। और यह इस आयत से साबित है:-

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(सूर: अल् बकर: आयत नं. 144)

अनुवाद- और इसी तरह हमने तुम्हें मध्यममार्गी सम्प्रदाय बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाए।

अतः मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की उम्मत गवाही देगी कि नूह ने अपनी क्रौम को पैग़ाम पहुँचा दिया था और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के बयान की गवाही देंगे। - अनुवादक)

अतः अब पूछा जाता है कि عَلَيْهِ ज़मीर का मर्जअ भी अहले किताब जो ईमान ले आएंगे और इस्लाम में दाखिल हो कर हमारे हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की उम्मत में सम्मिलित हो जाएंगे तो अवश्य ही उनके गवाह रसूल मक़बूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के अतिरिक्त हज़रत ईसा^अ क्योंकर हो सकते हैं। हज़रत ईसा का अन्तिम स्थान तो यह है कि अपनी उम्मत के गवाह हों। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

(अलमाइदह-118) كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ

और यदि कहो कि यह पद जो हमारे रसूल मक़बूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का हो वह हज़रत ईसा^अ के नुज़ूल के बाद हज़रत ईसा^अ को मिल जाएगा। तो नरुज़ुबिल्लाह अनिवार्य ठहरता है कि नुबुव्वत ख़त्म नहीं हुई *واللازم باطل و الملزوم مشد* और यदि कहो कि عَلَيْهِ की ज़मीर का मर्जअ वे अहले किताब हैं जिन की चर्चा एक कोस की दूरी पर हुई है। अतः यह प्रश्न है कि मर्जअ का इतनी दूर मानना किस का मत है, क़ारियों का या सैबविया का *بَيَّنُّوْا تَوْجَرُوْا*

हाल (वर्तमानकाल) के बारे में नह्वी बहस

कुछ नह्व की किताबों में यह जो लिखा गया है कि हाल (वर्तमानकाल) ऐसा नहीं है कि उसमें कोई क्रिया आ सके तथा इसी आधार पर मौलवी साहिब ने भविष्यकाल के दो भेद कर दिए। प्रथम- निकटवर्ती भविष्यकाल। द्वितीय- दूरवर्ती भविष्यकाल। यद्यपि हमारा उद्देश्य इसी से प्राप्त हो गया कि मौलवी साहिब जिसको निकटवर्ती भविष्य कहते हैं हम उसको हाल (वर्तमान) कहेंगे। केवल एक शाब्दिक विवाद रह गया। परन्तु इसके अतिरिक्त यह निवेदन है कि यह एक मीमांसकों की छानबीन है। हमें क्या आवश्यकता है कि ऐसी छानबीन जो अरब लोगों की सामान्य भाषा शैली के विरुद्ध है उस पर अड़ जाएं। देखिए मुतव्विल और उसके हाशियों में लिखा है:

وهذا يعنى الزمان الحال امر عرفى كما يقال زيد يوصل والحال ان بعض صلوته ماض بعضها باقى
فجعلوا الصلوة الواقعة فى الأناث الكثيرة المتعاقبة واقعه فى الحال وتعيين مقدار الحال مفوض

الى العرف بحسب الافعال ولا يتعين له مقدار مخصوص فانه يقال زيد ياكل ويشى ويحج ويكتب
القرآن ويعد كل ذلك حالا ولا شك في اختلاف مقادير ازمتهـ

(और यह अर्थात् निकटवर्ती भविष्यकाल (वर्तमान काल) एक बोलचाल का ज़माना है। जैसे कहा जाता है कि ज़ैद नमाज़ पढ़ रहा है। हालाँकि तात्पर्य यह होता है कि नमाज़ का कुछ हिस्सा (अर्थात् कुछ रकअतें) वह पढ़ चुका होता है और कुछ शेष होती हैं। (अर्थात् हम उसके वर्तमान की बात कर रहे हैं हालाँकि वह नमाज़ का कुछ हिस्सा पढ़ चुका होता है और वह भूतकाल का हिस्सा बन चुका होता है फिर भी हम उसे वर्तमान ही में रखते हैं क्योंकि साधारण बोलचाल में यही कहा जाता है) इसलिए लगातार पढ़ी जा रही नमाज़ में से जो रकअतें पढ़ी जा चुकी हैं उसे "वर्तमान" में ही गिना जाएगा। वर्तमान काल के समय का निर्धारण साधारणतः बोलचाल के अनुसार किया जाता है अर्थात् विभिन्न कामों की दशानुसार। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसलिए अगर यह कहा जाए कि ज़ैद खा रहा है और चल रहा है और हज कर रहा है, कुर्आन लिख रहा है। यह सारे काम वर्तमान काल में ही गिने जाएँगे। लेकिन इन कामों की विभिन्न समयों में घटित होने वाली संख्या के अन्तर में कोई सन्देह नहीं है। - अनुवादक)

और सय्यिदुस्सनद ऐसी ही छानबीनों के बारे में मुतव्विल के हाशियों में लिखते हैं -

والحق انها مناقشات واهية لان هذه التعريفات بينات يفهم اهل اللغة منها ومن تلك العبارات
ما هو المقصود بها ولا يخطر ببالهم شيء مّا ذكر واما التدقيق فيها فيستفاد من علوم اخر يلاحظ
فيها جانب المعنى دون القواعد اللفظية البنائية على الظواهر انتهى موضع الحاجةـ

(सत्य बात यह है कि यह बहसें व्यर्थ हैं। क्योंकि हर काम के "वर्तमान" में होने की परिभाषाओं को भाषाविद् अच्छी तरह समझते हैं और ख़ूब जानते हैं कि ऐसी इबारतों से क्या उद्देश्य है। उनके दिमागों में वह व्याख्या नहीं आती जो कुछ लोगों ने बयान की है। यदि इसकी गहराई में जाकर गौर करना हो तो फिर

दूसरी विद्याओं से लाभ उठाया जा सकता है, जिनमें केवल प्रत्यक्ष पर आधारित शाब्दिक नियमावली के स्थान पर अर्थ को दृष्टिगत रखा जाता है। (इस व्याख्या के साथ) जो इस जगह अभिप्राय था वह पूरा हो गया। अनुवादक)

क्रब्ल मौतिही (قبل موته) में 'हु' की ज़मीर (सवर्नाम) किस की तरफ लौटती है इस बारे में दूसरी शैली से बहस

यदि قبل موته की ज़मीर हज़रत ईसा^अ की तरफ़ लौटा कर वे अर्थ लिए जाएं जो मौलवी साहिब लेते हैं तो एक और ख़राबी अनिवार्य ठहरती है और वह यह है कि हज़रत ईसा^अ सर्वसहमति से नुबुव्वत से पदच्युत और खाली होकर तथा हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की उम्मत में शामिल होकर आएंगे और सब को बुलाएंगे कि इस्लाम स्वीकार करके हज़रत ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की उम्मत में शामिल हो जाओ। परन्तु यहां पर मूल नियम के विपरीत हुआ जाता है। हज़रत ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने की तो कुछ चर्चा नहीं हुई और एक उम्मती व्यक्ति पर ईमान लाने की चर्चा की गई। परन्तु किसी उम्मती पर ईमान लाने के कुछ ध्यान देने योग्य अच्छे अर्थ मालूम नहीं होते, और यदि कहो कि हज़रत ईसा^अ पर ईमान लाना अनिवार्य है हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने के लिए। तो यह कहना है कि سلمنا (हमने माना) परन्तु ईसा^अ पर ईमान लाने के संदर्भ में यह ईमान अनुसरण से प्राप्त हुआ न कि यथार्थतः जो अल्लाह तआला का वास्तविक उद्देश्य है। अतः वास्तविक उद्देश्य को छोड़ना तथा निरुद्देश्य को अपनाने की, जिस से नाना प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं क्या आवश्यकता है। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का तो वह पद है कि समस्त नबियों को पूर्ण ताकीद के साथ आदेश हुआ है और उन से इक्रार और वचन लिया गया है कि वे सब आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं-

قال الله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۗ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۗ قَالَ فَاشْهَدُوا ۗ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۗ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۗ (आले इमरान- 82,83)

अनुवाद - और जब अल्लाह ने नबियों से दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि यद्यपि मैं तुम्हें पुस्तक और तत्त्वज्ञान (हिकमत) दे चुका हूँ, फिर यदि कोई ऐसा रसूल तुम्हारे पास आए जो उस बात की पुष्टि करने वाला हो जो तुम्हारे पास है तो तुम अवश्य उस पर ईमान ले आओगे और अवश्य उसकी सहायता करोगे। कहा, क्या तुम स्वीकार करते हो और इस बात पर मुझ से प्रतिज्ञा करते हो? उन्होंने कहा, (हाँ) हम स्वीकार करते हैं। उसने कहा, तो तुम गवाही दो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ।

मौलाना साहिब यही गुर था कि हज़रत मियां साहिब मद्दाज़िल्लहू तथा मुहम्मद हुसैन ने आप से बहुत आग्रह किया कि यह आयत उद्देश्य में ठोस तर्क नहीं, इस आयत को आप मिर्जा साहिब के मुकाबले में कदापि प्रस्तुत न करें क्योंकि ये दोनों सज्जन इस आयत की रहस्य से परिचित थे, परन्तु आप ने उनकी चेतावनी को स्वीकार न किया और तफ़्सीर इब्ने कसीर पर भरोसा कर लिया। आप की विवेचना शक्ति से यह बात बहुत दूर है।

नून ताकीद सक्रीला के साथ लाम ताकीद की बहस

अज़हरी इत्यादि ने तस्रीह में व्याख्या की है कि लाम ताकीद वर्तमान के लिए आता है। अब स्वीकार किया कि केवल नून ताकीद मात्र भविष्यकाल के लिए है परन्तु जबकि किसी सींगे में लाम ताकीद भी हो जो वर्तमानकाल के लिए आता है और नून ताकीद भी हो। अतः हमारे बीच विवाद जो है तो वहां पर शुद्ध रूप से आवश्यक तौर पर भविष्यकाल होने का क्या कारण? इसका मौलवी साहिब ने नहव से कोई तर्क नहीं दिया। अतः मुनाज़रा अधूरा रहा है।

यह माना कि केवल नून ताकीद नह्व में भविष्यकाल के लिए लिखा है। अम्र, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्ना, अर्ज़ इत्यादि इन में केवल नून ताकीद होता है बिना लाम ताकीद के। अतः इन सीगों में केवल भविष्यकाल अभिप्राय अवश्य हो सकता है। परन्तु जिस सीगे में लाम ताकीद भी हो और उस में नून ताकीद पूर्णतः भविष्यकाल के लिए होने का क्या तर्क है, शायद मौलवी साहिब ने अज़हरी की इस इबारत से यह बात समझी है कि -

لا نهما تخلصان مد خولهما للاستقبال

हम कहते हैं कि यहां पर भविष्यकाल से भविष्यकाल का सीगः अभिप्राय है जिसके बारे में बच्चों की जुबान पर जारी है कि वर्तमान का सीगः भविष्यकाल के सीगः के समान है, और यह बात स्वयं अज़हरी की इबारत से मालूम होती है कि *ذلك ينافي الماضي* यह भूतकाल के विरुद्ध है। यदि अज़हरी का अभिप्राय पूर्णतः भविष्यकाल होता तो कहता कि *ذلك ينافي الماضي والحال* यह भूतकाल और वर्तमान काल के विरुद्ध है। और इसलिए क्रसम के ठोस उत्तर में भविष्यकाल की कोई शर्त नहीं रहती। केवल व्यवहारिक पूर्ण योग्यता के लिए नून (सकीला) का आना नह्व की समस्त पुस्तकों में लिखा है। और इसी कारण से अधिकांश अरबी व्याकरण कर्ताओं ने शब्द मुस्तक्रबिल मुस्बित (प्रमाणित) के स्थान पर मुज़ारिअ मुस्बित को लिया है तथा अधिकांश ने केवल शब्द क्रिया सकारात्मक का जैसा कि नह्व की पुस्तकों के अध्ययन कर्ता पर छिपा नहीं। शरह मुल्ला तथा उसके हाशियों में लिखा है-

ولزمت ای نون التاكيد في مثبت القسم ای في جوابه البثبت لان
القسم محل التاكيد فکرهاوا ان يوکد والفعل بامر منفصل عنه وهو
القسم من غيران يوکدوه بها المتصل به وهو النون بعد صلاحيته له
ای صلاحاتامواحترز عبا لا يصلح اصلا كالجمله الا سببية والفعل
الباضی البثبت وما فيه مانع کما سيحيى و عبا لا يصلح صلاحا تاما
كالستقبل البنفى الى آخر العبارة

تفصیل حال جواب قسم فعل مثبت सकारात्मक क्रिया की क्रसम के उत्तर में वर्तमानकाल का विवरण

सकारात्मक क्रिया की क्रसम के उत्तर में वर्तमान काल का विवरण का स्थान यह है कि जब क्रसम का उत्तर सकारात्मक जुम्लः फेलिया (क्रियात्मक) आया हो तो काल की दृष्टि से उसके पांच रूप हो सकते हैं- या तो बात करने वाले का अभिप्राय शुद्ध भूतकाल हो। इस रूप में लाम और क्रद (قَد) के साथ अधिकतर उत्तर क्रसम आता है जैसा कि وَاللّٰهُ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ या क्रसम के उत्तर में बात करने वाले का अभिप्राय केवल वर्तमान काल हो तो इस स्थिति में क्रसम के उत्तर में केवल लाम आएगा कि -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ يَخْرُفُ قَوْلًا وَلَا يَفْعَلُ

और या बात करने वाले का अभिप्राय केवल भविष्यकाल हो। इस अवस्था में लाम ताकीद नून ताकीद के साथ क्रसम के उत्तर का आना आवश्यक है। जैसा कि-

تَاللّٰهِ لَا كَيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ (अलअंबिया- 58)

इन अवस्थाओं की व्याख्या तो नह्व की सभी छोटी-बड़ी पुस्तकों में लिखी है। मैलाना अब्दुल हकीम 'तकमीलः' में लिखते हैं-

قوله: فاللام آه هذه اللام لام الابتداء البعيدة للتأكيد لا فرق بينها وبين انّ الا من حيث العبل و تفصيل الكلام في هذ البقار ان القسم الذي لغير السؤال جوابه اما جملة اسية مثبتة فيلنّ مها انّ او اللام وقد يجمع بينهما و حينئذ يدخل اللام على الخبر فلا يستغنى الا سية عنها من دون استتالة الا نادراً و اما جملة اسية منفية فيلنّ مها ما اولاً او ان النافية و اما جملة فعلية فان كان فعلها ماضياً غير منصرف او منصرفاً في معنى التعجب او المدح يلنّ مها اللام و ان كان ماضياً منصرفاً فلا في معنى التعجب او المدح يلنّ مها مع اللام قد او ماني معناه مثل ربنا

وَقَدْ يَقْدِرُ قَدْ وَيَكْتَفِي بِلَامٍ بِاللَّفْظِ وَلَا يَكْتَفِي بِقَدْ إِلَّا إِذَا طَالَ الْقِسْمُ أَوْ كَانَ فِي ضَرُورَةٍ الشَّعْرُ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا اسْتِقْبَالِيًّا يَلِزُهَا اللَّامُ مَعَ نُونِ التَّكْيِيدِ وَإِنْ دَخَلَتِ اللَّامُ عَلَى نَفْسِ الْمَضَارِعِ إِلَّا نَادِرًا وَلَا يَكْتَفِي عَنِ اللَّامِ بِالنُّونِ إِلَّا فِي ضَرُورَةٍ الشَّعْرُ إِذَا الْمِ يَدْخُلُ الْأَمْرَ عَلَى نَفْسِ الْمَضَارِعِ يَكْتَفِي بِاللَّامِ نَحْنُ لِأَنَّ مَتَّمَّ أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشُرُونَ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا حَالِيًّا يَكُونُ بِاللَّامِ مِنْ غَيْرِ النُّونِ وَأَمَّا جُمْلَةٌ فَعِيَّةٌ مَنْفِيَّةٌ فَلِئِذَا مَهَانِي الْبَاضِي مَا أَوْلَا وَيَلِزُ تَكَرَّرًا لَا هُنَّ لِأَنَّ الْبَاضِي يَنْقَلِبُ فِي الْجَوَابِ مَعَ مُسْتَقْبَلًا وَفِي الْمَضَارِعِ اسْتِقْبَالِيًّا كَانَ أَوْ حَالِيًّا مَا أَوْلَا مَعَ النُّونِ أَوْ

بدونها... الخ

(सकारात्मक जवाब-ए-क्रसम के साथ नूने ताकीद का आना अनिवार्य है। क्योंकि क्रसम ही है जो ताकीद के स्थान पर है (अर्थात् जिसकी ताकीद करना उद्देश्य है)। अतः भाषाविदों ने क्रिया के साथ मिलकर आने वाली बात अर्थात् नूने ताकीद के द्वारा ताकीद करने की बजाए क्रिया से अलग हटकर अर्थात् क्रसम के द्वारा ताकीद करने को अशोभनीय समझा है। नूने ताकीद लगाने की शर्त यह है कि उस क्रिया में पूरी प्रासंगिकता हो और जो क्रिया नूने ताकीद के योग्य न हो उसमें नूने ताकीद लगाने से बचा जाए, जैसे कि संज्ञावाचक वाक्य (अर्थात् ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया न हो) और भूतकालिक सकारात्मक क्रिया में नूने ताकीद नहीं आता। जिसका वर्णन बाद में आएगा। अतः उस (वाक्य) से भी बचना चाहिए जो अपने साथ नूने ताकीद लगाने की पूरी प्रासंगिकता न रखता हो, जैसे भूतकालिक नकारात्मक वाक्य...।

उसका कथन- यह "लाम" लाम-ए-इब्तिदा है जो कि ताकीद का भाव देता है। इसके और "इन्ना" के बीच कार्य के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं (अर्थात् लाम-ए-ताकीद उसी तरह है जैसे कि "इन्ना" लगाकर किसी बात की ताकीद की जाती है। लेकिन लाम-ए-इब्तिदा और इन्ना के कार्य में अन्तर है) इसकी व्याख्या यह है कि वह क्रसम जो बिना प्रश्न के हो तो उसका जवाब या तो सकारात्मक संज्ञावाचक वाक्य होगा और उसके लिए अनिवार्य है कि "इन्ना" या फिर "लाम" का प्रयोग किया जाए। और यह भी सम्भव है कि एक ही समय

में "इन्ना" और "लाम" दोनों को लाया जाए। उस समय "लाम" को ख़बर के साथ लाया जाएगा।

इस वजह से संज्ञावाचक वाक्य विशेषकर जब संज्ञात्मक वाक्य लम्बा न हो। "इन्ना" और "लाम" के बिना नहीं आता मगर कभी-कभी। लेकिन नकारात्मक संज्ञावाचक वाक्य के लिए "मा" या "ला" या "इन्" लाना अनिवार्य है। और जहाँ तक क्रियावाचक वाक्य का प्रश्न है तो अगर उसकी भूतकालिक क्रिया (अपने कारक से प्रभावित होकर) परिवर्तित या अपरिवर्तित हो और उसके अर्थ आश्चर्य या प्रशंसा के हों तो उसके साथ "लाम" अनिवार्य होगा। और अगर वह भूतकालिक क्रिया परिवर्तित हो और उसमें आश्चर्य और प्रशंसा के अर्थ न पाए जाएँ तो "लाम" के साथ क्रद् लगाना अनिवार्य है या जो इस जैसे अर्थों वाला शब्द हो जैसे कि "रुबमा" (अर्थात् कभी-कभी)। और यह भी हो सकता है कि केवल "लाम" ही ज़ाहिरी शब्द के रूप में लाया जाए और "क्रद्" प्राकृत गुप्त समझा जाए। फिर भी "लाम" के बिना केवल "क्रद्" को इसके अतिरिक्त कि क्रसम वाली इबारत लम्बी हो या काव्यशैली के लिए आवश्यक हो, पर्याप्त नहीं समझा जा सकता। जैसे अल्लाह तआला के इस कथन में है:- **فَدَأَفَلَمَ مَنْ زَكَّهَا** (क्रद् अप्लहा मन् ज़क्काहा)

यदि मुज़ारेअ, मुस्तक्रिबल (भविष्य) पर संकेत करने वाला हो तो उसके लिए "नूने ताकीद" के साथ "लाम" अनिवार्य है। यद्यपि लाम फ़ेअल-ए-मुज़ारेअ पर यदा-कदा ही आता है और काव्यशैली के अतिरिक्त "लाम" के स्थान पर केवल "नून" को पर्याप्त नहीं समझा जा सकता। यदि "लाम" फ़ेअल-ए-मुज़ारेअ पर न दाख़िल हो सकता हो तो फिर अकेले "लाम" के इस तरह प्रयोग को पर्याप्त समझा जाएगा। उदाहरणतः-

(आले इमरान- 3/159) **وَلَيْنَ مُتُّمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لِأَلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ**

(व लइन् मुत्तुम औ कुतिल्लुम लइलल्लाहे तुहशरून)।

और यदि फ़ेअल-ए-मुज़ारेअ (भविष्यकालिक क्रिया) वर्तमान पर संकेत कर रहा हो तो वह "नून" के बिना केवल "लाम" के साथ आएगा। लेकिन अगर

नकारात्मक क्रियावाचक वाक्य में फ़ेअल-ए-माज़ी (भूतकालिक क्रिया) हो तो उसके साथ "मा" या "ला" का लाना अनिवार्य है और यहाँ "ला" का बार-बार आना अनिवार्य नहीं। क्योंकि "ला" जवाब में जब भूतकालिक क्रिया पर आता है तो वह मुस्तक़्बल में बदल जाता है। और फ़ेअल-ए-मुज़ारेअ (भविष्यकालिक क्रिया) यदि भविष्य या वर्तमान पर संकेत करने वाला हो तो भी नकारात्मक क्रियावाचक वाक्य में "मा" या "ला" नून के होते हुए या न होते हुए अवश्य आएगा। अनुवादक)

अब यदि क्रसम का उत्तर सकारात्मक क्रिया में बात करने वाले का अभिप्राय स्थायी तौर पर निरन्तरता हो या वर्तमान तथा भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हों जो चौथी और पांचवीं अवस्था है तो उसके लिए भी वही मुज़ारिअ का सीगः लाम ताकीद तथा नून ताकीद के साथ मुअक्किद बोलेंगे। यदि मौलवी साहिब इसको अवैध कहें तो नह्व के महान विद्वानों के हवाले से जो पहले लिखे जा चुके हैं उस अभिप्राय के लिए कोई सीगः निकालें अर्थात् आविष्कृत करें अन्यथा यह तो नहीं हो सकता ऐसे आशय के लिए कोई सीगः और पता, निशान अरब में मौजूद न हो। **بَيِّنُوا تَوَجُّرُوا**

निष्कर्ष यह है कि क्रसम के उत्तर के लिए केवल भविष्यकाल का होना कुछ अनिवार्य नहीं हैं बल्कि क्रसम का उत्तर कभी भूतकाल होता है कभी वर्तमान कभी भविष्यकाल, कभी इस्तमरार (भूत में बार-बार होने का भाव पाया जाए) और स्थायी तौर पर निरन्तरता तथा इससे पूर्व अलंकार विद्या द्वारा सिद्ध हो चुका है कि भविष्यकाल का सीगः इस्तमरार तथा स्थायी तौर पर निरन्तरता के लिए इस्तेमाल होता है। अतः यदि क्रसम का उत्तर भविष्यकाल का सीगः लाम ताकीद तथा नून ताकीद के साथ हो तो उसके स्थायी तौर पर निरन्तरता के निषेध होने के लिए कौन सा नह्वी तर्क दिया गया है इसके बावजूद कि लाम ताकीद भी जो वर्तमानकाल के लिए आता है उसमें मौजूद है। यदि कोई ऐसा तर्क महान नह्वी इमामों में से बतौर इज्माअ के नक़ल हुआ हो तो वर्णन कीजिए उस पर विचार किया जाएगा, बल्कि जो आयतें आप ने बतौर गवाहों

के अपने दावे के लिए लिखी हैं उनमें से अधिकतर आयतें इस्तमरार और स्थायी तौर पर निरन्तरता के लिए तथा वर्तमान और भविष्यकाल दोनों कालों के लिए हो सकती हैं। कोई नहवी ग़लती अनिवार्य नहीं ठहरती। यद्यपि पहली आयत में चूंकि केवल नून ताकीद है लाम ताकीद नहीं। इसलिए वह केवल भविष्यकाल के लिए हैं और दूसरी आयत :

(अलबकरह-145) فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

अनुवाद - अतः आवश्यक था कि हम तुझे उस क़िब्ला की ओर फेर दें जिसे तू पसंद करता था।

में लाम ताकीद नून ताकीद के साथ मौजूद है। अतः इसके वर्तमान और भविष्यकाल होने में कोई ग़लती नहीं है।

इसी प्रकार तीसरी आयत :

(अलबकरह-156) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ

(अनुवाद - और हम तुम्हें अवश्य कुछ भय के द्वारा आजमाएंगे।) में वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हो सकते हैं और यदि किसी तफ़्सीर में इन आयतों को केवल भविष्यकाल पर चरितार्थ किया हो तो हमें कोई हानि नहीं, और चौथी आयत :

(आले इमरान-82) لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ

(अनुवाद - तुम अवश्य उस पर ईमान ले आओगे और अवश्य उसकी सहायता करोगे।) में वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हो सकते हैं तथा हम यह कब कहते हैं कि हर स्थान पर वर्तमानकाल ही अभिप्राय हुआ करे और लَتَنْصُرَنَّهُ में केवल भविष्यकाल ही अभिप्राय (मुराद) होना हमें कुछ हानिप्रद नहीं। पांचवीं आयत :

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ-

(आले इमरान-187)

(अनुवाद - तुम अवश्य अपने धन और अपनी जानों के विषय में परखे जाओगे

और तुम अवश्य उन लोगों से जिन्हें तुम से पहले पुस्तक दी गई।) इसमें लाम ताकीद नून ताकीद के साथ मौजूद है। वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हो सकते हैं और यदि किसी तप्सीर में केवल भविष्यकाल अभिप्राय होना इन आयतों में लिखा हो तो हमें कुछ हानिप्रद नहीं और आयत नम्बर 4 अर्थात् -

(आले इमरान-188) **لُتَبَيَّنَنَّ لِلنَّاسِ**

अनुवाद - तुम लोगों की भलाई के लिए इसे खोल कर बताओ।

यदि ख़बर इन्शा (अर्थात् अगर वह चाहे) के अर्थ में है और इसलिए केवल भविष्यकाल अभिप्राय है तो हमें कुछ नुकसान नहीं।

छठी आयत - **لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ** (आले इमरान-196)

अनुवाद - मैं अवश्य दूर कर दूंगा उनसे।

मैं दोनों काल अभिप्राय हो सकते हैं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।

सातवीं आयत : **لَا دُخْلَنَّهُمْ** (आले इमरान-196)

अनुवाद- मैं अवश्य उनको दाखिल करूंगा।

मैं लाम ताकीद नून ताकीद के साथ मौजूद है। इसमें वर्तमान और भविष्य काल दोनों अभिप्राय हैं, अन्यथा इस के क्या मायने कि वे मुहाजिर अल्लाह तआला के मार्ग में क़त्ल तो किए गए और उसके मार्ग में कष्ट उठा चुके और अभी तक स्वर्ग में दाखिल नहीं हुए और हजारों वर्ष के पश्चात् कहीं स्वर्ग में दाखिल होंगे बल्कि हम तो यह कहते हैं कि आयत के उतरने के समय में भी दाखिल हुए और होंगे तथा दाखिल होने के लिए होते चले जाते हैं। याद करो- **الْقَبْرِ** (अर्थात् क़ब्र जन्नत के बागों में से एक बाग़ है।) **رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ** ----- الخ

आठवीं आयत : **وَلَا ضَلَّانَّهُمْ** (अन्निसा-120)

के भी मुज़ारिअ (भविष्यकाल) होने में कोई डर नहीं। इब्लीस (शैतान) की गुमराही हज़रत आदम के स्वर्ग में प्रवेश करने के समय सिद्ध है।

नौवीं आयत : **لَتَجِدَنَّ** (अलमाइदा-83) अर्थात् - तू अवश्य पाएगा।

मैं भी दोनों काल अभिप्राय हो सकते हैं कौन सा डर आड़े आता है वर्णन किया

जाए उस पर विचार किया जाएगा।

दसवीं आयत- لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ (अलमाइदा-95)

अनुवाद - अल्लाह अवश्य तुम्हारी परीक्षा लेगा।

में भी शुद्ध भविष्यकाल का अनिवार्य रूप से अभिप्राय होना कुछ आवश्यक नहीं। जो विपरीत दावा करे तो सिद्ध करे।

ग्याहरवीं आयत-

(अन्निसा-88) لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

अनुवाद - वह अवश्य तुम्हें क्रयामत के दिन तक इकट्ठा करता चला जाएगा। में भी दोनों काल मुराद (अभिप्राय) हो सकते हैं क्योंकि लोग मरते जाते हैं। और इकट्ठे होते जाते हैं और यह इकट्ठे होना क्रयामत (प्रलय) तक रहेगा। प्रलय उसका अन्त है, क्योंकि **إِلَى** अन्त के लिए आता है। आयत -

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ (अलआराफ़ -7)

अनुवाद - अतः हम अवश्य पूछेंगे उन लोगों से

में सीगः **فَلَنَسْأَلَنَّ** मुज़ारिअ हो सकता है क्योंकि उसमें लाम ताकीद नून ताकीद के साथ मौजूद है और स्थायी नवीनता भी अभिप्राय हो सकता है। बर्ज़ख़★ में भी मृत्यु के समय से ही प्रश्न आरंभ होता है और मुर्दों का जीवित होकर उठने में भी रहेगा (अर्थात् हश्रो नशर अजसाद) स्वर्ग में या नर्क में प्रवेश करने तक। शाह अब्दुल क़ादिर साहिब इसका अनुवाद भविष्यकाल के साथ करते हैं। अतः हमें उनसे पूछना है जिन के पास रसूल भेजे थे और हमें पूछना है रसूलों से। आयत

(अलआराफ़-125) لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

अनुवाद - मैं अवश्य तुम्हारे हाथ और पाँव काट दूँगा

में वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हो सकते हैं। शाह वलीउल्लाह साहिब ने मुज़ारिअ के शब्द के साथ अनुवाद किया है-

البتة بمرم دستهای شمارا و پاهای شمارا

★ **बर्ज़ख़-** रोक, पर्दा, मरने के बाद प्रलय तक का समय, वह संसार जिसमें मरने के पश्चात् क्रयामत तक रूहें रहेंगी। (अनुवादक)

आयत- وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(अलआराफ़-168)

अनुवाद - और (याद करो) जब तेरे रब ने यह ऐलान किया कि वह अवश्य उन पर क्रयामत के दिन तक ऐसे लोग नियुक्त करता रहेगा।

इस में भी दोनों काल अभिप्राय हो सकते हैं और कोई डर अनिवार्य नहीं आता, क्योंकि आयत के उतरने के समय से अर्थात् हजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय से यहूदियों पर अज़ाब आना आरंभ हो गया और उन पर यह अज़ाब क्रयामत (प्रलय) तक आता रहेगा। इसलिए हजरत शाह वलीउल्लाह साहिब ने इस आयत का अनुवाद मुज़ारिअ के शब्द के साथ किया है-

و یاد کن چوں آگاه گردا نید پروردگار تو که البتہ بفرستد بر ایشان تاروز قیامت

आयत- وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا (इब्राहीम-13)

में वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हैं, क्योंकि इसके क्या मायने कि काफ़िर लोग पैग़म्बर को कष्ट तो दे चुके या देते हैं और उन पैग़म्बरों ने अभी तक सब्र (धैर्य) नहीं किया, किसी युग में सब्र करेंगे और वर्तमान काल में बेसब्र (अधीर) हैं (सूरह साद- 6)

आयत: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا

(इब्राहीम-14)

अनुवाद -और उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया अपने रसूलों से कहा हम अवश्य तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे

में भी वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हो सकते हैं कोई डर अनिवार्य नहीं आता। विशेष तौर पर जबकि वर्तमान काल की परिभाषा का ध्यान रखा जाए जो ऊपर गुज़र चुकी कि वर्तमान काल एक आम बात है और उसकी मात्रा क्रियाओं की दृष्टि से भिन्न है और वह मारूफ़★ की तरफ़ हस्तांतरण करने वाला है।

आयत: وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

(अन्नहल-93)

★ वह क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो। (अनुवादक)

(अनुवाद - और वह अवश्य तुम पर क्रयामत के दिन उसे स्पष्ट कर देगा जिसके सम्बन्ध में तुम मतभेद किया करते थे।) में माना कि केवल भविष्यकाल मुराद है परन्तु हमारे लिए कुछ हानिप्रद नहीं। हम यह कब कहते हैं कि ऐसे सीगे में वर्तमान काल अवश्य ही अभिप्राय होता है और कथित आयत में एक प्रयोगकर्ता भी मौजूद है कि जिसके कारण वर्तमान काल अभिप्राय नहीं हो सकता कि वह शब्द **يَوْمَ الْقِيَامَةِ** है परन्तु मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब ने इसका अनुवाद मुज़ारिअ (भविष्यकाल) शब्द के साथ किया है

والبته بيان كند برائے شمار روز قیامت آنچه در آل اختلاف نمودید

शायद हज़रत वलीउल्लाह साहिब ने मुज़ारिअ के शब्द के साथ इसलिए किया है कि **مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ** सही हदीस है। अतः यह वर्णन निरंतर रूप से क्रयामत तक हमेशा जारी है अर्थात् मुर्दों के जीवित होकर उठने तक।

आयत :

(अन्नहल-94) **وَلْتَسْئَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**

में दोनों काल वर्तमान तथा भविष्य अभिप्राय हो सकते हैं अर्थात् तुम से पूछ-ताछ होनी है जो काम तुम करते थे। यहां तक मौलवी साहिब ने जितनी आयतें लिखीं वे सब मौलवी साहिब के दावे की विरोधी एवं विपरीत हैं। और हज़रत अक्रदस मिर्ज़ा साहिब की समर्थक।

क्या ही ख़ूब कहा है-

عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد
خمیر مایهٔ دوکان شیشه گر سنگ است

यहां पर विनीत को वह कहावत याद आई जिसको अल्लाह तआला ने इसी आयत के रूकू में वर्णन किया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

(अन्नहल : 93)

अनुवाद - और उस स्त्री की भाँति मत बनो जिसने अपने काते हुए सूत को मज़बूत हो जाने के बाद टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

आयत :

(अन्नहल-16/98) فَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ

(अनुवाद - तो उसे हम निस्सन्देह एक पवित्र जीवन के रूप में जीवित कर देंगे। और उन्हें अवश्य उनके उत्कृष्ट कर्मों का प्रतिफल देंगे।) इसमें वर्तमान और भविष्यकाल बल्कि इस्तमरार अभिप्राय है कोई डर अनिवार्य नहीं आता और शाह वलीउल्लाह साहिब ने भी उसका अनुवाद मुज़ारिअ के शब्द के साथ किया है।

ہر آئینہ زندہ کنیمنش بزندگانی پاک و بدہیم آنجماعہ ر امر دایشان

और शाह अब्दुल कादिर 'फाइद:' में लिखते हैं -

अच्छा जीवन क्रयामत को रोशन कर देगा या दुनिया में अल्लाह के प्रेम और आनन्द में बढ़ाएगा। आयत

وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي اِسْرٰٓءٰٓءِیْلِ فِی الْکِتٰبِ لِتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَ لَتَعْلُنَّ

عُلُوًّا کَبِیْرًا (बनी इस्राईल -17/5)

में यदि भविष्यकाल ही अभिप्राय है तो हज़रत मिर्ज़ा साहिब के लिए कुछ हानिप्रद नहीं क्योंकि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब यह बात नहीं कहते हैं कि किसी भी स्थान पर इन सीगों में शुद्ध भविष्यकाल अभिप्राय नहीं हो सकता बल्कि वह तो यह कहते हैं कि स्थानों के अनुसार ऐसे सीगे में कहीं तो स्थायी नवीनता अभिप्राय होती है जैसा कि मुतव्विल के हाशियों से भविष्यकाल के सीगे का होना स्थायी नवीनता के लिए नक़ल हो चुका तथा कहीं वर्तमान और भविष्यकाल अभिप्राय होता है और कहीं केवल भविष्यकाल चूँकि यहां पर आयत के पिछले प्रसंग में कुछ अनुकूलता वर्तमान काल के अभिप्राय से हटकर प्रयोग होने वाली मौजूद हैं इसलिए वर्तमान काल अभिप्राय नहीं, केवल भविष्यकाल अभिप्राय है। परन्तु मौलवी साहिब का भविष्यकाल तो यहां पर भी मौजूद नहीं। क्योंकि आयत के उतरने से बहुत पहले दोनों बार उपद्रव बनी इस्राईल के भूतकाल में हो चुके हैं। प्रथम उपद्रव के दण्ड में जालूत विजयी हुआ और दूसरे उपद्रव के प्रतिफल में बुख्तनसर विजयी हुआ।

आयत-

(अलहज-41) **وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ**

(अनुवाद - और अल्लाह अवश्य उसकी सहायता करेगा जो उसकी सहायता करता है।) (इस आयत) में वर्तमान तथा भविष्य दोनों काल अभिप्राय हैं और कोई डर नहीं बल्कि यहां पर मुज़ारिअ होना आवश्यक है। बल्कि स्थायी नवीनता ही अभिप्राय होना अधिक उचित है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस समय से ख़ुदा की सहायता का इरादा करता है उसी समय से ख़ुदा की सहायता उसके साथ होने लगती है यद्यपि दूसरों को महसूस न हो।

आयत-

(अन्नूर-56) **لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ**

(अनुवाद - उन्हें अवश्य धरती में ख़लीफ़ा बनाएगा।) इस आयत में वर्तमान और भविष्य दोनों काल अभिप्राय हो सकते हैं, क्योंकि **اِسْتِخْلَافٍ** का शब्द आम (सामान्य) है जो रूहानी तथा जिस्मानी (आध्यात्मिक तथा भौतिक) दोनों को सम्मिलित किए हुए हैं। फिर रूहानी **استخلاف** (इस्तिख़लाफ़) तो रसूल के भेजने से पहले ही आरंभ हो गया था। हमने माना कि **استخلاف** (इस्तिख़लाफ़) शारीरिक तथा भौतिक ही अभिप्राय है, तो क्या आंज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ुदा के ख़लीफ़ा नहीं थे बल्कि आयत में लिखे समस्त वादों का पूरा होना तो आंज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय से ही आरंभ हो गया था। फिर यदि कथित आयत में वर्तमान काल भी अभिप्राय हो तो कौन सा नह्व का डर अनिवार्य होता है, विशेष तौर पर उस हालत में कि मुतव्विल (पुस्तक का नाम) इत्यादि से व्याख्या हो चुकी कि वर्तमान काल की एक बात मशहूर (उफ़्री) है और उसके अनुमान भिन्न-भिन्न हैं जो मशहूर ज्ञानियों की तरफ़ हस्तांतरित हैं।

आयत:

(अन्नम्ल- 22) **لَأُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيدًا**

(अनुवाद - मैं अवश्य उन्हें सख्त अज़ाब दूंगा) इस आयत में वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हो सकते हैं। वर्तमान काल का अनुमान मारूफ़ की

तरफ़ हस्तांतरण करने वाला। इसी लिए शाह वली उल्लाह साहिब ने इस आयत का अनुवाद मुज़ारिअ के शब्द से किया है। هر آینه عقوبت کم اور اعقوبت سخت (अनुवाद) और यदि केवल भविष्यकाल ही अभिप्राय हो तो हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब को कुछ हानिप्रद नहीं है। वह कब कहते हैं कि ऐसे सीगे में वर्तमान काल अवश्य ही अभिप्राय होता है।

आयत:

(अल अन्कबूत-70) لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(अनुवाद - हम अवश्य अपने मार्गों की ओर उनका मार्गदर्शन करेंगे) में वर्तमान और भविष्यकाल बल्कि स्थायी निरन्तरता और इस्तमरार (किसी कार्य का बार-बार होना) अभिप्राय है। इसमें कौन सा नहवी डर अनिवार्य होता है

(अल अन्कबूत-70) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

(अनुवाद - और वह लोग जो हमारी राह में कोशिश करते हैं।) इसका सबूत है जिसमें शर्त सम्मिलित है। यदि यह शर्त भूतकाल में आ चुकी तो उसका प्रतिफल भी भूतकाल में आ चुका और यदि यह शर्त वर्तमान काल में स्थापित हो तो उसका प्रतिफल वर्तमान काल में स्थापित होता है और यदि शर्त भविष्यकाल में आएगी तो उसका प्रतिफल अवश्यक तौर पर भविष्यकाल में स्थापित होगा, सारांश यह है कि यह आयत वाद और निर्णय के साथ सशर्त हो मौलवी साहिब जब इस बारे में तर्क शास्त्रीय बहस वर्णन करेंगे तो विनीत भी इन्शा अल्लाह कलाम को विस्तृत कर देगा।

आयत:

(मुहम्मद-31) وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

(अनुवाद - और तू अवश्य उनको उनकी निशानियों से पहचान लेगा।) में वर्तमान तथा भविष्य दोनों काल खुदा की दृष्टि में अभिप्राय हैं। भविष्यकाल को विशिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए शाह वलीउल्लाह साहिब ने इसका अनुवाद मुज़ारिअ शब्द से किया है البتة بشاسی ایشاں اور اسلوب سخن

आयतः

(अत्तःगाबुन-8) لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ

(अनुवाद- तुम निश्चय ही उठाए जाओगे, फिर तुम्हें अवश्य सूचित किया जाएगा जो तुम किया करते थे) यदि केवल भविष्यकाल ही अभिप्राय मान लिया जाए तो हज़रत अक्रदस मिर्ज़ा साहिब को कुछ हानिप्रद नहीं। वर्तमान काल का इरादा उनके नज़दीक अनिवार्य और आवश्यक नहीं और इस आयत में जो केवल भविष्यकाल अभिप्राय हुआ तो इसका कारण यह है कि आयत के पिछले प्रसंग में वर्तमान काल के इरादे से हटकर प्रयोग होने वाली अनुकूलताएं मौजूद हैं। क्योंकि यह आयत काफ़िरों की धारणा का उत्तर है कि मरने के बाद उठाया जाना कदापि न होगा। इसलिए उत्तर में भी केवल भविष्यकाल अभिप्राय हुआ।

अल्लाह तआला फ़रमाता है-

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ - (अत्तःगाबुन-8)

अनुवाद - वे लोग जिन्होंने इनकार किया गुमान कर बैठे हैं कि वे कदापि उठाए नहीं जाएँगे। तू कह दे, क्यों नहीं। मेरे रब की क्रसम ! तुम अवश्य उठाए जाओगे। फिर जो तुम करते थे उससे अवश्य सूचित किए जाओगे। और अल्लाह पर यह बहुत आसान है।

स्पष्ट है कि لَنْ मुज़ारिअ को केवल भविष्यकाल के लिए कर देता है।

अतः जब कि काफ़िरों की धारणा केवल भविष्यकाल में मृत्यु के बाद उठाए जाने के इनकार के लिए थी तो इसके उत्तर और खण्डन में भी केवल भविष्यकाल ही अभिप्राय लिया गया। अतः यहां पर वर्तमान काल से हटकर एक प्रयोग होने वाली अनुकूलता मौजूद है और यदि मृत्योपरान्त उठाए जाने के प्रारंभ होने का समय मौत से लिया जाए और उसका अन्त मुर्दों को जीवित करके उठाए जाने के दिन तक हो इस हदीस सहीह की दृष्टि से कि **من مات فقد قامت قيامته** आया है तो वर्तमान काल भी अभिप्राय हो सकता है।

आयत:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ (अल इन्शिकाक़-84/20)

(अनुवाद- निस्सन्देह तुम अवश्य क्रमशः उन्नति करोगे।

में लाम सक्रीला जो वर्तमान काल के लिए आता है नून ताक्रीद सक्रीला के मौजूद होने के साथ वर्तमान तथा भविष्यकाल दोनों काल अभिप्राय हैं। मालूम नहीं मौलवी साहिब ने पिछली अधिकतर आयतें, जिनमें स्थानों के अनुसार कहीं वर्तमान काल तथा भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हैं और कहीं स्थायी निरंतरता अभिप्राय है। विशेष तौर पर इस आयत को शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए क्यों ठहराया है। इस आयत की तफ़्सीर संक्षिप्त रूप से 'फ़तुलबयान' से लिखी जाती है ताकि दर्शकों को ज्ञात हो कि शुद्ध भविष्यकाल का अनिवार्य रूप से अभिप्राय होना इस आयत में केवल ग़लत और असत्य है और तफ़्सीर हज़रत मुहद्दीसीन का परिशिष्ट जो हज़रत नवाब साहिब बहादुर ने लिखा है (स्वर्गीय) के विरुद्ध है। स्वर्गीय नवाब साहिब ने कथित आयत की तफ़्सीर में जो लिखा है उस का निष्कर्ष यह है-

حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ لَتَرْكَبُنَّ بِأَمْحَمَدَ سَمَاءً بَعْدَ سَمَاءٍ قَالَ الْكَلْبِيُّ يَعْنِي تَصْعَدُ فِيهَا وَهَذَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى وَقِيلَ دَرَجَةٌ بَعْدَ دَرَجَةٍ وَرَتْبَةٌ بَعْدَ رَتْبَةٍ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَفْعَةٌ الْمَنْزِلَةِ وَقِيلَ الْمَعْنَى لَتَرْكَبُنَّ حَالًا بَعْدَ حَالٍ كُلِّ حَالَةٍ مِنْهَا مَطَابِقَةٌ لِأَخْتِهَا فِي الشَّدَةِ وَقِيلَ الْمَعْنَى لَتَرْكَبُنَّ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ مِنْ كَوْنِكَ نَظْفَةً ثُمَّ عِلْقَةً ثُمَّ مَضْغَةً ثُمَّ حَيًّا وَمَيِّتًا وَغَنِيًّا وَفَقِيرًا قَالَ مَقَاتِلُ طَبَقًا عَن طَبَقٍ يَعْنِي الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ وَقَالَ عِكْرَمُ رَضِيْعٌ ثُمَّ فَطِيْمٌ ثُمَّ غَلَامٌ ثُمَّ شَابٌ ثُمَّ شَيْخٌ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ يَعْنِي السَّمَاءَ تَنْفَطِرُ ثُمَّ تَنْشَقُّ ثُمَّ تَحْمَرُّ وَقِيلَ يَعْنِي الشَّدَائِدَ وَاهْوَالَ الْمَوْتِ ثُمَّ الْبَعْثَ ثُمَّ الْعَرْضَ وَقِيلَ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ أَنْتَهَى حَاصِلُهُ وَمُلَخَّصُهُ-

(व्याख्या सहित अनुवाद : एक हालत के बाद दूसरी हालत- मुझे बताया शुअबी और मुजाहिद ने कि "लतर्कबुन्ना तबकन् अन् तबकिन्" से तात्पर्य यह है कि हे मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! एक आसमान के बाद दूसरे आसमान तक तुम क्रमशः आगे बढ़ोगे। अलकल्बी ने कहा कि इससे तात्पर्य यह है कि आप ऊँचाइयों पर जाएँगे। यह पहले भाव के अनुसार है। और कहा गया कि अल्लाह

का सानिध्य पाने और मुक़ाम व मर्तबा की ऊँचाइयों तक पहुँचने में एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा और एक रुत्बे के बाद दूसरा रुतबा तय करते चले जाएँगे। और कहा गया है कि "तर्कबुन्ना" का अर्थ यह है कि, हे मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! तुम अवश्य एक पद से दूसरे पद की ओर क्रमशः तरक्की करते चले जाओगे और उन में से हर एक का आपस में मज़बूत सम्बन्ध होगा। और यह भी कहा गया है कि "लतर्कबुन्ना तबकन् अन् तबकिन्" का अर्थ यह है कि हे इन्सान तूने एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर उन्नति की है, तू अपने वजूद की दृष्टि से एक वीर्य (अर्थात् एक उछलता हुआ पानी) था। फिर अलक़ः (लोथड़ा) बना फिर मुज़ग़ः (अर्थात् मांस की तरह जमा हुआ खून) बन गया, फिर ज़िन्दा या मरा हुआ पैदा हुआ फिर अमीर या ग़रीब बना। मुक़ातल ने कहा है कि "तबकन् अन् तबकिन्" से मौत और ज़िन्दगी अभिप्राय है। इकरिमा ने कहा है कि "तबकन् अन् तबकिन्" से तात्पर्य यह है कि इन्सान पहले दूध पीता बच्चा था फिर दूध छोड़ने वाला बना, फिर किशोर फिर युवा फिर बूढ़ा बना। इब्नि मसऊद बयान करते हैं कि "लतर्कबुन्ना तबकन् अन् तबकिन्" से तात्पर्य आसमान की अवस्थाएँ (अभिप्राय घटनाएँ) हैं अर्थात् पहले आसमान फटेगा फिर टुकड़े-टुकड़े होगा फिर सुर्ख (लाल) हो जाएगा। इस आयत के बारे में यह भी कहा गया है कि इससे तात्पर्य भयानक कष्ट और (कीट-पतियों की तरह) मौता-मौती के बाद ज़िन्दा किया जाना और ख़ुदा के समक्ष पेश किया जाना है। और इसमें यह भी कहा गया है कि तुम पहली क्रौमों के चाल-चलन को अपनाते चले जाओगे, जैसा कि हदीस में भी यह वर्णन मिलता है। (सार समाप्त- अनुवादक)

अन्ततः दर्शकों की सेवा में एक आवश्यक निवेदन यह है कि जनाब मौलवी साहिब ने द्वितीय पर्चे में कहा है – “कि बैज़ावी में लिखा है **كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ** अना औरسلى بالحجة स्पष्ट है जब लौह-ए-महफूज़ में लिखा था उस समय तथा उससे पूर्व विजय की कल्पना न थी क्योंकि विजय के लिए विजयी तथा पराजित आवश्यक हैं। उस समय न रसूल और न उनकी उम्मत थी ये सब उसके बाद हुई हैं” यह विनीत मौलवी साहिब के कथन का और समर्थन करता है कि आपने

बैजावी का हवाला जिसकी तफ़्सीर को आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ** में आप असत्य और ग़लत कह चुके हैं अकारण लिखा। स्वयं पवित्र कुर्आन में मौजूद है-

(अल बुरूज-22,23) **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ**

स्पष्ट है कि लौह-ए-महफूज़ का निर्णय सर्व प्रथम है। भूत, वर्तमान तथा भविष्यकाल तीनों काल लौह-ए-महफूज़ के निर्णय से भविष्यकाल में घटित हैं। निर्णय हो चुका। मौलवी साहिब ने हज़रत अक़्दस मिर्ज़ा साहिब का इस्तमरार, भूत तथा वर्तमानकाल का समस्त विवाद समाप्त कर दिया। **وَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

हुई माज़ी व या कि हाल हुआ

चलो झगड़ा ही इन्फ़िसाल★ हुआ

चूंकि मौलवी साहिब का दूसरे पर्चे में लेख के इस सारांश के साथ इक्रार लिखा जा चुका है कि समस्त बहसों जो तीसरे पर्चे में लिखी जा चुकी हैं वास्तविक तथा उत्तम बहस नून ताकीद की हैं। अतः जबकि नून ताकीद का सारा झगड़ा ही समाप्त हो गया। इसलिए तीसरे पर्चे का उत्तर भी समाप्त हो गया। किन्तु कुछ लोगों के कहने पर बतौर उसका कथन तथा मेरा कथन के तौर पर भी उत्तर दिया जाता है।

उसका कथन- यदि जनाब मिर्ज़ा साहिब के इस कथन तक तो मैं अपने इस मुक़द्दम: को ग़लत मान लूंगा।

मेरा कथन- हज़रत अक़्दस मिर्ज़ा साहिब विश्वसनीय तफ़्सीरों तथा स्पष्ट आयतों से यह बात सिद्ध कर चुके कि

فان حقيقة الكلام للحال ولا وجه لان يراد به فريق من اهل الكتب
يوجدون حين نزول عيسى عليه السلام- وقال الزجاج هذا لقول بعيد
لعموم قوله تعالى **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ** والذين ييقنون يومئذ يعني عند
نزوله شردمة قليلة منهم كذا في فتح البيان-

(इस कथन (आयत) की वास्तविकता यह है कि इसका सम्बन्ध इस समय के लोगों से है।

★ इन्फ़िसाल - (झगड़ा) निपट जाना, निर्णय हो जाना इत्यादि

इससे यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मानो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के समय केवल अहले किताब का एक फ़िर्का (सम्प्रदाय) होगा।

अज़्जुजाज ने कहा है कि यह बात अल्लाह के कथन

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

(व इम्मिन् अहलिल् किताबे) के सार्वभौमिक अर्थों के विपरीत है। बल्कि इससे तात्पर्य वे अहले किताब हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल (उतरने) के समय एक छोटे से गिरोह के रूप में मौजूद होंगे। (तफ़्सीर) फ़तहुल बयान में भी यही वर्णित है। -अनुवादक)

और इस विनीत के वर्णन से मुतव्विल तथा उसके हाशियों इत्यादि के हवाले से स्थायी निरंतरता, वर्तमान तथा भविष्यकाल का अभिप्राय होना उचित स्थानों के अनुसार सिद्ध हो चुका। अतः अब मौलवी साहिब पर अनिवार्य है कि तक्रवः धारण करते तथा ख़ुदा से डरते हुए अपने इक्रार के अनुसार अपने इस मुकद्दमे का ग़लत होना स्वीकार करें।

उसका कथन- और अनुवाद का निष्कर्ष यह है।

मेरा कथन- हज़रत अक़्दस मिर्ज़ा साहिब स्पष्ट आयतों से यह बात भली भांति सिद्ध कर चुके कि ऐसा युग क्रयामत तक कभी नहीं आ सकता कि विशाल संसार पर कोई काफ़िर और दुराचारी फ़िर्कः शेष न रहे। हां यद्यपि मुसलमानों की विजय और प्रदर्शन कभी भौतिक तौर पर और कभी रूहानी (आध्यात्मिक) तौर पर और कभी बराहीन अहमदिया की दृष्टि से अवश्य होगा। आयत स्वयं-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

(अत्तौबः33)

तफ़्सीर करने वालों ने मसीह इब्ने मरयम के युग के लिए लिखी है। यही लेख ऊंचे स्वर में पुकार रहा है और वह सब जो पृथ्वी पर है की हिदायत तो ख़ुदा की इच्छा के विरुद्ध है। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ هَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (अस्सज्द -14)

और अल्लाह तआला यह भी फ़रमाता है-

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ الْأُنْثَىٰ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (हूद-119,120)

وغير ذلك من الايات الكثيرة المصرحة بذلك

अनुवाद - और यदि तेरा रबब चाहता तो लोगों को एक ही समुदाय बना देता। परन्तु वे सदैव मतभेद करते रहेंगे। सिवाए उसके जिस पर तेरा रबब कृपा करे और इसी उद्देश्य से उसने उन्हें पैदा किया था। और तेरे रबब की यह बात भी पूरी हुई कि मैं नर्क को जिन्नों और इन्सानों से अवश्य भर दूँगा।

उसका कथन- तो इस अर्थ के ग़लत होने का यह कारण कि अलक़ौलुलजमील के लेखक के अनुसार इस स्थान पर ग़लत फ़ाहिश का उत्पत्तिस्थान (मस्दर) [☆] हुआ है..... अन्त तक। इसलिए यह अर्थ ग़लत है।

मेरा कथन- मौलाना 'अलक़ौलुलजमील' के लेखक ने ही केवल इस जुम्ले को 'जुम्ल इन्शाइय' ^{*} नहीं ठहराया बल्कि समस्त नह्व में ऐसे वाक्य को जो मस्दर के प्रकार से हो चाहे वह क्रसम की दृष्टि से हो या शब्दों में जुम्लः इन्शाइयः कहते हैं और जुम्ल इन्शाइयः का हिस्स (निर्भरता) केवल अम्र के सीगें में यह मौलाना साहिब आप का ही मनगढ़त है। जुम्लः इन्शाइयः के प्रकार तो अम्र के अतिरिक्त और बहुत हैं जो नह्व की हर छोटी-बड़ी पुस्तक में लिखे हैं। इस विषय को 'नह्व मीर' पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं। 'अलक़ौलुलजमील' के लेखक ने **لِيُؤْمِنَنَّ** को अम्र का सीगः कदापि, कदापि नहीं समझा बल्कि **تحريض** (एहतयाती उपाय) है जो 'बैज़ावी' इत्यादि में लिखी है। उसी तफ़्सीर के अनुसार 'अलक़ौलुलजमील' के लेखक ने आयत के अर्थ लिखे हैं। अतः आप

☆ मस्दर-वह शब्द जिस से क्रियाएं, कर्ता, और धातु-कर्म इत्यादि बनते हैं। (अनुवादक)

* जुम्ला इन्शाइयः ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया न हो अर्थात् संज्ञात्मक वाक्य। (अनुवादक)

का 'अलक़ौलुलजमील' के लेखक पर यह आरोप यथास्थान नहीं है तथा यह बात तो सिद्ध हो चुकी कि शुद्ध भविष्यकाल अभिप्राय होना इस स्थान पर कुछ आवश्यक नहीं बल्कि वर्तमान काल का अभिप्राय होना भी यहां पर आवश्यक है।

उसका कथन- अबू हुरैर: उन में से हैं – उसके इस कथन तक

وهذا القول هو الحق كما سبّنه بعد بالدليل القاطع انشاء الله تعالى

मेरा कथन- इस कथन में ताबिईन इत्यादि का इस तरफ़ इतना जाना मौलाना साहिब ने वर्णन किया, उनका कोई ऐसा कथन नक़ल नहीं किया जिस से यह सिद्ध होता हो कि जिस प्रकार मौलवी साहिब उस आयत को ठोस सबूत कहते हैं उसी प्रकार यह जमाअत भी उस आयत को ठोस सबूत कहती है। हज़रत अबू हुरैर: ^{रज़ि.} तो स्वयं बतौर सन्देह के जिस पर शब्द **إِنْ** सिद्ध करता है अपनी इस समझ को संदिग्ध ठहराते हैं फिर अन्य किसी ताबिई इत्यादि की चर्चा ही क्या है। अतः मौलवी साहिब का आयोजन बिल्कुल अपूर्ण है और उद्देश्य के योग्य नहीं। और फिर मौलवी साहिब का यह कहना कि पहले लोगों का एक बड़ा समूह इस तरफ़ गया है, कैसा यथास्थान तथा यथाअवसर है। दर्शक तनिक विचार करें। तप्सीर इब्ने कसीर के लेखक जो कहते हैं **وهذا القول هو الحق** – तो उन से ठोस सबूत की मांग है वह ठोस सबूत वर्णन किया जाए। नून सक्रीला का सबूत तो बहुत ही ख़फ़ीफ़ा (हल्का) हो गया।

उसका कथन- प्रथम यह कि आयत में नून ताकीद सक्रीला मौजूद है.....

मेरा कथन- नून सक्रीला का मुकद्दम: लाम ताकीद मफ़तूहा के (जिस पर ज़बर मात्रा हो) बिल्कुल ख़फ़ीफ़ा (हल्का) हो गया तथा ऐसी व्यापकता कि (मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले दुनिया में जो अहले किताब मौजूद थे आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ** उनको भी शामिल हो) कुछ आवश्यक नहीं कि आयत के अगले प्रसंग में सलीब की घटना से पूर्व मौजूद अहले किताब कब अभिप्राय हैं जो यहां पर भी वे अभिप्राय हों। देखो आयत के पहले वाक्यों को-

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ-

(अन्निसा-158)

(अनुवाद - और उनके इस कथन के कारण कि निस्सन्देह हमने मरियम के पुत्र ईसा मसीह को क़त्ल कर दिया जो अल्लाह का रसूल था) इत्यादि वाक्य

उसका कथन- और इसी प्रकार आपके दूसरे अर्थ भी ग़लत हुए जाते हैं अन्त तक।

मेरा कथन- जबकि नून सक्रीला का मुक़द्दम: लाम ताकीद मफ़्तूहा मौजूद होने के कारण बिल्कुल ख़फ़ीफ़ा हो गया तो अब ये अर्थ क्योंकि ग़लत हो सकते हैं और यदि आप के नज़दीक उसके खंडन के अन्य कारण मौजूद हों तो वर्णन किए जाएं। इन्शाअल्लाह तआला उन पर विचार किया जाएगा।

उसका कथन - दूसरे एतराज़ का आरंभिक उत्तर दो कारणों से है प्रथम यह कि उसके कथन की ओर लौटने की बजाए यक़ीन मुराद है।

मेरा कथन- जबकि आयत में इस बात की कहीं व्याख्या नहीं थी कि मसीह के आते ही समस्त अहले किताब मसीह पर ईमान ले आएंगे। अतः आप ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए अबू मालिक का यह कथन क्यों नक़ल किया है

قال ابو مالك في " قوله إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "

(अन्निसा-160)

अनुवाद - और अहले किताब में से कोई (गिरोह ऐसा) नहीं जो उसकी मृत्यु से पूर्व निश्चित रूप से उस पर ईमान न ले आएगा।

قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام لا يبقى احد من اهل الكتاب الا آمن به

और फिर इस पर अतिरिक्त यह एक आश्चर्य की बात और है कि अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए हसन का कथन भी नक़ल किया है :

وقال الحسن البصري يعنى النجاشي واصحابه

भला कहां नज्जाशी और कहां उसके साथी और कहां ईसा इब्ने मरयम का नुज़ूल (उतरना) और कहां वे अहले किताब जो ईसा बिन मरयम के उतरने के समय ईमान ले आएंगे- **بين تفاوت ره از کجاست تا کجا** और फिर यह कथन भी नक़ल किया गया है-

قال الضحاك عن ابن عباس **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ**

مَوْتِهِ یعنی اليهود خاصة

यह कैसा विरोधाभास और मतभेद है। अल्लाह तआला ने सच कहा है-

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔

(अन्निसा-83)

अनुवाद - हालाँकि यदि वह अल्लाह के सिवा किसी और की ओर से होता तो (वे) अवश्य उसमें बहुत विभेद पाते।

तथा फिर आस्थाओं के बारे में संभावना के तौर पर आप का यह कहना- (अतः हो सकता है कि जिन काफ़िरों का ख़ुदा के ज्ञान में मसीह की फूंक से कुफ़्र की हालत में मरना निश्चित हो उनके मरने के पश्चात् समस्त अहले किताब ईमान ले आएँ) कैसा यथास्थान एवं यथाअवसर है। आस्थाओं (अक़ीदों) के अध्याय में ऐसे ही ठोस और अटल तर्क होने चाहिए। और फिर जबकि ईमान से अभिप्राय ईमान शरई न हुआ बल्कि उस से अभिप्राय विश्वास (यक़ीन) हुआ तो कहां गया वह मुद्दई कि ईसा के नुज़ूल के पश्चात् तथा ईसा बिन मरयम की मृत्यु से पूर्व एक युग ऐसा आएगा कि समस्त अहले किताब इस्लाम में दाख़िल हो जाएंगे। मौलाना,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

(अन्नहल-93)

अनुवाद - और उस स्त्री की भाँति मत बनो जिसने अपने काते हुए सूत को मज़बूत हो जाने के बाद टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

उसका कथन- तीसरे ऐतराज़ का उत्तर भी इन्हीं कारणों से है.....

अन्त तक।

मेरा कथन- इन दोनों कारणों का मौजूद न होना ज्ञात हो चुका। नून ख़फ़ीफ़ा इत्यादि का कोई अन्य कारण वर्णन किया जाए।

उसका कथन- यह ऐतराज़ जनाब मिर्ज़ा साहिब की प्रतिष्ठा से अत्यन्त दूर है..... इबारात के अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना, वह कौन सा युग हो चुका है जिसमें कोई काफ़िर न था। यदि कहो कि हज़रत आदम के प्रारंभिक समय में। तो निवेदन यह है कि हज़रत इब्लीस उस पर लानत हो, सब से बड़े काफ़िर मौजूद थे तथा सन्तान होने के पश्चात् 'क्राबील' और 'हाबील' का क्रिस्सा स्वयं पवित्र कुर्आन में मौजूद है और यदि कहो कि हज़रत आदम से पूर्व। तो निवेदन यह है कि उस युग से बहस ही कब है। और यदि अकारण आप उस युग को ही उस का चरितार्थ ठहराएं और कहें कि समस्त फ़रिश्ते मोमिन ही थे, तो हम कहेंगे कि जिन्न लोग काफ़िर भी मौजूद थे। फिर वह कौन सा युग था जिसमें कोई काफ़िर मौजूद न था। अल्लाह तआला कहानी के तौर पर वर्णन करता है-

عن ابيس قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اِلَى
يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ. قَالَ فَالْحَقُّ. وَالْحَقُّ اَقْوَلُ. لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ. (साद- 80 से 86)

अनुवाद - उसने कहा, हे मेरे रब ! इस परिस्थिति में मुझे उस दिन तक ढील दे दे जिस दिन (लोग) उठाए जाएँगे। उसने कहा, निःसन्देह तू ढील दिए जाने वालों में से है। एक निश्चित समय के दिन तक। उसने कहा, तो फिर तेरी प्रतिष्ठा की क्रसम ! मैं अवश्य उन सब को पथभ्रष्ट करूँगा। सिवाए उनमें से तेरे उन भक्तों के जो (तेरे) चुने हुए होंगे। उसने कहा, अतः सच तो यह है और मैं अवश्य सच ही कहता हूँ। मैं नरक को अवश्य तुझ से और उन सबसे भर दूँगा जो उनमें से तेरा अनुसरण करेंगे।

मौलाना साहिब **لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ** में आप का नून सक्रीला भी मौजूद है और **إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ** और **قَرَأِينَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ** जिनके कारण यहां पर केवल भविष्यकाल अभिप्राय है। निष्कर्ष- खुदा की इच्छा के विरुद्ध ऐसा युग क्योंकर हो सकता है जिसमें सारे लोग हिदायत पर हो जाएं तथा विशाल पृथ्वी पर कोई गुमराह काफ़िर मौजूद न रहे। अतः मेरी अपूर्ण समझ में ऐसा कुछ कहना आप की शान से बहुत दूर है न कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब का कहना। इन्साफ़ को हाथ से न जाने दीजिए। कहावत प्रसिद्ध है- **الْإِنصَافُ أَحْسَنُ الْأَوْصَافِ** (अर्थात् न्याय बहतरीन विशेषताओं में से है)

उसका कथन- दूसरा सबूत अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना, पहले तो यह निवेदन है कि **कहल** के अर्थ में किसी शब्दकोश की पुस्तक में दो हज़ार वर्ष का या इस से अधिक का समय भी लिखा है या नहीं। यदि किसी पुस्तक में लिखा हो तो नक़ल किया जाए और यदि कहीं नहीं लिखा तो फिर दो हज़ार वर्ष या अधिक का समय उसके अर्थ में क्योंकर विश्वसनीय हो सकता है। दूसरे- आपने तफ़्सीर की जितनी पुस्तकों की इबारत से सबूत दिया है किसी तफ़्सीर में **رفع قبل التكهل بجسده العضرى** (अधेड़ आयु से पूर्व पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर उठाना) का सबूत किसी आयत या सहीह मफ़्दूअ, मुत्तसिल हदीस से नहीं दिया। फिर जब तक कि इस प्रकार का रफ़ा अधेड़ आयु से पहले ठोस तर्क और सबूत से सिद्ध न हो तो आप का सबूत मुद्दई के लिए अनिवार्य क्योंकर हो सकता है। 'फ़तुलबयान' में लिखा है

واورد على هذا عبارة البواهب مع شرحها للزرقاني و انما يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف بها اربعين سنة اذ هوسن الكمال ولها تبعث الرسل ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الانبياء حتى يحيى و عيسى هو الصحيح ففى زاد المعاد للحافظ ابن القيم ما يذكر ان عيسى رفعه و ابن ثلث و ثلثين سنة لا يعرف به اثر متصل يجب البصير اليه قال الشامى وهو كما قال فان ذلك انما يروى عن النصارى و المصاحم به فى الاحاديث النبويه انه انما رفعه وهو ابن مائة و عشرين سنة ثم قال الزرقاني وقع للحافظ الجلال السيوطى فى تكملة تفسير المحلى و شرح النقاية وغيرهما من كتبه الجزم بان عيسى رفعه وهو ابن ثلث و ثلثين سنة

ويكث بعد نزوله سبع سنين وما زلت اتعجب منه مع مزيد حفظه و اتقانه و جمعه للمعقول والمنقول
حتى رأيت في مرقاة الصعود رجوع عن ذلك انتهى

(इस बात पर मुवाहबल् लदुन्निय: की निम्नलिखित इबारत ज़र्क़ानी की व्याख्या सहित पेश है, कि किसी को नबूवत् का विशिष्ट इनाम (उपहार) उस समय प्रदान किया जाता है जब वह चालीस (40) वर्ष की आयु को पहुँच जाए। क्योंकि यह आयु प्रौढ़ता की आयु है और इसी आयु पर पहुँचकर रसूल अवतरित होते हैं।

चालीस वर्ष की आयु तक पहुँचने का यह आधार समस्त नबियों के लिए है। यहाँ तक कि यह्या और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी है। हाफ़िज़ इब्नि अल् क्रय्मि ने अपनी किताब "ज़ादुल मआद" में बयान किया है कि यह जो कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को तैंतीस (33) वर्ष की आयु में उठाया गया था, इस बारे में कोई ऐसी मुत्तसिल रिवायत (अर्थात् क्रमागत वर्णन जिसका सम्बन्ध ईसा के जीवनकाल तक पहुँचता हो -अनुवादक) नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। अलसामी ने कहा कि यह (ईसा अलैहिस्सलाम को 33 वर्ष की आयु में उठाए जाने की) बात ईसाइयों से ली गई है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों में जो स्पष्टीकरण बयान हुआ है वह यह है कि, ईसा का रफ़ा उस समय हुआ जब उनकी आयु 120 (एक सौ बीस) वर्ष थी।

जबकि ज़र्क़ानी ने कहा है कि जलालुद्दीन सुयूती ने "तक्मिलुत्तप्सीर अल-महल्ला व शरह अन्-नकाय: इत्यादि जैसी अपनी पुस्तकों में बयान किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को उस समय उठाया गया जब उनकी आयु 33 (तैंतीस) वर्ष की थी और वह उतरने के बाद 7 (सात) वर्ष ठहरेंगे। (संकलनकर्ता फ़तहल बयान कहते हैं कि) इमाम सुयूती की कंठस्थ, बौद्धिक एवं उदाहृत रिवायतों (बातों) को बड़े सुन्दर ढंग से एकत्र करने के काम की दृष्टि से मैं उस समय तक उनके उपरोक्त कथन (कि ईसा अलैहिस्सलाम को तैंतीस वर्ष की आयु में उठाया गया) के बारे में आश्चर्य करता रहा, जब तक कि मैंने किताब "मिर्क़ातुल सऊद" में यह न पढ़ लिया कि उन्होंने उस बात से तौबा कर लिया था। (समाप्त)
-अनुवादक)

और हुसैन बिन अलफ़ज़ल से जो यह कथन नक़ल किया गया है कि- *وفي هذه الاية نص في انه عليه الصلوة والسلام سينزل الى الارض* यदि नस्स (कुर्आन का स्पष्ट आदेश) से अभिप्राय वही नस्स है जो उसूल वालों से परिभाषित है तो आप ही बताएं कि अधेड़ आयु में वार्तालाप करना पार्थिव शरीर के साथ आकाश से उतरने के लिए नस्स क्योंकर हो गया और यदि नस्स से कुछ और अभिप्राय है तो वर्णन करें उस पर विचार किया जाएगा। और फिर निवेदन यह है कि आप ने प्रथम पर्चे के आरंभ में यह इक्रार और वचन दिया है कि इस मुबाहस: में मसीह के आकाश पर चढ़ने और उतरने इत्यादि की बहस को नहीं लाया जाएगा। फिर यहां पर इस इक्रार और वचन को आप की तरफ़ से भंग क्यों किया गया।

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (बनी इस्राईल-35)

तीसरे- क्या ऐसी भविष्यवाणियों की वास्तविकता जैसी होनी चाहिए ऐसी ही विवेचनाओं तथा विद्वानों के कथनों से घटना से पूर्व निश्चित तथा अटल और विश्वसनीय तौर पर ज्ञात हो सकती है जैसे कथन आपने इस दूसरे सबूत में वर्णन किए हैं। नहीं, नहीं मुझे भलीभांति याद आया मौलाना साहिब तो स्वयं इस दूसरे सबूत के बारे में कह चुके हैं कि मसीह के जीवित रहने पर यह तर्क स्वयं में ठोस और अटल नहीं है। हां यद्यपि यहां पर एक प्रश्न शेष रहा वह यह है कि आप यह भी कहते हैं कि (परन्तु कि आयत

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ-

(अन्निसा-160)

के मिलाने से ठोस सबूत हो जाता है) अब प्रश्न यह है कि उसूले हदीस की दृष्टि से

صحيح الذاته و صحيح لغيره یا حسن لذاته و حسن لغيره-

तो अवश्य ही उसूले हदीस की एक निर्धारित परिभाषा है। शायद इसी आधार पर आप ने ठोस तर्क के दो प्रकार बताए।

प्रथम-स्वयं में ठोस तर्क होना।

द्वितीय-दूसरे के लिए ठोस तर्क होना

यह परिभाषा या ज्ञान मुनाज़र: का होगा या शायद उसूले फ़िक्र: की विद्या का हो। इसलिए निवेदन है कि शास्त्रार्थ विद्या (इल्म मुनाज़र:) या उसूले फ़िक्र: की जिस पुस्तक में तर्क के ये दोनों प्रकार लिखे हैं सही तौर पर नक़ल किए जाएं, क्योंकि विनीत को यह परिभाषा (Term) मालूम नहीं। नज़ार ने तो तर्क की यह परिभाषा लिखी है- *والدليل هو المركب من قضيتين للتأدي الى مجهول* -दलील उसे कहते हैं जो दो क़ज़ियों से इस तरह जुड़ी हुई हो कि वह मजहूल नज़री (परिणाम) तक पहुँच जाए। दलील उसे कहते हैं जिसके ज्ञान से किसी दूसरी चीज़ का ज्ञान अनिवार्य ठहरे।

या दलील उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी दूसरी चीज़ के सत्यापन का तार्किक रूप से ज्ञान होता हो। -अनुवादक)

तथा कुछ ने यह लिखी है-

ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر إما يلزم من التصديق بشئ آخر بطريق الاكتساب-

और रशीदिया में लिखा है-

रशीदिया में लिखा है कि, इस परिभाषा को स्पष्ट निर्णय वाली सच्ची और पक्की दलील समझा जाए। (इन उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या हेतु उदाहरण इस तरह है जैसे कि, किसी को ज्ञात है कि इन्सान जानदार है और यह भी ज्ञात है कि हर जानदार का एक शरीर होता है। अतः जब वह इन दोनों बातों को आपस में मिलाएगा तो उसे मजहूल नज़री (परिणाम) का पता लग जाएगा अर्थात् यह कि हर इन्सान का एक शरीर होता है)। -अनुवादक)

فان حمل ذلك التعريف على تعريف الدليل القطعي البين الانتاج- ومعنى الاستلزام ظاهر وان اريد به التعميم

كما هو الظاهر حمل الاستلزام على المناسبة المصححة للانتقال لاعلى امتناع الانفكاك-

और उसूल वालों ने तर्क की परिभाषा यह लिखी है-

هو ما يمكن التوصل لصحيح النظر في احواله الى مطلوب خبري كالعالم مثلاً فإنه من تأمل في احواله لصحيح

النظر بان يقول انه متغير و كل متغير حادث وصل على مطلوب خبرى وهو قولنا العالم حادث فعند الاصوليين
العالم دليل وعند الحكماء مجموع العالم متغير و كل متغير و كل متغير حادث-

(तो इस्तिल्जाम (अनिवार्यतः) का मतलब स्पष्ट है और यदि इससे साधारण अर्थ समझना अभिप्राय हो जैसा कि स्पष्ट है तो इस्तिल्जाम (अनिवार्यतः) को सच्चे, शुद्ध और अनुकूल परिवर्तन पर आधारित किया जाएगा, न कि झूठी, अशुद्ध, प्रतिकूल और अलग-थलग बात पर।

और सिद्धान्तकारों ने दलील (प्रमाण) की यह परिभाषा लिखी है:-

(व्याख्या के लिए ज्ञात हो कि यहाँ लुज़ूम या इस्तिल्जाम (अनिवार्यतः या अनिवार्य ठहरना) की व्याख्या हो रही है।

इस्तिल्जाम- एक निर्णय का दूसरे निर्णय के लिए तक्राज़ा करने को कहते हैं।
इस्तिल्जाम या लुज़ूम के दो अर्थ हैं:-

प्रथम- झूठे, अशुद्ध और प्रतिकूल निर्णय को निषेध ठहराना।

द्वितीय- सच्चे, शुद्ध और अनुकूल निर्णय की ओर परिवर्तन।

यदि दलील (तर्क) से अभिप्राय दलील-ए-क़तअी (अर्थात् स्पष्ट और ठोस तर्क) है तो लुज़ूम या इस्तिल्जाम (अनिवार्यतः या अनिवार्य ठहरना) को प्रथम अर्थों अर्थात् झूठे, अशुद्ध और प्रतिकूल निर्णय को निषेध ठहराने पर आधारित करेंगे। और यदि दलील (तर्क) से अभिप्राय दलील-ए-ज़न्नी (अर्थात् काल्पनिक तर्क) है तो काल्पनिक तर्कों से तर्कित चीज़ (अर्थात् परिणाम) अलग होकर प्रथम अर्थों की ओर लौटने की योग्यता रखती है। इसे सच्चे, शुद्ध और अनुकूल निर्णय की ओर परिवर्तन कहते हैं।

नोट- यह मन्तिक़ और मुनाज़रा (अर्थात् दर्शन और शास्त्रार्थ) की परिभाषाएँ हैं इनकी और अधिक व्याख्या के लिए इन विद्याओं से सम्बन्धित पुस्तकों या इस विभाग के किसी विशेषज्ञ से सम्पर्क करना उचित होगा। -अनुवादक)

सिद्धान्तकारों ने तर्क की परिभाषा यह लिखी है कि जिसके हालात (गुण-दोषों) पर ग़ौरोफ़िक़र करने से वांछित परिणाम तक पहुँचा जा सके। जैसे कि "संसार" है, जिसने भी इस संसार के हालात (गुण-दोषों) पर ठीक से ग़ौर किया तो वह

यही कहेगा कि संसार परिवर्तनशील है। और हर परिवर्तनशील चीज़ नश्वर (भंगुर) होती है (अर्थात् संसार हर समय परिवर्तित हो रहा है और हर परिवर्तित होने वाली चीज़ पैदा हुई है, न कि पुरातन है) तो इस तरह ग़ौरोफ़िक़र करने वाला वांछित परिणाम तक पहुँच जाएगा। और वह वांछित परिणाम, हमारा कथन कि "संसार नश्वर है" है। इस आधार पर सिद्धान्तकारों के यहाँ केवल "संसार" तर्क है और दर्शनशास्त्रियों के यहाँ "संसार परिवर्तनशील है, और हर परिवर्तनशील चीज़ नश्वर है" यह सारा समुच्चय (संग्रह) तर्क होगा। -अनुवादक)

दर्शकों पर स्पष्ट हो कि मौलवी साहिब ने प्रथम तर्क का नाम तो, स्वयं में ठोस तर्क रखा है तथा शेष चार का नाम ज़न्नी (काल्पनिक) रखकर दूसरे के लिए ठोस तर्क बताया है और ग़ैर (दूसरे) से अभिप्राय वही प्रथम तर्क है। अतः ये चार काल्पनिक तर्क प्रथम तर्क के मिलाने से ठोस तर्क कैसे हो गए। यदि प्रथम तर्क इन तर्कों के लिए तर्क के मुक़द्दम: के स्थान पर शुमार किया गया है कि *المقدمه ما يتوقف عليه صحة الدليل اعم من ان يكون جزءاً من الدليل اولاً* तो इस स्थिति में प्रथम तर्क, तर्क न रहा बल्कि चारों तर्कों का मुक़द्दम: हो गया। हां इसको क्रमबद्ध करना आप पर शेष रहा तथा चाहे आप क्रमबद्ध करें या न करें हम तो इस का विस्तारपूर्वक खण्डन कर चुके। और यदि वह स्वयं में एक पृथक तर्क है तो यह तर्क न रहे बल्कि नज़ार की परिभाषा के अनुसार इमारत हो गई न कि तर्क *لَا تَنْتَهِي بِمَلْزُومِ الظَّنِّ اِمَارَةٌ لَا دَلِيلَ* और यह आपकी परिभाषा उसूले फ़िक़र: की परिभाषा के अनुसार भी ठीक नहीं मालूम होती। यदि ठीक होती तो उदाहरणतया- गुप्त जो प्रकट के मुक़ाबले पर है ग़ैर के लिए प्रकट और मुश्किल (कठिन) जो स्पष्ट आदेश (नस्स) के मुक़ाबले पर है दूसरे के लिए नस्स और संक्षिप्त जो व्याख्या के मुक़ाबले पर है दूसरे के लिए व्याख्या और मुतशाबिह (बहुमुखी अर्थ वाला) को मुहकम (ठोस) के मुक़ाबले पर है दूसरे के लिए मुहकम (ठोस) भी कह दिया करते हैं और पवित्र कुर्आन के नज़्म के समस्त प्रकार जो उसूलियों ने लिखे हैं उन का किसी स्थान पर लौटना एक प्रकार की तरफ़ हो जाया करता। यदि इस प्रकार का विषय उसूले फ़िक़र:

में लिखा हो तो कृपया कुछ स्पष्टता- पूर्वक वर्णन किया जाए ताकि विनीत की समझ में आ जाए और आप ने अपने तर्क के अनुसार अर्धेड़ आयु में वार्तालाप करने में जो हुस्न (सौन्दर्य) वर्णन किया है वह हुस्न तो सब कुछ सही परन्तु उस हुस्न (सौन्दर्य) का सबूत ऐसे स्थान पर किताब (क़ुर्आन) और सही सुन्नत से भी तो होना आवश्यक है अन्यथा एक काल्पनिक सौन्दर्य (हुस्न) होगा। जैसे शुअरा (कवियों) को अपनी शायरी के विचार और विषयों का सौन्दर्य मालूम हुआ करता है तथा उस अर्धेड़ आयु में वार्तालाप के बारे में जो सौन्दर्य हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब ने तार्किक तौर पर वर्णन किया है वह क्या थोड़ा सौन्दर्य है जो इस काल्पनिक सौन्दर्य को वास्तविक सौन्दर्य समझ लिया जाए।

उसका कथन- तीसरा तर्क..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना साहिब (अन्निसा-158) **مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ** की ज़मीर (सर्वनाम) का मर्जअ जो आपने पार्थिव शरीर के साथ रूह को बताया ज़मीर का मर्जअ (लौटने का स्थान) तो आप ही की ज़मीर (अन्तर्आत्मा) में है विनीत ने तो इस आयत के पहले पूर्ण रूकू में तलाश किया परन्तु किसी भी स्थान पर शरीर के साथ रूह का उल्लेख नहीं। आप ने यह कैसी पहली वर्णन की। यद्यपि मसीह इब्ने मरयम तो लिखा है और वही मर्जअ -

(अन्निसा-158) **مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ**

(अनुवाद- उन्होंने उसे क्रल्ल नहीं किया और न ही सूली पर मार सके) की ज़मीर (सर्वनाम) का है और वही मर्जअ

(अन्निसा-159) **بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ**

(अनुवाद- बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी ओर उठा लिया) का। स्पष्ट है कि संज्ञाओं तथा नामावली का चरितार्थ होना जैसा कि शरीर के साथ रूह पर होता है ऐसा ही केवल बिना शरीर के रूह पर भी होता है बल्कि इन्सानियत के यथार्थ (हक़ीक़त) का चरितार्थ (मिस्दाक़) तो वही मानवीय रूह है। अलमौलवी ने क्या खूब कहा है-

آن توئی کہ بے بدن داری بدن
پس مترس از جسم جاں بیرون شدن

(अनुवाद - तू वह बोलने वाला प्राणी है कि इस पार्थिव शरीर के अलावा भी एक शरीर रखता है इसलिए रूह के शरीर से निकल जाने का भय न कर। अनुवादक)

आयत के अर्थ ये हुए कि उठा लिया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ़ अर्थात् उसकी रूह (आत्मा) को उठा लिया। जैसा कि एक अन्य स्थान पर फ़रमाया था कि

يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ-

(आले इमरान- 56)

अतः इस आयत को चाहे पहली आयत के साथ मिलाइए या न मिलाइये उद्देश्य के योग्य कदापि नहीं और तर्क की कार्रवाई केवल अपूर्ण है बल्कि इस आयत से तो आप के उद्देश्य के विपरीत सिद्ध होती है, जैसा कि हज़रत अब्दुस मिर्ज़ा साहिब ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

उसका कथन- चौथा तर्क..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना साहिब ! आप का इक्रार पहले पर्चे में लिखा हुआ है कि इस मुबाहस: में ईसा के चढ़ने और उतरने इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। फिर यहां पर तर्क के आशय को स्वयं नुज़ूल को क्यों ठहरा दिया गया और यह क्यों कहा गया कि (अतः निर्धारित हुआ कि अभिप्राय नुज़ूल है) हमने माना कि नुज़ूल अभिप्राय है परन्तु दूसरी बार नुज़ूल अभिप्राय होने का स्पष्ट कारण नहीं है वही प्रथम बार का नुज़ूल क्यों न अभिप्राय हो जिसको आपने नए सिरे से आने (हुदूस) का नाम दिया है और इस नवीनता की संभावना को आपने जिन कारणों से रद्द किया है उन कारणों का हज़रत अब्दुस मिर्ज़ा साहिब ने तर्कों द्वारा खण्डन कर दिया। लेखों का अध्ययन किया जाए। उन्हें दोबारा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं और सम्पूर्ण पवित्र कुर्आन में नुज़ूल शब्द से प्रथम बार नुज़ूल अर्थात् हुदूस (नए सिरे से आना) अभिप्राय लिया गया है। देखो इज़ाला औहाम और ऐलामुन्नास को।

उसका कथन- इब्ने मरयम के वास्तविक अर्थ ईसा बिन मरयम के हैं और यहां पर कोई प्रयोगकर्ता मौजूद नहीं।

मेरा कथन- जनाब मौलाना साहिब! एक प्रयोगकर्ता की चर्चा क्या अनेकों प्रयोगकर्ता मौजूद हैं। याद करो *فامكم منكم واما منكم منكم* इत्यादि जो पहले यह विनीत उसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक लिख चुका और हज़रत अब्दस मिर्जा साहिब ने इज़ाला औहाम में तथा उन पर्चों में बड़ी प्रचुरता से लिखे हैं वे देखे जाएं फिर कोई कारण नहीं है कि अत्यधिक प्रयोगकर्ताओं के मौजूद होने के बावजूद वास्तविक अर्थ ही अभिप्राय लिए जाएं और जो यह मुसल हदीस लिखी गई कि

قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود ان عيسى لم يمت وأنه راجع اليكم قبل يوم القيمة

इसके बारे में यह निवेदन है कि प्रथम तो इस हदीस के बारे में बताया जाए कि किस हदीस की किताब से ली है और किस में लिखी है। दूसरे समस्त रावियों (रिवायत कर्ताओं) के नामों का सत्यापन एवं पुष्टि तथा अस्नाद बताए जाएं। तीसरे- ये पड़ाव तय करने के पश्चात् यह हदीस मुसल ठहरेगी जो सिहाह की मफ़ूअ मुत्तसिल हदीसों के मुकाबले पर जो इज़ाला औहाम इत्यादि में लिखी हैं अविश्वसनीय रहेगी। चौथे- यदि कोई मफ़ूअ मुत्तसिल हदीस उसकी विरोधी भी न हो तो भी इन चार पड़ावों को तय करने के पश्चात् मुसल हदीस के स्वयं हुज्जत (सबूत) होने में आपत्ति है। उसूल की समस्त पुस्तकों में लिखा है-

فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة

यह नहीं मालूम मौलाना साहिब ने इस हदीस को ऐसे स्थान में जहां ठोस तर्क वाला सबूत चाहिए तथा उसी की बहस हो रही है क्यों लिखा है। ऐसे कथन या कमज़ोर हदीसों कुछ तफ़्सीरों इत्यादि में लिखी हैं तो उनका आस्थाओं के बाब में क्या हस्तक्षेप है। विनीत के एक आदरणीय भ्राता हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहिब मेरे नाम एक पत्र में फ़रमाते हैं कि इमाम शौ'अरानी ने तबक्रात-ए-कुब्रा भाग-2 पृष्ठ-24 में लिखा है।

وكان يقول ان على ابن ابي طالب رضى الله عنه رفع كمارفع عيسى عليه السلام وسينزل كما ينزل عيسى

عليه السلام ثم قال الشعرا نى هكذا كان يقول سيدى على الخواص-

अतः जो अर्थ नुज़ूल अली बिन अबी तालिब के हैं वही अर्थ नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरयम के हैं। इस प्रकार रफ़ा को समझना चाहिए।

उसका कथन- तो यह आयत अब प्रयोगकर्ता हो गई कथित आयतों के वास्तविक अर्थों से।

मेरा कथन- यह बात सिद्ध हो चुकी कि **إِنِّي مُتَوَفِّيكَ** और **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** इत्यादि आयतें मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु के बारे में स्पष्ट और मुहकम (दृढ़ आदेश) हैं और आयत **لِيَوْمٍ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِهِ** अत्यधिक बहुमुखी होने के कारण मुतशाबिह (बहुअर्थी) है और मुतशाबिह किसी प्रकार से आदेशों का पालन करने से अलग नहीं हो सकते और इशारतुन्नस्स भी इबारतुन्नस्स के मुक़ाबले पर विरोध के समय जाता रहता है तथा शब्दकोश की पुस्तकों से **تَوَفَّى** के जो अर्थ लिखे गए जिन का सारांश यह है कि **تَوَفَّى** के असल अर्थ पूरा हक्र लेने के हैं तो इस से आपका उद्देश्य कब सिद्ध होता है। अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा से अपना कौन सा हक्र पूरा लिया था जिसके बारे में फ़रमाया गया कि **يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خُذْ هَذِهِ نَجَاتَكَ يَوْمَ تَوَفَّى** अर्थात् हे ईसा! मैं तुझ से अपना पूरा हक्र लेने वाला हूँ अथवा जो हज़रत ईसा ने फ़रमाया कि **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** अर्थात् जब तूने अपना पूरा हक्र ले लिया। ये अर्थ विनीत की समझ में कदापि नहीं आते और एक तहरीफ़ (अक्षरांतरण) मालूम होती है और यदि कहा जाए कि **تَوَفَّى** के अर्थों में जो हक्र का शब्द लिखा है उस से काट-छांट कर ली गई है और पूर्ण रूप से क़ब्ज़ करने के अर्थ भी आते हैं। अतः कुस्तलानी से हम ने नक़ल किया कि **اخذ الشيء وافيا** अतः यहां पर ये अर्थ हुए कि हज़रत ईसा को रूह तथा शरीर के साथ पूरा ले लिया। तो निवेदन यह है कि नस्स (स्पष्ट आदेश) में इस अधम व्याख्या की आवश्यकता ही क्या है। इसके अतिरिक्त यह कि कुस्तलानी ने भी स्वयं इक्रार किया कि **والموت نوع منه** इस इक्रार से तो साफ़ और स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो गया कि मृत्यु में भी पूर्ण क़ब्ज़ करना होता है और यह बात

आप के दावे के विपरीत है। अतः कुस्तलानी से भी यही सिद्ध हुआ कि हज़रत ईसा की मृत्यु हो चुकी। शरीर के साथ रूह का उठाया जाना तो किसी शब्दकोश से भी सिद्ध नहीं हुआ। हमने माना कि **تَوْفَى** इनामत के अर्थ में अर्थात् सुला देने के पवित्र कुर्आन से सिद्ध है परन्तु इस अर्थ के सिद्ध करने से जिस विवाद में हम हैं, में आप का क्या उद्देश्य है बल्कि आपने जो आयतें अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए वर्णन कीं वे भी आप के उद्देश्य के विरुद्ध हैं क्योंकि इन आयतों के अनुसार **تَوْفَى** के अर्थ यदि इनामत (सुला देना) हमारे परस्पर विवाद में स्वीकार भी कर लिए जाएं तो फिर यही आयतें आपके उद्देश्य को नकारती भी हैं क्योंकि यदि हज़रत ईसा की **تَوْفَى** बतौर इनामत (सुला देने) के हुई होती तो आवश्यक था कि पहर दो पहर में या अधिक से अधिक एक दिन में जाग उठते और

(अज़्जुमुर-43) **وَيُرْسَلُ الْأُخْرَى**

का विषय पैदा हो जाता यह कैसी इनामत (सुला देना) हुई कि लगभग दो हज़ार वर्ष हो गए अभी तक **وَيُرْسَلُ الْأُخْرَى** का विषय घटित नहीं हुआ। इस से तो स्पष्ट तौर पर यही ज्ञात हुआ

(अज़्जुमुर-43) **فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ**

का ही विषय आ चुका है। आयत में दो प्रकार का उल्लेख है। एक इर्साल (भेजना) और दूसरा 'इम्साक' (रोकना)। इनामत की स्थिति में इर्साल घटित होता है और मृत्यु की स्थिति में इम्साक (रोकना)। जब हम देखते हैं लगभग दो हज़ार वर्ष इम्साक ही इम्साक है और इर्साल नहीं है तो अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि इसी स्थिति को जिसमें इम्साक होता है और वह मृत्यु है न कि इनामत (सुला देना) तथा सूरह अनआम की आयत से भी यही सिद्ध होता है क्योंकि उस में भी **تَوْفَى** जो बतौर इनामत के लिए लिखा है वह रात भर तक होती है न कि दो हज़ार वर्ष तक, बल्कि उसमें तो व्याख्या है कि अल्लाह तआला रात में सुला देता है और दिन में उठा देता है-

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
لِيُقَضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى - (अल अन्आम-61)

अनुवाद - और वही है जो रात को (नींद के रूप में) तुम्हें मृत्यु देता है, जबकि वह जानता है जो तुम दिन के समय कर चुके हो और फिर वह तुम्हें उसमें (अर्थात् दिन के समय) उठा देता है ताकि (तुम्हारा) निर्धारित समय पूरा किया जाए।

और यदि इस बारे में दार्शनिकों की भी दृष्टि से देखा जाए तो भी यह मतलब जो हमने कथित आयतों में लिखा है, सिद्ध होता है। अतः “बैजावी” के हाशियों में लिखा है-

قال الزعفراني ناقلًا عن الامام النفس الانسانية جوهر مشرق روحاني اذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الاعضاء وهو الحيوة ففي وقت الوفاة ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه وذلك هو البوّة واماني وقت النوم فينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه ولا ينقطع عن باطنه فثبت ان النوم والبوّة من جنس واحد لكن البوّة انقطاع تام والنوم انقطاع ناقص-

अतः यदि अलग होना अपूर्ण होता तो अवश्य **يُرْسَلُ الْأُخْرَى** के आदेशानुसार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाग उठते। जबकि दो हज़ार वर्ष से अभी तक नहीं जागे। अतः मालूम हुआ कि

فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ (अज़्जुमुर-43)

के चरितार्थ हो गए हैं और पूर्ण रूप से पृथकता हो चुकी है।

उसका कथन- और दूसरे प्रकार का उत्तर-इस कथन तक-इन आयतों को विशिष्ट करने वाली हुई है।

मेरा कथन- इस आयत का हाल तो ज्ञात हो चुका। अन्तिम बात यह है कि मसीह के जीवित रहने के बारे में संदिग्ध है फिर विशिष्ट करने वाली क्योंकि हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह कि जब ईसा बिन मरयम की मृत्यु बतौर ख़बर के सिद्ध हो चुकी तो अब उस आयत या किसी अन्य आयत से जीवित रहना क्योंकि सिद्ध होगा। यह तो भूतकाल की ख़बरें निरस्त हुई जाती हैं और

आधारभूत नियमों के अनुसार ख़बरों का निरस्त होना कदापि वैध नहीं है। क्योंकि ऐसे निरस्त होने से ख़ुदा तआला के कलाम में स्पष्ट झूठ अनिवार्य आता है।

واللازم باطل فالملزوم مثله

उसका कथन- इन आयतों के वे अर्थ हैं जो विश्वसनीय तफ़्सीरों में लिखे हैं..... अन्त तक।

मेरा कथन- इन आयतों के जो अर्थ हज़रत अक़्दस मिर्ज़ा साहिब ने लिखे हैं वे विश्वसनीय तफ़्सीरों में लिखे हुए हैं। इसके साथ प्रचलित विद्याएं जो कुर्आन की सेवक हैं उनके भी अनुकूल हैं। जब आप इज़ाला औहाम का विस्तृत उत्तर लिखेंगे और उन वास्तविक और सच्चे अर्थों का खण्डन करेंगे तो इन्शा अल्लाह तआला विस्तार एवं स्पष्टतापूर्वक सच को सिद्ध किया जाएगा।

وَآخِرُ دَعْوَانَا انِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब के द्वितीय पर्चे पर सरसरी नज़र

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الحمد لله على الصلوة وعلى نبیہ

इस के पश्चात् दर्शकों पर स्पष्ट हो कि मौलवी साहिब द्वारा लिखित तीनों पर्चों का उत्तर जो हज़रत अक़्दस मिर्ज़ा साहिब सल्लमहू ने अपने पर्चों में दिया है वह ऐसा पर्याप्त, मुक्त करने वाला तथा पूर्ण है कि उसके होते अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रही। दर्शक जब न्यायपूर्वक अनुशीलन (मुलाहज़ः) करेंगे तो यह बात उन पर स्वयं स्पष्ट हो जाएगी, किसी के सतर्क करने तथा बताने की क्या आवश्यकता है। कहावत मशहूर है

مشک آنست که خود بویدنه که عطار گوید

(कस्तूरी वह है जो स्वयं खुशबू दे न कि अत्तार (इत्र बेचने वाला) बताए)

परन्तु चूँकि मौलवी साहिब ने भोपाल में वापस आ कर अपनी विजय प्राप्ति की घोषणा की और उस पर आश्चर्य यह कि इस विनीत से दो-तीन बार मुबाहसे का निवेदन किया गया और वाज़-व-नसीहत की मज्लिसों में **هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ** (है कोई योद्धा) का डंका बजाया गया और इस विनीत का नाम ले ले कर मुबाहस: के लिए बुलाया गया। तो इस विनीत पर भी अनिवार्य हो गया कि मौलाना साहिब की आज्ञा का पालन करे और मौलवी साहिब की विजय पर कुछ विचार करे कि वास्तव में वह विजय-प्राप्ति है या केवल मृगतृष्णा (जिसमें रेत पानी दिखाई देता है) ही है। इसमें दोनों कथित बातें प्राप्त हो जाती हैं - **چه کوش بود که بر آید -** इसलिए मौलवी साहिब के दूसरे पर्चे पर कुछ दृष्टि डालता हूँ।

उसका कथन- स्पष्ट हो कि जनाब मिर्जा साहिब ने अपने पर्चे में बहुत सी बातों का उत्तर नहीं दिया.....अन्त तक।

मेरा कथन- हज़रत अक्रदस मिर्जा साहिब ने आप के लेख का उत्तर ऐसा पर्याप्त और रोग मुक्त करने वाला दिया है कि उससे अधिक लम्बी-चौड़ी डींग और रुसवाई के अतिरिक्त और कुछ की कल्पना नहीं की जा सकती। पाठकगण परिस्थितियों को देख कर स्वयं न्याय करेंगे। कहावत मशहूर है कि **اصدق المقال** और आप की तीनों बहसों में जो मूल और उत्तम बहस थी अर्थात् नून ताकीद। उसे तो हज़रत अक्रदस ने ऐसा तोड़ा है कि उससे अधिक की कदापि कल्पना नहीं। क्योंकि इस बात को समस्त विद्वान तथा विद्यार्थी जानते हैं कि प्रचलित विद्याओं के समस्त सिद्धान्त तथा सम्पूर्ण नियम और पाठ्य कलाओं के जो कलाओं की पुस्तकों में किए जाते हैं उनको प्रमाणित करने तथा सुदृढ़ करने के लिए पवित्र कुर्आन के गवाहों से बढ़ कर अन्य कोई गवाह नहीं है और न असभ्यताकालीन उदाहरण तथा शेरों की वह प्रतिष्ठा है और न प्राचीन अरबों के कथनों की वह प्रतिष्ठा है। कहावत मशहूर है **إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل** जिस नियम के लिए पवित्र कुर्आन की कोई आयत गवाह मिल जाए तो उसमें न सीबविय्या की आवश्यकता है न 'अख़फ़श' की, न फ़िरा की आवश्यकता है, न 'जुज्जाज' की। यहां सब फ़र्रा यफ़िर्रो (नौ दो ग्यारह) हो जाते हैं और

इसके मुकाबले में जुजाजे जुज्जाज भी टूट-फूट जाता है और मीबरद का कथन भी बारिद (ठण्डा) मात्र हो जाता है *الصباح يَغْنَى عَنِ الْمَصْبَاحِ* (प्रातःकाल दीपक की आवश्यकता नहीं रहती है) का विषय चरितार्थ होता है। पवित्र कुर्आन में जबकि निरन्तरता वाली क्रिरअत के साथ

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ (अन्निसा-163)

(अनुवाद - और नमाज़ को क़ायम करने वाले) की बजाए *وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ* आ गया और *إِنَّ هَذَا لَسَجْرَانِ* (ताहा-64) (अनुवाद - निःसन्देह ये दोनों तो केवल जादूगर हैं) की बजाए *إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَيْنِ* आया है और *وَالصَّبِئُونَ* (अलमाइदा -70) की बजाए *وَالصَّابِئِينَ* निरन्तरता वाली क्रिरअत में आ गया तो न 'फ़रा' की चली न 'अख़फ़श' की। सब के सब निकृष्ट तावीलें (असल अर्थ से हटकर व्याख्या) कर रहे हैं तथा कुछ नहीं हो सकता और असल वही है हकीमुल उम्मत हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब ने फ़रमाया- *مخالف روز مره مشهوره -* निष्कर्ष यह कि यह आप का भी इक्रार है जो तीसरे पर्चे में लिखा है कि उसूले फ़िक्र: और उसूले हदीस समस्त विद्याएं कुर्आन और सुन्नत की सेवक हैं और ख़ुदा की किताब (कुर्आन) सब की स्वामी है। अतः यह निवेदन है कि इसके बावजूद हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब ने पवित्र कुर्आन की अनेक आयतें तथा विश्वसनीय तफ़्सीरों की इबारतें आप के नून-ताकीद की जिरह के लिए लिखी हैं। फिर आप ये क्या पहेलियां कहते हैं कि जनाब मिर्ज़ा साहिब ने न तो किसी नह्व की पुस्तक की कोई इबारत नक़ल की और न विनीत द्वारा नक़ल की गई इबारतों में कुछ जिरह की। यह तो बहुत आश्चर्य की बात है।

उसका कथन- और यह बात भी गुप्त न रहे कि मेरा असल तर्क..... दूसरी आयतें केवल समर्थन के लिए लिखी गई हैं..... अन्त तक।

मेरा कथन- जबकि आयत

لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (अन्निसा-160)

(अनुवाद - कोई (गिरोह) ऐसा नहीं जो उसकी मृत्यु से पूर्व निश्चित रूप से

उस पर ईमान न ले आएगा।) आप के नज़दीक ठोस सबूत है तो अन्य समर्थकों को प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है। इसी से सिद्ध हुआ कि कथित आयत आपके नज़दीक ठोस सबूत नहीं है अन्यथा समर्थन की क्या आवश्यकता होती। **عزّا خلف** सारांश यह कि यदि कथित आयत को ठोस सबूत कहते हो तो अन्य समर्थकों की आवश्यकता नहीं। और यदि उसका समर्थन दूसरी आयतों से करते हो तो वह आयत स्वयं ठोस सबूत नहीं रहती। परन्तु अब निवेदन यह है कि हर चार आयतों को तो मजबूर होकर स्वयं आप ने सबूत होने से बाहर किया और पहली आयत को दुनिया भर के व्याख्याकार संदिग्ध और बहुमुखी बता रहे हैं वे तो किसी प्रकार भी मसीह के जीवित रहने में ठोस सबूत हो ही नहीं सकती जैसे कि उसकी व्याख्या की जा चुकी है। अतः अब आप के पास मसीह के जीवित रहने के बारे में कौन सा सबूत शेष रहा। यदि मौजूद हो तो प्रस्तुत कीजिए। अन्यथा चूंकि जीवित रहने और मरने में कोई संबंध नहीं है। इसलिए ख़ुदा से डर कर अब तो मसीह के जीवित रहने के दावे से लौट आइए।

उसका कथन- इसमें आपत्ति है कुछ कारणों से तो आप ने यह व्यर्थ कार्य क्यों किया?

मेरा कथन- इन्नालिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कि मौलाना जैसे प्रकाण्ड विद्वान मुनाज़र: के ज्ञान संबंधी नियमों को लिखने से छोड़ देंगे तथा दृष्टिगत न रखेंगे तो अब इस विनीत को किस से उम्मीद है कि इस मुबाहस: में मुनाज़र: के नियमानुसार वार्तालाप करे।

چو کفر از کعبه بر نیز و کجایند مسلمانان

अनुवाद - अगर काबा से ही कुफ़र की बात उठे तो मुसलमान कहाँ जाएगा।

हे दर्शकगण! स्पष्ट है कि हज़रत अक्रदस मिर्ज़ा साहिब इस मुबाहस: में प्रश्नकर्ता और हस्तक्षेपक का पद रखते हैं विशेष तौर पर मौलवी साहिब जैसे मुद्दई के मुकाबले में कि उनका दावा भी ख़ुदा की सुन्नत और स्वभाव के विरुद्ध है। अतः यदि हज़रत अक्रदस ने "तौज़ीह मराम" इत्यादि में यह लिखा है कि हज़रत मसीह मृत्यु पा जाने के कारण दुनिया में नहीं आएंगे और इस

हस्तक्षेप पर कुछ सनद वर्णन की है तो क्या इस मना करने इत्यादि से हज़रत अब्रदस मुनाज़रः के उसूल के अनुसार वास्तविक मुद्दई बन गए। प्रश्न कर्ता और हस्तक्षेप करने वाले का तो कार्य ही यही है कि हस्तक्षेप इत्यादि के तर्कों को मुद्दई पर लागू करे चाहे विवाद और खण्डन विस्तार के तौर पर हो बिना सनद अथवा सनद के साथ हो या बहस के तौर पर हो अथवा संक्षिप्त खण्डन की शैली पर इत्यादि इत्यादि, जिसका विवरण मुनाज़रः के ज्ञान संबंधी छोटी-बड़ी पुस्तकों में लिखा है। अतः यदि प्रश्नकर्ता मुनाज़रः की पद्धतियों तथा मुबाहसः के नियमों के अनुसार बहस करे तो क्या वास्तव में मुद्दई हो जाएगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। रशीदिया इत्यादि में लिखा है जिसका निष्कर्ष यह है-

السائل من نصب نفسه لبقى الحكم الذى ادعاه المدعى بلا نصب دليل عليه وقد يطلق على ما هو اعم وهو

كل من تكلم على ما تكلم به المدعى اعم من ان يكون مانعاً او ناقضاً او معارضاً

(साइल (सवाल करने वाला) वह व्यक्ति है जो उस बात का बिना तर्क प्रस्तुत किए ही इन्कार करे जिसका मुद्दई (दावेदार) ने दावा किया है। और कभी यह (साइल) शब्द इससे अधिक विस्तृत अर्थों पर आधारित होता है। अर्थात् हर वह व्यक्ति जो मुद्दई (दावेदार) की बात के विपरीत बात करे वह इस बात से जो केवल रोधक (रोकने वाली) हो या खण्डक (खण्डन करने वाली) हो या परस्पर विरोधी हो अधिक विस्तृत अर्थ रखती है। - अनुवादक)

और उसी में लिखा है

المنع طلب الدليل على مقدمة معينة ويسمى ذلك مناقضة ونقضات تفصيليا. والسند ما يذكر لتقوية المنع

ويسمى مستندا.

और उसी में लिखा है :

النقض ابطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه لاستدلال به وهو استلزامه فسادا

اما اعم من ان يكون تخلف المدلول عن الدليل او فسادا اخر مثل لزوم المحال وغيره... الى آخره

हैं। ("मनअ" (रोध), किसी निर्धारित प्रस्तुति पर तर्कसंगत प्रमाण माँगने को कहते हैं। और इसे मुनाक्रिजः और नक्रज़ तफ़्सीली (अर्थात् खण्डन करने वाली और पूर्णतः

रद्द करने वाली दलील) भी कहते हैं। (मुनाज़रा की परिभाषा में) सनद् उसको कहते हैं जिसे "मनअ" (रोक/रोध) की सहायता और दृढ़ता के लिए वर्णित किया जाए। इसको मुस्तनद् भी कहते हैं। दलील देने वाले की दलील पूरी हो जाने के बाद उस दलील का तोड़ना नक्रज़ (खण्डन) कहलाता है। अनुवादक)

ऐसी दशा में मुद्दई के तर्क (दलील) को तोड़ने वाला किसी ऐसे खुले-खुले प्रमाण से दलील देने वाला हो जो मुद्दई के तर्क को ग़लत सिद्ध कर दे और यह ग़लती उसके किसी न किसी बिगाड़ (खराबी) को सिद्ध करती हो। या उससे पैदा होने वाला बिगाड़ बहुत बड़ा रूप धारण करने वाला हो, अर्थात् "दलील और मदलूल (तर्क और तर्कित विषय अर्थात् परिणाम) एक-दूसरे के विपरीत हों" तर्कित विषय (परिणाम) तर्क से भिन्न हो जाए या कोई अन्य बिगाड़ होने का अन्देश हो, उदाहरणतः तर्कित विषय (अर्थात् परिणाम) के सत्यापन की दशा में कोई बात असम्भव ठहरती हो।*

✱ नोट- निम्नलिखित भाग किताब का हिस्सा नहीं है लेकिन समझने हेतु लाभप्रद है- नदीम अरबी अनुवादक)

मुनाज़रा दो पक्षों के मध्य होता है, एक पक्ष मुद्दई (दावेदार) होता है जो किसी फ़ैसला/बात की प्रामाणिकता का दावा करता है और उस फ़ैसला/बात को साबित करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरा पक्ष साइल ((मानेअ (रोधी), नाक्रिज़ (खण्डक), मुआरिज़ (विरोधी) इत्यादि) कहलाता है।

बिला नस्ब दलील अलैहि- साइल (प्रश्नकर्ता) प्रारम्भिक तौर पर बिना किसी दलील के मुद्दई के दावा/बात को सही नहीं मानता। केवल यही कहता है कि मैं नहीं मानता। क्योंकि दावा को सच्चा साबित करना मुद्दई की ज़िम्मेदारी है। "क्रद यन्तलिको" के अन्दर "हुवा" का सर्वनाम साइल (पूछने वाले) की ओर लौटता है, अर्थात् कभी साइल का शब्द अधिक विस्तृत अर्थों पर संकेत करता है।

मनअ- मुक़दमा मुअय्यिन: (निर्धारित प्रस्तुति) पर दलील माँगने को "मनअ" कहते हैं। (इल्मे मन्तिक्र में तीन क्रज़िए:- सुगरा, कुबरा, और नतीज़ा होते हैं। इस विषय को मुक़दमा मुअय्यिन: कहा गया है) मनअ के अतिरिक्त इसे मुनाक्रिज़: और नक्रज़े तप्सीली भी कहते हैं।

वस्तुतः यह तीनों शब्द प्रारम्भिक रूप से किसी दावा/ बात को न मानने का अर्थ अपने अन्दर रखते हैं।

अतः यदि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब ने जो प्रश्नकर्ता का पद रखते हैं ये बहसों अपनी पुस्तकों में लिखी हैं तो उनके लिखने से वह मुद्दई क्योंकर हो गए और जो प्रश्नकर्ता का मुख्य कर्तव्य है यदि उसे हज़रत अक़दस मुनाज़रः के नियमानुसार पूरा करें तो उनका यह समस्त कार्य मुनाज़रः के किस नियम के अनुसार व्यर्थ हो गया और यदि कहो कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब के

शेष नोट - सनद्- "मनअ" की मज़बूती और समर्थन के लिए जो बयान किया जाए उसे सनद् कहते हैं। यहाँ इसी तरह इसका नाम मुस्तनद् भी है।

नक्रज़- नक्रज़ की परिभाषा यह है कि (मुद्दई की ओर से भी) दलील के पूरा होने के बाद (साइल की ओर से) किसी ऐसे खुले-खुले प्रमाण से उसका खण्डन करना जो इस पर संकेत करे कि यह तर्क प्रमाण योग्य नहीं, क्योंकि यह तर्क किसी बिगाड़ के पैदा होने का कारण ठहरता है या अधिक व्यापक रूप धारण करने के कारण "परिणाम और तर्क एक-दूसरे के विपरीत" के धारा में आ जाता है।

दलील से विपरीत परिणाम का अर्थ यह है कि एक जगह दलील तो पाई जाती है लेकिन परिणाम से पूर्णतः सम्बन्ध नहीं रखती। उदाहरणतः यदि कोई कहे कि ज़ैद इन्सान है क्योंकि वह हैवान है। साइल (प्रश्नकर्ता) कहेगा कि घोड़ा भी हैवान है मगर वह इन्सान नहीं है। घोड़े में हैवानियत पाई जाती है मगर वह इन्सान नहीं है। इस उदाहरण में साइल (प्रश्नकर्ता) ने मुद्दई की दलील को परिणाम और दलील के परस्पर विपरीत होने के आधार पर तोड़ दिया है।

स्पष्टता- इस जगह हज़रत मौलवी मुहम्मद अहसन साहिब अमरोही विपक्षी की इस बात को कि हयात व वफ़ात-ए-मसीह नासरी अलैहिस्सलाम में हज़रत मिर्ज़ा साहिब मुद्दई बनते हैं, ग़लत सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि मौलवी भोपालवी साहिब का मसीह नासरी की हयात का दावा कुर्आन और क़ानूने कुदरत के खिलाफ़ है। इसलिए बुनियादी तौर पर इस दावा हयात-ए-मसीह को साबित करना मौलवी भोपालवी साहिब की ज़िम्मेदारी बनती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो तौज़ीह मराम और इज़ालः औहाम में जो वफ़ात-ए-मसीह के दलाइल दिए हैं वे साइल (प्रश्नकर्ता) द्वारा "इन्कार" को तर्कसंगत प्रमाणों द्वारा दृढ़ता प्रदान करने के अन्तर्गत आता है। - अनुवादक।

और उसी में लिखा है:

النقض ابطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به وهو استلزامه فسادا اما اعم من ان يكون تخلف المدلول عن الدليل او فسادا اخر مثل لزوم المحال وغيره الى اخره۔

प्रकाशक

सामने उन पुस्तकों में मुद्दई कौन है जो मिर्ज़ा साहिब प्रश्नकर्ता (साइल) और हस्तक्षेप करने वाले हो गए। तो इसका उत्तर यह है कि हज़रत अक़दस के वे समस्त विरोधी जो मसीह के जीवित रहने का दावा करते हैं वे ही मुद्दई हैं जिनके विरोध में हज़रत अक़दस ने उन पुस्तकों में बहस की है। और साइल (प्रश्नकर्ता) की यही परिभाषा है-

السائل من تكلم على ما تكلم به المدعى اعم من ان يكون مانعاً او ناقضاً او معارضاً

और यह जो आप ने कहा कि मसीह की मृत्यु का सबूत का भार दो प्रकारों से सर्वथा आप का दायित्व है अन्त तक। यह एक सत्य को असत्य के साथ एक समान ठहराना या तो जानबूझ कर किया गया है या मुनाज़र: के नियमों पर भली भांति विचार न करने के कारण पैदा हुआ है। यदि मुनाज़र: के नियमों पर भली भांति विचार किया जाए तो यह एक समान ठहराने का निवारण हो जाएगा। मौलाना साहिब निवेदन यह है कि जब प्रश्नकर्ता और हस्तक्षेपक किसी मुद्दई के तर्क का खण्डन और हस्तक्षेप करेगा, यदि वह हस्तक्षेप प्रमाण रहित है तो केवल *لا نسلم* (हम नहीं मानते) कहेगा और यदि हस्तक्षेप और खण्डन के साथ कोई सनद (प्रमाण) या गवाह बताया गया हो तो वह सनद इत्यादि अवश्य ही मुक़द्दमों पर आधारित होगी, परन्तु वह हस्तक्षेपक या प्रतिद्वन्द्वी (विरोधी) इस सब मुक़द्दमों को मिलाकर एक करने से उस विवादित बहस में वास्तव में मुद्दई नहीं हो सकता विशेष तौर पर ऐसी स्थिति में कि प्रथम मुद्दई का दावा अल्लाह की सुन्नत का विरोधी हो और प्रतिद्वन्द्वी (विरोधी) के हस्तक्षेप के अनुसार खुदा की सुन्नत के अनुकूल जैसा कि हमारे बीच है। अतः मसीह की मृत्यु का जो आप मूल दावा हज़रत अक़दस का बताते हैं। यह बात मुनाज़र: के नियमों के अनुसार उचित नहीं है। यह मूल दावा नहीं यह तो अल्लाह तआला का विधान है जिसको हर स्थान पर आप मानते भी हैं और न मसीह की मृत्यु पर हज़रत अक़दस के तर्क का कोई ऐसा मुक़द्दमा है जिसे सिद्ध करने की उन्हें आवश्यकता है। क्योंकि जो बात अल्लाह के स्वभाव (प्रकृति) और उसकी सुन्नत (नियम) के अनुकूल होती है वह स्पष्ट रूप से क्रमशः खुली-खुली होती है उसे सिद्ध करने की

कुछ आवश्यकता नहीं होती। परन्तु जबकि आप उस अल्लाह की सुन्नत के एक विशेष स्थान में इन्कारी हो गए हैं तो आप के इन्कार के अनुसार वह मसीह की मृत्यु एक मुकद्दमा हो गया है। अतः हज़रत अक़दस ने केवल इस दृष्टि से **كلم** मसीह की मृत्यु के सबूत अपनी पुस्तकों में लिख दिए हैं और वह भी बतौर खण्डन, बहस और प्रतिकूलता इत्यादि के जो प्रश्नकर्ता का ही मुख्य कर्तव्य है। आप मुनाज़र: के नियमों पर विचार कीजिए और वार्तालाप के बीच असंबंधित बात को न लाइए। निष्कर्ष यह कि मुनाज़र: के नियमों के अनुसार विवादित मामले में किसी भी प्रकार से वास्तविक मुद्दई नहीं हो सकते। हां यद्यपि उनका दावा मसीह मौऊद होने का है और वह उसके मुद्दई हैं तथा उस दावे के सबूत का भार उनका दायित्व अवश्य है, जिसको "इज़ाला औहाम" इत्यादि में तर्कों के साथ व्याख्या करते हुए विस्तार पूर्वक बताया गया है। परन्तु जब मसीह के जीवित रहने तथा उनकी मृत्यु की बहस समाप्त हो जाएगी तब आप उस दावे का सबूत उन से मांग सकते हैं, परन्तु इस समय इस बहस का छेड़ना असंबंधित बात को बीच में लाना है। वह बात इस मसीह के जीवित रहने तथा मृत्यु प्राप्त हो चुकने की बहस के पश्चात् उनसे हो सकती है और बस।

उसका कथन- इस नियम को नवीन नियम कहना व्यर्थ बात है..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना, हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब ने तो आपके इस नियम को नवीन ही कहा था परन्तु विनीत ने इसका अधिक नवीन होना सिद्ध कर दिया और कोई व्यर्थ की बात भी नहीं रही। जोड़-घटाव करे वाले बच्चे भी जानते हैं कि केवल नून ताकीद यद्यपि मुज़ारिअ को शुद्ध भविष्यकाल कर देता है परन्तु जब लाम ताकीद भी मौजूद हो जो वर्तमान के लिए आता है और नून ताकीद भी तो ऐसे सीगे में न कोई गुरू का पुत्र इस बात को मानता है कि शुद्ध भविष्य काल का होना आवश्यक है और न कोई सय्यद का पुत्र यह कहता है। अज़हरी जो लिखता है **لانهم اتخلصان مدخولهما للاستقبال** तो यहां पर भविष्य से अभिप्राय भविष्य का सीगः है न कि भविष्यकाल। और यह बात तो संख्याओं का

योग करने वाले बच्चों की जुबान पर भी जारी है कि वर्तमान का सीगः भविष्य के सीगः के समान है तथा अज़हरी ने इस विषय का सबूत वर्णन किया है उस से भी मतलब सिद्ध होता है। क्योंकि यदि उसका अभिप्राय भविष्यकाल होता तो कहता कि **ذلك ينافى المضى والحال** आगे अज़हरी ने जो यह लिखा कि-

ولا يجوز تاكيده بهما اذا كان مقضيا او كان المضارع حالا - الخ

तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि यदि मुज़ारिअ से केवल वर्तमान अभिप्राय हो और भविष्यकाल अभिप्राय न हो, तो इस स्थिति में केवल लाम ताकीद बिना नून के मुज़ारिअ पर आएगा। इस से यह कहां सिद्ध हुआ कि यदि वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अभिप्राय हों तो भी उस मुज़ारिअ को लाम ताकीद और नून ताकीद की शर्त से संबद्ध नहीं करेंगे। स्वयं 'फ़वाइदे ज़ियाइयः' के अब्दुल हकीम के पूरक हाशियों आदि में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्यकाल की क्रिया से यहां भविष्य काल की पारिभाषिक क्रिया अभिप्राय है। देखिए शरह जामी के हाशिए। इसी प्रकार नह्व की पुस्तकों की जितनी इबारतें आप ने नकल की हैं उन से यह सिद्ध नहीं होता कि जिस सीगः में लाम ताकीद नून ताकीद के साथ हो तो वह अवश्य ही केवल भविष्यकाल के लिए ही आएगा। हां यद्यपि इतना सिद्ध होता है कि केवल नून ताकीद के आने से मुज़ारिअ का सीगः अधिकतर स्थानों पर केवल भविष्यकाल के लिए हो जाता है। अतः जब तक आप इस बात पर नह्व के विद्वानों का लाम ताकीद का नून ताकीद के साथ जमा होने की स्थिति में इज्माअ (सर्वसम्मति) सिद्ध न करेंगे कि भविष्यकाल के अतिरिक्त वर्तमान काल अभिप्राय होना निषेध है तब तक आप के तर्क का अभियान अपूर्ण रहेगा इन नकल की हुई इबारतों से यह कैसे सिद्ध हो सकता है? और इस के सिद्ध होने के उपरान्त यह भी निवेदन किया जाएगा कि भविष्य का सीगः स्थायी नवीनता या इस्तमरार के लिए प्रयुक्त होना बलागत के ज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है। और यह आपके दावे के विपरीत है। फिर आप का यह नियम नवीनता नहीं तो क्या पुराना है।

उसका कथन- विनीत का असल तर्क नह्वविदों का इस नियम पर सहमत होना है..... अन्त तक।

मेरा कथन- सहमति और इज्माअ की तो चर्चा ही क्या है नह्व के किसी एक इमाम का कथन भी आप ने ऐसा नक़ल नहीं किया जिससे आप के तर्क का अभियान पूर्ण होता। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है। और हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब ने पवित्र कुर्आन की आयतें जो समस्त विद्याओं का स्रोत है इस बारे में लिख दीं और विश्वसनीय तफ़्सीरों जैसे मज़हरी इत्यादि से सिद्ध कर दिया कि **فان حقيقة الكلام للحال**

उसका कथन- हां इस नियम के समर्थन के लिए आयतें लिखी हैं अन्त तक।

मेरा कथन- हे दर्शक गण! आयतों से बढ़कर और किस का कथन होगा **اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل**

उसका कथन- गुप्त न रहे..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना, यह एक और दूसरा नियम नह्व में आप ने उस पहले नियम से भी अधिक नवीनतम आविष्कार किया है। भला कौन से नह्व के नियम से **إِلَّا يُؤْمِنُ** सीग: **تخریش** का बिना विशेषता वाले अक्षर के लाए हुए हो सकता है और क्रसम के सकारात्मक उत्तर में जो नहवियों की सहमति से नून ताकीद का आना बतौर अनिवार्य होने के लिखा है उसे भी आप ने तोड़ दिया। स्वयं 'फ़वायदे ज़ियाइय:' में लिखा है-

ولزمت ای نون التاكيد في مثبت القسم ای في جوابه الممثبت لان القسم محل التاكيد
فكر هو ان يوكدوا الفعل بامر منفصل عنه وهو القسم من غير ان يكدوه بما يتصل به وهو النون بعد
صلاحه له انتهى موضع الحاجة

और फिर उस नहवी अनिवार्य को तोड़ देने के बावजूद आप कहते हैं कि यह इबारत **إِلَّا يُؤْمِنُ** बहुत ही उत्तम है, ऐसी उत्तम इबारत को छोड़कर उसके स्थान पर **إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ** कदापि नहीं अपनाना चाहिए था, यह तो बड़ी विचित्र बात है। और यदि कोई कहे कि **لِيُؤْمِنَنَّ** में भी हफ़े उकसाने वाला तहज़ीज़ मौजूद नहीं है, फिर उसे 'बैज़ावी' इत्यादि ने उसको तहज़ीज़ का सीग: क्यों ठहराया है। तो इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो 'बैज़ाबी' ने **لِيُؤْمِنَنَّ** को तहरीज़ (उकसाना)

का सीगः नहीं कहा केवल *كالوعيد والتحرير* कहा है। द्वितीय-इसका कारण यह है कि मुज़ारिअ मसदर तहज़ीज़ के हर्फ़ के साथ में जो तहज़ीज़ होती है उसमें मांग (तलब) अवश्य होती है। अतः 'फवाइद-ज़ियाइयः' में लिखा है-

ومعناها في المضارع الحَضَّ على الفعل والطلب له فهي في المضارع بمعنى الامر

और नून ताकीद भी वांछित बात (अप्रे मत्लूब) की ही ताकीद करता है तकमिलः इत्यादि में लिखा है कि *نون التاكيد لا يوكدا الا مطلوبا* अतः इस अनुकूलता से 'बैज़ावी' ने *لِيُؤْمِنَنَّ* के सीगे को केवल *يُؤْمِن* के विपरीत *كالوعيد والتحرير* ठहराया है कि वह किसी प्रकार से तहरीज़ का सीगः नहीं हो सकता है। यह मौलाना की बहुत बड़ी ज़बरदस्ती है कि एक नियम अपनी तरफ़ से आविष्कार करके फिर उसके अनुसार पवित्र कुर्आन में परिभाषा लगाई जाती है। शेष उस मेरे कथन (तौल) का क्रम जो अन्त तक वर्णन किया गया है इसकी बुनियाद ग़लती पर है। जिस का उत्तर सही बात को प्रकट करने के उद्देश्य से दो-तीन बार दिया जा चुका है। अब उत्तर को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

उसका कथन- इसमें कुछ कारणवश आपत्ति है, प्रथम यह कि

अन्त तक।

मेरा कथन- महोदय, बार-बार वही एक बात कहे जाते हैं जिसका खण्डन हज़रत अक्रदस स्पष्ट तर्कों के साथ कर चुके हैं।

उसका कथन- द्वितीय यह कि यह क्रिरअत हमारे अर्थ की विरोधी नहीं है अन्त तक।

मेरा कथन- प्रथम तो नुज़ूल का युग अभिप्राय लेना पहले पर्चे में आप के लिखित इक्रार के विरुद्ध है। इक्रार यह है कि इस बहस में मसीह के ऊपर जाने और उतरने को शामिल नहीं किया जाएगा। द्वितीय आपकी तर्क शैली के अनुसार केवल इसी आयत *لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ* के ठोस सबूत होने का क्या कारण है। सम्पूर्ण कुर्आन के वे सीगे जो आयतों में लिखे हैं जिनमें ईमान लाने की चर्चा या किसी और मारूफ़ (वह क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो) की भविष्यवाणी जो भविष्यकाल में है वे समस्त आयतें मसीह के जीवित रहने पर ठोस सबूत हो

गई। आपके तर्क के अनुसार इसका वर्णन इस प्रकार हो सकता है कि ये अर्थ हमारे अर्थ के विरोधी नहीं हैं क्योंकि इस स्थिति में ये अर्थ हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व भविष्यकाल में ईमान ले आएगा तथा ये अर्थ प्रथम के साथ इस प्रकार से जमा हो सकते हैं कि भविष्यकाल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का काल अभिप्राय लिया जाए। सुब्हान अल्लाह! क्या ही उत्तम तर्क है। हे हज़रत मिर्ज़ा साहिब के विरोधियो मौलवी मुहम्मद हुसैन इत्यादि, तुम को मुबारक हो कि हमारे हज़रत मौलवी साहिब (मौलवी मुहम्मद बशीर भोपाली) ने मुनाज़र: की विद्या के स्वयं बनाए हुए नवीन नियम के अनुसार क्या ही उत्तम तर्क-शैली का आविष्कार कर दिया है कि सम्पूर्ण पवित्र कुर्आन के ऐसे सीगो जिनमें ईमान लाने का वर्णन अथवा किसी और अग्रे मारूफ (नेक बात) की भविष्यवाणी भविष्यकाल में हो मसीह के जीवित रहने के लिए ठोस सबूत हो गई। अब तुम को पवित्र कुर्आन में अनेकों ऐसे सीगो मिल जाएंगे जो मौलवी साहिब की तर्क-शैली की पद्धति पर वे समस्त मसीह के जीवित रहने पर ठोस सबूत हो जाएंगे। अब मौलवी मुहम्मद हुसैन इत्यादि को हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब के मुक्राबले पर इस बहस में जो कठिनाइयाँ सामने आ रही थीं हमारे मौलाना मुहम्मद बशीर ने सब दूर कर दीं। सुब्हान अल्लाह, तर्क हो तो ऐसा हो। यह महान विजय तुम को मुबारक, मुबारक, मुबारक- *این کار از تو آید و* अब मैं मसीह के जीवित रहने पर मौलवी साहिब की तरफ़ से दो-तीन और ठोस सबूत वाली आयतें लिखे देता हूँ जो मौलवी साहिब की तर्क-शैली के अनुसार ठोस सबूत हैं। उदाहरणतया-

(अन्नहल-98) *فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ*

जिसे मौलवी साहिब ने केवल भविष्यकाल के लिए प्रथम पर्व में लिखा है वह मसीह के जीवित रहने में ठोस सबूत है, क्यों ठोस सबूत है- यों है कि जो व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री शुभ कर्म करे इस स्थिति में कि वह मोमिन भी हो तो हम उसको जीवित रखेंगे पवित्र जीवन के साथ, और यद्दपि हम उनको उनके पुण्य (सवाब) का प्रतिफल देंगे। ये अर्थ मौलवी साहिब के अर्थों के कुछ विरोधी नहीं तथा मौलवी

साहिब के अर्थों के साथ इस प्रकार से जमा हो सकते हैं कि भविष्यकाल से ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का काल अभिप्राय लिया जाए। अतः यहां तक ठोस सबूत होने का अभियान समाप्त हो चुका। उदाहरण के तौर पर आयत

(अलहज-41) **وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ**

ठोस सबूत है, क्यों है? यों है कि इसमें नून सक्रीला तो मौजूद ही है जो शुद्ध भविष्यकाल के लिए आता है। अतः खुदा की यह सहायता नेक मोमिन पुरुषों और नेक मोमिन स्त्रियों के लिए भविष्यकाल में होगी। ये अर्थ मौलवी साहिब के अर्थों के साथ जमा (जुड़ सकते) हो सकते हैं इस प्रकार से कि भविष्यकाल से अभिप्राय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल (उतरने) का काल लिया जाए। सबूत का वह अभियान समाप्त हो गया, इसी प्रकार आयत

(अल अन्कबूत-70) **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا**

जिसे मौलवी साहिब ने नून सक्रीला के नियम को सिद्ध करने के लिए प्रथम पक्षों में लिखा है, वह भी मसीह के जीवित रहने पर मौलवी साहिब की तर्क शैली के अनुसार ठोस सबूत हो सकती है। विनीत ने मौलवी साहिब तर्क संबंधी नियम के स्पष्टीकरण के लिए दो-तीन आयतें उदाहरण के तौर पर लिख दी हैं ताकि एक निम्न स्तरीय विद्यार्थी जो पवित्र कुर्आन का अनुवाद पढ़ता हो मसीह के जीवित रहने के बारे में पवित्र कुर्आन से बहुत सी ठोस सबूत वाली आयतें निकाल सके।

उसका कथन- तृतीय- यह कि यह क्रिरअत अनिरंतर (गैर मुतवातिर:) है..... अन्त तक।

मेरा कथन- निरन्तरता रहित क्रिरअत पर ऐतराज़ नहीं किया गया बल्कि निरन्तरता रहित क्रिरअत मुफ़स्सिरों के नियमानुसार निरन्तरता वाली क्रिरअत (मुतवातिर:) के समर्थन के लिए लाई गई है। अतः समस्त अनुसंधान करने वाले मुफ़फ़सिर इस निरन्तरता रहित क्रिरअत को निरन्तरता वाली क्रिरअत के अर्थों के समर्थन के लिए अपनी तफ़्सीरों में लाए हैं, उसी प्रकार से हज़रत अब्रदस मिर्जा साहिब इस निरन्तरता वाली क्रिरअत को निरन्तरता वाली क्रिरअत के समर्थन के लिए लाए हैं तथा आप ने जो आयतें अपने कुल मुबाहसे में वर्णन एवं नकल

की हैं उनके रिवायत करने वालों की सनदों का सत्यापन और पुष्टि वर्णन नहीं की। क्या यह अनिवार्यता हज़रत मिर्ज़ा साहिब पर ही है आप पर अनिवार्य नहीं कि इस अनुसंधान के स्थान में उन लोगों की सनदों का अस्माउर्रिजाल विद्या के नियमों के अनुसार सत्यापन और تعديل वर्णन करते ودونه خراط القناد

(अलबकरह-45) أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

अनुवाद : - और क्या तुम लोगों को नेकी का आदेश देते हो और स्वयं अपने आप को भूल जाते हो।

उसका कथन- चतुर्थ- यह कि मिर्ज़ा साहिब अन्त तक।

मेरा कथन- कथित आयत चूंकि बहुमुखी है, इसलिए हज़रत अक़दस ने उसकी दूसरे कारण से भी व्याख्या की है। अर्थात् قبل موته की ज़मीर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ भी लौटा कर वह व्याख्या (तप्सीर) की है और वे अर्थ वर्णन किए हैं कि जिन पर किसी प्रकार का ऐतराज़ नहीं आता। ऐसी बहुमुखी आयतों की तप्सीर विभिन्न कारणों से करना एक फ़िक्र: महमूद (प्रशंसनीय सूझ-बूझ) है।

قَلَا أَبُو الدَّرْدَاءِ لَا يَفْقَهُ الرَّجُلُ حَتَّى يَجْعَلَ لِلْقُرْآنِ وَجُوهًا

और आप की तरह हज़रत अक़दस ने ऐसी बहुमुखी आयत को एक कारण में सीमित करके ठोस तर्क एक कारण पर नहीं कहा। और ज़मीर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ फेर कर आयत के जो अर्थ आप करते हैं उस पर विभिन्न प्रकार के आरोप आते हैं। अतः क्या यही ईमानदारी और न्याय की मांग है कि जिन अर्थों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के आरोप आते हों उन पर तो हठ किया जाए और जो अर्थ ख़राबी से मुक्त हों उनको स्वीकार न किया जाए। निष्कर्ष- ज़मीर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ लौटने की स्थित में यदि आप वे अर्थ जो हज़रत अक़दस ने "इज़ाला औहाम" में लिखे हैं स्वीकार करते तो कितना अच्छा होता कि सब विवाद तय हो जाता। और यदि उन ख़राबी से मुक्त अर्थों को आप स्वीकार नहीं करते तो इस कारण से आपके अर्थ बहुत से

ऐतराजों का स्थान हैं। ज़मीर का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ फेरना उन ख़राबियों के कारण नहीं हो सकता। अहले किताब या किसी एक उद्देश्य की तरफ़ हो जाए। जिसका समर्थन निरन्तरता रहित क्रिरअत रखती है। अल्लतिया वल्लती के बाद हज़रत अक्रदस ने ज़मीर को अहले किताब या एक अदृष्ट को अपने लेख में किसी स्थान पर ग़ैर सही (ग़लत) नहीं कहा यदि आप ने किसी लेख में देखा हो तो सही तौर पर नक़ल वर्णन की जाए। आगे रही यह बात कि मसीह की मृत्यु पर हज़रत अक्रदस ने इस आयत से तर्क किया है उसके संबंध में यह निवेदन है कि किसी जगह उस तर्क को ठोस सबूत नहीं कहा जबकि आयत बहुअर्थी है तो न तो मसीह के जीवित रहने पर ठोस सबूत हो सकती है और न मसीह की मृत्यु पर। मसीह की मृत्यु पर तर्क बतौर निर्धारण तथा पृथक करने के और बहुत से हैं जो ऊपर पहले गुज़र चुके तथा "इज़ाला औहाम" में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। परन्तु ऐसी बहुमुखी आयत को मसीह के जीवित रहने पर ठोस सबूत ठहराना यही तो झगड़ा है कि जिसमें मुनाज़र: की गंध (बू) भी मौजूद नहीं है।

उसका कथन- यहां वर्तमान का इरादा ग़लत मात्र है बल्कि केवल भविष्यकाल अभिप्राय है कुछ कारणों से।

मेरा कथन- यहां पर तो मौलाना साहिब ने कमाल ही किया है कि नून सक्रीला के प्रभुत्व और सिक्ल (भारी) के विचार में आयतों का क्रम रिवायत और दिरायत के अनुसार ख़ुदा का अभिप्राय है उसको भी ग़लत मात्र ठहरा दिया। उसका दिरायत[☆] - के अनुसार वर्णन यह है कि आयत

(अलबक्ररह-145) **قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ**

में मौलवी साहिब का नून सक्रीला तो मौजूद है ही नहीं जो शुद्ध भविष्यकाल ही अभिप्राय हो और वर्तमानकाल अभिप्राय न हो सके। अतः हम कहते हैं कि **قَدْ نَرَى** में वर्तमानकाल अभिप्राय है और

(अलबक्ररह-145) **فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا**

☆ वह सिद्धान्त जिनका उद्देश्य किसी रिवायत को बौद्धिक तौर पर परखना है। (अनुवादक)

में अक्षर (फ) दाखिल है जिसका लाभ यह है कि **قَدْ نَرَى** पर अविलम्ब क्रमबद्ध हो जाए। नह्व का विषय सर्व सम्मत है कि **الفاء الترتيب اى للجمع مع الترتيب** का वर्तमान काल ही हुआ और **فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ** अतः **بلامهله**

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (अलबकरह-145)

में भी वही अक्षर **ف** मौजूद है जो नह्वविदों की सर्व सहमति से अविलम्ब क्रमबद्ध होने के लिए आता है। अन्ततः आयतों के क्रम से ज्ञान हुआ कि **قَدْ نَرَى** पर **فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ** अविलम्ब क्रमबद्ध हुआ और **قَوْلٍ وَجْهَكَ** पर **فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ** अविलम्ब क्रमबद्ध और कारण हुआ या समय का फासला आयत में नहीं है जो **فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ** को भविष्यकाल दूर या निकट के लिए ही ठहराया जाए। अतः दिरायत की दृष्टि से सिद्ध हुआ कि **فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ** में वर्तमान काल अभिप्राय है जिसकी अवधि भिन्न-भिन्न है और जिसकी निरन्तरता स्पष्ट है और रिवायत के अनुसार इसका वर्णन यह है। बुखारी शरीफ़ के हाशियों में लिखा है-

ثم اعلم ان الروايات اختلفت فى ان التحويل هل كان خارج الصلوة بين الظهر والعصر او فى اثناء صلوة العصر فالظاهر من حديث البراء الذى سبق فى كتاب الايمان فى صفحه ١٠١ نه كان خارج الصلوة حيث قال انه صلى الله عليه وسلم صلى اول صلوة صلّها الى الكعبة صلوة العصر الحديث قال مجاهد وغيره نزلت هذه لاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد نبى سلمه وقد صلى باصحابه ركعتين من صلوة الظهر فتحوّل فى الصلوة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى ذلك المسجد مسجد القبالتين كذا ذكره البغوى ثم قال وقيل كان التحويل خارج الصلوة بين الصلوتين ورجح المواقدى الاول وقال هذا عندنا اثبت ذكره فى المظهرى وقال فيه ايضا فحديث البراء محمول على ان البراء لم يعلم صلوته صلى الله عليه وسلم فى مسجد نبى سلمته الظهر والمراد انه اول صلوة صلّها كاملا الى الكعبة انتهى والله اعلم-

(फिर यह भी जान ले कि तहवील-ए-क्रिबल: के बारे में रिवायतों में मतभेद है कि तहवील-ए-क्रिबल: नमाज़ से बाहर अर्थात् जुहर और अस्त्र की नमाज़ के बीच हुआ था या नमाज़ अस्त्र के दौरान हुआ। बराअ की हदीस जो बुखारी किताबुल ईमान में पृ. 10 पर है उससे स्पष्ट होता है कि तहवील-ए-क्रिबल: की घटना नमाज़

से बाहर हुई। क्योंकि इसमें रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने पहली नमाज़ जो काबा की ओर मुँह करके अदा की थी वह अस्त्र की नमाज़ थी। "मुजाहिद" इत्यादि ने कहा कि (तहवील-ए-क्रिब्ल: से सम्बन्धित) यह आयत उस समय उतरी जब नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मस्जिद-ए-बनी सलमा में थे और सहाबा रज़ियल्लाहो अन्हुम को जुहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और दो रकअतें पढ़ा चुके थे तो नमाज़ के दौरान ही आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने रुख बदलकर "अलमीज़ाब" की ओर रुख कर लिया था। उसके बाद आपने पुरुषों को स्त्रियों की जगह और स्त्रियों को पुरुषों की जगह कर दिया। तभी से उस मस्जिद का नाम "मस्जिद क्रिब्लतैन" (दो क्रिब्लों वाली मस्जिद) रखा गया। इसी तरह अलबग़वी ने वर्णन करने के बाद कहा है कि यह भी कहा गया है कि तहवील-ए-क्रिब्ल: की घटना किसी नमाज़ के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि दो नमाज़ों के मध्य हुई थी। वाक़दी ने पहली रिवायत को प्राथमिकता दी है और कहा है कि यह हमारे निकट अधिक ठीक है। इस रिवायत को तप्सीर-ए-मज़हरी में भी नक़ल किया गया है और उसमें भी कहा गया है कि हदीसुलबराअ इसलिए कहा गया है कि अलबराअ को यह मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जुहर की नमाज़ मस्जिद-ए-बनी सलमा में पढ़ी थी। या उनका अभिप्राय यह होगा कि पहली नमाज़ जो पूरी तरह काबा की ओर मुँह करके पढ़ी गई थी वह है जिसका उन्होंने वर्णन किया है। समाप्त, (अल्लाह सबसे अधिक जानता है।) - अनुवादक)

और यदि मौलवी साहिब उसी बैज़ावी की तरफ़ जिस से यहां पर कुछ थोड़ी सी इबारत नक़ल की। आयत की तप्सीर की अन्तिम इबारत तक विचार करते तो यह मतलब उसी से स्पष्ट हो जाता -

قال البيضاوى روى انه عليه السلام قدم المدينة فصلى نحو البيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين وقد صلى باصحابه في مسجد نبى سلمة ركعتين من

الظهر فتحوّل في الصلوة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمى المسجد مسجد القبلتين-

(बैज़ावी ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम (हिजरत करके) जब मदीना आए तो 16 महीने तक "बैतुल मक़दस" की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने रजब मास में सूरज ढलने के बाद युद्ध से दो माह पूर्व काबा की ओर अपना रुख़ कर लिया। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मस्जिद-ए-बनी सलमा में अपने सहाबा (सहचरण) के साथ जुहर की दो रकअतें अदा की थीं कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने नमाज़ के दौरान ही मीज़ाब की ओर अपना रुख़ फेर लिया और स्त्रियों एवं पुरुषों की पंक्तियाँ परस्पर बदल दीं। इस आधार पर यह मस्जिद "मस्जिद क़िब्लतैन" के नाम से मशहूर हो गई। -अनुवादक)

और ऐसा ही 'फ़हलबयान' इत्यादि में लिखा है और अब्दुल हकीम द्वारा चढ़ाए हुए हाशिए में जो **فَوَلِّ وَجْهَكَ** को वादा पूरा करना लिखा तो उसने यह कब कहा है कि इस वादे को पूरा करने में काल (ज़माने) की छोटी या बड़ी दूरी (फ़ासला) पड़ी हुई है, वादा पूरा करने को वर्तमानकाल जिसकी अवधि निरन्तर चल रही है इसमें कोई हर्ज नहीं और यह जो आप कहते हैं कि इस **تَقْرِير** पर **فَوَلِّ وَجْهَكَ** अतिरिक्त और व्यर्थ हो जाएगा तो निवेदन यह है कि आयत **فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** और शाह **فما هو جوابكم فهو او فكذا جوابنا** और शाह वलीउल्लाह साहिब के अनुवाद में जो **متوجه گردانیم** शब्द मुज़ारिअ किया गया है उसमें वर्तमान और भविष्य दोनों काल सम्मिलित हैं। आप महोदय की समझ का कमाल है कि मुज़ारिअ के शब्द को केवल भविष्यकाल के लिए बताते हैं और उर्दू के अनुवादों में जो अनुवाद भविष्यकाल के शब्द में किया गया उससे निकट भविष्यकाल अभिप्राय है जिसे आप भी मानते हैं, हम उसी को वर्तमान काल कहते हैं अलंकार विद्या की पुस्तकों से सिद्ध हो चुका है कि वर्तमान काल की अवधि क्रियाओं की निरंतरता के अनुसार भिन्न होती है।

उसका कथन- वर्तमानकाल का इरादा इस आयत में भी ग़लत है अन्त तक।

मेरा कथन- इस स्थिति में निकट भविष्यकाल को आप भी मानते हैं और इल्म-ए-बलाग़त की पुस्तकों मुतव्विल इत्यादि से सिद्ध हो चुका कि वर्तमानकाल एक मशहूर बात है और उसकी अवधि क्रियाओं की दृष्टि से भिन्न है और इसी कारण से सामान्य की तरफ़ सुपुर्द है अतः आपकी बहस एक शाब्दिक विवाद हो गई है जिसकी बार-बार पुनरावृत्ति की जाती है जो आप की शान से बहुत दूर है और मैं आश्चर्य में हूँ कि शाह रफ़ीउद्दीन साहिब का अनुवाद जो मुज़ारिअ के शब्द के साथ है आप क्यों उसे शुद्ध भविष्यकाल ठहराते हैं और तनिक सावधान नहीं होते और उस पर विचित्र यह है कि शाह वलीउल्लाह साहिब के शब्द को जो अभी जला देंगे हम उसको ही शुद्ध भविष्यकाल किस प्रकार कहते हैं। शब्द अभी तो शुद्ध वर्तमान के लिए आता है **إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ** सूरह: साद-6

لان هذا الفهم البعيد عن الصبي فضلا عن الفاضل الذي هو نائب النبي

उसका कथन- स्पष्ट हो..... अन्त तक।

मेरा कथन- हज़रत अक्रदस मिर्ज़ा साहिब इन अर्थों के लेने में अकेले कदापि नहीं उम्मत के समस्त पहले तथा बाद में आने वालों में से कुछ इन आयतों को वर्तमान काल पर तथा कुछ को इस्तमरार पर चरितार्थ करते चले आए हैं जिस प्रकार इसका विवरण वर्णन हो चुका है।

उसका कथन- प्रथम यह कि..... अन्त तक।

मेरा कथन- **جَزَاكُمْ اللَّهُ فِي الدَّارَيْنِ خَيْرًا** (अल्लाह तआला आपको दोनों जहान में अच्छा प्रतिफल प्रदान करे) कि आप ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि अल्लाह तआला का यह शाश्वत (हमेशा रहने वाली) विधान है कि घोर परिश्रम (तपस्या) करने वालों को अपने मार्ग सदैव दिखलाया करता है और यह विषय अलंकार शास्त्र की पुस्तकों से सिद्ध हो चुका है कि भविष्यकाल का सीगः उचित स्थानों के अनुसार स्थायी निरंतरता

और बार-बार होने के लिए प्रयुक्त हुआ करता है। इसलिए अब निवेदन यह है कि क्या कारण है कि इस आयत के ऐसे अपूर्ण तथा अधूरे अर्थ किए जाएं जो इस शाश्वत विधान के साथ न हों, हालांकि खुदा की किताब (क़ुर्आन) अलंकारिकता में चमत्कार की सर्वोच्च सीमा को पहुंची हुई है और नबी अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं- **أَوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ سَلْمًا** मुझे व्यापक अर्थों वाली बातें (शब्द) प्रदान की गई हैं। और हमने माना कि आयत वादा है परन्तु वादे को वर्तमान काल या इस्तमरार से कुछ इन्कार नहीं है क्योंकि वादा वर्तमान काल के लिए भी हो सकता है जैसा कि हज़रत अक़दस ने द्वितीय अर्थ के समर्थन में शुद्ध भविष्यकाल की दुरुस्ती की है वह केवल आप के लिए की है किसी व्यक्ति के कथनानुसार- **أَتَى رَأَى نَهْ بِأَيِّ رَسَائِدِ** अतः इस पर हज़रत अक़दस के शब्द मार्गदर्शक हैं जिन्हें आपने भी नक़ल किया है और वे ये हैं-कि क्या भविष्यकाल के तौर पर दूसरे अर्थ भी नहीं हो सकते कि कोई अहले किताब में से ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले मसीह पर ईमान नहीं लाएगा।

उसका कथन- द्वितीय यह कि..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना, शाह वलीउल्लाह साहिब के मुज़ारिअ के शब्दों को शुद्ध भविष्यकाल के लिए ठहराना फ़ारसी भाषा में एक नवीन नियम का नवीनीकरण (तज्दीद) करना है। शेष दोनों अनुवाद जो भविष्यकाल के सीगे में हैं उनके संबंध में वही निवेदन है कि भविष्यकाल का सीगः स्थायी निरंतरता के लिए प्रयुक्त होना अलंकार शास्त्र की पुस्तकों से सिद्ध हो चुका है।

उसका कथन- यहां वर्तमान काल तथा इस्तमरार का इरादा बिल्कुल ग़लत है..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना साहिब केवल आयत-

(अलमुजादला-22) **لَا غَلْبَ لَنَا وَأَنْزِلُ**

लौह महफूज़ [☆] में लिखा होना जिसे आपने 'बैज़ावी' के हवाले से लिखा उसकी कुछ आवश्यकता न थी क्योंकि बैज़ावी इत्यादि की तफ़्सीर को तो आप आयत

☆ लौह-ए-महफूज़ - खुदा तआला की ओर से तय शुदा बातें। (अनुवादक)

لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ में ग़लत और असत्य कह चुके हैं। यह विनीत आप के समर्थन के लिए यह कहता है कि कुल पवित्र कुर्आन लौह-ए-महफूज़ में लिखा हुआ है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है

(अलबुरूज-22,23) **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ**

परन्तु निवेदन यह है कि पवित्र-कुर्आन में जो तीनों कालों को दृष्टिगत रखा गया है वह नुज़ूल के समय से किया गया है अन्यथा यदि लौहे-महफूज़ में लिखने के समय को ध्यान में रखा जाए तो तीनों काल भूत, वर्तमान और भविष्यकाल बल्कि इस्तमरार सब भविष्यकाल ही सम्मिलित हैं। फिर आप की सम्पूर्ण मूल तथा उत्तम बहस जो नून सक्रीला के बारे में है केवल बेकार हुई जाती है। अतः इस स्थिति में जो आयतें हज़रत अब्रदस ने लिखी हैं उनकी तो चर्चा ही क्या है, इस आधार पर तो पवित्र कुर्आन में लिखे समस्त सीगे भूत, वर्तमान और इस्तमरार भविष्यकाल में सम्मिलित हैं और यह वर्तमानकाल और इस्तमरार का झगड़ा केवल बे फायदा। यदि आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** में हज़रत अब्रदस ने इस्तमरार अभिप्राय लिया तो लौहे महफूज़ में लिखने से वह भी भविष्यकाल में सम्मिलित रहा और इस आयत **لَا غَلْبَانَ أَنَا وَرُسُلِي** में भी यदि वर्तमानकाल या इस्तमरार अभिप्राय लिया तो वह भी लौहे महफूज़ में लिखे जाने से भविष्यकाल में ही हुआ। फिर यह जो आप कहते हैं कि इस्तमरार का इरादा बिलकुल ग़लत है इसके क्या मायने हैं इसके आधार पर भविष्यकाल ही में सम्मिलित है। यह तो ऐसा भविष्यकाल है कि कोई काल इस से बाहर रह ही नहीं सकता और मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब के अनुवाद को जो मुज़ारिअ के शब्द के साथ है केवल भविष्यकाल के लिए कहना आप का ही काम है। यह विनीत तो इस मसअले को कहते-कहते थक गया-

گفته گفته من شدم بسیار گو
از شتا یکتن نه شد اسرار جو

(अनुवाद - मैं तुझे बार-बार कह कर थक गया हूँ लेकिन तुझ पर थोड़ा भी असर नहीं।)

दर्शकों को अब भली भांति मालूम हो गया होगा कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब का तीन पर्चों के बाद बहस को समाप्त कर देना नितान्त ही आवश्यक था अन्यथा अपनी हैसियत (औक़ात) को निरन्तर व्यय करना केवल समय नष्ट करना था। क्योंकि मौलवी साहिब को इस बहस में सिवाए उन बातों के दोहराने के जिनका प्रथम पर्चे में ही पर्याप्त और सन्तुष्ट करने वाला उत्तर दिया जा चुका है। और शेष रहा हुआ अपितु दोबारा द्वितीय पर्चे में भी समझाने के अन्तिम प्रयास को पूर्ण करने के लिए दिया गया और फिर तृतीय पर्चे में भी आप का मन रखने के लिए तीसरी बार पर्याप्त और संतोष जनक उत्तर दिए गए। इस के बावजूद यदि अब भी बहस समाप्त न की जाती तो इस विनीत को यह बताया जाए कि वह कौन सी उत्तर देने वाली नई बात प्रस्तुत की गई है जिसका उत्तर तीन बार न दिया जा चुका हो।

مَنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَالًا يَعْزِيهِ

(मनुष्य का बेहतर इस्लाम यह है कि उन बातों को छोड़ दे जो व्यर्थ हैं) का विषय भी हज़रत अक़दस के सामने रहता है। और इस पर भी अन्तिम तृतीय पर्चे में यह भी लिख दिया गया कि इस लेख के प्रकाशित होने के पश्चात् जब पब्लिक की तरफ़ से न्यायपूर्ण रायें प्रकाशित होंगी और मध्यस्थों के माध्यम से सही राय जो सच की समर्थक हो पैदा हो जाएगी तो उस निर्णय के पश्चात् आप लिखित तौर पर दूसरे मामलों में भी बहस कर सकते हैं परन्तु उस लिखित बहस के लिए मेरा और आपका देहली में ठहरा रहना आवश्यक नहीं। जबकि लिखित बहस है तो दूर रह कर भी हो सकती है। मैं मुसाफिर हूँ अब मैं अधिक नहीं ठहर सकता। हे दर्शकगण ! इसके बावजूद मौलवी साहिब का भोपाल में वापस आकर खुल्लम खुल्ला अपनी नसीहत करने की मज्लिसों इत्यादि के सामने यह प्रचारित करना कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब देहली में मेरे सामने न ठहर सके और पलायन कर गए। कैसा यथास्थान है **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ** (हे आंखें रखने वालो नसीहत प्राप्त करो) शेष दोनों अनुवादों के शब्द जो भविष्यकाल के शब्द के साथ अनुवाद किए गए हैं उन से अभिप्राय स्थायी निरन्तरता हो सकती

है। **كما مر غير مرة**।

उसका कथन-प्रथम यह कि.....अन्त तक।

मेरा कथन- आयत में अक्षर **ف** जो अविलम्ब क्रमबद्ध के लिए आता है मौजूद है। अतः जिस समय कोई व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री शुभ कर्म करे इस स्थिति में कि वह मोमिन हो तो उसके लिए अविलम्ब 'पवित्र जीवन' स्थापित हो जाता है अन्यथा अक्षर **ف** निरर्थक हो जाएगा। तप्सीर इब्ने कसीर से आप ने जो अर्थ नक़ल किए वे भी इसी मतलब को सिद्ध कर रहे हैं। देखो उसमें स्पष्ट लिखा है कि

بان يحيى الله حياة طيبة في الدنيا

हां यद्यपि **لَنَجْزِيَنَّهُمْ** को तप्सीर इब्ने कसीर के लेखक ने आखिरत की बुनियाद (आधार) प्राप्त होने के लिए लिखा, क्योंकि यह इल्म बलागत का एक विषय है कि **التَّاسِيسُ خَيْرٌ مِّنَ التَّكْيِيدِ** हम भी यहां भविष्काल को स्वीकार करते हैं परन्तु यह हज़रत मिर्ज़ा साहिब के लिए कुछ हानिप्रद नहीं। मूल बात यह है कि आप के नून सक्रीला के नियम के खण्डन के लिए तो पवित्र कुर्आन का केवल एक सींग: जो वर्तमान या भविष्काल या इस्तमरार के लिए आया हो पर्याप्त है क्योंकि आप हर जगह ऐसे सींगे में अनिवार्य तौर पर भविष्यकाल अभिप्राय लेते हैं। अतः मूजिबा कुल्लिय: का विपरीत (नक्रीज़) मूजिबा जुज़इय: ही आता है जो यहां सादिक़ है अतः मूजिबा कुल्लिय: ग़ैर सादिक़ होगा और हज़रत मिर्ज़ा साहिब ऐसे सींगे में केवल वर्तमान काल या शुद्ध भविष्यकाल या केवल इस्तमरार अनिवार्य रूप से इस जगह अभिप्राय नहीं लेते बल्कि उच्च स्थानों की आवश्यकतानुसार कहीं वर्तमान काल अभिप्राय होता है और कहीं भविष्यकाल तथा किसी जगह स्थायी निरन्तरता अभिप्राय होती है। अतः इस मत के खण्डन के लिए आप ऐसे कितने ही सींगे नक़ल करें जिनमें शुद्ध रूप से केवल भविष्य काल अभिप्राय हो तो हज़रत अक़दस के सद्मार्ग (सिराते मुस्तक़ीम) के लिए कुछ हानिप्रद नहीं। क्योंकि वह अनिवार्य रूप से ऐसे सींगे में हर जगह कोई एक विशेष काल अभिप्राय नहीं लेते।

उसका कथन- कुछ कारणों से यहां भविष्यकाल अभिप्राय है। प्रथम यह कि अन्त तक।

मेरा कथन- لا تسلم اما اولاً آنکه العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

अहले उसूल का मान्य नियम है। अतः क्या आवश्यकता है कि इस आयत से सिवाए मुहाजिरों (प्रवासियों) और अन्सार के अन्य कोई सहायक न हो सके।

द्वितीय यह कि हम ने माना कि प्रवासी (मुहाजिर) और अन्सार ही अभिप्राय हैं, परन्तु जिस समय से कि मुहाजिरों (प्रवासियों) तथा अन्सार ने अल्लाह और उसके रसूल की सहायता करनी आरंभ की उसी समय से ख़ुदा की सहायता उन के साथ हो गई। यद्यपि जनता पर ख़ुदा की सर्वांगपूर्ण सहायता का पूर्ण प्रकटन कुछ समय गुज़रने के पश्चात् हुआ। **तृतीय** यह कि आप जो यह कहते हैं कि जिस चीज़ का वादा किया जाता है वह चीज़ वादे के समय के बाद पाई जाती है। हमने माना, परन्तु यह क्या आवश्यक है कि बाद का काल दूरवर्ती ही हो, हो सकता है कि बाद का काल समीपरवर्ती हो। व्यक्तिगत तौर पर पहले होने और व्यक्तिगत तौर पर पीछे होने का विषय जो तर्कशास्त्रियों के मध्य सुप्रसिद्ध है बहुत दयालु ख़ुदा की कृपा और दया से यहां पर क्यों अभिप्राय नहीं हो सकता, यद्यपि कर्म के बाद ही सफलता सिद्ध होती है, परन्तु इन दोनों हरकतों में कोई लम्बे समय का फ़ासला नहीं होता। इसके साथ कहते हैं कि हाथ की हरकत पहले है और कुंजी की हरकत बाद में है। यदि आप का पहले होना और बाद को होना अभिप्राय है तो फिर यह सब एक शाब्दिक झगड़ा हुआ जो हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब को कुछ भी हानिप्रद नहीं है और तीनों अनुवादों का हाल दर्शकों को पहले ज्ञात हो चुका।

उसका कथन- यहां भी भविष्यकाल अभिप्राय है.....अन्त तक।

मेरा कथन- वादा और मौऊद में जो पहले और पीछे होना है इसका हाल ज्ञात हो चुका और तीनों अनुवादों का हाल भी दो-तीन बार लिखा जा चुका, दोहराने की आवश्यकता नहीं है और यहां सदैव रहने वाली आदत में कौन सा भय अनिवार्य आता है वर्णन किया जाए।

उसका कथन- ऊपर ज्ञात हो चुका।

मेरा कथन- न कुछ अधिक न कुछ कम मालूम हुआ बल्कि नून सक्रीला का नियम बिल्कुल ग़लत सिद्ध हो चुका।

उसका कथन- इन लोगों के कलाम में कहीं वर्तमान की व्याख्या नहीं अन्त तक।

मेरा कथन- आप सम्पूर्ण पवित्र कुर्आन में से एक ऐसा सीग़: बता दें जिसमें अल्लाह तआला ने या रसूल मक़बूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने व्याख्या कर दी हो कि इस सीग़े में भविष्यकाल के अतिरिक्त अन्य कोई काल अभिप्राय नहीं, तो फिर हम भी कहीं ऐसी व्याख्या तलाश करेंगे। मौलाना साहिब, अहले जुबान (मातृ भाषी) मुज़ारिअ इत्यादि के जो सीग़े अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं उस कलाम में कहीं यह स्पष्टीकरण नहीं होता है कि यहां पर हमारा अभिप्राय वर्तमानकाल है या भविष्यकाल। यह बात तो अहले जुबान अपने-अपने मुहावरों के अनुसार समझ लेते हैं तथा ग़ैर अहले जुबान सर्फ़, नह्व तथा बलाग़त के ज्ञान संबंधी नियमों इत्यादि के अनुसार समझते हैं और हमने ऊपर इन सब विद्याओं से सिद्ध कर दिया कि इन सीग़ों में वर्तमान काल भी अभिप्राय हो सकता है तथा इस्तमरार भी मज़हरी इत्यादि से स्पष्टता पूर्वक वर्णन किया जा चुका है कलाम की वास्तविकता वर्तमान काल के लिए है। और हज़रत अक़्दस ने जो इस आयत में भविष्यकाल के अर्थ संभावना के तौर पर प्रस्तावित किए हैं तो केवल इल्ज़ाम के तौर पर विरोधियों को समझाने के लिए प्रस्तावित किए हैं।

उसका कथन- तो उत्तर यह है कि निस्सन्देह इस स्थिति में निर्धारित नियम के आधार पर अन्त तक।

मेरा कथन- यहां पर आप ने यह तो इक्रार कर लिया कि निस्सन्देह इस स्थिति में निर्धारित नियम के आधार पर यद्यपि रद्द न हो सकेगा, परन्तु दूसरे आप जो कहते हैं कि इसका रद्द (खंडन) होगा।

उसका कथन- अन्तिम विषय में जिस का वर्णन ऊपर हो चुका अन्त तक।

मेरा कथन- इस रद्द (खंडन) का उत्तर विनीत के वर्णन से ऊपर गुज़र चुका। अतः फैसला हो चुका।

उसका कथन- मेरा मतलब वह नहीं जो आप समझते हैं..... अन्त तक।

मेरा कथन- आप का मन रखने के लिए हमने यह भी स्वीकार किया कि आप का मतलब केवल इतना ही है कि ये अर्थ जो मैंने अपनाए हैं उस की ओर एक जमाअत सल्फ़ में से गई है परन्तु यह तो करो कि जब आप के अर्थों की तरफ़ केवल एक ही जमाअत (समूह) गई है तथा सहाबा, ताबिईन तथा हज़ारों मुफ़स्सिर अन्वेषकों की दूसरी जमाअत दूसरे अर्थों की तरफ़ गई है और उन अर्थों को तर्कों के साथ स्पष्ट किया है तथा आपके अर्थों को निरर्थक तौर पर वर्णन करते हैं। तो क्या एक निरर्थक अर्थ को आप के अपना लेने से वे अर्थ ठोस सबूत हो सकते हैं जो आप के विरोधी पर अटल सबूत हो सकें। ऐसे निरर्थक अर्थ को अपना कर अपने विरोधी पर अटल सबूत समझना यह तो स्पष्ट तौर पर एक ज़बरदस्ती है।

उसका कथन- मेरे तर्कों का दृढ़ होना अन्त तक।

मेरा कथन- इन तर्कों का **اوھن من بیت العنکبوت** (मकड़ी के घर से भी अधिक कमज़ोर) होना सिद्ध हो चुका। अतः आपका यह कहना आप का अपना कहना नहीं है।

उसका कथन- आप ने नून सक्रीला के बारे में अन्त तक।

मेरा कथन- मुहकम आयतें (कुर्आन की स्पष्ट अर्थों वाली आयतें) जो नून सक्रीला के बारे में लिखी गई हैं, तफ़्सीरों के हवाले के साथ क्रयामत तक क़ायम रहेंगी और जो कोई उनका मुक़ाबला करेगा वह कूड़ा-करकट की तरह उड़ जाएगा। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

(अलहिज़्र-10) **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**

उसका कथन- जब यह बात सिद्ध हो गई..... अन्त तक।

मेरा कथन- यह बात सिद्ध नहीं हुई कि नून ताकीद जो लाम ताकीद के

साथ मुज़ारिअ में दाखिल हुआ वह अनिवार्य तौर पर शुद्ध भविष्यकाल के लिए कर देता है तो फिर प्रत्येक के लिए होना क्योंकि क़ायम न रहेगा।

उसका कथन- आप ने उन अर्थों के वर्णन में जो मेरे नज़दीक निर्धारित हैं थोड़ी सी ग़लती की है.....अन्त तक।

मेरा कथन- ये अर्थ ग़लत हैं क्योंकि इस स्थिति में एक ऐसे शब्द को जिसमें व्यापक तथा अपार अर्थ भरे हुए हैं बिना किसी विशिष्ट वजूद के अकारण विशिष्ट करना पड़ता है। प्रथम तो अहले किताब का शब्द एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसमें हर युग के अहले किताब शामिल हैं जो अहले किताब इस बात को मानते थे कि

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (अन्सिा-158)

और जो चरितार्थ हैं

إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ (अन्सिा-158)

उन से लेकर आंज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय के अहले-किताब और जो क़ायामत तक मौजूद होंगे सब सम्मिलित हैं। एक सामान्य तो यह हुई और दूसरी व्यापकता यह है कि **أَهْلُ الْكِتَابِ** नह्वी की तरक़ीब में **أَحَدٌ** निर्धारित की विशेषता के तौर पर आया है फिर **أَحَدٌ** जो केवल नकिर: (जातिवाचक संज्ञा) है **خَيْرٌ نُّحَى** में आया है जो जो गूण चिंतन से लाभप्रद है। 'इर्शादुल फ़िहूल' में लिखा है जिसका सारांश यह है-

النكرة في النفي تعم سواء دخل حرف النفي على فعل نحو ما رأيت رجلاً أو على الاسم نحو لا رجل في الدار ولو لم يكن لنفي العموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفياً لجميع الألهة سوى الله سبحانه فتقرر ان المنفية بما أولن اولم اوليس اولامفيدة للعموم- والنكرة المنفية ادل على

العموم منها اذا كانت في سباق النفي- والصفى الهندي قدم النكرة على الكل

अर्थात् **كل** सीग: आम और कमी के मार्गों से इन्कार और अपवाद का मार्ग भी इसमें मौजूद है जो बलाग़त का एक विषय है। अतः ऐसे व्यापक शब्द को जिसमें ख़ुदा की असीम और अपार इच्छा अभिप्राय है अहले किताब के एक

छोटे दल के साथ विशिष्टकर्ता के अस्तित्व के बिना विशिष्ट करने का कोई कारण नहीं रखता। यदि यह व्यापकता, खुदा की इच्छा न होती तो पवित्र कुर्आन जो बलागत में चमत्कार की पराकाष्ठा को पहुंच गया है ऐसे विशेष अर्थ और अभिप्राय को ऐसे व्यापक शब्दों द्वारा वर्णन न करता और अबू मालिक के कथन का कारण जो आप बताते हैं वह इस का चरितार्थ है कि- **توجيه القول بما لا يرضى** (किसी के कथन की वह व्याख्या करना जो कहने वाले की इच्छा के विरुद्ध हो) क्योंकि अभी मालिक के कथन के शब्द ये हैं-

ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام
لا يبقى احد من اهل الكتاب الا آمن به

इस कथन में तो व्याख्या है **عند نزول** की अर्थात् नुज़ूल के समय के निकट के समस्त अहले किताब ईमान ले आएंगे। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक विचार करें।

उसका कथन- मेरे कलाम का निष्कर्ष यह है..... अन्त तक।

मेरा कथन- जब कि आप के नज़दीक आयत से यह सिद्ध नहीं होता कि मसीह के नुज़ूल के बाद तुरन्त समस्त अहले- किताब ईमान ले आएंगे तो फिर अबू मालिक का यह कथन आपने अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए क्यों नक़ल किया है **ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام** और ऐसे युग का आना जिसमें सारी पृथ्वी पर कोई काफ़िर न रहे। पवित्र कुर्आन की स्पष्ट आयतें जो पहले वर्णन की गई उसका खण्डन कर रही हैं।

उसका कथन- द्वितीय यह कि अन्त तक।

मेरा कथन- जबकि ईमान से अभिप्राय शरई ईमान नहीं बल्कि यक़ीन (विश्वास) अभिप्राय है तो फिर कहां गया वह दावा कि समस्त क़ौमों और जातियां ईसा बिन मरयम के समय में इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और जो बाधा का निवारण किया करते हैं तो ऐसे कारणों से कि उद्देश्य के विपरीत न हों वह क्या बाधा का निवारण हुआ कि जिससे अन्य ख़राबियां पैदा हो जाएं। बाधा के निवारण के लिए आप कहां से कहां चले जाते हैं। तनिक विचार करके बाधा का निवारण किया कीजिए।

उसका कथन- जिस युग के लिए यह निर्भरता की गई है....अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना साहिब, बहस तो इस बारे में है कि जो शब्द ऐसा सामान्य हो कि जिस का सामान्य होना कई कारणों से वर्णन किया गया हो जैसा कि उसका वर्णन गुज़र चुका, वह सामान्य अपने समस्त लोगों को शामिल होता है जब तक कि उसको कोई विशिष्ट करने वाला पैदा न हो। यहां पर केवल एक नून सक्रीला पैदा हुआ था यदि वह ख़फ़ीफ़ा (साधारण) न हो जाता तो शायद किसी कारण से कुछ विशिष्टता प्राप्त हो जाती, परन्तु उस नून सक्रीला का न्याय पूर्ण हाल ज्ञात हो चुका तो अब कोई भी विशिष्ट करने वाला मौजूद न रहा अतः इस स्थिति में विशिष्ट करने का क्या कारण है कि अभिप्राय तो हों एक अज्ञात युग के अहले किताब और उनको ऐसे सामान्य से सामान्य सींगे से वर्णन किया जाए 'हुसूल मामूल' में लिखा है-

ولا شك ان الاصل عدم التخصيص

अतः ऐसी विशिष्टता का क्या कारण है कि बोलने वाला विशिष्टता करते-करते भी थक जाए और फिर इसके साथ उस विशिष्ट की विशिष्टता का नाम पूरा घेर लिया जाए। पूर्ण तौर पर परिधि में लेने के अर्थ तो कुल लोगों के उसके अन्दर आ जाने से सार्थक सिद्ध होते हैं न कि विशिष्टता की विशिष्टता से। यह भी उसूल फ़िक़्र: की नवीन परिभाषा है जो आप ने पैदा की है

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ (सूरह साद 6:6) (निस्सन्देह यह एक अजीब बात है)

उसका कथन- बल्कि यह तो नून सक्रीला तथा शब्द بَعْدَ مَوْتِهِ को चाहता (मांग करता) है खुदा के कलाम में आया है..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना, अब तो सिरे से मांग करने वाला ही न रहा, फिर मांग करना कहां हो सकता है और फिर यह क्योंकर हो सकेगा कि इधर तो सामान्य के सामान्य शब्द वर्णन किए जाएं और उधर विशिष्ट का विशिष्ट अभिप्राय हो यह तो एक दूसरे के विपरीत हुआ जाता है **وتعالى كلام الله عن** بَعْدَ مَوْتِهِ ذلك غُلُوًّا كَبِيرًا स्पष्ट हो कि मौलवी साहिब की इबारत में शब्द

ग़लत लिखा गया है, पवित्र क़ुरआन में **قَبْلَ مَوْتِهِ** है और चूंकि शब्द **احد** पूर्ण श्रेणी का नकिर: (जातिवाचक संज्ञा) है इसलिए इसका इन्कार नह्व तथा बलागत के नियमों के अनुसार अक्षर **اِنْ** के साथ पूर्ण संलग्नता से होगा जो आप के उद्देश्य के विरुद्ध है।

उसका कथन- और ऐसा ही उनका यह फ़रमाना.....अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना साहिब, स्पष्ट है कि आयत

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ (अन्निसा-160)

मसीह के जीवित रहने के लिए प्रचलित नहीं है जिस से कि जीवित रहने के बारे में नस्स प्रमाण हो बल्कि जीवित रहने का तो उसमें नाम तक नहीं मौत का ही वर्णन है। आप का इस आयत से सिद्ध करना बतौर इशारतुन्नस्स इत्यादि के होगा। अतः समस्त अहले किताब का मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु से पहले ईमान लाना आप के सिद्ध करने का एक मुक़द्दमा हुआ और उस मुक़द्दमे के बारे में अब आप ऐसा कुछ कहते हैं कि इस स्थान पर मैं उनके ईमान का मुद्दई हूँ और न मुद्दई इस बात का कि ईमान से अभिप्राय यक़ीन (विश्वास) है। इस स्थान पर अभीष्ट केवल विरोध को दूर करना है जो आप ने आयत और हदीसों के बीच समझा है। मौलाना, मैं कहता हूँ ये तो सब आप के सबूत के मुक़द्दमों थे जबकि अपने सबूत के मुक़द्दमों को सिद्ध करने से पृथक हो गए तो फिर सबूत, सबूत कब क़ायम रह सकता है। क्योंकि सबूत मुक़द्दमों के सिद्ध करने पर निर्भर होता है जैसे **ثبت العرش ثم انقش** और यदि विरोध दूर करना चाहते थे तो ऐसे कारणों से दूर (निवारण) किया जाता जिसमें अन्य ख़राबियां पैदा न होतीं। यहां पर तो आपके विरोध का निवारण करने से और ख़राबियां पैदा हो गईं, यहां तक कि इन्हीं ख़राबियों के कारण आप स्वयं अपने सबूत के मुक़द्दमों को सिद्ध करने से पृथक हो गए, फिर सबूत क्योंकि सबूत शेष रहा कि

المقدمة ما يتوقف عليه صحت الدليل اعم من ان يكون جزءاً من الدليل ام لا

अब आप ही इन्साफ़ से कहिए कि आप जो इस स्थान पर विनीत और हकीम नूरुद्दीन साहिब को हक़म (निर्णायक) स्वीकार करते हैं तो अब विनीत और

हकीम नूरुद्दीन क्या फ़ैसला करेंगे सिवाए इसके कि जो आपने स्वयं कह दिया और अपने मुक़द्दमे (दावा) के सबूत देने से अलग हो गए। फिर तो सबूत भी सबूत न रहा।

उसका कथन- प्रथम यह कि आयत **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** में स्पष्ट वादा है.....अन्त तक।

मेरा कथन- मौलवी साहिब ने नसख (निरस्त करना) और विशिष्टता के विषय में गड़-बड़ कर दी इसलिए प्रथम यह विनीत सामान्य और विशेष की परिभाषा और जो विशिष्टता और निरस्त (तख्सीस और तर्दीद) में जो अन्तर है उसूल के ज्ञान के अनुसार लिखता है ताकि पाठकों की समझ में भली भांति आ जाए कि यहां पर मौलवी साहिब की वांछित विशिष्टता जारी नहीं हो सकती। 'इर्शादुल फुहूल' में लिखा है:

وفي الاصطلاح العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة
والخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد اعم من ان يكون فرداً او نوعاً او صنفاً وقيل مادلاً
على كثرة مخصوصة ومن الفروق بين النسخ والتخصيص ان التخصيص لا يكون الا لبعض
فراد والنسخ يكون لكلها۔

अतः निवेदन यह है कि कुर्आन की स्पष्ट आयतों से बतौर ख़बरों के यह सिद्ध होता है कि हर युग में क्रयामत (प्रलय) तक कुछ न कुछ काफ़िर भी मौजूद रहेंगे। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (यूसुफ़-104)

(अनुवाद :- और चाहे तू कितनी भी इच्छा करे अधिकतर लोग ईमान लाने वाले नहीं बनेंगे।) और यह भी फ़रमाया

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ لُونٌ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (सूरह हूद-119,120)

मोमिन क्रयामत तक विजयी रहेंगे और काफ़िर क्रयामत तक पराजित रहेंगे तथा हदीसों का विषय यह है कि क्रयामत आने के समय सब दुष्ट रह जाएंगे। इन दोनों अर्थों में किसी प्रकार की बाधा मालूम नहीं होती जो विशिष्टता या नस्ख के तौर पर इन दोनों अर्थों में अनुकूलता की जाए। क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह तआला सहसा एक पल में समस्त मोमिन अनुकरणकर्ताओं को अपनी तरफ़ उठा ले और शेष दुष्ट लोगों पर उस समय से क्रयामत स्थापित हो जाए। अतः इस दिरायत की सही रिवायत भी समर्थक है।

ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتتوفى كل من في ابله مثقال حبة من خردل من ايمان فيبفي من الاخير فيه
فيرجعون الى دين اباائهم رواه مسلم

अतः आयत से यह ज्ञात हुआ कि जब तक दुनिया में अनुसरण करने वाले मोमिनों का अस्तित्व रहेगा क्रयामत तक विजय के साथ रहेगा और काफ़िर पराजित रहेंगे और जब अनुसरण करने वाले मोमिनों को अल्लाह तआला अपनी तरफ़ उठा लेगा तब उस समय से बचे हुए अल्पदल काफ़िरों पर क्रयामत कायम होगी। अतः सिद्ध हो गया कि काफ़िरों का अस्तित्व (वुजूद) भी क्रयामत तक रहेगा, जिन पर क्रयामत कायम होगी और अनुसरण करने वाले मोमिनों का अस्तित्व भी जो क्रयामत के कायम होने के समय काफ़िरों पर विजयी रहेंगे तथा क्रयामत कायम होने के निकट या उसके कुछ पहले पवित्र वायु से मोमिन उठाए जाएंगे इसमें कोई विघ्न नहीं। द्वितीय यह निवेदन है कि- हमने माना कि आयत सामान्य कुछ की विशिष्ट है और सही हदीसों जैसे لا تقوم الساعة الى على شرار الخلق इत्यादि उसको विशिष्ट करने वाली हैं परन्तु चूंकि आयत युगों के समस्त लोगों के लिए संलग्न थी तथा क्रयामत के कायम होने के समय के लिए विशेष हदीस है। अतः ये विशेष हदीसों उस सामान्य आयत की विशिष्ट-कर्ता हो गईं किन्तु इस विशिष्टता से उद्देश्य को क्या लाभ पहुंचा। माना कि आयत कुछ की विशिष्ट है परन्तु इस विशिष्टता के बाद युगों के शेष लोगों को जिस में मसीह बिन मरयम का युग भी शामिल है सम्मिलित रहेगी। और उसका यह शामिल होना तथा सामान्य होना

मसीह बिन मरयम के युग के लिए सबूत रहेगा। उसूल की पुस्तकों में यह विषय स्पष्ट किया गया है। 'हुसूलुल मामूल' के लेखक स्वर्गीय नवाब साहिब बहादुर की इबारत यहां पर उद्धृत (नक़ल) की जाती है-

واما اذا كان التخصيص بمبين فقد اختلفوا في ذلك على اقوال ثمانية منها انه حجة في الباقي واليه ذهب الجمهور و اختاره الامدى وابن الحاجب وغيرهما من محققى المتأخرين وهو الحق الذى لا شك فيه لا شبهة لان اللفظ العام كان متناولاً للكل فيكون حجة على كل واحد من اقسام ذلك الكل ونحن نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الى كل الاقسام على السوية خراج البعض منها مخصص لا يقتضى اهمال دلالة اللفظ على ما بقى ولا يرفع التعبد به وقد ثبت عن سلف هذه الامة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاء ذلك و ذاع وقد قيل انه مامن عموم الاوقدخص وانه لا يوجد عام غير مخصص فلو قلنا انه غير حجة في ما بقى للزم ابطال كل عموم ونحن نعلم ان غالب هذه الشريعة المطهرة انما تثبت بعمومات.

(यदि तख़सीस (विशिष्टता) स्पष्ट हो तो इस सन्दर्भ में मतभेद किया गया है और इस बारे में आठ अलग-अलग कथन हैं। उनमें से एक यह है कि जिस भाग को विशिष्ट किया गया हो उसके अलावा शेष सब भागों के लिए वह फ़ैसला दलील होगा। और इस राय को अधिकतर उलेमा ने अपनाया है और अलआमदी और इब्नुलहाजिब और उन दोनों के अलावा बाद में आने वाले कुछ दूसरे गवेषियों ने भी इससे सहमति व्यक्त की है और यही सच है जिसमें कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि आम (व्यापक) शब्द जो उस प्रकार की तमाम् चीज़ों पर आच्छादित (फ़ैला हुआ) हो वह उन तमाम् पर तर्क ठहरेगा। और (इस्तिलाह) कुल (शब्द) के बारे में हम भली-भांति जानते हैं कि इससे तात्पर्य उस शब्द के समस्त भागों से एक समान बराबर सम्बन्ध है। फिर तख़सीस (विशिष्ट) करते हुए उस (इस्तिलाह) "कुल" में से कुछ को निकालने से उस शब्द के "कुल" के शेष

भागों पर तर्क ख़त्म नहीं हो जाता और न ही उससे बंदगी (के आदेश) को हटाया जा सकता है इस्लाम के प्रारम्भिककाल के धर्मावलम्बियों और उनके बाद के बुजुर्गों से ऐसी आम (व्यापक) बातों से तर्क का सुबूत मिलता है जिन्हें विशिष्ट ठहराया गया हो। और यह बात प्रचलित और मशहूर है यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि कोई आम (व्यापक) ऐसा नहीं होता जो ख़ास (विशिष्ट) न हो। और कोई आम (व्यापक) ऐसा नहीं जो ख़ास (विशिष्ट) न हो। यदि हम कहें कि ऐसा उमूम (व्यापकताएं) जिसके कुछ भागों को विशिष्ट ठहरा दिया गया हो तो वह शेष भागों के लिए तर्क नहीं है तो फिर तो सारे उमूम (व्यापकताओं) को ही झुठलाना पड़ेगा। और हम यह भी जानते हैं कि इस पवित्र शरीअत की महानतम् विषय उमूमियात (व्यापक बातों) से ही साबित होते हैं। -अनुवादक)

अतः इस विशिष्टता (तख़सीस) से वह दावा कहां सिद्ध होता है कि मसीह बिन मरयम के समय में सब क्रौमें और जातियां इस्लाम में दाख़िल हो जाएंगे।

उसका कथन- यह आयत भी सामान्य कुछ की विशिष्ट है.....

अन्त तक।

मेरा कथन- उसूले फ़िक़्र: के नियमों के अनुसार जो सामान्य और विशेष में जाहिरी तौर पर एक प्रकार का विरोधाभास हुआ करता है इसलिए अनुकूलता के लिए सामान्य को कुछ का सामान्य विशिष्ट कर लिया करते हैं। स्पष्ट हो कि विरोधाभास के लिए यह भी शर्त है कि हर दो सबूत सब कारणों सहित समान स्तर पर हों। यह विषय भी उसूल की पुस्तकों में स्पष्ट है। अतः अब निवेदन यह है कि आयत **لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** कुछ कारणों से बहुमुखी ठहर चुकी है तो इस स्थिति में विशिष्ट क्योंकर हो सकती है उस आयत से जो बहुमुखी नहीं है। अर्थात् उदाहरण के तौर पर यह आयत-

(अलमाइदह-15) **فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**

अनुवाद :- अतः हमने उनके बीच क्रयामत के दिन तक परस्पर शत्रुता और द्वेष डाल दिए हैं।

और यदि इन दोनों आयतों के मध्य विशिष्टता भी मान ली जाए तो चूंकि आयत

सामान्य थी और आप भी उसके सामान्य के लिए एक समय को मानते हैं और आयत **فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْخَاصِّ مَادَلِّ** का विशिष्ट (मख्सूस) खास (विशेष) है कि **الْخَاصِّ مَادَلِّ** इत्यादि का विशेष अर्थात् दूसरी आयत सामान्य अर्थात् इस स्थिति में विशेष अर्थात् प्रथम आयत की विशेष करने वाली होगी न कि विपरीत, कि विवाद के विपरीत हुआ जाता है। जैसा कि वर्णन गुज़र चुका।

उसका कथन- इसलिए इस आयत को स्वयं में ठोस सबूत नहीं कहा गया।

मेरा कथन- जब आप महोदय आयत-

تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا (अलमाइदह-111)

के बहुमुखी होने के कारण उसे स्वयं में ठोस सबूत नहीं कहते। तो फिर आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ** को क्यों ठोस सबूत कहते हो क्योंकि आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ** की अपेक्षा प्रायः बहुमुखी है। प्रथम तो **به** (बिहि) ज़मीर में रिवायत और दिरायत की दृष्टि से बहुत कुछ मतभेद है फिर यह आयत ठोस सबूत कैसे हो गई और वह न हुई क्योंकि यह तर्जिह बिना मुरज्जह है अर्थात् अकारण प्रधानता देना है। और आप सबूत के दो प्रकार सिद्ध करने की दृष्टि से करते हैं: एक- स्वयं में ठोस सबूत और दूसरा- अन्य के लिए ठोस सबूत। यह एक नवीन परिभाषा है जो दूसरे पर हुज्जत नहीं **كما مر غير مرة**

उसका कथन- मान्य है कि आयत **إِنِّي مُتَوَفِّيكَ**..... अन्त तक।

मेरा कथन- आप स्वयं कुस्तुलानी से नक़ल कर चुके हैं कि **التوفى اخذا** (अर्थात् किसी वस्तु को पूर्ण रूपेण लेना और मृत्यु भी इसी में से है) इस से ज्ञात हुआ कि मृत्यु में भी **اخذا الشيء وافياً** हुआ करता है और मौत इसी के प्रकार में से है।

उसका कथन- आप को बिल्कुल ईसा बिन मरयम के नुज़ूल से.....अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना, मुझे अफ़सोस होता है कि आप हमेशा वादा

किया करते थे कि मैं यदि मुबाहसा करूंगा तो सम्पूर्ण इजाला औहाम पुस्तक देखने के पश्चात्। परन्तु अफ़सोस यह है कि आप ने इजाला औहाम का आरंभ से लेकर अन्त तक अध्ययन न किया, सरसरी तौर पर दो-एक स्थान देख लिए और मुबाहस: क्रायम कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आपकी तरफ़ से बहुत सी बातों की बार-बार पुनरावृत्ति बे फ़ायदा रही। यदि आप इजाला औहाम का अध्ययन करें तो आप को ऐसे सैंकड़ों सुदृढ़ प्रयोगकर्ता (सवारिफ़) मिल जाएंगे कि इब्ने मरयम के वास्तविक अर्थ उन सवारिफ़ के कारण कदापि नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पर यह विनीत पहले लिख चुका कि स्वयं सहीहैन की हदीस उस मसीह बिन मरयम की विशेषता **وَأَمَامَكُمْ مِنْكُمْ** आई है और सही मुस्लिम में सही अस्नाद (सनदों) के साथ **فَامَكُمْ مِنْكُمْ** भी है जो समस्त संभावनाओं को दूर करती है। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है।

उसका कथन- इस हदीस को ठोस सबूत नहीं कहा गया, केवल समर्थन के लिए लाई गई है।

मेरा कथन- जब इस हदीस की विरोधी हदीसों मुत्तफ़िक्क अलैहि मौजूद हैं तो फिर यह हदीस मुत्तफ़िक्क अलैहि हदीसों की तुलना में छोड़ दी जाएगी। फिर समर्थन के क्या अर्थ विशेष तौर पर उस स्थिति में कि मुत्तफ़िक्क अलैहि हदीसों के स्वयं में विरोधी न होने पर भी वह हुज्जत (सबूत) नहीं हो सकती है जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है।

उसका कथन- आप वह सही मफ़ूअ मुत्तसिल हदीस..... अन्त तक।

मेरा कथन- आप 'इजाला औहाम' देखें तथा उसमें जो इफ़ादातुल बुख़ारी (बुख़ारी की उपादेयताएं) लिखी हैं उनका अध्ययन कीजिए ताकि कुर्आन की शिक्षा की विरोधी भी सिद्ध हो जाए।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ.

समाप्त

मौलवी मुहम्मद बशीर साहिब के तीसरे पर्चे पर सरसरी नज़र

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين
وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير -

तत्पश्चात् न्यायवान दर्शक गणों पर स्पष्ट हो कि मौलवी साहिब के तृतीय पर्चे के उत्तर में हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब की तरफ़ से ऐसे संतोषजनक एवं पर्याप्त दिए गए हैं कि अब उत्तर देने की आवश्यकता शेष नहीं रही। क्योंकि मौलाना साहिब ने इस तीसरे पर्चे में भी उन्हीं बहसों की पुनरावृत्ति की है जिनका उत्तर हज़रत अक़दस की तरफ़ से दो बार दिया जा चुका। परन्तु चूंकि मौलवी साहिब की तरफ़ से दो बार या तीन बार विनीत से मुबाहसे का निवेदन इस इक्रार के साथ किया गया कि यदि मुझे इस विवादित विषय का सच्चा होना अब भी सिद्ध हो जाएगा तो मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगा। इसलिए इधर से भी सच और सही को प्रकट करने के लिए संतोषजनक तथा पर्याप्त उत्तर इस आशा पर कि लेख दो बार कह कर पुनः तीन बार दिए जाते हैं शायद कि मौलाना साहिब अपने इक्रार के अनुसार सच को स्वयं स्वीकार कर लें। प्रथम मैं उन समस्त हदीसों का फैसला ठोस, संक्षिप्त कुछ पंक्तियों में करना चाहता हूँ जो इस समय कुछ प्रश्न कर्ताओं ने प्रस्तुत की हैं। तत्पश्चात् इस तृतीय पर्चे का उत्तर उसका कथन, मेरा कथन के तौर पर लिखा जाएगा।

फ़ैसला- कुछ सर्वसम्मत हदीसों ईसा इब्ने मरयम के नुज़ूल के बारे में 'मिन्कुम' (منكم) की क़ैद के साथ आई हैं। अतः **وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ** और सही मुस्लिम में **امكم بكتاب الله وسنت رسوله** अर्थात् **فامكم منكم** अब जितनी हदीसों इस क़ैद से आज़ाद आई हैं चाहे हज़ारों ही हों वे समस्त हदीसों उस क़ैद पर चरितार्थ की जाएंगी सर्वमान्य नियम उसूल की विद्या का है कि आज़ाद क़ैदी

पर चरितार्थ हुआ करता है। 'इर्शादुलु फ़ुहूल' में लिखा है जिसका साररूप हज़रत नवाब साहिब बहादुर (स्वर्गीय) ने इन शब्दों में निकाला है-

الثانى ان يتفق فى السبب والحكم فيحمل احدهما على الآخر اتفاقا وبه قال ابو حنيفه ورجح
ابن الحاجب وغيره ان هذا الحمل هو بيان للمطلق اى دال على ان المراد بالمطلق هو المقيد
وقيل انه يكون نسخا والاول اولى وظاهر اطلاقهم عدم الفوق بين ان يكون المطلق متقدما
ومتأخرا او جهل السابق فانه يتعين الحمل

और यदि कोई कहे कि मसीह इब्ने मरयम पर आज्ञाद परिभाषा कब चरितार्थ होती है कि उसमें क्रैद जारी हो तो इसका उत्तर यह है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने 'इज़ाला औहाम' में तथा इसके अलावा तीसरे पर्चे में इस बात को भली भांति सिद्ध कर दिया है कि हदीसों में जो मसीह इब्ने मरयम लिखा है उस से अभिप्राय मसीह का मसील (समरूप) है न कि बिलकुल वही ईसा बिन मरयम। अतः अन्तिम तीसरे पर्चे में लिखते हैं कि

اطلاق اسم الشئ على ما يشابهه فى اكثر خواصه وصفاته جاز حسن

(तप्सीर कबीर पृष्ठ 689)

और स्पष्ट है कि शब्द मसीले मसीह के आज्ञाद होने में कुछ सन्देह नहीं जिसकी क्रैद **مِنكُمْ** के साथ सर्वसम्मत हदीसों से सिद्ध हो चुकी तथा जितनी हदीसों उस क्रैद से आज्ञाद आई हैं वे सब इस क्रैदी पर चरितार्थ हो गईं। फैसला हो गया। अब एक स्वप्न जो मौलाना साहिब ने देखा है और वह दर्शकों को अवगत करने के लिए एक खुशखबरी है लिखा जाता है ताकि मौलाना साहिब इस मुबाहस: में उस स्वप्न की ताबीर को भी दृष्टिगत रखें।

मौलाना मुहम्मद बशीर साहिब का स्वप्न

दिनांक 16 रबीउस्सानी-मौलवी अब्दुल करीम साहिब निवासी पातरा ने विनीत से वर्णन किया कि मौलाना मुहम्मद बशीर साहिब ने मुझसे निम्नलिखित स्वप्न को वर्णन किया कि मैं मकान के अन्दर खाना खा रहा हूँ और शरीर पर कुछ अधिक लिबास नहीं है, इसी बीच मालूम हुआ कि स्वर्गीय डिप्टी इम्दाद

अली साहिब आए हैं। मैंने चाहा कि उनका स्वागत मकान के बाहर से ही करूं। स्वागत करने के लिए बाहर आया तो देखा कि डिप्टी साहिब महोदय दरवाजे से अन्दर आ गए हैं। मैंने गले मिलना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम से क्या गले मिलूं तुम्हारी हालत और शक्ल तो जिन्नों की सी हो रही है। मैंने चाहा कि इसका कुछ उत्तर दूं परन्तु उनका सम्मान करते हुए कुछ उत्तर नहीं दिया और केवल इतना कहा कि हमसे गलती हुई क्षमा कीजिए। फिर डिप्टी साहिब से गले मिलना हुआ। यह विनीत इस स्वप्न की ताबीर (अर्थ) कुछ नहीं बताता। मौलवी साहिब इस स्वप्न के विषय पर स्वयं विचार कर लें और बस। बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है।

उसका कथन- प्रथम यह कि आप मसीह का दावा करने से पहले बराहीन अहमदिया में मसीह के जीवित रहने का इक्रार कर चुके हैं अन्त तक।

मेरा कथन- मसीह होने का दावा बतौर रूहानी बराहीन अहमदिया में भी मौजूद है और इजाला औहाम इत्यादि में भी वही दावा है कोई नया दावा नहीं। आगे रहा मसीह के जीवित रहने का इक्रार तो वह बतौर अभीष्ट के 'बराहीन' में नहीं लिखा गया। हां यद्यपि मसीह का दोबारा दुनिया में आना लिखा है जिस से मसीह का जीवित रहना बतौर अर्थ के अनिवार्य आता है और यह विषय निर्धारित उसूल के इल्म का है। कथन की अनिवार्यता का मज़हब होना आवश्यक नहीं। इस से आप को क्या लाभ हुआ? क्योंकि माना हज़रत मिर्ज़ा साहिब को मसीह के जीवित रहने का इक्रार था, परन्तु खोजबीन के अभाव के कारण मसीह के जीवित रहने के तर्क पर हज़रत मिर्ज़ा साहिब मसीह के जीवित रहने की आस्था से पृथक हो गए और जीवित रहने का दावा सिद्ध न हुआ तो मसीह की मृत्यु स्वयं सिद्ध हो गई क्योंकि मसीह के जीवित रहने और मृत्यु में कोई संबंध नहीं है परन्तु इस स्थिति में सबूत देना हज़रत के ज़िम्मे कहां रहा?

उसका कथन- विनीत एक प्रश्न करता है..... अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना साहिब ने यहां पर बहुत से खण्ड तर्कशास्त्रियों

के तौर पर जारी किए हैं परन्तु मेरी नाक्रिस समझ में व्यर्थ विस्तार किया है। इसलिए इसका उत्तर संक्षेप में लिखा है। प्रथम हम इस खण्ड को लेते हैं कि मसीह के जीवित रहने की धारणा उस इल्हाम के बाद पैदा हुई है तथा स्वीकार किया कि इल्हाम से पूर्व इस धारणा से कुछ संबंध न था। परन्तु इस नई बात से हज़रत मिर्ज़ा साहिब ऐसे मुद्दई नहीं हो सके कि जिसके ज़िम्मे सबूत का भार हो। इसका वर्णन वही है कि हज़रत ने मसीह के जीवित रहने पर कोई तर्क एवं सबूत नहीं पाया, तो उस दावे या इक्रार से पृथक हुए और जबकि उनके जीवित रहने के इक्रार से अलग हुए तो मृत्यु के सिवाए और कुछ नहीं है, क्योंकि विपरीत अर्थ वाली बातों का एक साथ जमा होना असंभव है। अतः इस वर्णन से किसी प्रकार से सबूत का देना हज़रत अक्रदस के ज़िम्मे नहीं हुआ और मृत्यु स्वयं ही सिद्ध हो गई। अब हम उस खण्ड को भी लेते हैं कि इल्हाम से पहले भी यह मृत्यु की धारणा थी परन्तु उसका विश्वास नहीं था और इल्हाम के बाद मृत्यु का विश्वास हो गया और यह भी स्वीकार कर लिया कि उस समय इल्हाम ने विश्वास का लाभ दिया जिसका समर्थन पवित्र-कुर्आन के स्पष्ट आदेशों ने भी किया। इस कारण से कि अधिकतर लोगों को हज़रत अक्रदस का मुल्हम[☆] होना ठोस सबूत को नहीं पहुंचा और उनके लिए इल्हाम हुज्जत भी नहीं था। इसलिए हज़रत अक्रदस ने अल्लाह की सुन्नत तथा पवित्र कुर्आन की आयतों से उस विश्वास को सिद्ध कर दिखाया ताकि इल्हाम के विरोधियों एवं इन्कार करने वालों पर भी समझाने की कोई गुंजायश न रह जाए। अब विरोधियों पर अनिवार्य है कि या तो उन स्पष्ट आदेशों और आयतों का संतोषजनक उत्तर दें अन्यथा मसीह की मृत्यु को स्वीकार करें। फिर मसीह की मृत्यु स्वीकार करने के पश्चात् मसीह मौऊद होने की बहस हो सकती है।

उसका कथन- तीसरे इस स्थान पर कुर्आन के स्पष्ट आदेश ठोस तौर पर.....अन्त तक।

मेरा कथन- यहां पर भी तर्कशास्त्रियों के तौर पर दो खण्ड जारी किए

☆ मुल्हम- जिस व्यक्ति को खुदा की ओर से इल्हाम होता है। (अनुवादक)

गए हैं परन्तु उनका निष्कर्ष कुछ भी मालूम नहीं होता। हम उस खण्ड को लेते हैं कि क़ुर्आन के स्पष्ट आदेश ठोस तौर पर मसीह की मृत्यु को सिद्ध करते हैं जो ख़राबी इस खण्ड पर वर्णन की गई है उसके बारे में हम भी मौलवी साहिब से यहां पर केवल एक प्रश्न करते हैं ताकि बात लम्बी न हो सके। इस प्रश्न का जो उत्तर मौलवी साहिब दें वही उत्तर हज़रत मिर्ज़ा साहिब की तरफ़ से समझें। प्रश्न यह है कि क़ुरआनियत की मुअव्वज़तैन की दोनों सूरतें आप के नज़दीक ठोस तौर पर सिद्ध हैं या नहीं दूसरे आप इस का विज्ञापन दें कि मेरे नज़दीक अर्थात् मौलवी साहिब के नज़दीक मुअव्वज़तैन क़ुर्आन बिल्कुल नहीं हैं और खंड प्रथम की स्थिति में अनिवार्य होता है कि आप के नज़दीक वे सहाबा जिन्होंने इन हर दो सूरतों के क़ुर्आन होने का इन्कार किया था नऊज़ुबिल्लाह काफ़िर हों। क्योंकि निरन्तर क़ुर्आन का इन्कारी जो ठोस और निश्चित है काफ़िर होता है। इसका जो उत्तर आप का होगा वही उत्तर हमारा है।

उसका कथन-चौथे आपने जो परिभाषा मुद्दई की वर्णन की है.....

अन्त तक।

मेरा कथन- मुद्दई की परिभाषा हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने अपनी राय से वर्णन नहीं की बल्कि फ़ुक्रहा, मुहद्दिस तथा देखने वाले मुद्दई की जो परिभाषा अपनी-अपनी परिभाषिक शब्दावली के अनुसार करते हैं उसकी व्याख्या तथा स्पष्टीकरण बतौर रहस्य और गुर के वर्णन की है और पवित्र क़ुर्आन से भी ली गई है अरबी-

و كيف لا وكل العلم في القرآن لا كن تقاصر عنه افهام الرجال

इस स्थान पर मौलाना साहिब ने 'किताबुल अक्ज़िया वशशरहादात' हदीस की किताबों को और 'किताबुद्दावा' फ़िकः की किताबों तथा समस्त विवादित आयतों और पवित्र क़ुर्आन की कर्ज़ देने की आयत को ध्यानपूर्वक नहीं देखा जो ऐसा कुछ कहते हैं कि यह न सही कोई कथन किसी सहाबी ताबिई या किसी विवेचनकर्ता, किसी मुहद्दिस या फ़क़ीह का उसके सबूत के लिए प्रस्तुत कीजिए।

इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। यदि मौलवी साहिब का यह कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में यह उर्दू की इबारत जो हज़रत अक़दस ने मुद्दई की परिभाषा में वर्णन की न पवित्र कुर्आन में है और न किसी हदीस में और न किसी अरबी फ़िक्कः की पुस्तक में लिखी है क्योंकि वे अरबी भाषा में हैं और बिलकुल वही शब्द तो शायद किसी फ़िक्कः की उर्दू किताब में भी नहीं निकलेंगे। परन्तु इस आधार पर तो जनाब मौलवी साहिब का सारी नसीहत और उपदेश जो उर्दू में हुआ करता है वह भी कहीं नहीं लिखा। इस स्थिति में वह सब नसीहत और उपदेश केवल आप की राय हुई जाती है। जो आप का उत्तर होगा वही उत्तर हमारा है। और यदि यह तात्पर्य नहीं केवल मतलब से मतलब है तो लीजिए इस संक्षिप्त लेख में अधिक विस्तार क्या किया जाए। केवल हुज्जतुल्लाह मौलाना शाहवलीउल्लाह साहिब के हवाले से एक हदीस की व्याख्या लिखे देता हूँ –

قال سلعم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال و اموالهم
ولكن البينة للمدعى واليمين على المدعى عليه فالمدعى هو الذى
يدعى خلاف الظاهر ويثبت الزيادة والمدعى عليه هو مستصحب
الاصل والتمسك بالظاهر ولا عدل من ان يعتبر فيمن يدعى بينة
فيمن يتمسك بالظاهر يدرأ عن نفسه اليمين اذا لم تقم حجة الأخر
قد اشار التّبي صلعم الى سبب مشروعية هذا الاصل حيث قال لو يعطى
الناس - الخ

يعنى كان سبباً للتظالم فلا بدمن حجة-

(रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:- यदि लोगों को उनके दावा करने से ही सब कुछ दे दिया जाए तो निःसन्देह लोग आपस में जान-माल का दावा और उसका मुतालबा करने लगेंगे। लेकिन वादी (मुद्दई) के ज़िम्मे दलील पेश करना है और मुद्दा अलैहि (प्रतिवादी) के ज़िम्मे क्रसम उठाना है। मुद्दई वह होता है जो स्पष्ट के विपरीत होने का दावा करता है और एक नई बात साबित कर रहा होता है। और मुद्दा अलैहि बुनियाद का पाबन्द होता है

और खुली-खुली चीज़ों से दलील पकड़ता है। इसलिए ऐसी दशा में इस बात के अतिरिक्त कोई न्याय की सूरत नहीं कि मुद्दई (वादी) से खुली-खुली दलील का मुतालबा किया जाए और मुद्दई (वादी) के पास खुली-खुली दलील न होने की सूरत में मुद्दा अलैहि (प्रतिवादी) से जो खुली-खुली चीज़ों से प्रमाणसिद्ध करता है और अपने आप को बचाता है उससे क्रसम ली जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इस नियम के निर्धारण का कारण इस हदीस में बयान फ़रमाया है कि :-

(لو يعطى الناس بدعواهم) (लौ यूतन्नासु बि दावाहुम)

यदि लोगों को केवल उनके दावा से ही सब कुछ दे दिया जाए तो यह अन्याय और अत्याचार का कारण और उसकी कुंजी है (क्योंकि लोग फिर अन्याय और अत्याचार पर आधारित दावे करेंगे) इसलिए ऐसी दशा में तर्क (दलील) का होना आवश्यक है। (समाप्तम्)

हे दर्शकगण ! अब देखिए कि मुद्दई होने की जो परिभाषा और फ़िलास्फ़ी हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब हकीमुलउम्मत ने अरबी इबारात में वर्णन की उस का अर्थ वही है जो हज़रत अक़दस ने उर्दू में वर्णन किया या कुछ और है। ध्यान से देखो प्रतिफल पाओ।

उसका कथन- पांचवें यह मुद्दई की परिभाषा..... अन्त तक।

मेरा कथन- हम पहले सिद्ध कर चुके कि रशीदिया में कैद **من حيث انه** उसी वर्णन का संक्षेप है जिस की हज़रत अक़दस ने व्याख्या की है। अतः स्मरण करो। और इमामुलमिल्लत-वद्दीन का अभिप्राय भी वही है जो रशीदिया से सिद्ध हो चुका। इसलिए मुद्दई की जो परिभाषा हज़रत अक़दस ने लिखी है उस परिभाषा के बिल्कुल अनुकूल है जो मुनाज़रः के इल्म में लिखी है। इसके अतिरिक्त यह कि इस मुबाहसः में आप मुद्दई हो चुके हैं। इसके होते हुए हज़रत अक़दस इस जीवन-मरण में मुद्दई क्योंकर हो सकते हैं।

उसका कथन- आप ने तौज़ीह मराम और इज़ाला औहाम में इस बात का इक्रार किया है..... अन्त तक।

मेरा कथन- यदि हज़रत अक़्दस ने अबूदर्दाअ के कहने के अनुसार **لا يفقه الرجل حتى يجعل القرآن وجوهًا** की ज़मीर हज़रत ईसा की तरफ़ लौटाई है तो इस स्थिति में आयत की तफ़्सीर वह होगी जो इज़ाला औहाम में लिखी है उसे देखिए फिर आपका मुद्दा हर प्रकार से कैसे सिद्ध होगा। यह क्या ज़रूरी है कि **موتہ** की ज़मीर के हज़रत ईसा की तरफ़ लौटने के वही अर्थ हों जो आप के नज़दीक हैं। असल बात यह है कि इस स्थिति में जो क़ाबिले ऐतराज़ अर्थ आप करते हैं वह भी एक कमज़ोर संभावना के तौर पर हो सकते हैं तो इस अवस्था में आप के अर्थ ठोस कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जब संभावना वाली बात आ गई तो दलील अमान्य हो जाती है **اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال** (यह कहावत मशहूर और मान्य है) शेष आप की हर बात का उत्तर हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने काफ़ी और संतोषजनक दिया है कि उसकी ख़ूबी और विशेषता न्यायवान दर्शकों के न्याय पर निर्भर है परन्तु इस का क्या उपचार है कि आप न उसे स्वीकार करें और न संतोषजनक उत्तर दें।

उसका कथन- स्वयं आयत **وان من اهل الكتاب...**

मेरा कथन- कदापि, कदापि स्पष्ट नहीं है बल्कि बहुअर्थी है जैसा कि वर्णन किया जा चुका है।

उसका कथन- रही यह बात कि कुछ मुफ़स्सिरो (व्याख्याकारों) नेअन्त तक।

मेरा कथन- यह झूठ को सच के साथ मिलाया गया है क्योंकि जब **قبل موتہ** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ लौटेगी तो मुज़ारिअ के अर्थों के अतिरिक्त जिसमें दोनों काल वर्तमान तथा भविष्य सम्मिलित हैं और क्या अर्थ होंगे। तथा समस्त तफ़्सीरों में **قبل موتہ** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ लौटाई है, यहां तक कि 'जलालैन' जो उसमें भी पहले पहल यही लिखा है कि **قبل موتہ** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ लौटती है फिर अन्त तफ़्सीरों का तो कहना ही क्या है फिर कोई बुद्धिमान ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है कि यहां पर वर्तमान और **استمرار** के मायने यहां पर केवल ग़लत हैं और यदि हज़रत

मिर्ज़ा साहिब ने इस अनुमान पर भी भविष्यकाल के अर्थ अभिप्राय होना संभव बताया है तो इस से यह कब अनिवार्य होता है कि वर्तमान और استمرار अभिप्राय होना ग़लत है। एक कारण की सही संभावना से दूसरे कारणों का ग़लत होना क्योंकि अनिवार्य हो गया।

उसका कथन- बल्कि यह बाहर निकलना आप के कथनानुसार आप पर अनिवार्य हो गया.....अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना आप ने उस शर्त का अवश्य ध्यान नहीं रखा और हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने उस शर्त को पूरा कर दिया। क्योंकि नून सक्रीला को जो इस्तेमाल सही था उसे भी पवित्र कुर्आन से ही सिद्ध कर दिया और आप ने कुर्आन के मुक़ाबले में ग़ैर कुर्आन तथा सुन्नत रसूल की तरफ़ रूजू (लौटना) किया और कथनों तथा लोगों की समझ से जो स्वयं आप के इकरार के अनुसार हुज्जत नहीं सिद्ध किया और इज़ाला औहाम के पृष्ठ-66 से आप ने हज़रत मिर्ज़ा साहिब पर जो ऐतराज़ किया है वह कुछ कारणों से ठीक नहीं। उनमें से प्रथम यह कि 'इज़ाला औहाम' के वर्णन के समय आप कब सम्बोधित थे, तथा आप और मिर्ज़ा साहिब के बीच इज़ाला औहाम लिखते समय यह शर्त कब हुई थी कि अल्लाह और रसूल के कथन से बाहर नहीं जाएंगे। यह शर्त तो आप से इस मुबाहस: में हुई है और इज़ाला औहाम उत्तर है भिन्न-भिन्न स्वभाव रखने वाले विरोधियों का। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी समझ के अनुसार इल्ज़ाम तथा उत्तर दिया गया है। फिर इस मुबाहसे में यह खण्डन और ऐतराज़ किया जाता है। दूसरा कारण यह कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने इज़ाला औहाम के पृष्ठ-602 में किसी नह्वी (अरबी व्याकरण का शास्त्री) के कथन से प्रमाणित किया है, वहां पर भी पवित्र कुर्आन के मुहावरे से यह बात सिद्ध की है कि **قَالَ** भूतकाल का सीगा है और उसके आरंभ में **أَلَمْ** मौजूद है जो पवित्र कुर्आन के समस्त मुहावरों में भूतकाल के लिए आता है। अतः इज़ाला औहाम के पृष्ठ-602 पर लिखी इबारत से ख़ुदा के अलावा से कब सिद्ध किया है। विचार करो, प्रतिफल पाओगे। मौलाना यही तो हज़रत मिर्ज़ा साहिब की विशेषता है जो दूसरे में नहीं पाई जाती कि प्रत्येक

अर्थ को पवित्र क़ुर्आन से ही निकालते हैं अल्लाह सच कहता है

(अलअन्आम-60) لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

अनुवाद - और कोई आर्द्र अथवा शुष्क वस्तु ऐसी नहीं (जिसका वर्णन) सुस्पष्ट पुस्तक में न हो।

उसका कथन- आप ऐसी बातें करते हैं अन्त तक।

मेरा कथन- यह तो आप का ही धोखा है न कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब का अन्यथा आप पर अनिवार्य है कि जिन आयतों में आपने भविष्यकाल के अर्थ किए हैं उस भविष्यकाल की व्याख्या या तो पवित्र क़ुर्आन से, या सही हदीस से या सहाबी के कथन से सिद्ध करें और इस आयत को आप भी तो सामने रखें कि

أَتَا مُرُوءَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

(अलबक्ररह-45)

अनुवाद - क्या तुम लोगों को नेकी का आदेश देते हो और स्वयं अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक भी पढ़ते हो।

उसका कथन- आप की यह बात भी सरासर धोखा देने पर आधारित है.....अन्त तक।

मेरा कथन- आप ने बिना सोचे-समझे उस धोखे को जिसके संबद्ध व्यक्ति आप ही हैं, हज़रत मिर्ज़ा साहिब से संबंध ही क्या है। उसका वर्णन यह है कि जो उलेमा आरिफ़बिल्लाह (अध्यात्म ज्ञानी) तथा ख़ुदा से समर्थित होते हैं वे रूहुलकुद्दुस की सहायता से समस्त विद्याओं एवं ज्ञानों को पवित्र क़ुर्आन से निकाल सकते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है -

(अलअन्आम-60) لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

(अनुवाद - और कोई आर्द्र अथवा शुष्क वस्तु ऐसी नहीं (जिसका वर्णन) के सुस्पष्ट पुस्तक में न हो।) और यह भी -

(अलअन्कबूत-70) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

अनुवाद - और वे लोग जो हमारे बारे में प्रयत्न करते हैं हम अवश्य उनका अपनी राहों की ओर मार्गदर्शन करेंगे।

और यह भी وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (अलकहफ़-66)

अनुवाद - और हमने उसे अपनी ओर से ज्ञान प्रदान किया था।

और उलेमा-ए-ज़ाहिर को यह बात प्राप्त नहीं हो सकती। यद्यपि उनको पारंपरिक विद्याओं तथा पढ़ाई जाने वाली कलाओं की बहुत आवश्यकता होती है यह मामला यथास्थान सिद्ध किया गया है तथा पर्याप्त एवं संतोषजनक तौर पर आयत के अर्थों का खुल जाना और उस पर महान मातृभाषी मोमिनों की गवाही का प्राप्त हो जाना सिद्ध हो गया। अब उसका कोई बुद्धिमान इन्कार नहीं कर सकता तथा आपने सर्वमान्य नह्वी नियम वर्णन नहीं किया जिसका इधर से इन्कार किया गया हो और नून सक्रीला का हाल तो आपको मालूम हो चुका और अब यह भी सुना जाता है कि पहले जितनी धूमधाम से नून सक्रीला की बहस विद्यार्थियों के सामने वर्णन करते थे, अब उस नून सक्रीला का नाम तक नहीं लिया जाता। कहावत प्रसिद्ध है *جولة غير الحق ساعة وجولة الحق الى الساعة* और हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने किसी विद्या में आप से इल्ज़ाम नहीं खाया। समस्त पारंपरिक विद्याओं एवं पठनीय कलाओं की दृष्टि से आप पर ही इल्ज़ाम लग गया है जैसा कि वर्णन किया जा चुका है। ऐसी बातें करने से जो आप का यह उद्देश्य है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब की इन पठनीय विद्याओं से अनभिज्ञता लोगों पर सिद्ध करें। इस उद्देश्य में कदापि सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पंजाब के प्रदेश में सब लोगों को मालूम है कि प्रारंभिक आयु में समस्त स्तर तथा पठनीय विद्याओं की समस्त श्रेणियां भी आप तय कर चुके हैं तथा वास्तव में यह सच है कि उलेमा-ए-ज़ाहिर को इन विद्याओं से चारा नहीं। फिर इसके अतिरिक्त आप ने जो उलेमा-ए-ज़ाहिर में से हैं इन विद्याओं को क्यों छोड़ रखा है। अतः यदि आपको हज़रत मिर्ज़ा साहिब से मुबाहसः करना है तो पहले इन दो कार्यों में से एक कार्य कीजिए और यदि आप एक भी स्वीकार न करेंगे तो यह बात उस बात पर चरितार्थ होगी जिसको आप हज़रत मिर्ज़ा साहिब की तरफ़ सम्बद्ध करते हैं या तो इन पठनीय विद्याओं की सर्वमान्य बातों को स्वीकार करने का इक्रार कीजिए या क्रियात्मक तौर पर मुबाहसः स्थगित करके एक-एक पुस्तक ऐसे नियमों की जारी तथा प्रकाशित

कीजिए जैसे नून सक्रीला का नियम आपने आविष्कृत किया है। परन्तु इसके साथ यह भी हो कि उन नवीन नियमों को बना कर समस्त इस्लाम के उलेमा स्वीकार भी कर लें और यदि इस्लाम के समस्त विद्वानों ने स्वीकार न किया तो फिर ऐसे आविष्कारों से क्या लाभ हुआ। अतः उस उपाय के अनुसार जिसका आप ने नून सक्रीला के बारे में आविष्कार किया है कोई बुद्धिमान किसी बुद्धिमान को इल्ज़ाम नहीं दे सकता। जब आप किसी विद्या में संशोधन कर सकता है।

उसका कथन- इसका उत्तर सामान्य तफ़्सीरों मेंअन्त तक।

मेरा कथन- यह कौन कहता है कि सामान्य तफ़्सीरों में इसका उत्तर बतौर हल्की तावीलों (प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर व्याख्याएं) तथा कमज़ोर स्पष्टताओं के नहीं लिया। मतलब तो यह है कि नह्व के नियम जो नह्व की पाठ्य पुस्तकों में लिखे हैं। निरन्तर क़िरअत **إِنَّ هَذَا** उसके विरुद्ध है जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्याओं के नियम पवित्र कुर्आन के अधीन और सेवक हैं और पवित्र कुर्आन सबका अनुकरणीय तथा सेव्य। अतः समस्त विद्याओं को पवित्र कुर्आन के अधीन करना आवश्यक है न कि इसके विपरीत। इसलिए पवित्र कुर्आन के मुक़ाबले और विरोध में कोई नियम हो वह अविश्वसनीय रहेगा। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है।

उसका कथन- यह बहुत ही लज्जाजनक ग़लती है।

मेरा कथन- यह स्पष्ट ग़लती है क्योंकि **إِنَّ هَذَا** क़िरअत-ए-निरन्तरता कब है जो यों लिखा जाता कि **إِنَّ هَذَا** की बजाए **إِنَّ هَذَا** लिखा हो। और शब्द फ़ाश को मौलवी साहिब ने फ़ारसियों के मुहावरे के विरुद्ध फ़ाहिश लिखा है। यह फ़ाश ग़लती फ़ारसियों के मुहावरे तथा उर्दू मुहावरे की है।

उसका कथन- यह बात विवादित नियमों के बारे में अन्त तक।

मेरा कथन- जो मुज़ारिअ मुअक्कद लाम ताकीद और नून ताकीद के साथ विशिष्ट हो उसका इस्तेमाल शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए अनिवार्य होना नह्व के किसी एक विद्वान ने भी नहीं लिखा, कहां यह कि उस पर सर्वसहमति भी हो

गई हो। **ومن ادعى الان فعليه البيان** और मीज़ानुस्सर्फ़ इत्यादि के हाशिए में लिखा होने से नह्व के विद्वानों की सर्वसहमति (इज्माअ) सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए आप को आवश्यक है कि इस बात का विज्ञापन दें कि शुद्ध रूप से भविष्यकाल का अभिप्राय होना और वह भी अनिवार्य रूप से मुज़ारिअ का प्रत्येक सीग़: लाम ताकीद के साथ मुअक्कद तथा नून ताकीद में जो हमने लिखा था और उसे नह्व के विद्वानों के इज्माअ (सर्व सहमति) के साथ सम्बद्ध किया था वह वास्तविकता के विरुद्ध तथा ग़लत था हमने उस से रूजू किया ताकि आपका कोई श्रद्धालु नास्तिकता का दरवाज़ा न खोलने पाए।

उसका कथन- (अनूर-17) **سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ**

अनुवाद - पवित्र है तू (हे अल्लाह!) यह तो एक बहुत बड़ा मिथ्यारोप है।

मेरा कथन- विश्वसनीय तप़सीरें

تشهد بها والله الكريم وانه لقسم لو تعلمون عظيم

अनुवाद - और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। काश, तुम जानते। (अलवाकिअ: 77)

उसका कथन- आप उन अकाबिर (बुज़ुर्ग लोग) का मतलब.....

अन्त तक।

मेरा कथन- आप ही उन अकाबिर मुफ़स्सिरों का मतलब बिलकुल नहीं समझे। अतः समझिए।

उसका कथन- तौज़ीह मराम से मालूम होता है.....अन्त तक।

मेरा कथन- हे दर्शकगण ! थोड़ा इन्साफ़ करो और खुदा तआला के लिए उससे डर कर तौज़ीह-ए-मराम को भी देखो तथा इज़ाला औहाम को भी देखो कि मिर्ज़ा साहिब ने किस स्थान पर आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** को मसीह की मृत्यु पर ठोस विश्वसनीय अथवा स्पष्ट सबूत लिखा है जो मौलवी साहिब बतौर विवाद कहते हैं कि आप का यह लेख थोड़े परिवर्तन से आप पर प्रतिबिम्बित हो जाता है..... अन्त तक। हां यद्यपि हज़रत मिर्ज़ा साहिब आयत **ليؤمنن به قبل موته** को मसीह की मृत्यु पर ठोस सबूत कहते हैं, जैसा कि

मौलवी साहिब इस आयत को मसीह के जीवित रहने पर ठोस सबूत बताते हैं तो अवश्य ही जो इल्ज़ाम मौलवी साहिब पर आया है वह हज़रत मिर्ज़ा साहिब पर भी आ जाता **واذلا فلا** अब रही यह बात कि किसी आयत के ऐसे अर्थ जो पहले मुफ़स्सिरोँ पर न खुले हों और वे हज़रत मिर्ज़ा साहिब पर खुल गए हों तो इसमें कोई भय अनिवार्य नहीं आता। **كم ترك الاول للاخر** कहावत मशहूर है। क्योंकि यह बात यथास्थान सिद्ध की गई है कि पवित्र कुर्आन के मआरिफ़ तथा रहस्य एक असीम ख़ज़ाना हैं जो कभी-कभी ख़ुदा के वलियों तथा अल्लाह के अध्यात्म ज्ञानियों पर उतरते रहते हैं। पिछले मुफ़स्सिरोँ ने यह कब दावा किया है कि पवित्र कुर्आन के जितने मआरिफ़ तथा रहस्य थे वे सब हम पर खुल गए हैं और अब भविष्य में कोई रहस्य और मआरिफ़ शेष नहीं रहे, विशेष तौर पर उन भविष्यवाणियों के विवरण तथा तफ़्सीरोँ के बारे में जो अभी तक घटित नहीं हुईं सब का यह इक्रार है कि

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ-

अनुवाद - तू पवित्र है। जो कुछ तूने हमें सिखाया उस के सिवा हमें किसी बात का कोई ज्ञान नहीं। निःसन्देह तू ही है जो स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम ववेकशील है। (अलबक़रह-33)

अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ-

(अलहिज़्र-22)

अनुवाद - और कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका हमारे पास ख़ज़ाना न हो और हम उसे एक निश्चित अनुमान के अनुसार ही उतारते हैं।

जब कि हर वस्तु के बारे में ऐसा कुछ आदेश दिया गया तो पवित्र कुर्आन जो समस्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है उसके रहस्यों के ख़ज़ानों की क्या चर्चा है।

उसका कथन- ये कटाक्ष थोड़े परिवर्तन के साथ आप पर भी आते हैं।

मेरा कथन- इसका उत्तर अभी दिया जा चुका है।

उसका कथन- इस इबारात से केवल इतना सिद्ध होता है.....

अन्त तक।

मेरा कथन- जो अर्थ आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** के आप लेते हैं उन अर्थों के समस्त अन्वेषण करने वाले मुफ़स्सिरों ने सिवाए इब्ने जरीर तिबरी तथा उनके अनुयायियों के कमज़ोर कथन ठहराया है तथा प्रथम कथन और तर्ज़ीह वाला यही लिखा है कि **قبل موته** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ लौटती है और माना कि दोनों संभावनाएं समान स्तर पर हैं और फिर यह भी स्वीकार किया कि आप के नज़दीक मर्ज़ूह (प्रधानता दिया हुआ) कथन तो राजिह (प्रधानता वाला) (तर्ज़ीह वाला) है और राजिह कथन मर्ज़ूह है, परन्तु इसके साथ एक कथन को ठोस तर्क कहना ग़लत है। जब संभावना आ जाए तो तर्क ग़लत हो जाता है और आयत **انّي متوفّيک** मसीह की मृत्यु पर स्पष्ट सबूत है तथा **توفی** के अर्थों में मृत्यु के अतिरिक्त जो और कथन लिखे हैं वे सही नहीं हैं। अब यदि कहा जाए कि जबकि तुमने आयत **لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** को बहुअर्थी तथा बहुत सी संभावनाएं होने के कारण सदृश ठहरा दिया और तुम्हारे नज़दीक स्पष्ट सबूत न रही तो फिर आयत **مُتوفّيک** और **فَلَمَّا تَوَفّیْتَنِي** भी मसीह की मृत्यु पर ठोस सबूत न रही, क्योंकि वह भी बहुअर्थी है। इसलिए कि तफ़्सीरों में तवफ़्फ़ा के अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी तो लिखे हैं। तो उत्तर यह है कि संभावना के दो प्रकार हैं। एक तो संभावना सबूत से हटकर उत्पन्न होती है तथा दूसरी संभावना सबूत से हटकर उत्पन्न न होने वाली। सबूत से हटकर उत्पन्न होने वाली संभावना मान्य होती है तथा जिस कलाम में संभावना सबूत से हटकर उत्पन्न हो वह कलाम अवश्य ही एक कारण पर ठोस सबूत नहीं रहता और जो संभावना सबूत से हटकर उत्पन्न न हो वह आंख वालों के नज़दीक अविश्वसनीय होती है। यदि ऐसी दूर की संभावनाओं का ध्यान रखा जाए तो हमें धार्मिक आवश्यकताओं का सिद्ध करना भी कठिन हो जाएगा। तफ़्सीरों में हर प्रकार के कमज़ोर तथा तुच्छ कथन तथा बनावटी रिवायतें लिखी हैं। यदि उन (समस्त बनावटी) रिवायतों तथा तुच्छ कथनों को स्वीकार किया जाए तो इस्लामी

शरीअत में एक बड़ा अंधकार छा जाएगा। और यदि कोई कहे कि **تَوْفِي** के अर्थों में सिवाए मृत्यु के जो दूसरी संभावना विरोधियों के हित में है वह भी सबूत से हटकर उत्पन्न होती है तो निवेदन यह है कि ऐसे मुद्दई पर अनिवार्य है कि उस संभावना का सबूत तर्क द्वारा सिद्ध करे और एक हज़ार रुपए का इनाम जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने 'इज़ाला औहाम' में ऐसे व्यक्ति के लिए विज्ञापन दिया है, मांगे। यह पड़ाव तय करने के पश्चात् यह बात मुख पर लाए कि **تَوْفِي** के अर्थ में मृत्यु के अतिरिक्त दूसरी संभावना भी सबूत से हटकर उत्पन्न होती है و
دونه خرط الفتاد

उसका कथन- नववी की इबारत से केवल इतना सिद्ध होता है.....अन्त तक।

मेरा कथन- जबकि नववी जैसे हदीस के व्याख्याकार ने यह बात तर्क द्वारा सिद्ध की है कि तफ़्सीर के अधिकांश इमामों ने **موتة** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ लौटाई है तो ठोस तर्क होने में कथित आयत के मसीह के जीवित रहने के बारे में क्योंकि अन्तर न आएगा। शेष रही आप की जिरह जो आयत **متوفيك** इत्यादि के ठोस तर्क होने के बारे में की है। इस का उत्तर संक्षिप्त रूप में अभी ऊपर गुज़र चुका है तथा तफ़्सीर इब्ने कसीर में जो यह कथन नक़ल किया है कि यहां वफ़ात से अभिप्राय नींद है **المراد بالوفاة ههنا النوم** इसका आप को कुछ लाभ नहीं क्योंकि यह एक मुफ़स्सिर (व्याख्याकार) की राय है। अन्ततः यह कि एक छोटे समूह की राय है जो ग़ैर पर हुज्जत नहीं, विशेष तौर पर ऐसी स्थिति में जो सही बुखारी की विरोधी है। क्रियात्मक तौर पर हम इस राय पर यह जिरह करते हैं कि यदि **تَوْفِي** से अभिप्राय नींद होती तो **يُرْسَلُ الْأُخْرَى** का विषय हो जाता तथा उसके बारे में कुछ ऐसी व्याख्या होती कि यह **نَوْم** (नींद) एक अप्रतिज्ञात नींद है यह कैसी नींद है कि लगभग दो हज़ार वर्ष गुज़र चुके और अभी तक **يُرْسَلُ الْأُخْرَى** घटित नहीं हुई। जैसा कि इसका पहले वर्णन गुज़र चुका है और हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने किसी स्थान पर आयत **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** को मसीह की मृत्यु के बारे में ठोस तर्क नहीं

लिखा। **ومن ادعى فعليه تصحيح نقل قوله**

उसका कथन- और एक अनुवाद करके पृष्ठों को बढ़ाया है.....

अन्त तक।

मेरा कथन- जबकि तर्क के साथ मतभेद है तो सिद्ध हो चुका कि ठोस होने के विपरीत है और आयत **إني متوفيك** तथा **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** में जो संभावना दूसरे अर्थ **توفي** में है वह तर्क से हटकर उत्पन्न होने वाली नहीं। इसलिए वह संभावना उसके ठोस तर्क होने में हानिप्रद नहीं हो सकती तथा यह कुछ बार गुज़र चुका कि आयत **وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** को हज़रत अक्रदस ने दोबारा मसीह की मृत्यु पर ठोस तर्क कहीं नहीं लिखा।

उसका कथन- और तफ़्सीर मज़हरी वाले का यह तकव्वुल (झूठ लगाना)

अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना साहिब तफ़्सीर मज़हरी के लेखक के क्रौल (अरबी) का यदि आप के नज़दीक तकव्वुल (झूठ लगाना) था और भयानक था तथा सामान्य तफ़्सीरों का विरोधी था तो किसी तफ़्सीर से उसका भयानक होना सिद्ध किया होता। किसी मुफ़स्सिर के स्पष्ट कथन को भयानक एवं मनगढ़त और विरोधी कह देना ईमानदारी तथा इन्साफ़ के विरुद्ध है और जो **صارف** (प्रयोग कर्ता) अर्थ वर्तमानकाल से आपने नून सक्रीला को ठहराया था वह तो **صارف** रहा ही नहीं। फिर यदि कोई सत्य का अभिलाषी तफ़्सीर मज़हरी की तरफ़ से आपसे यह कहे कि लाम ताकीद जो वर्तमान काल के लिए आता है वह भविष्यकाल के अर्थों से **صارف** (प्रयोग कर्ता) है तो आप उसका क्या उत्तर देंगे और अनोखी बात यह है कि आप ने जिस तफ़्सीर की इबारत को अपने मुबाहसे का दारोमदार समझा है और उसे सबूत का आधार ठहराया है। उस इबारत में आपने स्वयं यह कथन भी नक़ल किया है-

وقال الحسن البصرى النجاشى واصحابه رواها ابن ابى حاتم

अब आप ही इन्साफ़ करें कि जब वर्तमान काल के अर्थ आप के नज़दीक केवल ग़लत थे तो आप ने हसन बसरी के कथन को जो आप के आशय के

विपरीत है क्यों नक़ल किया और तर्क के साथ उसका खण्डन क्यों नहीं किया। यह क्या बात है कि जिस अर्थ को आप अनिवार्य रूप से अभिप्राय लेते हैं उस पर तर्क विपरीत कथन से किया जाए। निश्चय ही यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है और रिवायत करने वालों की सनद उबय्य बिन कअब की क़िरअत की जो तप्स़ीर इब्ने कसीर में लिखी हैं और आप ने उनको कमज़ोर बताया है और अस्माउर्रिजाल विद्या में आपने विद्वता प्रकट की है उसके बारे में यह निवेदन है कि आप के लेख में **خفيف** **خف़ीफ़** का शब्द **ف** (फ़) के साथ लिखा हुआ है और 'तक्ररीब' में किसी स्थान पर **خف़ीफ़** का अनुवाद नहीं लिखा। यदि **خصيب** (खसीब) शब्द साद और ब के साथ है तो आप पर अनिवार्य था कि पहले तो आप हज़रत मिर्ज़ा साहिब के मुक़ाबले पर जो आपके विचार में अस्माउर्रिजाल विद्या से अनभिज्ञ हैं और शायद उस विद्याओं में हज़रत अक़दस का ध्यान न रहा हो क्योंकि मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब ने भी 'हुज्जतुल बालिगा' में इस विद्या को हदीस की विद्याओं का छिलका कहा है। इस स्थिति में आप सिद्ध करते कि **خصيب** तीन हैं, जिनमें से यहां पर **خصيب** तप्स़ीर के सीऒे में निर्धारित है और उसका यह अनुवाद जो बारह श्रेणियों में पांचवीं श्रेणी पर आया है कि उसूल-अ-हदीस विद्या के अनुसार उस पांचवीं श्रेणी का अमुक आदेश है उदाहरणतया यह कि उसकी हदीस अमुक श्रेणी की होती है और आगे इसी प्रकार। उताब बिन बशीर की श्रेणी भी बारह श्रेणियों में से पांचवीं श्रेणी पर है। अतः हम जैसे विद्यार्थियों की तुलना जो अस्माउर्रिजाल विद्या से अपरिचित हैं तो आप पर इतना तो अवश्य अनिवार्य था कि पांचवीं श्रेणी के रिवायत करने वालों का हुक्म उसूल-हदीस विद्या द्वारा वर्णन कर देते ताकि यह मालूम हो जाता कि ऐसे पांचवीं श्रेणी वाले रिवायत कर्ताओं की रिवायत से जो कोई क़िरअत आई हो उस से किसी निरन्तरता वाली क़िरअत के अर्थ का समर्थन करना जैसा कि समस्त अन्वेषक मुफ़स्सिरों ने किया है सही नहीं है। अब थोड़ा सा निवेदन और है कि उताब बिन बशीर से बुख़ारी अबू दाऊद, तिरमिज़ी तथा नसाई ने लिया है। जैसे कि 'तक्ररीब' में भी लिखा है। क्या आप के नज़दीक यह उताब अविश्वसनीय

है। आगे रहा **خصيب** (खसीब) जिन मुहद्दिसों में उस से लिया है उसको मैं अभी नहीं लिखता, क्योंकि 'तक्ररीब' में भी उसके अनुवाद में इस स्थान पर कुछ नहीं लिखा। देख रहा हूँ कि आप 'उताब' के बारे में क्या उत्तर देते हैं या इस तुच्छ व्यक्ति पर क्रोध ही क्रोध (उताब ही उताब) करते हैं।

उसका कथन- सामान्यतया यह बात ग़लत है।

मेरा कथन- इस अस्नाद के रिवायत कर्ताओं में प्रत्यक्ष कारण तो आप वर्णन कर चुके परन्तु गहरे और गुप्त कारणों के बारे में सूचित नहीं किया। शायद इसलिए कि उनकी परख आप के अतिरिक्त किसी को प्राप्त नहीं। इसलिए समस्त अन्वेषक मुफ़स्सिरों ने इस क्रिरअत से बिना जांच पड़ताल के निरन्तरता वाली क्रिरअत के अर्थों का समर्थन किया है क्योंकि वे इन गहरे गुप्त कारणों से परिचित न थे और आप परिचित हैं।

उसका कथन- हां दो मुख्य कथन **قبل موته** की ज़मीर में यद्दपि नक़ल किए गए हैं अन्त तक।

मेरा कथन- जबकि आप के इकरार के अनुसार आयत की तफ़्सीर में दो कथन नक़ल किए गए हैं और यह सिद्ध हो चुका कि समस्त तफ़्सीरों में मुख्य तर्कों के साथ यही लिखा है कि **قبل موته** की ज़मीर अहले किताब की तरफ़ लौटती है तो फिर जो अर्थ आप लेते हैं उनके ठोस होने में अन्तर क्यों नहीं आएगा। और जो उत्तर तुम्हारा वही उत्तर हमारा है। जो आदेश है वह यहां पर नहीं हो सकता यह तो **قياس مع الفارق** (एक चीज़ का दूसरी चीज़ में उनमें अनुकूलता के बिना अनुमान लगाना) क्योंकि आयत **انى متوفيك** और **فلما توفيتنى** में सबूत से हटकर उत्पन्न न होने वाली संभावना की विरोधी है। यह तो मुक़ाबला पवित्र कुर्आन के स्पष्ट आदेश का हुआ जाता है और यही तो अनुसरण अवैध है जिसको हम और आप बहुत समय से छोड़ बैठे हैं। बहुअर्थी कलाम में चाहे खुदा का कलाम हो या रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का कलाम हो किसी अर्थ को कथनों से प्राथमिकता हो सकती है और कुर्आन के स्पष्ट आदेश (नस्स) के मुक़ाबले पर कथन की प्राथमिकता उचित नहीं। उसूलो

फ़िक्र: की पुस्तकों के मान्य सबूत इत्यादि के समान यह विषय विश्वसनीय नहीं हुआ इन दोनों बातों में अन्तर न करने के कारण आप को इस स्थान पर धोखा हो गया है। इस बारे में तनिक विचार किया जाए। अतः सिद्ध हुआ कि आप की यह कल्पना, एक वस्तु का अनुमान दूसरी वस्तु पर बिना किसी अनुकूलता के कल्पना करना है।

उसका कथन- यह स्पष्ट झूठ है।

मेरा कथन- सही बुखारी से सिद्ध हो चुका है कि इब्ने अब्बास मसीह की मृत्यु हो चुकने को मानते हैं। अतः उसूले हदीस के नियम के अनुसार कि सही बुखारी प्रमुख है समस्त हदीसों की पुस्तकों पर। ख़ुदा की किताब (क़ुर्आन) के बाद सब से अधिक सही किताब सही बुखारी मान्य विषय है सिवाए जो कथन इब्ने अब्बास का विरोधी है अविश्वसनीय रहेगा। पुनः निवेदन यह है कि कुछ अन्य इमाम भी जैसे इब्ने इस्हाक़ और वहब इत्यादि मसीह के मृत्यु प्राप्त होने को मानते हैं तथा इस आयत के जो अर्थ अबू मालिक ने किए हैं कि

ذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى احد من اهل الكتاب الا من
امن به

इसे आप कह चुके हैं कि आयत से ये अर्थ अर्थात् नुज़ूल के समय कदापि सिद्ध नहीं होते और हसन बस्त्री की तरफ़ उन अर्थों की अस्नाद का स्वीकार करना अत्यन्त आश्चर्य का कारण है और आपने हसन बस्त्री का तो यह कथन नक़ल किया है अर्थात् अन्नज्जाशी और उसके साथी النجاشي واصحابه इस कथन में भविष्यकाल के अर्थों से क्या संबंध यह तो शुद्ध रूप से वर्तमानकाल हो गया और हज़रत अबू हुरैर: तो स्वयं अर्थों का स्वीकार करना बतौर सन्देह के करते हैं न कि आपके समान कि यह आयत अर्थ में स्वयं ही ठोस तर्क हैं..... अन्त तक। इसलिए आप से ठोस तर्क की मांग है। वह ठोस तर्क वर्णन किया जाए-

نگفته ندارد کسے باتوکار و لیکن چو گفتی دلش بیار

(अनुवाद- अगर तूने कोई बात नहीं कही तो किसी को तुझ से कोई लेना देना नहीं लेकिन यदि कही है तो उसकी दलील देनी पड़ेगी)

अब रहा किसी का कथन किसी के निकट अति उत्तम होना या बहुत सही होना। अतः यह अलग बात है और ठोस तर्क होना अलग बात है **اوشتان بينهما** इसलिए आप का तर्क केवल अधूरा है।

उसका कथन- मैं तो वही अर्थ जो समस्त सहाबा^{रजि.} तथा ताबिईन इत्यादि से अन्त तक।

मेरा कथन- समस्त सहाबा या ताबिईन से इन अर्थों का नक़ल किया जाना ग़लत सिद्ध हो चुका और आप स्वयं स्वीकार कर चुके कि हां दो कथन **قبل موته** की ज़मीर के मर्जअ यद्यपि नक़ल किए गए हैं। आपकी बात समाप्त हुई। इसलिए आप का यह कहना उस इक्रार का विरोधी है और कुर्आन तथा सुन्नत से लिए हुए विषयों को मनगढ़त कहना एक नवीन बनाई हुई बात है और मातृभाषी अपने कलाम में तीनों कालों का स्पष्टीकरण कब किया करते हैं बल्कि ग़ैर अरब विद्वान और ग़ैर विद्वान भी वार्तालाप करते समय ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया करते। ये केवल ग़ैर अरब बच्चे गर्दनों मुन्शअब' पढ़ते समय पढ़ा करते हैं। **فَعَلَ** किया उस एक पुरुष ने गुज़रे हुए काल (भूतकाल) में एक वचन पुलिंग तुप्त की बहस भूतकालिक क्रिया को सिद्ध करने की। और हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब ने जो भविष्यकाल को भी स्वीकार करके अर्थ वर्णन किए हैं वह तो यह विषय है कि **رأى بدروازه باید رسانید** आप को इसका क्या लाभ है और आप जो यह कहते हैं कि जिन सहाबा ने **قبل موته** की ज़मीर को अहले किताब की तरफ़ लौटाया है वे ग़लती पर हैं और आप की इस सहाबी की ग़लती को सरसरी तौर पर स्वीकार भी कर लिया जाए तो हज़रत मिर्ज़ा साहिब जो रसूल मक्बूल के प्रेमी (आशिक) और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के प्रेम में मुग्ध हैं आपकी इस बात को कदापि स्वीकार न करेंगे कि वे सहाबा बिल्कुल ग़लती और असत्य पर हैं जैसा कि आप प्रथम पर्व में कह चुके हैं कि इसके अतिरिक्त जितने अर्थ हैं सब ग़लत और असत्य हैं

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ (अलकहफ़-6)

अनुवाद - बहुत बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है।

अतः यह क्योंकर हो सकता है कि यह स्थान चिंतन-मनन का न हो।

उसका कथन- कथित किरअत वास्तव में कमज़ोर है..... अन्त तक।

मेरा कथन- जब तक उताब बिन बशीर और ख़सीब के अनुवाद का हुक्म उसूले हदीस विद्या के अनुसार वर्णन न किया जाए तथा यह सिद्ध न किया जाए कि ऐसे रिवायत कर्ता जो पांचवीं श्रेणी में हैं उन की रिवायत से जो किरअत आई हो उस से किरअत के अर्थ का समर्थन ठीक नहीं तक यह कथन स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता। क्योंकि समस्त अन्वेषक मुफ़स्सिर इस किरअत को निरन्तरता वाली किरअत के अर्थों के समर्थन के लिए लाए हैं।

उसका कथन- कथित अर्थों की ख़राबी इस कारण से नहीं है..... अन्त तक।

मेरा कथन- जबकि इस अर्थ की ख़राबी जो आप के अर्थों की विरोधी हैं, इस कारण से नहीं है कि वह नह्व के नियम के विरुद्ध हो तो अन्य किस कारण से वह ख़राबी है वर्णन किया जाए। हमने यह भी स्वीकार किया कि आप के अर्थ नह्व के नियम के सर्वथा अनुकूल हैं परन्तु इस से यह कब अनिवार्य होता है कि दूसरे अर्थ जो आप के इक्रार के अनुसार नह्व के नियम के विरुद्ध नहीं हैं वे ख़राब और असत्य हों। यह कैसी पहेली वर्णन की गई। तनिक सोचकर तथा विचार करके उसका स्पष्टीकरण किया जाए।

उसका कथन- अतः कथन का झूठ दोपहर के सूर्य के समान प्रकट हो गया।

मेरा कथन- यह बात यथास्थान सिद्ध हो चुकी है कि जब बहस केवल लोगों के कथनों पर आ जाती है तो कथनों की प्रचुरता का ध्यान रखा जाता है न कि कम मात्रा वाले कथनों का। अतः यदि सम्पूर्ण संसार की तफ़्सीरों में से आप ने इब्ने जरीर की एक तफ़्सीर प्रस्तुत कर दी और इब्ने कसीर उसका अनुयायी हुआ तो इस से आप के अर्थों का ठोस होना क्योंकर प्राप्त हो गया। एक या दो मुफ़स्सिर तो एक तरफ़ और समस्त संसार की तफ़्सीरें दूसरी तरफ़। अब आप ही इन्साफ़ से कहें कि किस को प्राथमिकता दी जाएगी? फिर यदि

हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब ने मशहूर और मान्य कहावत **وللا كثر حكم الكل** के अनुसार ऐसा कुछ कहा कि सभी आप के ही अर्थ को कमज़ोर ठहराते हैं तो उस कथन का झूठ दोपहर के सूर्य के समान क्योंकि प्रकट हो गया- **النَّادِرُ** के अनुसार यह तो परस्पर विवाद के विपरीत है और फिर यह सारा विषय इस स्थिति में है कि आप के अभीष्ट अर्थ कुर्आन के स्पष्ट आदेश के विरोधी न होते जबकि ये अर्थ स्पष्ट आदेशों (नुसूस) के विरोधी हैं तो फिर इब्ने जरीर के कथन से इब्ने कसीर भी उसका अनुयायी हो गया आप के अर्थ का ठोस होना दूसरे अर्थ का ग़लत होना क्योंकि सिद्ध हो सकता है। विचार करो, प्रतिफल पाओ।

उसका कथन- संक्षेप में बात यह है कि विरोध दूर करना अभीष्ट है न कि दावा सिद्ध करना।

मेरा कथन- बड़े आश्चर्य की बात है जब आप के अर्थों पर कोई बड़ी ख़राबी अनिवार्य होती है तब आप दावे से ही अलग हो जाते हैं और फिर भी अपने दावे को ठोस सबूत कहे जाते हैं। महोदय, यदि क़िरअत-ए-मुतवातिरा (निरन्तर की जाने वाली क़िरअत) के वे अर्थ किए जाएं जो क़िरअत-ए-ग़ैर मुतवातिरा से सिद्ध होते हैं तो आपके दावे पर अब कौन सा तर्क शेष रह गया है। मौलाना जब आप विरोध का निवारण किया करें तो थोड़ा सोचकर तथा विचार करके किया करें वह विरोध का दूर करना ही क्या, जिस से दावा बिलकुल ही नष्ट हो जाए।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا (अन्नहल- 93)

अनुवाद- और उस स्त्री की भाँति मत बनो जिसने अपने काते हुए सूत को मज़बूत हो जाने के बाद टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

उसका कथन- सनद में जो जिरह है वह..... अन्त तक।

मेरा कथन- आपने कोई ऐसी जिरह वर्णन नहीं की जिस से समस्त अन्वेषक मुफ़स्सिरों का इस क़िरअत-ए-ग़ैर मुतवातिरः को क़िरअत-ए-मुतवातिरा के अर्थ के समर्थन के लिए लाना ग़लत सिद्ध हुआ और आप से इसकी मांग है।

उसका कथन- तफ़्सीर इब्ने जरीर और तफ़्सीर इब्ने कसीर का इस अर्थ

के सही होने पर ऐतराज़ है।

मेरा कथन- इस का उत्तर दो-तीन बार दिया जा चुका। तनिक सोचिए कि तेरह सौ वर्ष की इतनी अधिक तप्सीरों का मुक़ाबला केवल एक तप्सीर इब्ने जरीर और उसके अनुयायियों की तप्सीर अर्थात् इब्ने कसीर क्या करेगी

وللاكثر حكم الكل والنادر كالمعدوم

इसके अतिरिक्त यह कि इब्ने जरीर के कथित कथन पवित्र कुर्आन तथा हदीस के स्पष्ट आदेशों के विरोधी है। तो अवश्य ही गिर जाएंगे।

उसका कथन- यह ग़लत मात्र है..... अन्त तक।

मेरा कथन- यह दो अर्थों के परस्पर विरोध का सबूत क्या ही उत्तम तर्क दिया है। सुब्हान अल्लाह परन्तु यह तो बताएं कि यह विरोध कौन सा है? क्या यह विरोध सामान्य 'बहुत से' अर्थों में है या विरोध तर्क शास्त्रीय अर्थों में। खण्ड प्रथम में हज़रत मिर्ज़ा साहिब के लिए कुछ हानिप्रद नहीं, दो अनेक अर्थ जमा हो सकते हैं। त्रिभुज- उदाहरण के तौर पर ये अर्थ कि प्रत्येक अहले किताब को हज़रत ईसा बिन मरयम की मृत्यु से पहले इस कथित आयत के उपरोक्त अर्थ सलीब तथा क्रल्ल के बारे में सन्देह एवं शंका पूर्ण विचार चले आते हैं उनको इन सन्देहों के होने पर विश्वास है तथा ये अर्थ कि प्रत्येक अहले किताब अपने मरने से पहले इस उपरोक्त वर्णन पर ईमान तथा विश्वास रखता है कि मसीह बिन मरयम निश्चित तौर पर सलीब और क्रल्ल की मौत से नहीं मरा उसके कल्ल या सलीब के बारे में केवल सन्देह और शंकाएं हैं। इसी प्रकार अन्य अर्थ जो हज़रत अब्रदस ने 'इज़ाला औहाम' इत्यादि में आयत के बहुअर्थी होने के कारण लिखे हैं वे परस्पर विपरीत नहीं जो परस्पर जमा न हो सकें। द्वितीय खण्ड- उन दोनों अर्थों में विरोध सिद्ध किया जाए अन्यथा हज़रत मिर्ज़ा साहिब का यह कहना कि इल्हामी अर्थ इन अर्थों के विरोधी नहीं। बहुत सही तथा अत्यन्त उचित हैं, फिर कठोर और स्पष्ट विरोध कैसा? यह क्या आवश्यकता है कि قبل موته की ज़मीर का अहले किताब की तरफ़ लौटने में हमने इन दोनों अर्थों का ग़ैर विरोधी होना सिद्ध कर दिया अन्यथा दो विपरीत अर्थ रखने वाली

बातें बिना किसी अनुकूलता के जमा कैसे हो सकतीं। दो विपरीत बातों का जमा होना तो संभव ही नहीं। हज़रत मिर्ज़ा साहिब यह कब कहते हैं कि **قبل موته** की ज़मीर हज़रत ईसा बिन मरयम की तरफ़ नहीं लौट सकती। वह तो यह कहते हैं कि **قبل موته** की ज़मीर के हज़रत ईसा की तरफ़ लौटने की अवस्था में जो अर्थ आप करते हैं वे ख़राबी का कारण हैं तथा इसी कारण से स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। और आयत **وان من اهل الكتاب** को मसीह की मृत्यु में मिर्ज़ा साहिब किसी स्थान पर निश्चित स्पष्ट एवं ठोस तर्क नहीं लिखा हां मसीह की मृत्यु के बारे में इशारतुन्नस्स के तौर पर लिखा है। अब आप ही इन्साफ़ करें कि बहुअर्थी आयत का बहुअर्थी होने के इकरार के बावजूद एक कारण पर आग्रह करके ठोस तर्क कह देना तथा शेष कारणों का जानबूझ कर इन्कार करना

(अन्नम्ल-15) **وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ**

(अनुवाद - और उन्होंने अत्याचार और उद्दण्डता करते हुए उनका इनकार कर दिया) का चरितार्थ है या नहीं?

उसका कथन- यह बात मान्य है..... अन्त तक।

मेरा कथन- यह एक शाब्दिक विवाद है और मिर्ज़ा साहिब के लिए कुछ हानिप्रद नहीं। किसी वाक्य के बोलने के पश्चात् समीपवर्ती काल आपके नज़दीक निकट भविष्यकाल है तथा अरब वालों के नज़दीक वर्तमान काल है। मुतव्विल और हवामिश से यह मतलब सिद्ध हो चुका है तथा ऐसे आपसी लड़ाई-झगड़े करने के बारे में सामान्य जन तथा अरब लोगों की तरफ़ से मुतव्विल के हाशिया लेख इत्यादि कह चुके कि ये आपसी लड़ाई-झगड़े व्यर्थ हैं।

उसका कथन- अन्तर न करना..... अन्त तक।

मेरा कथन- अन्तर करना ऐसी सामान्य जन की बातों में जो असीम स्तर की बाल की खाल निकालना है निष्फल तथा व्यर्थ है और सब व्यर्थ के झगड़े हैं न कि जैसा कि अरबी ज्ञान तथा सुबोधता की कलाओं के विशेषज्ञ अपितु असमर्थ पर भी गुप्त नहीं।

उसका कथन- बल्कि कहा गया है कि उसका पूरा करना

अन्त तक।

मेरा कथन- इसका क्या मतलब कि परिश्रम तो करें वर्तमान काल में और मार्गदर्शन प्राप्त हो भविष्य के किसी अज्ञात काल में। हे मौलाना! मुजाहदः (कठिन परिश्रम) के साथ ही तुरन्त खुदा की हिदायत मिल जाती है बल्कि खुदा की प्राप्ति में कठिन परिश्रम करना भी स्वयं मार्गदर्शन से ही होता है। मुजाहदः और मार्ग दर्शन का ऐसा मिलाप है जैसा सूर्य के उदय होने तथा दिन के अस्तित्व में। यदि आप को इसमें कुछ आपत्ति होगी तो इन्शा अल्लाह इस बारे में किताब और सुन्नत से ज्ञान संबंधी सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे। क्रियात्मक रूप में चेतावनी के तौर पर संक्षेप में कहा गया तथा बड़े आश्चर्य की बात है कि आप यह भी कहते हैं कि हमें इस खुदा की सुन्नत से कदापि इन्कार नहीं कि मुजाहदः करने पर अवश्य हिदायत (मार्गदर्शन) प्राप्त होती है और फिर अकारण और बिना सबूत यह भी कहते जाते हैं कि इस आयत से यह मतलब सिद्ध नहीं होता। मौलाना इस आयत से तो यह मतलब स्पष्ट आदेश की इबारत के तौर पर सिद्ध होता है। यद्यपि दूसरी आयतों से भी सिद्ध हो। और नून सक्रीला का हाल तो न्यायवान दर्शकों को ज्ञात हो चुका कि उसने आपके आशय के सिद्ध करने से बिल्कुल पृथक्ता कर दी है और वह आयत के पूरे अर्थ को अधूरा नहीं कर सकता। फिर हमें क्या आवश्यकता पड़ी है कि प्रकाण्ड विद्वान के कलाम को पूरे अर्थों से खाली करके अधूरे अर्थों पर चरितार्थ करें।

उसका कथन- ये आयतें ठोस सबूत की विरोधी हैं।

मेरा कथन- आयत **ليومنن به** आपके मतानुसार सामान्य है तथा उन आयतों का अर्थ विशेष है। और यह बात गुज़र चुकी कि अर्थ विशेष, सामान्य को विशेष करने वाला हुआ करता है न कि इसके विपरीत जो कि विवाद के विपरीत हुआ जाता है। जिसका विवरण वर्णन किया जा चुका है।

उसका कथन- यह हस्र (अवलंबन, निर्भरता) अमान्य है....अन्त तक।

मेरा कथन- स्वयं आप का हस्र ही गुलाम के अर्थ में बचगान और अमान्य है। कामूस इत्यादि को देखिए और 'मुन्तहा अलअरब' में भी लिखा है

कि गुलाम पेश के साथ-

غلام بالضم كودك ومردميانه سال از لغات اصناد است يا از هنگام ولادت ناآمد جوانے۔

अतः इस स्थिति में जो 'सराह' इत्यादि से नक़ल किया गया है आप को कुछ लाभ नहीं देता तथा हज़रत मिर्ज़ा साहिब के लिए कुछ भी हानिप्रद नहीं है।

उसका कथन- प्रथम यह कि आयत-

وان من اهل الكتاب

मेरा कथन- कई बार कहा जा चुका कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब इस आयत को मसीह की मृत्यु के लिए ठोस और स्पष्ट सबूत नहीं कहते जैसा कि आप इस आयत को मसीह के जीवित रहने में ठोस सबूत ठहराते हैं। आप के इक्रार के अनुसार आप के नज़दीक भी **قبل موته** की ज़मीर बहुअर्थी है जिसे उसूलविदों ने ऐसी ज़मीर को **मुतशाबिह**[#] के उदाहरण में रखा है। फिर यदि एक कारण को स्वीकार कर के उसके अर्थ सही तथा ख़राबी से मुक्त हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने वर्णन किए हैं तो इससे यह कब अनिवार्य होता है कि दूसरा कारण ग़लत और असत्य हो गया।

उसका कथन- द्वितीय मृत्यु के अनुमान पर भीअन्त तक।

मेरा कथन- अल्लाह तआला जो समस्त सत्यनिष्ठों में सर्वाधिक सत्यनिष्ठ है फ़रमाता है-

أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ^ط

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (बनी इस्राईल-17/94)

(अनुवाद - या तू आसमान में चढ़ जाए। परन्तु हम तेरे चढ़ने पर भी कदापि ईमान नहीं लाएँगे यहाँ तक कि तू हम पर ऐसी पुस्तक उतारे जिसे हम पढ़ सकें। तू कह दे कि मेरा रब्ब (इन बातों से) पवित्र है। (और) मैं तो एक मनुष्य, रसूल के अतिरिक्त कुछ नहीं।) और सच्चे सन्देशवाहक रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उस आने वाले मसीह के लिए जो सन्देश दिया

#मुतशाबिह- पवित्र कुर्आन की वे आयतें जिनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। (अनुवादक)

है और सर्व सहमत हदीसों के अनुसार यह प्रतिबंध भी लगा दिया है **وامامكم
امكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى** अर्थात् **فامكم منكم** और **منكم**
अतः समस्त आज्ञाद हदीसों से जो अर्थ की दृष्टि से निरन्तरता
की श्रेणी को पहुंची हुई हैं उन से अभिप्राय भी यही प्रतिबंधित होगा जैसा कि
वर्णन किया जा चुका है। अतः सिद्ध हुआ कि सच्चे सन्देश देने वाले ने यह
सूचना भी नहीं दी कि मसीह इब्ने मरयम जो इस उम्मत में आने वाला है वही
बनी इस्राईल का ईसा इब्ने मरयम आएगा जो बनी इस्राईल का नबी और रसूल
था बल्कि यह खबर दी है। वह आने वाला मसीह तुम में से एक ऐसा और
ऐसा इमाम होगा और उसकी इमामत ख़ुदा की किताब के मआरिफ़ एवं रहस्यों
तथा रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लाम की वास्तविकताओं तथा बारीकियों
के वर्णन करने के लिए होगी जैसा कि सही मुस्लिम में इसकी बहस हो चुकी।

उसका कथन- मृत्यु के अनुमान पर भी.....अन्त तक।

मेरा कथन- मौलाना बड़ा शक्तिशाली और उचित कारण मौजूद है
जिसका वर्णन विस्तारपूर्वक सिद्ध हो चुका है अर्थात् हज़रत ईसा बिन मरयम
ख़ुदा के रसूल स्वर्ग में प्रवेश कर चुके-

قبل ادخل الجنة وادخل جنتي وما هم عنها بمخرجين

(अनुवाद पेज न. 304)

उसका कथन- इस से यह अर्थ प्रकट होता है कि सिवाए नुज़ूल की
हदीसों के अन्य.....अन्त तक।

मेरा कथन- इज़ाला औहाम 'इफ़ादातुल बुखारी' पृष्ठ 901 देखा जाए
ताकि आप को सिद्ध हो कि बुखारी में अनेक स्थानों पर ईसा इब्ने मरयम की
चर्चा करके उससे अभिप्राय कोई समरूप (मसील) लिया गया है।

उसका कथन- अफ़सोस कि बावजूद..... अन्त तक।

मेरा कथन- आप के इस इक्रार के बावजूद कि आयत **وان من اهل**
الكتاب जीवन और मृत्यु के बारे में बहुअर्थी अर्थ वाली है, फिर भी आप

मसीह के जीवित रहने के बारे में उसे ठोस सबूत कहते हैं। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाह से हम शिकवा करते हैं। अब सुनिए यह तो आप के लेख का जैसे को तैसा उत्तर हुआ। अब एक अत्यन्त न्यायपूर्ण निर्णय करने वाला उत्तर दिया जाता है। आप यदि न्याय के मुद्दई और सत्य के अभिलाषी हैं तो इसी उत्तर का उत्तर दें और जैसे को तैसा उत्तर देने से संकोच न करें, ऐसा करेंगे तो निस्सन्देह यह समझा जाएगा कि आप फ़ैसला करना नहीं चाहते और सच को स्थापित करने से आपको कुछ मतलब नहीं है, वह उत्तर यह है कि मौलवी साहिब मैंने नेक नीयत के साथ सच को स्थापित करने के उद्देश्य से अपने उन समस्त उत्तरों को जिन को मैं इस समय प्रस्तुत करना चाहता था एक ही बाब में लिख कर आप की सेवा में प्रस्तुत कर दिया और आप ने यह भी कह दिया था कि मेरी पकड़ तथा स्थायी तर्क पहली आयत है। इसके साथ ही उसके ठोस तर्क होने के सबूत में नह्व के सर्वमान्य नियमों को प्रस्तुत न किया। यदि आप भी नेक नीयत तथा सत्य के अभिलाषी हैं तो इसके उत्तर में दो बातों में से एक बात अपनाएं या तो समस्त तर्कों और उत्तरों का सामना करें और उनमें से एक बात का उत्तर भी शेष न छोड़ें मेरी बात अर्थात् मसीह की मृत्यु। जो ख़ुदा की सुन्नत के अनुसार है का सामना करें। इसके अतिरिक्त किसी बात के उत्तर के लिए सामने न हों परन्तु अफ़सोस कि न आप पहली बात को अपनाते हैं न दूसरी को बल्कि मेरी मूल बात के अतिरिक्त अन्य बातों के भी सामने आते हैं परन्तु उनको भी अधूरा छोड़ दिया तथा बहुत सी बातों के उत्तर का हवाला भविष्य पर डाल दिया कि इज़ाला का उत्तर यों विस्तार पूर्वक दिया जाएगा और यों विस्तार पूर्वक खण्डन किया जाएगा और उनके मुकाबले में अपने तर्कों इत्यादि के वर्णन को भी अपने इज़ाला औहाम के खण्डन करने को भविष्यकाल पर स्थापित कर दिया और जो कुछ वर्णन किया वह इस प्रकार से वर्णन किया कि असल तर्क से बहुत दूर चले गए और अपने वर्णन को ऐसी शैली में अदा किया कि उस से सामान्य लोग धोखा खाएं और विशेष लोग अप्रसन्न हों। इसका एक उदाहरण आपकी यह बहस है कि आप मुद्दई नहीं हैं। महोदय,

जिस हालत में आपने स्वयं मुद्दई होकर तर्क भी प्रस्तुत नहीं किए और यह भी कहते रहे कि मेरा पद मुद्दई होने का नहीं है तो आपको इस बहस की क्या आवश्यकता थी, केवल ठोस सबूत वाले तर्क प्रस्तुत कर देते। दूसरा उदाहरण यह है कि हमारे शैख, शेखुलकुल की राय के भी विरुद्ध आपने बेमौक़ा काम किया और लोगों को यह जताना चाहा कि हज़रत शेखुलकुल भी इस बहस में आप से कम ज्ञान रखते हैं हालांकि यह बात ग़लत है और इस पर आश्चर्य यह कि वह भी..... इस बहस में आपके सम्बोधित हैं। हालांकि शैखुलकुल ने इस बहस में कुछ ज्ञान संबंधी हितों के कारण मुबाहस: नहीं किया। इसलिए आपके वार्तालाप में शैखुलकुल का नाम अजनबी जैसा और अनुचित मात्र था क्योंकि आपको शेखुल कुल की राय का विरोधी नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा आपसे सहमत मौलाना मुहम्मद हुसैन साहिब से भी विरोध उचित नहीं था जबकि हज़रत शैखुल कुल ने आपके और बटालवी मौलवी साहिब के बीच उस कथित विवाद के बारे में सुलह भी करा दी थी फिर उनको सम्मिलित न करने में कौन सा हित था।

तीसरा उदाहरण यह है कि आपने न केवल एक तफ़्सीर इब्ने जरीर की इबारत तथा कुछ सहाबा रज़ि. के कथनों और वह भी बतौर सन्देह के जिस पर ۱) सिद्ध करता है नक़ल करके, सामान्य जनता को यह सतर्क करना चाहा है कि समस्त मुफ़स्सिर तथा सामान्य सहाबा एवं ताबिईन मसीह के जीवित रहने के मामले में जो इस आयत **ليومنن به قبل موته** को ठोस तर्क नहीं कहते केवल ग़लती और असत्य पर हैं। 'हम इस से खुदा की शरण चाहते हैं' इसके साथ यह भी सतर्क करना चाहा है कि वे सब मिर्ज़ा साहिब के विरोधी तथा हमारे अनुकूल हैं। यह केवल धोखा देना है। कोई सहाबी, कोई ताबिई, कोई तफ़्सीर लेखक इस बात को नहीं मानता कि हज़रत मसीह इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम का जीवित रहना इस आयत से बतौर ठोस तर्क सिद्ध होता है और इब्ने जरीर तथा इब्ने कसीर का आशय भी यह नहीं। हां यद्यपि अन्होंने अपनी राय को प्राथमिकता दे कर यह नम्रता का व्यवहार करते हुए **تقول** कर दिया है कि यह

राय अटल तर्क से सिद्ध है। अतः अब आप से उसी अटल तर्क की मांग है यदि मौजूद हो तो वर्णन किया जाए।

चौथा उदाहरण- आपका जन सामान्य को यह सतर्क करना कि **لَيُومِنَنَّ** के नून को लाम ताकीद के बावजूद अनिवार्य तौर पर शुद्ध रूप से भविष्यकाल के लिए ठहराना समस्त सहाबा तथा मुफ़स्सिरोँ का मत है जो सरासर आप का धोखा देना है। आप की इस प्रकार की बातों का मैं तीन बार जैसे को तैसा उत्तर दे चुका हूँ, भविष्य में भी यदि यही ढंग जारी रहा तो इस से आपको तो यह लाभ होगा कि असल बात टल जाएगी और आपके अनुसरण में आपका उत्तर लिखना सिद्ध हो जाएगा, परन्तु इस में मुसलमानों को यह हानि पहुंचेगी कि उन पर बहस का परिणाम प्रकट न होगा और आप का वास्तविक हाल न खुलेगा कि आप निरुत्तर हो चुके हैं तथा मसीह के जीवित रहने की आस्था में ग़लती पर हैं और बात को इधर-उधर ले जाकर टाल रहे हैं। इसलिए भविष्य में आपको इस पर मजबूर किया जाता है कि यदि बहस स्वीकार और पलायन करने के इल्ज़ाम से पृथक रहना दृष्टिगत है तो अतिरिक्त बातों को छोड़ कर मेरी असल बात अर्थात् मसीह की मृत्यु के ठोस तर्क स्थापित करने में कलाम और बहस को सीमित करें और जो मैंने नह्व के सर्वमान्य नियमों, साहित्य की अलंकारिक एवं सुबोध शैली के नियमों, उसूले हदीस, उसूले फ़िक्रः तथा समस्त प्रचलित पारंपरिक विद्याओं के लेख आयत के भविष्यकाल के लिए विशिष्ट न होना तथा इस लेख के सही होने की स्थिति का मसीह के नुज़ूल के समय से विशिष्ट न होना सिद्ध किया है। इसका उत्तर सर्वमान्य नह्वी ज्ञान के नियमों को अस्वीकार करने तथा सरस-सुबोध शैली इत्यादि की स्थिति में दो शब्दों में यह दें कि समस्त नह्वी नियम तथा बलागत कला के नियम इत्यादि बेकार और अविश्वसनीय हैं या विशेषतः यह नियम अर्थात् भविष्यकाल का सीगः स्थायी निरंतरता के लिए आना ग़लत है तथा उसको अमुक कला के इमाम ने ग़लत ठहरा दिया है और उसकी ग़लती पर कुर्आन या सही हदीस या अरबों के कथनों से यह सबूत है तथा बजाए इसके कि अमुक नियम सही है यह कि कुर्आन के अर्थ समझने के

लिए बलागत के ज्ञान, उसूले फ़िक्र: तथा उसूले हदीस इत्यादि का कोई नियम निर्धारित नहीं है जिस प्रकार कोई चाहे कुर्आन के अर्थ गढ़ सकता है तथा नियम को स्वीकार करने तथा आयत के विषय का सार्वजनिक होना स्वीकार करना कि आयत वर्तमानकाल तथा भविष्यकाल के साथ या स्थायी निरंतरता के इस विषय को मसीह के नुज़ूल के समय से विशिष्ट करना अमुक तर्क की गवाही से सिद्ध है स्वीकार करना या उसे सार्वजनिक करने से जो लाभ वर्णन किया गया है वह अन्य प्रकारों तथा अन्य अर्थों से भी जो वर्णन किए गए हैं प्राप्त हो सकता है और एक दो मुफ़स्सिरों का एकमात्र मतभेद आयत की तफ़्सीर में सार्वजनिक होने का खण्डन करने वाला हो सकता है तथा एक दो मुफ़स्सिरों का एकमात्र मतभेद आपके नज़दीक सनद एवं प्रमाण योग्य हैं तो आप सहाबा और ताबिईन मुफ़स्सिरों के उन कथनों को जो मसीह की मृत्यु के बारे में आए हैं तथा सही बुख़ारी इत्यादि में लिखे हैं स्वीकार करें क्योंकि खुदा की किताब के बाद बुख़ारी सर्वाधिक सही पुस्तक सर्वमान्य बात है या अनेक ऐसे अर्थ बता दें जिन से मसीह का जीवित रहना सिद्ध हो। हम दावे के साथ कहते हैं कि संसार के मुफ़स्सिर तथा समस्त सहाबा एवं ताबिईन हमारे साथ हैं उन में से कोई इस बात को नहीं मानता कि मसीह इब्ने मरयम का जीवित रहना इस आयत से ठोस सबूत के तौर पर सिद्ध होता है। आप एक सहाबी या एक ताबिई, या एक मुफ़स्सिर इमाम से सही सनद के साथ यदि यह सिद्ध कर दें कि हज़रत मसीह का जीवित रहना इस आयत से बतौर ठोस सबूत सिद्ध है और अटल प्रमाण उसका यह है तो हम मसीह की मृत्यु से अलग हो जाएंगे। लीजिए एक ही बात में बात का निर्णय हो जाता है और विजय हाथ लगती है। अब यदि आप यह सिद्ध न कर सके तो हम से पवित्र कुर्आन की तीस आयतें और सही बुख़ारी इत्यादि की हदीसें इत्यादि तथा सहाबा और ताबिईन के कथन सुनें जिनको हम भविष्य में भी इज़ाला औहाम के खण्डन के उत्तर में इन्शाअल्लाह नक़ल करेंगे जैसा कि कुछ अब भी वर्णन किए गए हैं। आप स्वीकार करें इस से लाभ उठाएंगे और इस से बहस का परिणाम निकालेंगे। आप से हमें आशा नहीं रही कि आप असल दावे

की तरफ़ आएँ तथा अतिरिक्त बातों को छोड़कर केवल वह दो शब्दों में उत्तर दें जो इस न्यायपूर्ण स्वर में आप से मांगा गया है।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين وعلى من اتبع الرشد والهدى من بعد ماتبين من الغى والطغوى-

रबीउस्सानी. 1309 हिज्री

लेखक मुहम्मद अहसन अमरोही

नज़ील-भोपाल

पत्र-व्यवहार (2)

मुंशी बूबा शाह व मुंशी मुहम्मद इस्हाक़ साहिब और
मौलवी सैयद मुहम्मद अहसन साहिब के मध्य

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

विनीत बूबा शाह व मुहम्मद इस्हाक़ की ओर से

सेवा में,

मौलाना मौलवी मुहम्मद अहसन साहिब, अल्लाह आपकी खुशियों को बढ़ाए।

बाद सलाम व दुआ निवेदन यह है कि शायद आपको याद होगा कि जब आप गवर्नर जनरल लार्ड रिपन साहिब की टीम के साथ लाहौर आए थे। तब कुछ लोगों ने सेवा में उपस्थित होकर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। लेकिन उसके बाद कभी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त न हुआ और न कभी परस्पर पत्र-व्यवहार की नौबत पहुँची। यद्यपि यह ज्ञात था कि आप एक लम्बे समय से

रियासत भोपाल में रह रहे हैं। जब* जब पत्रलेखक मुहम्मद इस्हाक़ रियासत में पेंशर हुए तो उन्होंने कई बार आपके बारे में मुझे लिखा। इस समय आपको कष्ट देने का कारण यह है कि हमने सुना है कि श्रीमान ने मिर्जा गुलाम अहमद क़ादियानी के समर्थन के सम्बन्ध में *आलामुन्नास* नामक एक पत्रिका लिखकर प्रकाशित की है और उसमें उनके दावा-मसीह होने के बड़े ठोस दलाइल लिखे हैं। जब से यह बात सुनी है उस पत्रिका के देखने की बड़ी अभिलाषा है। यद्यपि हम दोनों अभी तक मिर्जा क़ादियानी के श्रद्धालु नहीं हैं पर आपकी पत्रिका की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है। यदि सम्भव हो तो एक कॉपी रजिस्टर्ड द्वारा भेजकर उसकी क्रीमत और डाक खर्च से सूचित करें। इन्शाअल्लाह कथित क्रीमत टिकट द्वारा आपकी सेवा में भेज दी जाएगी या पहले सूचित करें उसकी जितनी क्रीमत हो आपकी की सेवा में भेज दी जाएगी। आशा है कि उत्तर से अवश्य सूचित करेंगे।

पता यह है:- डेडलेटर आफ़िस, लाहौर

मुहम्मद इस्हाक़, कर्मचारी डेडलेटर के पास पहुँचे

इसके बाद अर्ज़ यह है कि किताब *तौज़ीह-ए-मराम* लेखक मिर्जा क़ादियानी में कुछ शैर लिखे हैं उनके अर्थ पर सन्देह होता है। मौलाना मौलवी मुहम्मद इस्माईल रहमतुल्लाह अलैहि ने *तक्वियतुल ईमान* में ऐसी बातों की निन्दा की है। चूँकि मौलाना मरहूम तेरहवीं सदी हिज़्री के मुजद्दिद थे और मिर्जा का चौदहवीं सदी हिज़्री के मुजद्दिद होने का दावा है। एक बात को एक मुजद्दिद नाजाइज़ और गुनाह लिखे और दूसरा मुजद्दिद उसी बात को अपनी किताब में प्रचारित करे। यह बात किस तरह जाइज़ समझी जाए। वे शैर निम्नलिखित हैं:-

1- شان احمد را که داند جز خداوند کریم
آنچنان از خود جدا شد که میان افتاد میم

(1) अहमद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की शान को कृपालु ख़ुदा के अतिरिक्त और कौन जान सकता है* वह अपनी सांसारिकता से दूर होकर ऐसा हो

* (चूँकि पत्र का यह हिस्सा फटा हुआ था इसलिए पढ़ा नहीं जा सका -प्रकाशक)

गया जैसे कि अहमद के बीच से *म* शब्द दूर होने के बाद अहद रह जाता है।
2- زان نمط شد محو دلبر کز کمال اتحاد پیکر او شد سراسر صورت رب رحیم

(2) वह अपने प्रियतम (अर्थात् खुदा) में इस तरह खो गया कि पूर्णतः
एकरंग होने के कारण उसका रूप साक्षात् खुदा का रूप हो गया।

3- بوئے محو حقیقی مے دم دزان روئے پاک ذات حقّانی صفا تش مظهر ذات قدیم

(3) उसके चेहरे से सच्चे खुदा की खुशबू आ रही है उसका महानतम्
अस्तित्व अनादि खुदा के गुणों का द्योतक है।

4- گرچه منسوبم کند کس سوئے الحاد و ضلال چون دل احمد نه مے بینم دگر عرش عظیم

(4) चाहे मुझे कोई पथभ्रष्ट और अधर्मी कहे, पर मैं तो अहमद के दिल
जैसा और कोई बड़ा दिल नहीं देखता।

इन शैरों का अर्थ पूरी तरह फ़िर्का वजूदिया की विचारधारा पर संकेत करता है जिससे खुदा को एक और अद्वय मानने वालों का गिरोह अत्यन्त नाराज़ चला आ रहा है। मुसलमानों में वजूदी, हिन्दुओं में वेदान्ती परस्पर एक जैसे ही हैं। आश्चर्य है कि मिर्ज़ा मुजद्दिद का दावेदार होकर ऐसी भ्रष्ट और नास्तिकतापूर्ण बातें अपनी किताब में लिखे और दिलेरी से यह कहे कि(फारसी इबारत) अर्थात् चाहे कोई मुझे पथभ्रष्ट या अधर्मी कहता रहे, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हाँ दुनिया में तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन क्रयामत के दिन उस सबसे बड़े बादशाह के सामने क़लई खुल जाएगी।

मौलवी मुहम्मद अहसन साहिब का जवाब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

विनीत सैयद मुहम्मद अहसन की ओर से

सेवा में,

बूबा शाह व मुहम्मद इस्हाक साहिब

अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातहू

दो पत्र आपके मिले, हाल यह है कि पत्रिका *आलामुन्नास* की मुफ्त वितरित की जाने वाली प्रतियाँ अब शेष नहीं रहीं। पचास प्रतियाँ इस विनीत को वितरण के लिए मिली थीं, वे सब वितरित हो चुकी हैं। लाहौर में कुछ लोगों के पास यह प्रतियाँ पहुँच चुकी हैं। आप किसी से खरीद लीजिए। इसके अतिरिक्त तौजीह-ए-मराम में उल्लिखित शैरों के बारे में जो सन्देह आपने लिखकर भेजे हैं वे सब सोच-विचार और गौरोफ़िक्र न करने के कारण हैं।

☆ شان احمد را که داند جز خداوند کریم
آنچنان از خود جدا شد که میان افتادیم

सर्वप्रथम तो इन शैरों का अर्थ और आशय स्वयं हजरत अक़दस ने शैरों के आगे-पीछे खोलकर विस्तारपूर्वक लिख दिया है। जिसके पढ़ने से सद्भावकों को किसी प्रकार का कोई सन्देह शेष नहीं रहता। आप उस स्थान को ध्यानपूर्वक सोच-विचार कर पढ़ें और यदि केवल शब्द لا تقربوا الصلوة (ला तक़िबुस्सलातु) को ही देखेंगे और आगे-पीछे नहीं पढ़ेंगे तो सन्देह कैसे दूर हो सकते हैं। फिर इन आयतों का क्या अर्थ और आशय है

دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (सूरह अलन्जम: 9,10)

अनुवाद - वह निकट हुआ। फिर वह नीचे उतर आया। अतः वह दो धनुषों की प्रत्यंचा की भाँति अथवा उससे भी निकटतम हो गया।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (सूरह अन्क़ाल:18)

अनुवाद - और (हे मुहम्मद!) जब तूने (उनकी ओर कंकर) फेंके तो तूने नहीं फेंके बल्कि अल्लाह ने फेंके।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (सूरह अलन्जम:4,5)

अनुवाद - और वह मन की इच्छा से बात नहीं करता। यह तो केवल एक वह्यी है जो उतारी जा रही है।

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (सूरह अलफ़तह:11)

अनुवाद - नि:सन्देह वे लोग जो तेरी बैअत करते हैं वे अल्लाह ही की बैअत करते हैं।

इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी आयतें हैं। इन आयतों के आप जो अर्थ और आशय समझें, इन शैरों को उसकी व्याख्या समझ लें। फिर इन शैरों में स्पष्टतः कोई सन्देह भी ज्ञात नहीं होता। सारांश यह है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का मक़ाम और मर्तबा ख़ुदा तआला के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के महान स्थान का तो वर्णन ही क्या, किसी छोटे से छोटे वली (पुण्यात्मा) का मक़ाम व मर्तबा भी नहीं जान सकता। कहावत मशहूर है कि *ولى راولى ے شاسد* आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने स्वार्थ एवं सांसारिक इच्छाओं से ऐसे अलग और दूर हुए कि उनमें ख़ुदा की इच्छाओं के अतिरिक्त स्वार्थ एवं सांसारिकता की कोई इच्छा नहीं पायी जाती। हदीस बुखारी में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सेवकों औलियाअल्लाह के बारे में लिखा है *كنت سمعه الذى يسمع به وبصره* आप *الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولسانه الذى يتكلم به الى اخره* इस हदीस का क्या अर्थ समझते हैं, उसी प्रकार के यह शैर हैं:-

زان نط شد مو دلبر کز کمال اتحاد پیکر او شد سراسر صورت رب رحيم

अनुवाद - वह अपने प्रियतम (अर्थात् ख़ुदा) में इस तरह खो गया कि पूर्णतः एकरंग होने के कारण उसका रूप साक्षात् ख़ुदा का रूप हो गया।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

(अनुवाद- खुदा के अतिरिक्त हर एक चीज़ नश्वर है -अनुवादक) और

خلق آدم على صورته (खलक़ा आदमा अला सूरतिही)

अनुवाद- अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है, के अर्थों पर गौर करो। यद्यपि अरबी शब्द सूरतही में सूरत के साथ लगे सर्वनाम *ही* पर बहुत मतभेद है परन्तु जिस दशा में सूरतही शब्द में लगा सर्वनाम *ही* अल्लाह की ओर मुड़ता हो तो फिर इसके क्या अर्थ होंगे। वही अर्थ इस शैर के समझें जाएँ।

بوءے محبوب حقیقی سے دمرزان روئے پاک ذات حقانی صفاتش مظهر ذات قدیم

अनुवाद - उसके चेहरे से सच्चे खुदा की खुशबू आ रही है उसका महानतम अस्तित्व अनादि खुदा के गुणों का द्योतक है।

हे मेरे प्यारे मित्र* तुम हर जुमा के खुत्बा में सुनते होगे कि السّلطان ظلّ الله الخ- (अनुवाद -बादशाह अल्लाह का प्रतिरूप होता है -अनुवादक)

जब एक छोटे से बादशाह के सम्बन्ध में ऐसा आदेश है कि वह अल्लाह का प्रतिरूप है तो फिर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के खुदा के द्योतक या प्रतिरूप होने में कौन मोमिन शक कर सकता है।

گرچه منسوبم کند کس سوئے الحاد و ضلال چون دل احمد نئے بینم دگر عرش عظیم

अनुवाद - चाहे मुझे कोई पथभ्रष्ट और अधर्मी कहे, पर मैं तो अहमद के दिल जैसा और कोई बड़ा दिल नहीं देखता।

मेरे स्नेहमय मित्र इस आयत का क्या अर्थ है:-

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ

(सूर: अल जुखरुफ़ आयत नं.82)

इमाम शाफ़ई और इस्लाम के बड़े-बड़े धर्मशास्त्रियों के शैरों में इस प्रकार का मुहावरा पाया जाता है:-

ان كان رفضاً حبال محمدٍ فليشهد الثقلان اني رافض

बूबा शाह और मुहम्मद इस्हाक्र साहिब का जवाब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

खाकसार बूबा शाह और मुहम्मद इस्हाक्र की ओर से
सेवा में

अतिप्रिय जनाब मौलाना मौलवी मुहम्मद अहसन साहिब, खुदा आपको
सदैव प्रतिष्ठा प्रदान करे।

अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातुहू

आपका प्रेमपत्र मिला, जिसमें प्रेषित प्रश्नों का उत्तर व्यक्त है। इस उत्तर के देखने से ज्ञात होता है कि आपने विनयपत्र को पूरे ध्यान से नहीं पढ़ा। श्रीमान् असल सन्देह यह है कि जब मिर्जा साहिब ने अपने और मसीह अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसा मक़ाम और मर्तबा साबित किया है जिसको इब्नुल्लाह से कल्पित कर सकते हैं, हालाँकि किताब और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं। तो यह प्रश्न पैदा हुआ कि अब रसूले मक्रबूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए कौन सा मक़ाम व मर्तबा शेष रहा। उसके जवाब में मिर्जा साहिब ने फ़रमाया है कि आँजनाब रसूले मक्रबूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए एक सर्वोच्च मक़ाम और मर्तबा है जो आँजनाब रसूले मक्रबूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व और विशेषताओं पर समाप्त हो गया जिसके मक़ाम व मर्तबा तक पहुँचना किसी दूसरे का काम नहीं, कि वह किसी और को प्राप्त हो सके। उसी जवाब के नीचे मिर्जा साहिब ने यह शैर लिखे हैं, जिनसे जनाब रसूले मक्रबूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम का खुदा तआला से ऐक्यता और अद्वयता का सारांश निकलता है। अब इस ऐक्यता से लाक्षणिक अद्वयता और भौतिक (अवास्तविक.....पृ. 313) ऐक्यता तात्पर्य है या मौलिक ऐक्यता और वैयक्तिक

★ निम्नलिखित सभी फ़ारसी शैरों का अनुवाद पृष्ठ 293 पर दिया जा चुका है।

(अर्थात् व्यक्ति विषयक) अद्वयता। पहली प्रकार की ऐक्यता और अद्वयता तो आँजनाब रसूले मक़बूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सेवकों औलियाअल्लाह को भी प्राप्त और सिद्ध है जो मसीह अलैहिस्सलाम से मक़ाम व मर्तबा में बहुत कम हैं। आयत **فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ** (सूर: अन्क़ाल आयत 18) और हदीस **كُنْتُمْ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ الْخ** (कुन्ता समिअहु अल्लज्जी यस्मओ बिही.....) देखें। अतः इस प्रकार का आशय निकलने के निर्णय पर मिर्ज़ा साहिब का अपने लिए इब्नुल्लाह और मसीह अलैहिस्सलाम से समानता सिद्ध करना और इसके मुक़ाबले पर जनाब रसूले मक़बूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए वह मर्तबा बयान करना जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से बहुत कम मर्तबा वाले लोगों के लिए भी साबित है, इस दृष्टि से वस्तुतः अपने आपको जनाब रसूले मक़बूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम से श्रेष्ठतर और महानतर ठहराना है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर मिर्ज़ा साहिब जनाब रसूले मक़बूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम की महान शान और मसीह अलैहिस्सलाम पर बड़ाई बयान करना चाहते हैं और इस साधारण विशेषता के बयान करने से वह मतलब हासिल नहीं हो सकता, जिसके कारण मिर्ज़ा साहिब की बातें व्यर्थ ठहर रही हैं। इसलिए अर्थों की दूसरी क्रिस्म मौलिक ऐक्यता और वैयक्तिक (अर्थात् व्यक्ति विषयक) अद्वयता अवश्य तात्पर्य होनी चाहिए, और यही हमारा प्रश्न था कि इन शैरों से ख़ुदा के साथ ऐक्यता सिद्ध होती है जो अधिकतर मुसलमानों के मतानुसार झूठ है।

اشهد ان محمدا عبده ورسوله + سبحان الذي أسرى بعبده + فأوحى إلى عبده ما
 لا يرى بالعين + أو وحى + قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ
 (لا تقرأوا الصلوة) (ला तक्रबुस्सलात अर्थात् नमाज़ के निकट मत जाओ) पर आपने
 ही अपनी सोच को छोटी और परिवेष्टित कर रखा है, न कि ख़ाक़सारी ने।

तुम्हारा प्रश्न है कि इन आयतों के क्या अर्थ होंगे:-

دُنِيَ فَتَدَلِّي الْخ (दना फ़ तदल्ला.....) मेरे श्रीमान् इन आयतों के वही अर्थ हैं जो आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा या हज़रत इब्नि अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हु से

उदाहृत हैं। लेकिन वे आपको क्या लाभ देंगे। **तुम्हारा कहना है कि:-**

وَمَا رَمَيْتَ الْخ- (व मा रमैता....) इस प्रकार का संबोधन दूसरों के सन्दर्भ में भी मौजूद है जो मसीह अलैहिस्सलाम से मक्राम और मर्तबा में कम हैं।

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (सूर: अल् जुमर आयत नं. 43)

अनुवाद - अल्लाह जानों को उनकी मृत्यु के समय कब्ज कर लेता है।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ (सूर: यासीन आयत नं. 15)

अनुवाद - और जब हमने उनकी ओर दो (रसूल) भेजे।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ (सूर: अल् अन्फ़ाल आयत नं. 18)

अनुवाद - अतः तुमने उनका वध नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनका वध किया है।

كنت مرضت فلم تعدنى (कुन्तु मरिज़तो फ़ लम् तयिदुनी) पर मिर्ज़ा साहिब आयत : وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ (सूर: अन्फ़ाल आयत नं. 18) के उलट अपने शैर में ऐसी विशेषता बयान करना चाहते हैं जो स्वयं पर सर्वोत्कृष्टता को पहुँच गई हो और इससे स्वयं का सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम होना सिद्ध हो, उससे यह अभिप्राय नहीं। अतएव मिर्ज़ा साहिब के शैर को पवित्र आयत पर अनुमान लगाना ठीक नहीं हो सकता।

तुम्हारे कथन:- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

(आयत) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- الْخ- (व मा यन्तिकु अनिलहवा.....)

के अनुसार जंगे बद्र और ग़ज़वा हुदैविय: में जो ग़लती आप से हुई थी वह खुदा तआला से हुई होगी। अफ़सोस मिर्ज़ा साहिब के प्रेम ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। सच है कि किसी चीज़ के प्रेम ने आपको अन्धा और बहरा बना दिया है।

تुम्हारा कहना है कि إِنَّ الدِّينَ يَبِيعُ زُكَّ الْخ- (इन्ल्लजीना युबाइऊनका.....) इस पवित्र आयत का हाल भी आयत وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ (व मा रमैता इज़ रमैता) का सा है जो पहले गुज़र चुकी है।

तुम्हारा कहना है कि كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ الْخ (कुल्लु शैइन हालिकुन..... अर्थात् हर इक चीज़ नश्वर है) आपके निकट किसी चीज़ का मरना व नष्ट होना और उसका किसी दूसरी चीज़ से मिल जाना एक ही बात होगी। जब हर चीज़ को नष्ट होना और आपके कथनानुसार ख़ुदा से मिल जाना ज़रूरी है तो इसमें जनाब रसूले मक्बूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम की क्या विशेषता हुई। आप अद्वैतवाद के मसला (विचारधारा) को यहाँ खपाना चाहते हैं, लेकिन आपके पीर (गुरू) की बातों का अगला-पिछला हिस्सा उसे खपने नहीं देता। अतः अपने पीर साहिब की किताबों को पढ़िए।

तुम्हारा कहना है कि خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ الْخ (खलक़ा आदमा अला सूरतही...अर्थात् ख़ुदा ने मनुष्य को अपने रूप पर पैदा किया है) कर्ता निकट होते-होते क्या आवश्यक है कि दूर की ओर सर्वनाम फेरकर कर्म का वर्णन किया जाए। यह भी विशिष्ट कलाएँ नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से न होंगी ज़रा गौर कीजिए।

तुम्हारा कहना है कि हे मेरे प्यारे (अन्त तक)।

जनाब रसूले मक्बूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के (ख़ुदा के) द्योतक होने में शक करना वस्तुतः किसी मोमिन का काम नहीं, लेकिन और कौन सी चीज़ है जो द्योतक नहीं है। *سُبْحَانَ اللَّهِ، هَرَّ جِبِّي بِدَانِكْ مَطْهَرِ اَوْ سَت* इब्नुल्लाह होने का दावा और जनाब रसूले मक्बूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए केवल द्योतक होना। जिसमें छोटे से छोटा भी जो सम्भव हो सकता है वह आपका शरीक़ (भागीदार) है। सारांश यह कि इन शैरों में लाक्षणिक अद्वयता तात्पर्य लेने से मिर्ज़ा साहिब की किताबों की अगली-पिछली इबारत की दृष्टि से नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर बड़ाई साबित होती है और मौलिक अद्वयता आपेक्षित हो तो अतिशयोक्ति करने वालों का मत मानना पड़ता है *غَلَات* और कुल मिलाकर यह दोनों ही बातें झूठ हैं।

तुम्हारा प्रश्न है कि इस आयत के क्या अर्थ होंगे *قُلْ اِنَّ كَانِ الْخ* (कुल इन काना लिर्हमाने वलदुन.....)

मेरे जनाब इस मुहावरा और प्रयोग-शैली में सन्देह नहीं है। सन्देह यह है कि यदि मिर्ज़ा साहिब की पिछले शैरों में मौलिक अद्वयता आपेक्षित और तात्पर्य न हो तो फिर इन शैरों में कौन सी बात है जिसके कारण कोई उनको अधर्म और नास्तिकता की ओर मन्सूब करेगा। इस शैर से स्पष्ट मालूम होता है कि मिर्ज़ा साहिब के पिछले शैरों में मौलिक अद्वयता तात्पर्य है। जिस पर उनको सन्देह हुआ कि उलेमा-ए-शरीअत काफ़िर और बेदीन (नास्तिक) कहेंगे। अतः आपने जो कुछ उनकी बातों को लाक्षणिक अद्वयता इत्यादि पर मनोकल्पित करने की कोशिश की है वह मिर्ज़ा साहिब के निकट व्यर्थ है। **يا رب مبادكس را مخروم بے عنایت**।
आपका कहना है कि किताब *मन्सब-ए-इमामत* व *सिरात-ए-मुस्तक़ीम*.....।

सम्भवतः आयत

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(सूर: अल हश्र आयत नं. 8)

अनुवाद - और रसूल जो कुछ तुम्हें प्रदान करे तो उसे ले लो और जिस बात से तुम्हें रोके उससे रुक जाओ।

आपके निकट मन्सूख (निरस्त) हो गई होगी जो मन्सब इत्यादि पर चलने की हिदायत होती है। इस सब के अतिरिक्त *मन्सब-ए-इमामत* और *सिरात-ए-मुस्तक़ीम* को *तक्विबतुल ईमान* पर क्या प्रधानता है जो उसे छोड़कर उन पर चलें। *तक्विबतुल ईमान* पृष्ठ 62 देखिए कि उसमें स्व. मौलाना मुहम्मद इस्माईल शहीद फ़रमाते हैं:- बल्कि कई झूठे दगाबाजों ने इस बात को खुद पैग़म्बर की ओर मन्सूब किया है कि उन्होंने स्वयं फ़रमाया है कि *अना अहमद बिला मीम* (अर्थात् मैं अद्वय प्रशंसक हूँ- अनुवादक) और इसी तरह एक बड़ी अरबी इबारत बनाकर उसमें ऐसी-ऐसी ख़ुराफ़ातें जमा कर कर उसका नाम *ख़ुबतुल-इफ़्तिख़ार* रखा है। और उसको हज़रत अली मुर्तुज़ा करमहुल्लाहो वज्हो की ओर मन्सूब किया है, यह बहुत बड़ा लांछन है। अल्लाह सारे झूठों का मुँह काला करे। स्व.मौलाना की यह इबारत शब्द अहमद बिना मीम के रद्द

के सम्बन्ध में कुर्आन की स्पष्ट आयतों से प्रमाणित है। इसके सामने *मन्सब* और *सिरात-ए-मुस्तक़ीम* के अस्पष्ट लेख तर्कयोग्य नहीं हो सकते। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:- **لا تطروني كما طرت النصارى عيسى ابن مريم فأنما انا عبده** (सहीह बुखारी किताब अहादीसुल अम्बिया बाब फ़ी क्रौलिल्लाह- वज़कुर फ़िल्किताब मरियमा....। अर्थात् तुम मेरी इस तरह तारीफ़ के पुल मत बाँधो जिस तरह ईसाइयों ने ईसा इब्नि मरियम की तारीफ़ के पुल बाँधे हैं। मैं अल्लाह का बन्दा हूँ, इसलिए तुम मुझे केवल अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल ही कहा करो। -अनुवादक)

मेरे श्रीमान् ख़ाक़सारी ने आपको पुराना मित्र समझकर पुनः कष्ट दिया है ताकि हमारे सन्देह दूर हो जाएँ। शायद श्रीमान् के निकट यदि कोई शब्द कठोर लगे तो क्षमा करें। यदि धार्मिक विषय न होता तो जो कुछ आप लिख देते उसके स्वीकार करने में कोई आनाकानी न होती। चूँकि यह धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और हम वजूदियों (भौतिकवादियों) को इस्लाम के सारे पेशवाओं के मुखालिफ़ और शरीअत को ख़राब करने वाले सुनते आए हैं। इस्लाम के सारे फ़िर्क़ों में से विशेषकर यह फ़िर्का (अर्थात् वजूदी -नाक्रिल)सबसे ख़राब है, फिर कैसे सब्र किया जाता। विनयपत्र

बूबा शाह व मुहम्मद इस्हाक़

दिनांक 30 अगस्त सन् 1891ई.

मौलवी सैयद मुहम्मद अहसन साहिब का जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मेरे प्यारे भाइयो मुंशी मुहम्मद इस्हाक साहिब व मुंशी बूबा शाह साहिब
अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातुहू

कृपापत्र ने आकर हर्षोल्लासित किया। अल्लाह आपको उत्तम प्रतिफल प्रदान करे। आपको धार्मिक विषयों की तहक्रीक का बड़ा शौक है और इस पर यह बड़ी खूबी है कि किताब व सुन्नत ही आपका लक्ष्यबिन्दु और दृष्टिकोण है। आप जैसे साहिबों से सच्चाई स्वीकार करने की बड़ी उम्मीद है, देखा-देखी स्वीकार करने की हालत में यह उम्मीद नहीं होती। इस पत्र में आपने कुछ ऐतराज किए हैं। मेरे पहले पत्र को आपने गौर से नहीं पढ़ा, इसलिए पुनः लिखता हूँ:-

पहला ऐतराज- हजरत मिर्जा साहिब ने अपने और मसीह अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसा दर्जा साबित किया है जिसको इब्नुल्लाह कह सकते हैं, हालाँकि किताब और सुन्नत में इसका बिल्कुल सुबूत नहीं है।

जवाब- निःसन्देह बिल्कुल सच है। किताब और सुन्नत में इस मक़ाम व मर्तबा के सुबूत का क्या वर्णन है? तो इसका इन्कार मौजूद है। यह तो यहूदियों और ईसाइयों का मत है।

जैसा कि खुदा खुद कहता है कि:-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

(सूर: अल-तौब: आयत नं. 30)

अनुवाद - और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का पुत्र है और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का पुत्र है।

फिर फ़रमाया:-

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ط إِنَّهُمْ خَيْرٌ الْكُفْم

अनुवाद - और तीन मत कहो। (इससे) रुक जाओ कि इसी में तुम्हारी भलाई है।

लेकिन मेरे प्रिय मित्र मिर्ज़ा साहिब इसके कब क़ाइल हैं। वह इसके बारे में यह कहते हैं “जिसको दुष्प्रकृति स्वभाव लोगों ने मुश्रिकाना (अर्थात् बहुदेववाद के) तौर पर समझ लिया है और मिट्टी के एक अतिसूक्ष्म अणु को जो नश्वर और क्षणभंगुर है ख़ुदा तआला के बराबर ठहरा दिया है.....” मिर्ज़ा साहिब की बातों से खुला-खुला और स्पष्टतः मालूम हुआ कि जो लोग ऐसी तसलीस (Trinity) को मानते हैं उनकी विचारधाराएँ अत्यन्त दूषित हैं और वे मुश्रिक (बहुदेववादी) हैं और ईसा इब्नि मरियम हों या उनके समरूप वे सब एक मिट्टी के अतिसूक्ष्म अणु हैं। जिसका होना न होना बराबर है। एक कवि के कथनानुसार कि:-

آئس که اولش عدم و آخرش فناست + در حق او گمان ثبات و بقا خطاست

इसीलिए इस अणु के बारे में फ़रमाया कि वह तो स्वयं नश्वर और क्षणभंगुर है जैसा कि आयत *كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ* (सूर: अल्-क़सस आयत नं. 89, अर्थात् ख़ुदा के तेज के अतिरिक्त हर एक चीज़ नश्वर है-अनुवादक) से स्पष्ट है। फिर आगे फ़रमाया *الاکل شی ما خلا الله باطل* (इल्ला कुल्लु शैइन मा ख़लल्लाहु बातिला) कि उसकी जड़ ही नश्वर है। जब उस अणु यह वास्तविकता ठहरी कि वह अपनी बुनियाद (मूल) में ही नश्वर है तो ऐसी हस्ती के साथ जो सबसे महान, चिरस्थायी और अनश्वर है कैसे किसी बात या गुण में साज़ीदार या बराबर हो सकता है। अब आपको मिर्ज़ा साहिब का अक़्रीदा तो उसी किताब “तौज़ीह मराम” से ज्ञात हो गया और यही अक़्रीदा हमारा और आपका है। अब इतनी बात और है कि जो उपमाएँ और अवस्थाएँ अल्लाह के भक्तों की होती हैं उनको हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। कहावत मशहूर है कि:- *ولی را ولی می شناسد* लेकिन उदाहरण के तौर पर एक हालत जो मुझ पर और आप पर और सब पर आयी है या आती है, मैं उसको याद दिलाता हूँ। जब आप शैशवावस्था में अपने माता-पिता के पालन-पोषण के मातहत थे तब अपने माता-पिता पर आपको पूरी तरह से भरोसा था। न आपको खाने की फ़िक्र थी, न आपको कपड़ों की फ़िक्र थी, न आपको किसी दुश्मन की फ़िक्र थी और सारी बातों में आपका झुकाव

अपने माता-पिता ही की ओर रहता था। यहाँ तक कि यदि माँ ने कभी आपको मारा भी होगा तो भी आपने माँ ही की ओर झुकाव किया होगा। कहावत मशहूर है कि:- “माँ मारे, लड़का माँ ही माँ पुकारे” यह हालत तो आपकी हुई। अब अपने माता-पिता की हालत को देखिए कि उनकी हमदर्दी और मुहब्बत का कुछ वर्णन ही नहीं, वे दुनिया भर की भलाइयाँ आप ही के लिए चाहते हैं और यदि उनका बस चलता तो आपके दुश्मन को दुनिया से मिटा ही डालते। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि किसी मोमिन की भरोसे की हालत अपने पालनहार खुदा के साथ ऐसी ही हूबहू हो जैसा कि आपको अपने पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ थी और हर तरह से आपको अपने पालन-पोषण करने वाले माता-पिता पर भरोसा था, तो क्या यह हालत भी शिर्क या कुफ़्र है। आप अवश्य कहेंगे कि यह हालत कैसे शिर्क हो सकती है, यह तो विश्वास की उत्कृष्टता का उदाहरण है। फिर यदि ईमान के इस उत्कृष्ट मक़ाम और मर्तबा पर मिर्ज़ा साहिब पहुँचे हुए हों तो इसमें कौन सी बात किताब और सुन्नत के खिलाफ़ है। मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब ने “तफ़्सीर फ़ौज़ुलकबीर” में लिखा है कि यदि हम मान लें कि इन्जीलों में “इब्नुल्लाह” का शब्द आया है तो स्पष्ट हो कि प्राचीनकाल में इब्नि शब्द के अर्थ अत्यधिक चहेते और प्यारे के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इन्जील के मुहावरों से पूर्णतः यही अर्थ ज्ञात और प्राप्त होते हैं। इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा साहिब पर खुदा के प्यार के तीनों रंग ज़ाहिर हुए। जिनमें से एक यह मर्तबा है कि रूपक और उदाहरण के रंग में उस मर्तबा को इब्नियत (पुत्रप्रेम) के रूप में समझ सकते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि सृष्टि में से किसी को मूलतः खुदा के बेटे होने का स्थान प्राप्त हो। ऐसा कहने से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं।

यदि आप कहें कि हमको किताब व सुन्नत से इस मक़ाम व मर्तबा का पता और निशान बतलाओ तब हमारी पूरी तसल्ली होगी तो लीजिए। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि:-

(अल्-बक़र: आयत नं. 201) فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَدِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

अनुवाद - अल्लाह को स्मरण करो। जिस प्रकार तुम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हो।

जब तक पूरे विश्वास से इस हालत तक न पहुँचे जो ऊपर बयान हुई है तो आदमी खुदा को ऐसे कैसे याद कर सकता है जैसा कि आयत में उपमात्मक शब्द “क” से वर्णित और निर्दिशत किया गया है। हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने भी जगह-जगह पर रूपक एवं लाक्षणिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि वैसा ही आयत में भी वर्णित है। फिर उसी आयत की तफ़्सीर मिर्ज़ा साहिब ने की है और फिर तब्रानी की हदीस **الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله** (अनुवाद- सृष्टि अल्लाह का परिवार है और खुदा को वह व्यक्ति सबसे अधिक पसंद है जो उसकी सृष्टि को लाभ पहुंचाए) में उपमा का शब्द तक भी नहीं है। हे मेरे मित्र! औलियाअल्लाह की कोई बात जिस पर वे अडिग हों, ऐसी नहीं होती जो किताब और सुन्नत से निष्कर्षित न हो। लेकिन उसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता और मुखालिफ़ रहता है। **الناس اعداء لِمَا جَهِلُوا** (अनुवाद- लोग दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि वे मूर्ख होते हैं। -अनुवादक) हाँ निष्कर्ष निकालने वाले लोग ही उसको समझते हैं। अल्लाह तआला कुर्आन मजीद में फ़रमाता है:- **لَعَلِمَةُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ** (सूर: अल्-निसा आयत नं. 84, अर्थात् जो लोग निष्कर्ष निकालते हैं वे अवश्य उसकी वास्तविकता को जान लेते हैं- अनुवादक)

दूसरा ऐतराज़- दूसरा ऐतराज़ आपका यह है कि मिर्ज़ा साहिब की तक्ररीर से मालूम होता है कि अल्लाह तआला के साथ अहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ऐक्यता, मौलिक (आधारभूत) ऐक्यता है। जो सारे मुसलमानों के निकट व्यर्थ है और यदि लाक्षणिक ऐक्यता समझी जाय तो इसमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की कोई महानता सिद्ध नहीं होती, बल्कि मिर्ज़ा साहिब ही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से महान हुए जाते हैं क्योंकि वे इब्नुल्लाह ठहरे।

जवाब- निःसन्देह मौलिक (आधारभूत) ऐक्यता व्यर्थ है, निरर्थक है और आधारहीन है। हम उसके व्यर्थ और आधारहीन होने पर विश्वास रखते हैं, यही

हमारा और आपका अक्रीदा है और मिर्जा साहिब का भी यही अक्रीदा है। केवल इबारत में इतना फ़र्क है कि आपने फ़रमाया:- اتحاد الممكن مع الواج باطل (अर्थात् ख़ुदा के साथ थोड़ी सी भी ऐक्यता की सम्भावना व्यर्थ और आधारहीन है। -अनुवादक)

और मिर्जा साहिब इस बात से बढ़कर फ़रमाते हैं:- اتحاد ذرة الامكان (अर्थात् नश्वर और क्षणभंगुर अणु की अनादि और अनन्त ख़ुदा एवं उसके अस्तित्व से थोड़ी से भी ऐक्यता व्यर्थ और आधारहीन है। -अनुवादक) और लाक्षणिक ऐक्यता का गुण (लक्षण) तो आप आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ख़ादिमों (सेवकों) में भी स्वीकार कर चुके हैं, तो इस दृष्टि से आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को सबसे बढ़कर लाक्षणिक ऐक्यता प्राप्त होगी। इसमें हमारा और आपका कोई मतभेद नहीं है। केवल आपका यह सन्देह शेष रहा कि ख़ुदा के लाक्षणिक गुण जो मनुष्य में अंशतः पाए जाते हैं उनमें आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को दूसरों पर कोई विशिष्टता और बड़ाई प्राप्त नहीं होती। हे मेरे प्यारे दोस्तो! यही आपकी ग़लतफ़हमी है, यदि यह ग़लती दूर हो जाए तो फ़ैसला हो गया। अब इसका समाधान लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि पुरस्कार (इनाम) पाने की विशेषता में हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से लेकर सालेह (सदाचारी) स्तर तक के सब मोमिन शामिल हैं या नहीं? अल्लाह तआला कुर्आन करीम में फ़रमाता है:-

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(सूर: अल्-फ़ातिह: आयत नं. 6,7)

(कि हे मोमिनो तुम यह दुआ माँगा करो कि हमें सन्मार्ग पर चला, अर्थात् उन लोगों के पगचिन्हों पर जिन्हें तूने पुरस्कृत किया है। -अनुवादक)

और इसकी व्याख्या में ख़ुद अल्लाह तआला फ़रमाता है:-

مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ (अल्-निसा आयत नं.70)

(अर्थात् नबियों (अवतारों) में से, सिद्दीकों (सत्यवादियों) में से, शहीदों (बलिदानियों) में से और सालेहीन (सदाचारियों) में से -अनुवादक)

आप जो मेरे निकट सालेहीनों (सदाचारियों) में से हैं तो क्या इस विशेषता में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बराबर हैं? इस सन्दर्भ में जो तुम्हारा जवाब होगा वही हमारा जवाब है।

इसको भी छोड़िए, मोमिन होने का एक ऐसा गुण (स्वभाव) है जो फ़ासिक़ (पापी) मोमिन से लेकर हज़रत ख़ात्मुन्नबीयीन तक सब में पाया जाता है और सबको मोमिन कहते हैं, तो क्या फ़ासिक़ मोमिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बराबर हो गया?

इसको भी छोड़िए “वजूद” का शब्द एक ऐसा व्यापक और अविभक्त शब्द है जिसमें सृष्टि की समस्त छोटी-बड़ी चीज़ से लेकर ख़ुदा तआला तक सब शामिल हैं। तो क्या एक अणु का अस्तित्व ख़ुदा तआला के अस्तित्व के समान है? पहले इक्रार में हम और आप दोनों इस (अणु) को नश्वर और क्षणभंगुर कह चुके हैं। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, आप इनका क्या उत्तर देंगे। जो तुम्हारा जवाब होगा, वही जवाब हज़रत मुजद्दिद साहिब की ओर से है।

हे मेरे प्यारे मित्रो! यदि आपने मंतिक़ (तर्कशास्त्र) की प्रारम्भिक पुस्तकें भी देखी होंगी तो उनमें इसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। समग्रता के दो प्रकार हैं। (1) जातिवाचक (COMMON) समग्रता- जिसके अन्तर्गत सारे व्यक्ति समान हों (2) गुणवाचक (ABSTRACT) समग्रता- जिसके अन्तर्गत सारे व्यक्ति (गुण-दोषों की दृष्टि से) असमान होते हैं। अतएव मिर्ज़ा साहिब यही फ़रमाते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम इस लाक्षणिक अद्वयता के गुण में जो आप भी मानते हैं, ऐसे महानतम् और उच्चतम् स्तर पर पहुँचे हुए हैं कि न मसीह उस स्थान तक पहुँच सकते हैं और न कोई अन्य बादशाह या नबी।

اگر یک سر موئے برتر پریم فروغِ تجلی بسوزد پریم

और हज़रत मुजद्दिद साहिब ने इसी स्थान का नाम शत प्रतिशत-लीनता, ऐक्यता और अद्वयता रखा है, जिसके कारण आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की प्रशंसा में वे आयतें अवतरित हुईं जो मैंने पिछले पत्र में आपको लिखी थीं। सम्भवतः प्रतिच्छाया और अनुसरण की दृष्टि से आपके सेवकों के बारे में भी अवतरित हुई हों। अब सच-सच बताओ कि لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ (ला तक्रबुस्सलात) पर आपका व्यवहार था या इस ख़ाक़सार का ?

तीसरा ऐतराज़- तीसरा ऐतराज़ आपका यह है कि आयत دُنَى فَتَدَلَّى (दना फ़ तदल्ला) आपके अर्थ का समर्थन नहीं करती।

जवाब- इस आयत की व्याख्या में व्याख्याकारों ने बहुत से कारण लिखे हैं और हर एक व्याख्याकार ने अपने-अपने कारण को तर्कों से सिद्ध और पसन्द किया है। आपके निकट जो तर्क पसन्द हो उसी को अपना मत रखिए। क्योंकि हमारा आशय अर्थात् लाक्षणिक ऐक्यता और अद्वयता तो आप स्वीकार ही कर चुके हैं। आशय का प्रमाण इस आयत पर आधारित नहीं, लेकिन जिस साहिब के निकट इस आयत की व्याख्या और अनुवाद इस तरह पर हो (कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला के निकट हुए फिर नीचे की ओर अर्थात् लोगों की तरफ़ ख़ुदा के सन्देश पहुँचाने के लिए उतरे, बल्कि इससे भी बढ़कर निकट हुए)। सारांश यह कि دُنَى فَتَدَلَّى (दना फ़तदल्ला) में सर्वनाम आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ओर फेरा जाए, जैसा कि अधिकतर व्याख्याकारों ने लिखा है। तो इस दशा में जिस लाक्षणिक ऐक्यता और अद्वयता के लिए इस आयत को मैंने पिछले पत्र में लिखा था पूर्णतः लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आपको विस्तारपूर्वक और स्पष्टतः यह व्याख्या चाहिए तो इन्शाअल्लाह प्रस्तुत कर दी जाएगी और ज्ञात रहे कि हदीसों में परस्पर मतभेद की दशा में तर्जीह (दी जाने वाली हदीस) पर इज्माअ को प्रधानता होती है ताकि हदीसों का व्यर्थ होना अनिवार्य न ठहरे। इसी तरह जब किसी आयत की व्याख्या के ठोस और उचित कारण भिन्न-भिन्न हों तो सारे बड़े-बड़े सम्भावित कारणों को लेना

चाहिए ताकि सब पर पालन हो जाए और व्यर्थता अनिवार्य न ठहरे। इस निपट मूर्ख के निकट इस आयत की व्याख्या जो (इस चौदहवीं सदी हिज़्री के) मुजद्दिद साहिब पर (ख़ुदा की ओर से) स्पष्ट हुई है वह किसी पहले मुजद्दिद पर स्पष्ट नहीं हुई, कितनों ही पहलों ने आखिर वाले के लिए छोड़ दी है और इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह तआला कुर्आन करीम में फ़रमाता है:-

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

(सूर: अल्-हिज़्र आयत नं. 22)

(अनुवाद- कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके खज़ाने हमारे पास मौजूद न हों, हम उसे एक विशिष्ट ज्ञात सीमा के अनुसार ही उतारते हैं। -अनुवादक)

जब अल्लाह तआला के पास हर इक चीज़ के असीमित खज़ाने मौजूद हैं तो क्या कुर्आन करीम के रहस्यज्ञान उस चीज़ के अन्दर शामिल नहीं, वे तो मुजद्दिद-ए-उम्मत पर अपने-अपने समय में खुलते रहते हैं और इसीलिए उसको मुजद्दिद कहा गया है, कि वह किताब (अर्थात् कुर्आन करीम) और सुन्नत की नई-नई तर्कसंगत सूझबूझ लाता है और अलग से कोई नई शरीअत नहीं लाता। यदि वह नई-नई तर्कसंगत सूझबूझ न लाता तो उसको मुजद्दिद क्यों कहा गया।

आयत مَارَمِيَّت (मा रमैता...) इत्याद के बारे में जो आपने लिखा है कि ऐसी विशेषता दूसरों के बारे में भी आई है तो इसमें आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की विशेष रूप से क्या विशिष्टता सिद्ध हुई...। इसका उत्तर गुणवाचक समग्रता के रूप में हो चुका है, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम इस विशेषता में ऐसे उच्च स्तर पर पहुँचे हुए हैं कि कोई दूसरा नबी या बादशाह उसमें शामिल नहीं है।

चौथा ऐतराज़- आपका चौथा ऐतराज़ यह है कि ग़ज़वा-ए-बद्र और ग़ज़वा-ए-हुदैबिय: में जो ग़लती आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से हुई वह आपके निकट ख़ुदा तआला से हुई होगी।

जवाब- हे मेरे प्यारे दोस्तो! आपकी ईर्ष्या-द्वेष ने आपको अन्धा और बहरा

बना दिया है। अफ़सोस कि मिर्ज़ा साहिब से अकारण ईर्ष्या-द्वेष ने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। ईर्ष्या-द्वेष की दृष्टि से आँकना सबसे बड़ा अपराध है। मिर्ज़ा साहिब की किताबों में जगह-जगह पर यह व्याख्याएँ मौजूद हैं कि यह ऐक्यता और अद्वयता की विशेषता रूपक और लाक्षणिक तौर पर है न कि मूलतः, बल्कि शैर में भी (आँचुनान) का शब्द जो विशेष रूप से लाक्षणिकता के लिए आता है मौजूद है और यह इबारात (कि स्वयं में नश्वर और क्षणभंगुर अणु उस अनादि और अनन्त ख़ुदा से कैसे बराबर हो सकता है) भी “तौज़ीह-ए-मराम” में मौजूद है। इसके बावजूद आप यही समझते हैं कि मिर्ज़ा साहिब अद्वैतवाद के क्राइल हैं, ऐसा कदापि नहीं कदापि नहीं। हे मेरे प्यारे दोस्तो! यह आरोप तो उस पर लग सकता है जो मूलरूप से ऐक्यता और अद्वयता का क्राइल हो और हम इससे ख़ुदा की पनाह माँगते हैं। यही हमारा फ़ैसला है।

इसके अतिरिक्त यह ऐतराज़ कि आयत **كُلُّ شَيْءٍ مَّا لَكَ إِلَّا وَجْهَهُ** (कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू) से ऐक्यता और अद्वयता सिद्ध नहीं होती और यदि हो भी तो कुछ फ़ायदेमन्द नहीं क्योंकि इसमें हर एक चीज़ शामिल है।

जवाब- निःसन्देह आयत के शाब्दिक अर्थ से ऐक्यता और अद्वयता सिद्ध नहीं होती और जो एक प्रकार के गूढ़ संकेत (लक्षण) से अध्यात्मज्ञानी और औलियाअल्लाह इसके अर्थ लाक्षणिक ऐक्यता और अद्वयता व्यक्त करते हैं वे अर्थ बहुत गूढ़ और गहरे हैं और दूसरों पर सरसरी तौर पर स्पष्ट नहीं हो सकते। मैंने इस सन्दर्भ में अन्य आयतों के अतिरिक्त इस आयत को भी लिख दिया था। लेकिन वे गूढ़ अर्थ ग़लत भी नहीं हैं, क्योंकि लाक्षणिक ऐक्यता और अद्वयता को आप भी स्वीकार कर चुके हैं कि यह विशेषता तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के तुच्छ सेवकों को भी प्राप्त है और यह सिद्ध हो चुका है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को गुणवाचक समग्रता के रूप में उच्चकोटि की यह विशेषता प्राप्त है। इस दशा में उपरोक्त आयत इस लाक्षणिक ऐक्यता और अद्वयता पर एक गूढ़ संकेत भी करती है। सूरज और सितारों के दो अलग-अलग अस्तित्व हैं, लेकिन दिन में सूरज के अस्तित्व के सिवा सितारों का

अस्तित्व मौजूद ही नहीं। शेख बुस्तान लिखता है:-

ره عقل جز تیج در تیج نیست بر عارفان جز خدا تیج نیست
 توان گفتن این با حقایق شناس و له خورده گیر ند اهل قیاس
 اہلی قولہ۔ و له اہل صورت کجا پے برند کہ ارباب معنی بہ ملکہ درند
 کہ گر آفتاب ست یک ذرہ نیست و گر ہفت دریاست یک قطرہ نیست
 چو سلطان عزت علم بر کشد جہان جہانسر بجیب عدم در کشد
 الہ قولہ۔ مگر دیدہ باشی کہ در باغ و راغ بتابد بشب کرکے چوں چراغ
 یکے گفتش اے کرک شب فروز چه بودت کہ بیرون نیائی بروز
 بہن کاتشین کرک خاک زاد جواب از سر روشنائی چه داد
 کہ من روزو شب جز بصرانیم و له پیش خورشید پیدانیم

यदि आप कहें कि शेख बुस्तान के कथनों से बड़े-बड़े विषयों में यह कैसा निष्कर्षतः प्रमाणसिद्ध करना है। तो इसका उत्तर यह है कि इस लाक्षणिक ऐक्यता के प्रमाण में मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने शेख मुहीउद्दीन इब्नि अरबी की किताब से एक बहुत उत्तम उदाहृत प्रमाण लिखा है:-

غاية الوصلة ان يكون الشيء عين ما ظهر ولا يعرف كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عانق ابن حزم المحدث فغاب احدهما في الآخر فلم نر الا واحدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالاتحاد ولنعم ما قيل۔

جذبہ شوق بحدیست میان من و تو کہ رقیب آمد و نہ شناخت نشان من و تو

आगे रहा यह सन्देह कि जब हर एक चीज़ में यह गुण पाया जाता है तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इसमें क्या विशेषता ठहरी, तो इसका जवाब दो-तीन बार गुज़र चुका है। गुणवाचक समग्रता को ध्यान से याद करो। इसके अतिरिक्त जब आपके कथनानुसार मिर्ज़ा साहिब की बातों का अगला-पिछला भाग अद्वैतवाद के विषय को रद्द करता है तो अब झगड़ा ही क्या रहा। जब अद्वैतवाद का विषय मेरी और आपकी समझ से बाहर है तो फिर मैं उसे

कैसे स्वीकार कर सकता हूँ।

(अल् बकर: आयत नं. 287) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(अल्लाह तआला किसी पर उसके सामर्थ्य से बढ़कर बोझ नहीं डालता।
-अनुवादक) आप मुझ पर अकारण आरोप लगाते हैं।

छठा ऐतराज़- छठा ऐतराज़ आपका यह है कि **صورتہ** (सूरतिही) शब्द में सर्वनाम "ही" निकट की ओर फिरना चाहिए दूर की ओर क्यों फेरते हो।

जवाब- आपने हदीस के जो अर्थ समझे हैं वे भी सही हैं और जो दृष्टिकोण इस निपट मूर्ख ने लिखा है वह भी सही है, क्योंकि इसको इस कारण से प्रधानता प्राप्त है कि उसमें सर्वनाम का मुड़ना आपके दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है जबकि आपके अनुसार उसमें सर्वनाम का (निकट की ओर) फेरना व्यर्थ होता है। क्रिया के सम्बन्ध में सर्वनाम का उत्कृष्ट की ओर फेरना उचित है न कि निकृष्ट की ओर। **این ہم فیصلہ شد**

सातवाँ ऐतराज़- आपका सातवाँ ऐतराज़ यह है कि देखने में हर इक चीज़ द्योतक है। फिर इस द्योतकता की विशेषता में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को कौन सी विशिष्टता प्राप्त हुई।

जवाब- यह विशेषता भी अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में कि जिससे बढ़कर सम्भव नहीं, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ही में पाई जाती है, किसी दूसरे में नहीं। वही गुणवाचक समग्रता की हालत और बेटे के समान मक्राम व मर्तबा जो रूपक के तौर पर हज़रत मसीह या मसीह के समरूप इत्यादि को प्राप्त है वह हज़ारों दर्जा उस सर्वोत्कृष्ट ऐक्यता और अद्वयता से कम है जिसकी व्याख्या ऊपर गुज़र चुकी है। समझने के लिए सारांशतः आप ख़ुदा का निकटतम् प्यार पाने के उन तीनों दर्जों को रूपक और उदाहरण के तौर पर इस तरह समझ लीजिए कि एक प्रकार के प्यारों को ख़ुदा की ऐसी अनुपमेय निकटता प्राप्त है जैसा कि एक विशेष आज्ञापालक सेवक को अपने आक्रा (स्वामी) के साथ होती है। यह प्रेम और निकटता का सबसे छोटा दर्जा है जो अपने आप में वह भी बहुत बड़ा है। जिसके बारे में कुर्आन शरीफ़ में आया है:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (सूर: अल्-बक्रर: आयत नं. 166)

प्रेम और निकटता का दूसरा अनुपमेय दर्जा ऐसा है जैसा कि सुपुत्र को अपने पिता से। जिसकी ओर इस आयत में संकेत है:-

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

(सूर: अल्-बक्रर: आयत नं. 201)

प्रेम और निकटता का तीसरा दर्जा सबसे बढ़कर है, रूपक के तौर पर उसका उदाहरण ऐसा है जैसे कि किसी व्यक्ति का ऐसा रूप जो शीशे में ऐसा दिखाई देता हो कि उसमें रूपवान् के सारे गुण मौजूद हों। इन तीनों दर्जों में जो अन्तर है वह बुद्धि और विवेक वालों से छुपा नहीं है और हज़रत मुजद्दिद साहिब की बातों का यही सारांश और निचोड़ है जो तौज़ीह-ए-मराम में वर्णित है।

आठवाँ ऐतराज़- आठवाँ ऐतराज़ आपका यह है कि ऐक्यता और अद्वयता से तात्पर्य यदि लाक्षणिक ऐक्यता और अद्वयता है तो बड़ाई का कुछ भी कारण नहीं और यदि मौलिक ऐक्यता और अद्वयता तात्पर्य है तो कुफ़्र (अधर्म) है।

जवाब- इसका जवाब गुज़र चुका है कि मौलिक ऐक्यता और अद्वयता की बात निःसन्देह कुफ़्र (अधर्म) है और लाक्षणिक ऐक्यता और अद्वयता में और आप दोनों मानते हैं। जिसके स्तर गुणवाचक समग्रता की दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं। सर्वोच्च स्तर पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का स्थान है और उस स्थान तक कोई नहीं पहुँच सकता। **أدم ومن دونه تحت لوائى-**

नौवाँ ऐतराज़- इस मुहावरा और प्रयोग-शैली में कोई सन्देह नहीं।

जवाब- फिर मिर्जा साहिब पर आप क्यों सन्देह करते हैं। आपका जो सन्देह मिर्जा साहिब पर है, ठीक वही इमाम शाफ़ई व इब्नि तैमियः इत्यादि पर पड़ता है।

قال الشافعى:

فليشهد الثقلان انى رافض

ان كان رفضاً حب آل محمد

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:

فليشهد الثقلان انى ناصب

ان كان نصباً حب صحب محمد

وقال ابن قيم:

فان كان تجسيمات ثبوت صفاته لديكم فاني اليوم عبد مجسم
ما هو جوابكم من هذه الاكابر فهو الجواب من المجدد.

हे मेरे मोहतरम! इन प्रतिष्ठित बुजुर्गों की ओर से जो आपको जवाब है वही जवाब मुजद्दिद साहिब (हज़रत मिर्ज़ा साहिब) की ओर से भी है। ज़रा मेरे हाल पर गौर करके इस पत्र और पिछले पत्र को गौर से पढ़ो, वरना फिर मैं भी यह मिस्रअ (छंद) पढ़े देता हूँ: **يا رب مباد كس را مخدوم بے عنایت** हूँ:

दसवाँ ऐतराज़- किताब "मन्सब-ए-इमामत" पर चलने की क्यों हिदायत है। क्या आयत -

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(सूर: अल-हस्र आयत नं. 8) मन्सूख (निरस्त) हो गई है। पत्र के अन्त तक.....।

जवाब- गुस्ताखी माफ़ "तक्वियतुल् ईमान" पर चलने की क्यों हिदायत है। क्या उपरोक्त आयत मन्सूख (निरस्त) हो गई, जो "तक्वियतुल् ईमान" वगैरह पर चलने की हिदायत होती है। इस पर जो आपका जवाब होगा, वही हमारी ओर से जवाब है। इसके अतिरिक्त यह कि "तक्वियतुल् ईमान" को "मन्सब-ए-इमामत" इत्यादि पर क्या प्रधानता है जो इन्हें छोड़कर उन पर चलें। बल्कि "मन्सब-ए-इमामत" और "सिरात-ए-मुस्तक़ीम" को "तक्वियतुल् ईमान" पर अवश्यमेव प्रधानता प्राप्त है। क्योंकि यह दोनों किताबें आखिर में लिखी गई हैं और आखिरी कथन पहले कथन का नासिख (रद्द करने वाला) हुआ करता है, और फिर यह पूछता हूँ कि मैंने आपको मन्सब-ए-इमामत पर चलने की कब हिदायत की है। खुद आपने पहले पत्र में लिखा था कि मौलाना इस्माईल साहिब शहीद व मुजद्दिद ने ऐसे विषयों की जो "तौज़ीहे मराम" में लिखे हैं "तक्वियतुल् ईमान" में निन्दा की है। मैंने आपके जवाब में ख़ास तौर पर लिखा कि खुद हज़रत मौलाना इस्माईल साहिब ने ऐसे विषयों अर्थात् मन्सब-ए-इमामत को सिराते-मुस्तक़ीम

में सही ठहराया है। अब फ़रमाइए कि मौलाना इस्माईल मुजद्दिद साहिब की किताब पर चलने का वर्णन पहले आपने किया या मैंने। और फिर मैं यह कहता हूँ कि "तक्वियतुल ईमान" और "मन्सब-ए-इमामत" में परस्पर कोई विपरीतता भी नहीं है कि तक्वियतुल ईमान पर चलने से मन्सब-ए-इमामत हाथ से जाती रहे या मन्सब-ए-इमामत पर चलने से तक्वियतुल ईमान खत्म हो जाए। क्योंकि इन दोनों में किसी तरह की कोई परस्पर विरुद्धता और विपरीतता नहीं है। मैं दो वाक्य कहता हूँ सुनिए:-

(1) ज़ैद साहसिक रूप से लाक्षणिक शेर है।

(2) ज़ैद मूल रूप से कदापि शेर नहीं है।

इन दोनों में क्या विपरीतता है। मंतिक्र (दर्शन) की किताबों में आपने देखा-पढ़ा होगा कि:-

در تناقض هشت وحدت شرط دان... وحدت موضوع و محمول و مکان - الی آخره

जो शिक्षाएँ "तक्वियतुल ईमान" में हैं वह मूलतः हैं, और जो रहस्य और अध्यात्मज्ञान "मन्सब-ए-इमामत" इत्यादि में वर्णित हुए हैं वह दूसरे दृष्टिकोणों से लिखे हुए हैं। यदि दृष्टिकोणों पर गौर न किया जाए तो हिकमत (युक्ति) पूर्णतः व्यर्थ हो जाती है। जो लोग "मन्सब-ए-इमामत" इत्यादि के विषयों का इन्कार करते हैं वे मूल युक्ति (असल हिकमत) को झुठला रहे हैं। और फिर आपसे मैं यह अनुरोध करता हूँ कि यह सब झगड़े भी जाने दीजिए। आपसे मैं और कुछ नहीं कहता, आप "तक्वियतुल ईमान" पर ही चलते रहिए लेकिन हज़रत मिर्ज़ा साहिब को हज़रत मौलाना इस्माईल शहीद व मुजद्दिद की तरह और उनकी किताब "तौज़ीहे मराम" को किताब "मन्सब-ए-इमामत" इत्यादि की तरह समझिए। ख़ुदा की राह में जो तल्लीनता अन्त में हज़रत मौलाना इस्माईल साहिब शहीद व मुजद्दिद को प्राप्त हुई, वही तल्लीनता प्रारम्भ से इस "मुजद्दिदुल-वक्रत" (वर्तमान युग के सुधारक) की है। और जिस तरह के रहस्य और अध्यात्मज्ञान किताब "मन्सब-ए-इमामत" और "सिरात-ए-मुस्तक़ीम" में लिखे हैं उसी तरह के रहस्य और अध्यात्मज्ञान "तौज़ीहे मराम" इत्यादि में लिखे हैं। अतः यह हम दोनों

का फ़ैसला हो चुका। हे मेरे प्यारे मित्र! पूरे-पूरे ग़ैरमुक़ल्लिद (इकरंग) न आप हैं और न मैं हूँ। किसी विषय की जब हम और आप तहक़ीक़ करने बैठें तो बड़ी पंडिताई हमारी यह होगी कि तक्वियतुल ईमान में इस तरह लिखा है, मन्सब-ए-इमामत में उस तरह लिखा है और जलालैन में ऐसा कुछ लिखा है और कमालैन में वैसा कुछ लिखा है, और यदि इससे ज़्यादा पढ़ने और ढूँढ़ने की धुन होगी तो मौलवी मुहम्मद हुसैन की तरह "मुसल्लमुस्सबूत" और "मुतव्वल" हम्दुल्लाह मुल्ला हसन और "इर्शादुल-फ़हूल" व "दायरतुल-उसूल" के हवाले (उदाहृत प्रमाण) देने लगेंगे। अब आप फ़रमाइए यह तक्लीद (बहुरंगापन) नहीं तो और क्या है। पूरा-पूरा ग़ैरमुक़ल्लिद (इकरंगी) तो वही व्यक्ति होगा जो ब्रह्मज्ञानी और खुदा से समर्थनप्राप्त हो और मुजद्ददियत (सुधारक) के मुक़ाम व मर्तबा (पद) पर अल्लाह तआला ने उसको अवतरित किया हो। मेरे तुच्छ ज्ञान के अनुसार यह पद इस युग में मिर्ज़ा साहिब के अतिरिक्त और किसी को प्राप्त नहीं है। कलकत्ता से पंजाब तक और हिमालय के आँचल से बम्बई तक इस नाचीज़ ने भ्रमण किया और बहुत से उलेमा से परस्पर वार्तालाप किए, लेकिन इस दूर-दराज़ के भ्रमण पर मुलाक़ात न होने के बावजूद भी जो बात मैंने मिर्ज़ा साहिब में पाई, वह किसी और में नहीं पाई। वर्ना यह विनीत ग़ैरमुक़ल्लिदों (इकरंगों) में आगे-आगे रहने वाला किस तरह हज़रत (मिर्ज़ा साहिब) का पहले दर्जे का श्रद्दालु (भक्त) हो जाता।

اور امتحان بغیر تو یہ آپ کا غلام قائل نہیں ہے قبلہ کسی شیخ و شہاب کا

अनुवाद- और महोदय, यह आपका सेवक तो बिना जाँचे-परखे किसी का श्रद्दालु नहीं बनता। -(अनुवादक)

कभी आपने न सुना होगा कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब के यहाँ "मुसल्लमुस्सबूत" का दर्स हो रहा है या "मुतव्वल" पढ़ाई जाती है या मुल्ला हसन हम्दुल्लाह की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हिन्दुस्तान इत्यादि के तमाम उलेमा को जो उन विद्याओं में महारत रखते हैं उनके मुक़ाबला के लिए बुलाया जाता है, कोई आलिम उनका मुक़ाबला नहीं करता और न कर सकेगा। मौलवी

मुहम्मद हुसैन जो उन विद्याओं में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है उसने जब हज़रत मुजद्दिद (मिर्ज़ा साहिब) से मुक्राबला और मुबाहसा किया तो आपने सुना होगा कि उसका क्या परिणाम निकला। उस मुबाहसे में हज़रत मुजद्दिद (मिर्ज़ा साहिब) ने बिना किताब और तैयारी के जो रहस्य और अध्यात्मज्ञान बयान किए हैं वे (आज तक) न किसी आँख ने देखा और न किसी कान ने सुना के पात्र हैं। और मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब की तक्ररीर में रस्मी (प्रचलित) बातों के अलावा (वे भी सही तौर पर नहीं) दूसरी कोई बात नहीं है। जिससे ज्ञात होता है कि मौलवी मुहम्मद हुसैन एक पक्के मुकल्लिद (बहुरंगी) हैं और हज़रत (मिर्ज़ा) साहिब एक पक्के मुहक्किक़ (विश्लेषक और तत्वज्ञानी)। फिर क्या विवेकवानों के निकट यही मुबाहसा हज़रत मुजद्दिद (मिर्ज़ा साहिब) की मुजद्ददियत और मुहद्दसियत का एक बड़ा आसमानी निशान नहीं है। और यदि किसी साहिब की दृष्टि में हज़रत मुजद्दिद (मिर्ज़ा साहिब) की कुछ बातें सरसरी तौर पर ख़िलाफ़ मालूम हों तो सर्वप्रथम मूल रूप से वे उसूले-सहीहः (अर्थात् सच्चे और मूल सिद्धान्तों) के ख़िलाफ़ हैं ही नहीं, और फिर इसके अतिरिक्त क्या आप यह नहीं जानते कि तमाम् उलूमे-रस्मियः (अर्थात् वर्तमान में प्रचलित ज्ञानों) में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो परस्पर एक-दूसरे के विपरीत हैं और उनमें सच एक तरफ़ है। सर्फ़ (व्याकरण) से लेकर मंतिक़ (दर्शनशास्त्र), अर्थों एवं उसूले-फ़िक़क़ः और उसूले-हदीस इत्यादि के बयान में कोई ऐसी शिक्षा नहीं जिसके कई विषयों में मतभेद न हो, जो भी किताब इन शिक्षाओं की खोलकर देखोगे उसमें (ज़रूर मतभेद) पाओगे। अख़िफ़श इस तरह कहता है, सिब्बियः उस तरह कहता है, इब्निसीना का यह मत है, फ़ाराबी का कथन उसके ख़िलाफ़ है, इमाम राज़ी ने यूँ कहा है, इब्निसिलाह यूँ फ़रमाते हैं, लेकिन इब्न तैमियः ने उसके ख़िलाफ़ कहा है, "तौज़ीह तलवीह" में अमुक असल (बुनियाद) को ठोस कहा है, "इर्शादुलफ़हूल" में इस बुनियाद को रद्द कर दिया है, कहाँ तक मैं इस मतभेद को गिनाऊँ। फिर अगर हज़रत मुजद्दिद (मिर्ज़ा साहिब) की कोई बात सरसरी तौर पर उसूले फ़िक़क़ः या उसूले हदीस (अर्थात् फ़िक़क़ः या हदीस के सिद्धान्तों) के विपरीत ज्ञात होती

हो तो वर्तमान में इन मतभेदित शिक्षाओं के होते हुए यह कैसे सिद्ध हो कि हज़रत मुजद्दिद (मिर्ज़ा साहिब) ग़लती पर हैं। वह तो अपने हर एक मुद्दआ पर किताबुल्लाह (अर्थात् कुर्आन मजीद) को जो शरीअत के समस्त प्रमाणों और तर्कों से ऊपर है और समस्त इस्लामी फ़िर्कें उसे मानते हैं, पेश करते हैं। अब यदि कोई विद्वता का दावा करता है तो उनके इस मुद्दआ को कुर्आन मजीद से ही तोड़े। अच्छा, हदीस से ही तोड़े। चलो, अक्ल से ही तोड़े। जो मुकाबले के लिए बुलाए गए हैं देखें उनमें कौन-कौन उलेमा-ए-हिन्दुस्तान इस मैदान में आता है। जब किताबुल्लाह (अर्थात् कुर्आन मजीद) के बारे में यह आया है कि:-

(सूर: अल्-अन्आम - 60) لَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

अनुवाद- कोई नई या पुरानी बात ऐसी नहीं है जो इस कुर्आन में मौजूद न हो। - (अनुवादक)

तो क्या कुर्आन मजीद की इस आयत को अल्लाह तआला का कलाम न कहा जाए और इस पर ईमान न लाया जाए। आगे रही यह बात कि हज़रत मुजद्दिद (अर्थात् मिर्ज़ा साहिब) की मुजद्दियत व मुल्हमीयत व मुहद्दसियत पर हम सब पर ऐसा खुला-खुला निशान ज़ाहिर हो जाए कि (मानने में) किसी को किसी प्रकार की कोई रुकावट न पड़े। तो यह बात अल्लाह तआला के उस रहस्य के विपरीत है जो उसने ईमान-बिलग़ैब में रखा है। देखो प्रतापी और साहिबे शरीअत नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े-बड़े निशान दिए गए लेकिन मुखालिफ़ों की नज़रों में एक रुकावट का पर्दा ही पड़ा रहा। एक क़ब्ती को उनके हाथ से क़त्ल करवा दिया ताकि मुखालिफ़ों की नज़रों में यह कृत्य उनकी नबूवत् को मानने में आजमाइश और रुकावट बन जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी मुखालिफ़त करने वाली क़ौम को अज़ाब नाज़िल होने का निर्धारित समय बता दिया था, फिर अल्लाह तआला ने उस अज़ाब को टाल दिया ताकि मुखालिफ़ों के लिए यह एक आजमाइश और रुकावट बन जाए। खुलफ़ा-ए-राशिदीन के ख़िलाफ़तकाल में मुखालिफ़ों के लिए तरह-तरह की आजमाइशें और रुकावटें खड़ी कर दी गईं। हालाँकि यह ख़िलाफ़त नबूवत की अवशिष्ट

और रिसालत की परिशिष्ट थी और बड़े ज़ोर-शोर से पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में बयान कर दी गई थी ताकि रवाफ़िज़ियों और ख़वारिज़ियों की नज़रों में वे छोटी-मोटी आज़माइशें और रुकावटें बड़ी-बड़ी आज़माइशें और रुकावटें बन जाएँ। हे मेरे प्यारे दोस्तो! किसी शायर ने क्या ही अच्छा कहा है:-

درکارخانه عشق از کفرناگزیر است آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد

मौलाना शाह वलीउल्लाह साहिब (मुहद्दस देहलवी) फ़रमाते हैं कि यह रहस्य और (आज़माइश के) पर्दे इसलिए डाले जाते हैं कि मोमिन और मुनाफ़िक़ की परीक्षा हो जाए। सारांशतः यह कि जो कटाक्ष आप मिर्ज़ा साहिब पर करते हैं वही मौलाना इस्माईल साहिब रहमतुल्लाह अलैहि पर भी पड़ता है। "अना अहमद बिला मीम" को हदीस ठहराना पूर्णतः मनगढ़त और खुला-खुला झूठ है जो किसी तरह भी सही नहीं। ख़ुदा इस व्यंग्तात्मक आरोप से पूर्णतः रहित है। अल्लाह तआला समस्त झूठों को लज्जित करे। इसके अतिरिक्त यह कहता हूँ कि वाक्य "अना अहमद बिला मीम" में उपमा इत्यादि का कोई अक्षर भी मौजूद नहीं कि जिससे केवल लाक्षणिक अर्थ निकलें। बल्कि इससे तो केवल वास्तविक अर्थ दृश्यमान होते हैं जो सबके निकट व्यर्थ और ग़लत हैं और यह बात मिर्ज़ा साहिब के कथन के विरुद्ध है। क्योंकि उसमें जगह-जगह लाक्षणिक और रूपक शब्दों का स्पष्टीकरण है जिससे लाक्षणिक समन्वय के अतिरिक्त मूल समन्वय का अर्थ ही नहीं बनता, यहाँ तक कि शैर में भी "आँचुनान" का शब्द मौजूद है:-

آنچنان از خود جدا شد که میان افتاد میم

"चुनान" का शब्द केवल रूपक के लिए आता है, यहाँ पर यथार्थ अर्थ तात्पर्य हो ही नहीं सकते। لا تطرونی "ला ततरूनी" (तुम मेरी हद से बढ़कर प्रशंसा न करो) के अर्थों पर हमारा ईमान है और ईसाइयों के मज़हब का जो सबसे बढ़कर अजूबापन है वह बिल्कुल शिर्क और कुफ़्र (अधर्म और अन्याय) है। उसके बारे में मिर्ज़ा साहिब फ़रमाँ चुके हैं कि उस शिर्क के कारण उनकी मानसिकताएँ दूषित हो गई हैं। इस हदीस में वही अतिशयोक्ति मना है जो ईसाइयों

की सी हो, न कि वह प्रशंसा जो कुर्आन मजीद और व्यवहारिक आदर्श से सिद्ध है, और जो उम्मत के ब्रह्मज्ञानियों ने कुर्आन व हदीस के अनुसार आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की प्रशंसा का बढ़-चढ़कर गुणगान किया है वह कहाँ मना है। हदीस में शब्द *لا تطروني كما طرت النصارى* (ला तत्रूनी कमा अत्रतन् नसारा) हैं, न कि केवल *لا تطروني* (ला तत्रूनी)। मेरे महाशय! "तक्वियतुल ईमान" को "ला इलाहा इल्लल्लाह" की मीमांसा और व्याख्या समझिए और "मन्सब-ए-इमामत" या "सिरात-ए-मुस्तक्रीम" या "तौज़ीहे मराम" के विषयों को मुहम्मदुरसूलुल्लाह की व्याख्या समझिए इनमें वह अतिशयोक्ति नहीं है जो यहूदियों और ईसाइयों ने की है। - सुसमाप्तम्

वस्सलाम

खाकसार

मुहम्मद अहसन, मुहतमिम् मसारिफ़

रियासत भोपाल

दिनांक 12 सितम्बर सन् 1891 ई.

मुताबिक 09 सफ़र 1309 हिज़्री

पारिभाषिक शब्दावली

- अर्श-** सिंहासन। वह स्थान जहाँ पर अल्लाह का अधिष्ठान है।
- अह्ले किताब-** यहूदी और ईसाई जो तौरात नामक ग्रंथ को ईशवाणी मानते हैं।
- अज़ाब -** अल्लाह की अवज्ञा करने पर मिलने वाला दंड। ईशप्रकोप, कष्ट, विपत्ति।
- अल्लैहिस्सलाम-** उनपर अल्लाह की कृपा हो। नबियों, रसूलों और अवतारों के नामों के बाद यह वाक्य कहा जाता है।
- आयत-** पवित्र कुर्आन की पंक्ति अथवा वाक्य।
- इब्ने मरियम-** मरियम का पुत्र (अर्थात् ईसा मसीह अल्लैहिस्सलाम)
- इस्त्राईल-** अल्लाह का वीर या सैनिक। हज़रत याक़ूब अल्लै. का एक गुणवाचक नाम, जिस के कारण उनके वंशज को बनी इस्त्राईल (अर्थात् इस्त्राईल की संतान) कहा जाता है। फ़िलिस्तीन का एक भू-भाग जिस में यहूदियों ने अपना राज्य स्थापित करके उस का नाम इस्त्राईल रखा है।
- ईमान-** अर्थात् विश्वास और स्वीकार करना। जैसे अल्लाह, फ़रिश्तों, रसूलों, ईश्वरीय ग्रंथों और पारलौकिक जीवन पर विश्वास करना।
- उम्मत-** संप्रदाय। किसी नबी या रसूल के अनुयायियों का समूह उसकी उम्मत कहलाता है।
- उम्मती नबी-** किसी नबी की शिक्षाओं को आगे फैलाने के लिये उसके अनुयायियों में से किसी का नबी पद प्राप्त करना।
- उलमा-** इस्लामी धर्मज्ञ।
- क्रयामत-** महाप्रलय। मृत्यु के बाद अल्लाह के समक्ष उपस्थित होने का दिन

- कश्फ़-** जागृत अवस्था में कोई अदृष्ट विषय देखना। स्वप्न और कश्फ़ में यह अंतर है कि स्वप्न सोते में देखा जाता है और कश्फ़ जागते में देखा जाता है। दिव्य-दर्शन। योगनिद्रा, तन्द्रावस्था।
- काफ़िर -** सच्चाई का इन्कार करने वाला। इस्लाम धर्म का अस्वीकारी।
- क्रिब्ला -** आमने-सामने। जिसकी ओर मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। ख़ाना काबा मुसलमानों का क्रिब्ला है जिसकी ओर सारे संसार के मुसलमान मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं।
- कुफ़र-** सच्चाई का इन्कार, इस्लाम का इन्कार करना।
- ख़लीफ़ा-** उत्तराधिकारी। अधिनायक। नबी और रसूलों के बाद उनका स्थान लेने वाला और उनके काम को चलाने वाला।
- ख़िलाफ़त-** नबी और रसूल के बाद उनके कामों को आगे चलाने वाली व्यवस्था, जिसका प्रमुख ख़लीफ़ा कहलाता है।
- ज़ईफ़ हदीस-** (अर्थात् कमज़ोर) वह हदीस जिसके रावी (हदीस बताने वाले) की ईमानदारी के बारे में कि सी को आपत्ति हो या उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो।
- जिब्रील-** ईशवाणी लाने वाला फ़रिश्ता।
- जिहाद -** प्रबल उद्यम करना। स्वयं को सुधारने के लिये या धर्मप्रचार के लिये प्रयत्न करना। सत्यधर्म की रक्षा के लिये प्रतिरक्षात्मक युद्ध करना।
- तक्रवा -** निष्ठापूर्वक अल्लाह की आज्ञा का पालन करना और हर काम को करते समय अल्लाह का भय मन में रखना। संयम, धर्मपरायणता।
- ताबयीन-** अनुगमन कारी। वे मुसलमान जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्ल. को तो नहीं देखा परंतु हज़रत मुहम्मद सल्ल. के साहाबियों को देखा।
- तबअ ताबयीन -**ताबयीन के अनुगामी। जिन्होंने केवल ताबयीन को देखा।
- तहज़ीज़-** किसी शब्द के द्वारा किसी काम के लिए उभारना।
- तौरात -** यहूदियों का धर्मग्रंथ।

- दज्जाल-** झूठा, धोखेबाज, अंत्ययुग में लोगों को धर्मभ्रष्ट कराने के लिए उत्पन्न होने वाला एक समूह।
- दुरूद व सलाम** -हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए की जाने वाली दुआ।
- नबी-** लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अल्लाह की ओर से आया हुआ व्यक्ति, जिसे अदृष्ट विषयों से अवगत कराया जाता है। अवतार।
- नुबुव्वत-** नबी बनने की क्रिया। अवतारत्व।
- नूर-** अध्यात्म प्रकाश, ज्योति।
- नेमत -** अल्लाह की देन।
- पैग़म्बर -** अल्लाह का संदेशवाहक, नबी, रसूल।
- बनी इस्राईल-** इस्राईल की संतान। (इस्राईल शब्द भी देखें)
- बैअत-** बिक जाना, धर्मगुरु के हाथ पर हाथ रख कर उसका आनुगत्य स्वीकार करना।
- मजरूह हदीस-** वह जिसमें, हदीस बताने वाले (रावी) के शब्दों और कार्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसके बारे में जिरह की गई है।
- मुश्रिक -** शिर्क करने वाला। अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को उपास्य मान कर उसे अल्लाह का समकक्ष ठहराने वाला व्यक्ति।
- मुनाफ़िक़-** कपटाचारी। वह व्यक्ति जो ईमान लाने का प्रदर्शन तो करे परंतु दिल से उसको अस्वीकार करने वाला हो।
- मुत्तक़ी -** निष्ठापूर्वक अल्लाह की आज्ञा का पालन करने वाला और हर काम को करते समय अल्लाह का भय मन में रखने वाला व्यक्ति, धर्मपरायण।
- मुबाहलः-** एक दूसरे को शाप देना। इस्लामी धर्मविधान के अनुसार किसी विवादित धार्मिक विषय को अल्लाह पर छोड़ते हुए एक दूसरे को शाप देना कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो।
- मे'राज -** आध्यात्मिक उत्थान। अल्लाह की ओर हज़रत मुहम्मद सल्ल. की अलौकिक यात्रा जो सशरीर नहीं हुई।

- मोमिन -** अल्लाह, फ़रिश्तों, रसूलों, ईश्वरीय ग्रंथों और पारलौकिक जीवन पर विश्वास करने वाला निष्ठावान् व्यक्ति।
- मौजूअ हदीस-** झूठी हदीस, जिसे रावी (हदीस बताने वाले) ने झूठ बोलकर आंहरत स०अ० व० की ओर सम्बद्ध कर दिया हो।
- याजूज-माजूज-**अंत्ययुग में उत्पन्न होने वाली दो महाशक्तियाँ।
- रसूल-** अल्लाह का भेजा हुआ अवतार, दूत।
- रज़ियल्लाहु अन्हु-** अल्लाह उन पर प्रसन्न हो। हज़रत मुहम्मद सल्ल. के पुरुष सहाबियों के लिए प्रयुक्त होता है। अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ।
- रहिमहुल्लाहु-** उन पर अल्लाह की कृपा हो। यह वाक्य दिवंगत महापुरुषों के नाम के साथ प्रयुक्त होता है।
- रूह-** आत्मा।
- रूह-उल-कुदुस-**पवित्रात्मा। ईशवाणी लाने वाला फ़रिश्ता।
- रूह-उल-अमीन-**जिब्रील, जो ईशवाणी लाने वाले फ़रिश्ता हैं।
- ला'नत -** अभिशाप, अमंगल कामना।
- वह्यी -** अल्लाह की ओर से प्रकाशित होने वाला संदेश, ईशवाणी। ईश्वरीय ग्रंथों का अवतरण वह्यी के द्वारा होता है। पवित्र कुर्आन हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर वह्यी के द्वारा ही उतरा है।
- शरीयत-** इस्लामी धर्मविधान।
- शिरक-** अल्लाह के बदले दूसरे को उपास्य मानना, किसी को अल्लाह का समकक्ष ठहराना।
- सलाम -** शांति और आशीर्वाद सूचक अभिवादन।
- सलीब -** सूली, जिस पर लटका कर मृत्युदंड दिया जाता था।
- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-** उनपर अल्लाह की कृपा और शांति अवतरित हो। हज़रत मुहम्मद स० के नाम के साथ यह वाक्य कहा जाता है।
- सहाबी -** हज़रत मुहम्मद सल्ल. के वे अनुगामी जिन्हें आपकी संगति प्राप्त हुई।
- सूर: / सूरत-** पवित्र कुर्आन का अध्याय। पवित्र कुर्आन में 114 अध्याय हैं।

- हज़रत - श्रद्धेय व्यक्तियों के नाम से पूर्व सम्मानार्थ लगाया जाने वाला शब्द।
- हदीस - हज़रत मुहम्मद सल्ल. के कथन जिन्हें कुछ वर्षों के पश्चात इकट्ठा करके ग्रंथबद्ध किया गया। इन में से छः विश्वसनीय हदीस ग्रंथों को सहा- ईसित्ता कहा जाता है। इनके अतिरिक्त और भी हदीस के ग्रंथ हैं।
- हिजरत - देशांतरण। हज़रत मुहम्मद सल्ल. के मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत के नाम से प्रसिद्ध है।
- हिदायत- सन्मार्ग प्राप्ति।

* * *